Monday, 18 November, 1968

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK-SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

Preservation Unit
17-7-94
Fumigated
On 4.1.84
Parliament Library

[खंड 21 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol.XXI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 6–सोमवार, 18 नवम्बर, 1968/27 कार्तिक,1890 (शक)

No. 6—Monday, November 18, 1968/Kartika 27, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
151	ग्रामों और नगरों में बिजली लगाने की योजनायें	Rural and Urban Electrification Schemes ..	885–890
152	उर्वरकों का उत्पादन	Production of Fertilizer ...	890–897
157	किसानों को ऋण	Loans to farmers	897–900

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. सं./S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
153	कमला नदी का भारत-नेपाल द्वारा सर्वेक्षण	Indo-Nepal survey of river Kamala	900
154	सरकारी आवास में रहने वाले अनधिकारी व्यक्तियों से बाजार दर पर किराये की वसूली	Realisation of market rent from non-entitled occupants of Government Accommodation	900–901
155	केरल की इड्डिकी पनबिजली परियोजना	Idikki Hydro-Electric Project in Kerala ..	901–902
156	परादीप में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant at Paradeep ..	902–903
158	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल	Central Government Employees strike	903
159	नागार्जुन सागर परियोजना	Nagarjunasagar Projects ...	903–904
160	प्रधान मंत्री के घरेलू / सिब्बन्दी व्यय का राष्ट्रपति के व्यय में दिखाया जाना	Charging of Prime Minister's Household/ Establishment Expenditure on Rashtrapati	904

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्रश्न संख्या/S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
162 केरल तट पर समुद्र द्वारा भूमि का कटाव	Sea Erosion on Kerala Coasts	904–905
163 भेषज तथा अन्य औषधियों के मूल्य	Prices of Drugs and other Medicines... ...	905–906
164 आसाम में सरकारी क्षेत्र में दूसरा तेल शोधक कारखाना	Second Public Sector Rafinery in Assam ...	906
165 नई दिल्ली में कृषि भवन के सामने पैट्रोल पम्प की भूमि का आवंटन	Allotment on land for petrol pump opposite Krishi Bhawan, New Delhi	906–907
166 फरक्का बांध का निर्माण	Construction of Farakka Barrage	907
167 देव नगर कालोनी, नई दिल्ली में गन्दगी	Insanitary Conditions in Devnagar Colony, New Delhi	908
168 बरौनी तेल शोधक कारखाने में पुलिस थाने की स्थापना	Establishment of Police Station in Barauni Refinery	908
169 बिजली के लिये धन का नियतन	Budget allocation for Electricity	908–909
170 गर्भाशयांतर गर्भ निरोध युक्ति (लूप) अपनाने वाली महिलाओं को नकद प्रोत्साहन	Payment of incentives to individuals accepting I.U.D.C.	909
171 भारत में विद्युत जनन और उसकी सप्लाई के लिये विनियोजित धनराशि	Amount invested for power generation and supply in India — ...	909–910
172 खानाबदोश आदिम जातियां	Nomadic Tribes	910
173 खम्भात में तट से दूर कम गहरे पानी में जापान द्वारा खुदाई	Shallow water drilling off Cambay by Japan..	910–911
174 व्यास बांध पुनर्वास समिति	Beas Dam Rehabilitation Committee	911

तां प्र. सं./S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.			
175 पश्चिम बंगाल में हड़ताल के कारण बिजली की सप्लाई में गड़बड़	Disruption of power suppy due to strike in West Bengal	... ...	911-912
176 हिंदी में विधेयकों तथा प्रकाशनों का भारत सरकार के प्रेसों में मुद्रण	Printing of Hindi Bills and Publications in Government Presses	... ..	912
177 उर्वरकों के क्रय की प्रक्रिया	Procedure for purchase of Fertilizers...	..	912-913
178 गुजरात में विद्युत परियोजनाओं के बारे में सर्वेक्षण	Survey of power projects in Gujarat ..	...	913-914
179 सिंचाई परियोजनाओं के लिये धन की व्यवस्था	Financing of Irrigation Projects	... ...	914-915
180 बिहार में चन्दन बांध का निर्माण	Construction of Chandan Dam in Bihar	...	915
अतां. प्र. सं./U. S. Q. Nos.			
960 पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा विद्युत का अत्यधिक व्यय	Power spending spree of Punjab and Haryana Governments	... ..	915-916
961 पी. एल. 480 के अन्तर्गत अमरीका द्वारा अनुदान	Grant given by USA under PL 480	... ...	916
962 कर-अपवंचन के बारे में जानकारी देने वालों को कमीशन का भुगतान	Commission paid to informants regarding Tax evasion	.. ...	916-917
963 सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के मामले	Cases of retired Government Employees	...	917
964 राज्य सरकार के मंत्रियों की विदेश यात्रा	Tour by State Ministers Abroad	.. ...	917-918
965 अमरीका से पी. एल. 480 के अन्तर्गत खाद्य सहायता	P.L. 480 Food Aid from USA	... ...	918
966 आयल इंडिया लिमिटेड	Oil India Limited	... ...	918-919

967 मध्य प्रदेश के सिनेमा मालिकों पर कर की बकाया राशि — Taxes due from Cinema Owners of Madhya Pradesh 919

968 भूतपूर्व नरेशों द्वारा विदेशों में बैंक खाते — Bank Accounts maintained by Ex-princes Abroad 919-920

969 भारत से चोरी छिपे चांदी ले जाना — Smuggling of Silver out of India 920

970 अखिल भारतीय वाक् तथा श्रवण संस्था, मैसूर — All India Institute of Speech and Hearing, Mysore 920-921

971 अनुसूचित जातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने के लिये आय साधनों की जांच — Means-Test Post-Matric Scholarsbips to Scheduled Castes Students 921

972 अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा मलकानी समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति — Recommendations of Malkani Committee in Andaman and Nicobar Administration ... 921

973 मध्य प्रदेश के लिये पेय-जल की योजना — Scheme for potable water for Madhya Pradesh 922

974 मध्य प्रदेश में सहकारी गृह-निर्माण समितियां — Cooperative Housing Societies in Madhya Pradesh .. 922

975 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का वेतन निश्चित करना — Fixation of Pay of Central Government Employees 922

976 आयकर की बकाया राशि — Income Tax Arrears 922-923

977 दिल्ली के परीकुछ समवायों द्वारा आयकर का भुगतान — Income Tax paid by Certain Transport companies in Delhi 923

978 मैसर्स किर्लोसकर (इन्डिया) लिमिटेड — M/s Kirloskar (India) Ltd. ... 924

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी) WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

U.S.Q. No.	विषय	Subject	Pages
979	उत्तर प्रदेश में राज्य विकास ऋण	State Development Loan in U.P. ...	924-925
980	सरकारी अधिकारियों द्वारा विदेशों का दौरा	Government Officials visit Abroad	925
981	मैसर्स कैपिटल फाइनेन्स आफ इन्डिया (प्रा.) लिमिटेड, दिल्ली का आय कर निर्धारण	Income Tax assessment of M/s Capital Finance of India (P) Ltd. Delhi	925–926
982	हट्टी स्वर्ण खानें	Huti Gold Mines	926
983	उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिये विदेशी फर्मों की रुचि में कमी	Decrease in interest of foreign firms for establishing Fertilizer Plants	926–927
984	हड़ताल के कारण डाक सेवा के अस्त-व्यस्त होने से बैंकों के कारोबार पर प्रभाव	Effect of Disruption of Postal Service due to strike on Banking Business	927
985	मध्य प्रदेश में मेडिकल कालेजों को अनुदान	Grant to Medical Colleges in Madhya Pradesh	927–928
986	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की शिक्षा	Education for Scheduled Castes and Scheduled tribes persons	928
987	बिहार में दरभंगा के निकट मोहिनी नदी पर तटबन्धों का निर्माण	Embankments on Mohini River in Bihar in Darbhanga	928–929
988	अधावाड़ा नदी समूह की बाढ़ नियंत्रण परियोजना	Flood Prevention Projects of Adhawara Group of Rivers	929
989	कोटा स्थित उर्वरक कारखाने में हुई दुर्घटना की जांच	Inquiry into accident in Fertilizer Factory, Kotah	929–930

990 राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम — Programme of Family Planning in States — 930

991 दिल के दौरे के मामले — Heart Attack Cases .. — 930–931

992 बिहार को केन्द्रीय ऋण — Central loans to Bihar ... 931

993 इन्डिया मर्केन्टाइल इन्श्योरेंस कम्पनी — Indian Mercantile Insurance Company ... 931–932

994 कोसी पश्चिम तट नहर परियोजना — Kosi West Bank Canal Project 932

995 उर्वरक उत्पादन की 1975-76 तक क्षमता — Fertilizer Capacity by 1975–76 .. — 932–933

996 साराभाई परिवार द्वारा चलाये जा रहे गैरसरकारी न्यास — Private Trusts run by Sarabhai Family 933

997 उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के उपक्रम — Central Government Undertakings in U.P. — 933–934

998 दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा निर्मित क्वार्टर — Quarters Constructed by D.D.A. 934

999 विदेशी ऋणों के भुगतान की अवधि का पुनः निर्धारण — Re-scheduling of Foreign Debt Payments ... 934–935

1000 कर्जन रोड होस्टल में साज सज्जा की व्यवस्था करने के लिये ठेके — Contracts for Furnishing Curzon Road Hostel 935

1001 भारत में बाढ़ द्वारा विभिन्न बांधों को होने वाली हानि — Damage caused by floods to various Dams in India 935

1002 उत्तर प्रदेश की विशापू बांध परियोजना — Vishapu Dam Project of U.P. 935–936

1003 अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य जातियों के लिये समाज कल्याण योजनायें — Social Welfare Schemes for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and other Backward Classes 936

तारा.प्र संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
1004 बरौनी तेल शोधक कारखाना	Barauni Oil Refinery	937
1005 नाइट्रोजन रासायनिक उर्वरक उत्पादन का लक्ष्य	Target for Nitrogen Chemical Fertilizer Production	937
1006 उर्वरक कारखनों में बिजली की खपत	Consumption of Electricity in Fertilizer Factories	937-938
1007 कोयली शोधनशाला द्वारा स्थापित की गई परियोजनाएं	Projects set up by Koyali Refinery	938
1008 भारत में इशियाई फ्लू का फैलना	Inflow of Asian flu into India	938-939
1009 कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने के सम्बन्ध में भारतीय उर्वरक निगम का प्रतिवेदन	Report of Fertilizer Corporation of India re. Coal/based Fertilizer Plant	939-940
1010 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश की नदियों से उत्पन्न बिजली पर स्वामिस्व की मांग	Demand for sharing of Royalty on power Generated from H.P. Waters Himachal Pradesh Government	940
1011 परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये प्रोत्साहन	Incentive for Family Planning Programme ...	941
1012 परिवार नियोजन पखवाड़े के दौरान बन्ध्यीकरण के आपरेशन	Sterlization during the Family Planning Fortnight	941
1013 बम्बई में घड़ियों का पकड़ा जाना	Seizure of Watches in Bombay	942
1014 केन्द्रीय अध्ययन दल का हरियाणा का दौरा	Central Study Team's visit to Haryana ...	942-943

अता. प्र. संख्या/U.S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
1015 पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में गंगा के दूसरी ओर बांध का निर्माण	Construction by Pakistan of a barrage across Ganga in East Pakistan -- -	943
1016 हाल में स्थापित हुए औद्योगिक उपक्रमों को कर सम्बन्धी रियायतें	Tax concession to the newly set up Industrial Undertakings	943–944
1017 जीवन बीमा निगम द्वारा गुजरात और महाराष्ट्र में पूंजी लगाना	L I.C, Investment in Gujrat and Maharashtra	944–945
1018 बिजली की सप्लाई में वृद्धि के लिये गुजरात को सहायता	Assistance to Gujrat for Increasing Power Supply	945
1020 गुजरात में राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा सफाई योजना के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for National Water Supply and Sanitation Scheme in Gujrat...	945–946
1021 दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा भूमि का अर्जन	Acquisition of land by Delhi Development Authority -- ...	947
1022 पतरातु (बिहार) स्थित धातु मिश्रण इस्पात कारखाने को बिजली की सप्लाई	Supply of Electric Power to Alloy Steel Plant at Patrata (Bihar)	947
1023 लोकटाक परियोजना का निर्माण	Constuction of Loktak Projects	948
1025 मद्य निषेध	Prohibition	948
1026 जनपथ, नई दिल्ली में बहु मंजली इमारत का निर्माण	Construction of Multi storeyed building at Ganpath, New Delhi -- ..	949
1027 मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s Dodsal (P.) Ltd.	949–950

1028 आयकर दाता	Income Tax Payers	950
1029 विदेशों में भारतीयों द्वारा खोले गये बैंक खाते	Bank Accounts maintained Abroad by Indians	950–951
1030 दिल्ली में झुग्गी-वासियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Jhuggi-dwellers in Delhi ...	951
1031 बैंकों के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन	Agitation by Bank Employees	951
1032 टैनेको के साथ संयुक्त उपक्रम	Joint Entering with Tenneco	951–952
1033 खगरिया सब डिवीजन में मिट्टी के तेल की सप्लाई	Supply of Kerosene Oil in Khagaria Sub-Division ...	952
1034 तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में वस्तु सूची तैयार करने के काम का इकट्ठा होना	Accumulation of Inventory in O & NGC ...	952
1035 करांधान ढांचे का सरलीकरण	Simplification of Taxation Structure	952–953
1036 वित्त आयोग	Finance Commission	953
1037 कोलार स्वर्ण खान उपक्रम	Kolar Gold Mining Undertakings ...	953–954
1038 कोलार स्वर्ण खान उपक्रम	Kolar Gold Mining Undertakings ..	954
1039 तेल की खोज	Oil Exploration	955
1040 दिल्ली नगर निगम द्वारा मृत व्यक्तियों के विरुद्ध दावों का दायर किया जाना	Filling of suits by DCM Against Dead persons	955
1041 परिवार नियोजन के बारे में पोप का घोषणा पत्र	Encyclical Letter of Pope on Family Planning	955 956
1042 पाकिस्तान में गंगा नदी के निचले प्रवाह क्षेत्रों में भारतीय इंजीनियरों का दौरा	Visit of Indian Engineers to lower reaches of Ganga in Pakist n	956

1043 'लिंक' द्वारा प्राप्त धनराशि का (पैट्रियाट) को दिया जाना — Transfer of donations received by "Link" to "Patriat" 956

1044 भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड — Fertilizer Corporation of India Ltd., ... 957-958

1045 भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड — Fertilizer Corporation of India Ltd. .. 958

1046 भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड — Fertilizer Corporation of India Ltd. 958-959

1047 भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड — Fertilizer Corporation of India Ltd. 959

1048 जीवन बीमा निगम — Life Insurance Corporation 959-960

1049 विवाहों का पंजीयन (रजिस्ट्री) — Registration of marriages 960

1050 नई दिल्ली में इंडिया गेट पर गांधी जी की मूर्ति लगाना — Installation of Gandhiji's Statue at India Gate, New Delhi 960

1051 पी. एल. 480 — P.L. 480 961

1052 बिजली मंडलों के सभापतियों की बैठक — Meeting of Chairmen of Electricity Board ... 961-962

1053 कोरबा में एल्यूमिनियम तथा उर्वरक परियोजनाओं को बिजली सप्लाई करने के सम्बन्ध में करार — Agreement for Power Supply Aluminium and Fertilizer Project at Kobra 962-963

1054 नेशनल बिल्डिंगस कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन — National Buildings Construction Corporation 963

1055 मध्य प्रदेश में अकाल सहायता निधि में गोलमाल — Misappropriation in Famine Relief fund in M.P. 963-964

1056 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये दो कमरों के क्वार्टर — Two Roomed Quarters for Class IV Employees 964

अता.प्र.संख्या /U S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी) WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
1057 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	Central Government Employees	964-965
1058 कर्जन रोड नई दिल्ली स्थित होस्टल में सरकारी कर्मचारियों को आवास का दिया जाना	Allotment of Curzon Road Hostel New Delhi to Government Employees	965-966
1059 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सुविधायें तथा भत्ते	Facilities and Allowances to Central Government Employees	966
1060 साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली में पानी की सप्लाई	Water Supply to South Avenue, New Delhi ..	966
1061 बिहार में कोसी परियोजना	Kosi Project in Bihar	967
1062 केरल राज्य में सिंचाई परियोजनायें	Irrigation Projects in Kerala State	968
1063 आसाम के डिगबोई तेल क्षेत्र	Digboi Oil fields in Assam	969
1064 पंजाब लाटरी	Punjab Lottery	969-970
1065 बम्बई सीमा शुल्क विभाग	Bombay Customs Department	970
1066 राजस्थान में मेडिकल कालेजों में दाखिला	Admission to Medical Colleges in Rajasthan	970-971
1067 सिंचाई योजना	Irrigation Schemes	971
1068 राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं के लिये धन की मांग	Request for funds for Irrigation Projects in Rajasthan	971
1069 मोदी नगर के लिये नगर पालिका	Municipality for Modi Nagar	971-972
1070 मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन के अंशधारी	Shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation	972
1071 मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन के अंशधारी	Shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation	973

1072 मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन के अंशधारी — Shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation ... 973-974

1073 मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन के अंशधारी — Shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation ... 974

1074 मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन के अंशधारी — Shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation ... 975

1075 रामाकृष्णपुरम के दुकानदारों द्वारा बरामदे पर छत डालने की प्रार्थना — Requests from Shopkeepers of R.K. Puram recovering of Verandah 975

1076 दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों को नियमित बनाना — Regularisation of Unauthorised colonies in Delhi 975-976

1077 सभी राज्यों में प्रत्येक रविवार को विद्युत में कटौती — Power cut on every sunday in all States – 976

1079 राज्यों में पेय जल की सप्लाई के लिये योजनायें — Schemes for supply of drinking water in States 976-977

1080 नकली धूप चश्मों के विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये विधान — Legislation to Restrict & sale of spurious sun Glasses 977

1081 हिसार-खेतरी जयपुर ट्रांसमीशन लाइन — Hissar-Khetri-Jaipur Transmission Line 977

1082 उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां — Industrial Estates in U.P. 977-978

1083 उत्तर प्रदेश में जिला बोर्डों के हिसाब किताब की लेखा परीक्षा — Audit of Accounts of District Boards of Uttar Pradesh 978

1084 अनुसूचित जातियों आदिम जातियों के कर्मचारी — Scheduled Castes/Tribes Employees ... 978-979

1085	चौथी योजना के लिये संसाधनों का नियतन	Allocation of Resources for Fourth Plan	979
1086	गांधी शताब्दी समारोह वर्ष के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification during Gandhi Centenary Celebration Year	979–980
1087	उत्तर प्रदेश में रिहन्द ओबरा परियोजनाएं	Rihand Obara Projects in U.P.	980
1088	वित्तीय वर्ष बदलना	Changing of Financial year ..	980–981
1089	आन्ध्र प्रदेश में स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां	Scholarships for Andhra Pradesh Post-Graduate Students	981
1090	खनिज अयस्कों पर निर्यात शुल्क	Export Duty on Mineral Ores	981-982
1091	बैंकिंग आयोग	Banking Commission	982
1092	चौथी योजना के घाटे की अर्थ व्यवस्था	Deficit Finance during Fourth Plan ..	982
1093	चुनीदा उद्योगों पर कर-प्रमाण पत्रों का दिया जाना	Granting of Tax Certificates to Selected Industries ...	983
1094	साऊथ कनारा में पाइपों द्वारा जल की सप्लाई करने की योजनाओं के लिये राज सहायता	Subsidies for piped Water Supply Schemes in South Kanara	984
1095	दिल्ली/नई दिल्ली के पोलीटेक्निकों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना	Grants of Scholarships to Students of Polytechnics of Delhi New Delhi	984-985
1096	नर्मदा नदी का जल विवाद	Narmada River Water Dispute ...	985
1097	खम्भात की खाड़ी में तेल की खोज के लिये खुदाई कार्यक्रम	Programme for Oil Drilling in Cambay	985

अता. प्र. संख्या/U.S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
1098 आंध्र प्रदेश में उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal for Fertilizer Plant in Andhra Pradesh	986
1099 नेफ्था का निर्यात	Export of Nephtha	986
1101 आपतकाल जोखिम (वस्तु) बीमा योजना	Emergency Risks (Goods) Insurance Scheme	986-987
1102 रंग तथा रसायन उद्योग	Dyes and Chemicals Industries	987-988
1103 कृषि के लिये ऋण सुविधायें	Credit Facilities for Agricultural ...	988-989
1105 मिदनापुर के लिये बाढ़ नियंत्रण योजनायें	Flood Control Schemes for Midnapur ...	989
1106 बिहार में बिजली की दर में वृद्धि	Enhancement of Rates of Electricity in Bihar	989-990
1107 पटना नगर के लिये वृहद योजना	Master Plan for Patna City	990
1108 घाटे की अर्थ व्यवस्था	Deficit Financing	991
1109 विदेशी पूंजी विनियोजक	Foreign Investors ...	991-992
1110 अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा	All India Medical Service ... –	992
1111 राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम	National Buildings Construction Corporation	992-993
1112 इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटर	Electronic Computers ... –	993
1113 दिल्ली में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिये आकस्मिक निरीक्षण	Surprise checks to detect Adulterations in Foodstaff in Delhi	993-994
1114 दिल्ली के होटलों तथा जलपान गृहों में खाद्य पदार्थों में मिलावट	Adulterations in Food Stuffs in Hotals and Restaurants of Delhi	994-995
1115 आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति	Drought in Andhra Pradesh	995

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
1116	बिहार की गोंड़ जाति को सुविधाएं	Facilities to Gond Community of Bihar ...	996
1117	जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति	Investment Policy of LIC	996
1118	कम्पनियों की पूंजी पर कर	Tax on Capital of Companies ...	996-997
1119	श्री निजलिंगप्पा की जापान यात्रा	Shri Nijalingappa's Tour of Japan	997
1120	दस रुपये के नोट	Ten Rupee Notes	997
1121	कोसी बांध के गिर जाने के कारणों की जांच	Enquiry into the Collapse of Kosi Dam ...	998
1122	सामान्य राजस्व प्रभार का लगाया जाना	Imposition of General Revenue Charge	998-999
1124	राजस्थान में "महत्वाकांक्षी योजनायें"	Ambitious schemes in Rajasthan	999
1125	दिल्ली में गैर-न्यायिक स्टाम्प कागजों की कमी	Shortage of non-judicial stamp papers in Delhi	999-1000
1127	काबिनी योजना	Kabini Scheme	1000
1128	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह से राजस्व की वसूली	Revenue collections from Andaman and Nicobar Islands	1000-1001
1129	उत्तरी बंगाल में हिमालय से निकली हुई नदियों को नियंत्रित करना	Training in Himalayan Rivers in North ... Bengal	1001
1130	अनुसूचित जातियों को भूमि का आंवटन किये जाने के बारे में यारडी समिति की सिफारिशें	Yardi Committee's Report re. land allotment to scheduled castes	1001
1131	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के रोजगार तथा प्रशिक्षण के बारे में विचार गोष्ठी की रिपोर्ट पर सिफारिशें	Recommendations of Report of Semina on Employment and Training of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	1001-1002

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
1132 सीमा - शुल्क कार्यालय, कलकत्ता में आचार संबंधी गोपनीय विवरण का लिखना	Confidential character reporting in Customs House, Calcutta	1002
1133 सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी	Staff in Public Undertakings ...	1003
1134 कलकत्ता सड़कों की दयनीय स्थिति	Miserable condition of roads in Calcutta ..	1003
1135 नई दिल्ली में सिनेमाघरों द्वारा मास्टर प्लान का उल्लंघन	Violation of Master Plan by Cinema House in New Delhi	1004
1136 वाणिज्यिक बैंकों में निदेशकों की नियुक्ति	Appointment of Directors in commercial Banks	1005
1137 फिल्म कलाकार राज कपूर तथा देवानन्द को दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange given to Film Stars Raj Kapoor and Dev Anand	1005-1007
1138. फिल्म उद्योग में लगे व्यक्तियों द्वारा कर अपवंचन	Tax Evasion by Film People ...	1008
1139 फिल्म अभिनेता राज कपूर और देवानन्द	Film Stars Raj Kapoor and Dev Anand ...	1008
1140 हाई ऐक्सप्लोसिव फैक्टर किर्की को स्वीकार्य जेली का विशिष्ट विवरण	Specification of Jelly acceptable High Explosives Factory, Kirkee	1008–1009
1141 हज यात्रा	Haj Pilgrims	1009
1 43 चोरी छिपे लाया गया माल	Smuggled Goods ..	1009
1144 थियेटर कम्यूनिकेशन, बैरक, नई दिल्ली में कुछ संस्थाओं के लिये स्थान	Accommodation to Certain in Theatre Communication Barracks, New Delhi ...	1009–1010
1145 थियेटर कम्यूनिकेशन, बैरक नई दिल्ली में कुछ संस्थाओं के लिये स्थान	Accommodation in Theatre Communication Barracks, New Delhi	1011

अता.प्र.संख्या / U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर जारी/	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.	
1146 नागपुर के निकट कुरादी में ताप बिजलीघर	Thermal Power Station at Kuradi Nagpur...	1011–1012
1147 बिहार में दरभंगा जिले में महादेवनाथ अस्पताल भवन	Mahadevanath Hospital Building in Darbhanga Distt. of Bihar	1012
1148 ग्रामीण क्षेत्रों के लिये चलते फिरते अस्पतालों की योजना	Mobile Hospital Plan for Rural areas ...	1012–1013
1149 बिहार में आदर्श ग्राम	Model Villages in Bihar	1013
1150 बन्दरों का निर्यात	Export of Monkeys	1013
1151 बरौनी तेल शोधक कारखाने के समीप पैट्रो रसायन उद्योग समूह	Petro Chemical Complex near Barauni Oil Refinery	1013-1014
1152 परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme	1014
1153 बर्दवान के पास दामोदर घाटी निगम की विद्युत पारेषण लाइन	Damodar Valley Transmission line near Burdwan	1014–1015
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling attention to Matter of Urgent Public Importance	1015
कलकत्ता में पैट्रोल की अत्यधिक कमी	Acute shortage of petrol in Calcutta ..	1015–1017
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1017–1024
विशेषाधिकार समिति	Committee of Privileges	1024
छठा प्रतिवेदन	Sixth Report	1024
पूर्व रेलवे में मुगलसराय और गया के बीच सोन नगर स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Statement re. Railway accident on the Eastern Railway at Son Nagar Station between Moghal Sarai and Gaya	1024
श्री चे. मु. पूनाचा	Shri C.M. Poonacha	1025

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Member ...	1025
श्री दत्तात्रय कुंटे	Shri Dattatraya Kunte	1026
संविद श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) विधेयक	Contract Labour (Regulation and Abolition) Bill	1026
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिये समय का बढ़ाया जाना	Extention of time for presentation of Report of Joint Committee	1026–1027
सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक	Government (Liability in Tort) Bill.. ...	1027
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना	Extention of time for presentation of Report of Joint Committee	1027
पेटेंट विधेयक	Patents Bill	1027
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना	Extention of time for presentation of Report of Joint Committee	1027–1028
सर्वश्री मधुलिमये और अर्जुन सिंह भदौरिया की गिरफ्तारी के बारे में	Re. arrest of Sarvashri Madhu Limaye and Arjun Singh Bhadoria	1028
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक (जारी)	Central Industrial Security Force Bill ... (Contd.)	1028
विचार के लिये प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to Consider, as passed by Rajya Sabha .. –	1028
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	1029
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	1030
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	1031
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha ... –	1034

श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	... ..	1036
श्री रा. धो. भण्डारे	Shri R.D. Bhandare	... ..	1038
श्री देवेन सेन	Shri Deven Sen	... ...	1039
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	... ...	1039
खंड 2 और 3	Clauses 2 and 3	... ...	1041
देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में दिये वक्तव्य सम्बन्धी प्रस्ताव	Motion re. statment on flood situation in the countary	... ...	1043
डा. कु. ल. राव	Dr. K.L. Rao	.. ...	1043
श्री प्रताव केसरी देव	Shri P.K, Deo	... ...	1044
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य	Shri C.K. Bhattacharya	... ...	1046
श्री नि. चं. चटर्जी	Shri N.C. Chatterjee	... ...	1048
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri V.N. Shastri	...	1047
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi	... ...	1050
श्री यमुना प्रसाद मण्डल	Shri Yamuna Prasad Mandal	.. ...	1051
श्री स. कण्डप्पन	Shri S. Kandappan	... ..	1052
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	... ..	1053
श्री ही. ना. मुकर्जी	Shri H.N. Mukerjee	... ...	1054
श्री क. नारायण राव	Shri K Narayana Rao	...	1055
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmy Basu	...	1056
श्री सोमचन्द सोलंकी	Shri S.M. Solanki	... ...	1057
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	.. ...	1060

लोक-सभा
LOK-SABHA

सोमवार, 18 नवम्बर 1968/27 कार्तिक, 1890 (शक)
Monday, November 18, 1968/Kartika 27, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Rural and Urban Electrification Schemes

*151. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of villages elctrified during the last three Five Year Plans ;

(b) the percentage of electrification in rural and urban areas during the aforesaid plan period ;

(c) whether Government have under their consideration any scheme to give priority to villages in future under the electrification scheme ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheshwar Prasad) : (a) : 43,634 villages were electrified during the Plans up to March, 1966. The total number of villages electrified up to end of March, 1968, stood at 62,237.

(b) Percentage of villages electrified was 7. 8 and percentage of towns electrified was 93.3.

(c) and (d) : From 1966-67, rural electrification schemes have been reoriented to subserve agricultural needs primarily. Priority has, therefore, been given for energisation of irrigation pumping sets. While continuing to give this priority during the Fourth Plan, is also proposed to electrify about 71,000 villages during the Fourth Plan period depending on the availability of funds.

Shri Nathu Ram Ahirwar : I want to know the difference in rates per unit of electricity supplied to the urban and rural areas these days.

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पम्प चलाने के लिये देश के विभिन्न भागों मे बिजली की दरें 12 पैसे से 15 पैसे प्रति यूनिट तक है। नगरीय क्षेत्रों में यह दर कहीं अधिक है, प्राय: दुगनी तिगुनी है।

Shri Nathu Ram Ahirwar : How villages in the country have so far been electrified and which State tops in this respect ?

डा० कु० ल० राव : मेरे सहयोगी ने बताया है कि 62,000 गांवों में बिजली लगाई जा चुकी है। बिजली-प्राप्त ग्रामों की सर्वाधिक प्रतिशतता मद्रास में है, तथा उसके बाद क्रमश: केरल और पंजाब की बारी आती है।

Shri Hukam Chand Kachwai : When the agriculturists in rural areas need electricity, they have to approach the concerned officers a number of time and they get electricity only after a long time. Do the Govt. propose to lay down such a procedure that as soon as they apply for it, they get it ? During elections, assurance for providing electricity was given and some electric poles were also placed, but when the congressmen lost the elections, all these poles were taken back. May I know whether arrangements will be made to electrify the villages as per assurance given ?

डा० कु० ल० राव : मुझे ऐसे किसी गांव विशेष के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिसका जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं। परन्तु गांवों में बिजली लगवाने की मांग सबसे बड़ी है तथा दिन प्रति-दिन यह मांग बढ़ती जा रही है। भारी संख्या में लोग बिजली चाहते हैं। पम्पिग सेटों के लिये बिजली दिये जाने हेतु लगभग तीन लाख प्रार्थना पत्र हमारे पास हैं। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार प्रति वर्ष लगभग 1.25 लाख आवेदनकर्ताओं को बिजली दी जा सकती है, अत: यह बहुत अनिवार्य है। मैं समझता हूं, कि सामान्यत: केवल धन की कमी ही इस कार्य में बाधा है और कोई कारण नहीं।

Shri Hukam Chand Kachwai : My question has not been answered. The agriculturists in rural areas experience great difficulties in getting electricity and they get it only after a long time. Do the Govt. propose to make adequate arrangements for early supply of electricity to the agriculturists ?

डा० कु० ल० राव० : बिजली प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है। भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न प्रक्रिया है। प्राय: इसकी मांग बहुत अधिक रहती है तथा प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही करने में कुछ समय तो लगता ही है। यदि माननीय सदस्य को किसी विशेष मामले का पता है जिसमें कि बहुत समय लगा हो तो मैं उसकी जांच करूंगा।

Shri Shiv Charan Lal : The hon. Minister has just stated that he is not aware of the place from where the electric poles were removed as some congressmen were defeated in the elections there. I want to tell him that it was Fatehabad in District Agra of U. P. where the congress lost the elections and the scheduled work of electrification came to a stand still; even the transformer was also stolen. Will the hon. Minister enquire into it and make arrangements for the electrifications of that area ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : Which Govt. was in power there ?

डा० कु० ल० राव : मैं इसकी जांच करूंगा ।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या इस वर्ष गांधी शताब्दी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने के लिये कोई अलग से योजना बनाई गई है ?

डा० कु० ल० राव : हमारी इच्छा है कि कम से कम 2 अक्तूबर, 1970 तक तो हम एक लाख गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करलें । आज की हालत के हिसाब से, एक लाख का उद्देश्य पूरा करने हेतु, 38,000 गांवों में और बिजली लगाने की हमारी इच्छा है, परन्तु इसके लिये अतिरिक्त धन राशि की आवश्यकता है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : गांधी शताब्दी समारोह के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों में कहा गया था कि भारत के प्रत्येक गाव में एक वर्ष की अवधि में बिजली लग जानी चाहिये । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है ?

दूसरे, क्या मैं जान सकता हूं कि गांवों में बिजली लगाने के सम्बन्ध में क्या कसौटी रखी गयी है । मुझे पता लगा है कि एक स्थान पर एक खंबे पर 20 वॉट का एक बल्ब जल रहा था और उस क्षेत्र को बिजली प्राप्त क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया है जबकि वहां किसी को भी बिजली उपलब्ध नहीं है ।

डा० कु० ल० राव : यदि धन राशि भी उपलब्ध हो तो देश के सभी 5.7 लाख गांवों में बिजली की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है । हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि देश के 5.7 लाख गांवों में से एक लाख गांवों में गांधी शताब्दी के दौरान वर्ष 1970 तक बिजली पहुंचा दी जाये ।

जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है कसौटी यह है कि जहां अधिक कुएं हैं उसी स्थान को प्राथमिकता दी जाती है । प्रकाश के लिये गांव में बिजली लगाने की बात को गौण स्थान दिया जाता है । मैं ऐसे किसी स्थान विशेष के बारे में नहीं जानता, जहां केवल बिजली का एक बल्ब जलता है । यदि माननीय सदस्य वह स्थान विशेष बतायें तो मैं उसकी जांच करूंगा ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : राजस्थान में सैकड़ों ऐसे गांव हैं, कृपया राजस्थान सरकार से पूछिये, वह आपको सूचना देगी ।

Shri Sheo Narain : Just now the Members of Opposition parties have made a bold attack on the Government. We have tried the policies of S. V. D. Government. If someone applies for the electric connection and deposits the money, according to rule he should get connection within seven days. But actually this has not been done and the people are still waiting for electricity. Now there is a Presidents rule in Uttar Pradesh and the Centre has direct control there. Taking into consideration the interests

of farmers will there any provision be made for the supply of electricity to them without delay according to rule.

श्री० कु० ल० राव : यह सच है कि देश में उत्तर प्रदेश उन नौ राज्यों में से एक है जहां कि विद्युतीकरण का कार्य असन्तोषजनक रहा है और यह औसत से कम है। हमारा यह प्रयत्न है कि इन नौ राज्यों को अतिरिक्त धन मिले ताकि इन राज्यों के गांवों में विद्युतीकरण उसी गति से हो जिस गति से शेष राज्यों में किया जाता है। अगर हमें अतिरिक्त धन मिल जाये तो ऐसा करना सम्भव हो सकता है।

जहां तक दूसरी बातों का संबंध है, यह सच है कि माननीय सदस्य ने स्वयं उन्हें बिजली न मिलने की कठिनाई को कई बार मुझसे कहा है।

Shri Rabi Ray : The hon. Minister has just stated that only sixty two thousand villages have been electrified during the last three Plans. Has he even made an assessment that how many plans are needed to provided electricity to all the five lakhs villages of the country. I also want to know whether the Rural Electrification Committee formed by the Government, submitted any interim report. If not, then when it is likely to be received.

श्री कु० ल० राव : यह सच है कि हमें यथाशीघ्र भारतीय गांवों में बिजली की व्यवस्था करनी चाहिये क्योंकि मेरा दृढ विश्वास है कि भारत के गांवों का विद्युतीकरण एक ऐसा पहलू है जिस पर देश निर्भर है, हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान इस समय बिजली की व्यवस्था वाले 62,000 गांवों के अतिरिक्त 70,000 और गांवों में बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसके बाद योजनाओं में और अधिक गांवों में विद्युतीकरण करना सम्भव होगा, क्योंकि हम अब तक अधिक जनसंख्या वाले गांवों को बिजली देते आ रहे हैं। अब से 500 या इससे कम जनसंख्या वाले छोटे गांवों में बिजली दी जायेगी। इस प्रकार के गांव बहुत हैं। अतएव मुझे आशा है कि पांचवी योजना से अधिक तेजी से विद्युतीकरण होगा।

संसद सदस्यों की समिति ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उस प्रतिवेदन का मुख्य निष्कर्ष यह है कि जो नौ राज्य पिछड़े हुए हैं—जिनमें उड़ीसा भी एक है—उनको शेष भारत के बराबर स्तर लाया जाये और इस कार्य के लिये अतिरिक्त धन दिया जाये। हम इसी बात पर विचार कर रहे हैं।

श्री क० नारायण राव : हमारे पास बहुत से स्थानों में पर्याप्त बिजली की सप्लाई है, परन्तु महंगाई और मुद्रा स्फिति के कारण बिजली की व्यवस्था करने सम्बन्धी योजनाओं को स्थगित कर दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली घरेलू और सिंचाई दोनों प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाती है, क्या मन्त्री महोदय वित्त मन्त्रालय पर धन देने के दबाव डालेंगे, तथा क्या वह यह सुनिश्चित करेंगे कि बिजली का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है और बिजली को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जा रही है ताकि मौजूदा विद्युत क्षमता का संभाव्यका पूर्ण उपयोग किया जा सके ?

श्री कु० ल० राव : यह कार्यवाही करने के लिये सुझाव है । यह बहुत अच्छा सुझाव है अगर सभा मेरा समर्थन करे और योजना आयोग से मुझे 600 करोड़ रुपये मिले । इस समय इसके लिए कुल राशि 300 करोड़ रुपये है ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि (क) विद्युतीकरण के बारे में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, एक राज्य से दूसरे राज्य में और क्षेत्र के भीतर भी काफी भिन्नता है और (ख) भारत में एक ही राज्य के भीतर भी उपभोक्ता के लिए बिजली की दर एक स्थान से दूसरे स्थान में भिन्न है और यह भिन्नता एक नगरपालिका से दूसरी नगरपालिका और एक गांव से दूसरे गांव में है ? अगर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का एक राज्य से दूसरे राज्य में विद्युत सम्बन्धी अन्तर को और एक ही प्रदेश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में दर सम्बन्धी भिन्नता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्रों में कई राज्य पिछड़े हुए हैं, जिनमें पश्चिमी बंगाल भी एक है, वास्तव में यह एक विभिन्न तथ्य है पश्चिमी बंगाल के पास सबसे अधिक मात्रा में बिजली है परन्तु उस राज्य में केवल 3.8 प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण किया गया है । वह औसत से बहुत कम है । जो उप-समिति नियुक्त की गई थी उसने इस बात को ध्यान में रखा है और यह सुझाव दिया कि अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जाये और इन नौ राज्यों में ग्रामीण कार्यक्रम में तेजी लाई जाये ।

जहां तक बिजली की दरों का प्रश्न है, मैंने पहले ही कहा है कि ये दरें एक राज्य से दूसरे राज्य और एक शहर से दूसरे शहर में भिन्नता रखते हैं । ऐसा होना अनिवार्य है और जब तक हमारें पास समस्त भारत को जोड़ने वाला अखिल भारतीय ग्रिड नहीं होगा, तब तक दरों में समानता लाना सम्भव नहीं होगा । हम केवल समस्त भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की दर कम कर सकते हैं । इस समय यह सभी क्षेत्रों में 12 और 15 पैसे के बीच में है ।

श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या यह सच नहीं है कि गुजरात ने कुछ गांवों में जो विद्युतीकरण का कार्य 1965 में शुरु किया गया था वह अब तक पूरा नहीं हुआ है ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि अन्य अनेक राज्यों की भांति गुजरात में भी ऐसा है । जैसा कि मैंने कहा है कि गांवों में विद्युतीकरण की बहुत मांग है । वास्तव में बहुत से राज्यों की काफी बड़ी मांग है और गुजरात उनमें से एक है । दूसरे राज्यों की तुलना में गुजरात की स्थिति गांवों में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में बुरी नहीं है । परन्तु अब भी उसकी काफी बड़ी मांग है जो पूरा नहीं हुई है ।

Shri Shiva Chandra Jha : Mr. Speaker, I want to know the number of villages electrified in Bihar in general and in Darbhanga district in particular during the last three Plans. Will the criterion of electrification be relaxed while taking into consideration the border area ? If so, how and if not why ?

डा० कु० ल० राव : मैं दरभंगा जिले के बारे में आंकड़े नहीं दे सकूंगा । मेरे पास बिहार के आंकड़े हैं । बिहार में 67,665 गांवों में से अब तक 6,890 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है ।

Shri Shiva Chandra Jha: As that is a border area, will you simplify the rules, For example if two hundred people apply for electricity the line should be taken there, Will such simple way be adopted.

श्री कु० ल० राव : अगर माननीय सदस्य वहां की विशेष मांग के बारे में और किए गए विद्युतीकरण के बारे में थोड़ा और अच्छी तरह बताएंगे तो मैं इस पर गौर करूंगा ।

बहुत से माननीय सदस्य उठ खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : शुरु में केवल दो या तीन व्यक्ति उठ खड़े हुए । अब जैसे कार्यवाही आगे चली है, तो उत्तरोतर अधिक सदस्य खड़े हो रहे हैं । जैसे ही उत्तर मिलती हैं माननीय सदस्य अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछते जा रहे हैं ।

श्री ज्ययोतिर्मय बसु : मैं शुरु से ही खड़ा हूं और मुझे बहुत आशाएं थीं, आप मुझे एक मिनट का समय दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप, श्री अमीन, श्री गोयल, श्री लास्कर सभी खड़े हैं । हमने पहले ही इस पर पन्द्रह मिनट बरबाद कर दिये हैं और अगर मैं दूसरों को बुलाऊं तो पन्द्रह मिनट की और आवश्यकता होगी, मुझे अफसोस है ।

Production of Fertilizers

\+

*152. **Shri S. S. Kothari**
Shri T. P. Shah :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Indrajit Gupta :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the annual requirement of fertilizers in the country, the total quantity of fertilizers being produced at present in the fertilizer factories in the country, annually, the quantity of fertilizers proposed to be imported in 1968-69 and the countries from which it will be imported ; and

(b) the steps being taken to produce adequate quantity of fertilizers in the country ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु रामैया) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) 1968-69 में उर्वरकों की अनुमानित आवश्यकता उत्पादन और आयात निम्न प्रकार है :–

(1) नाइट्रोजनी उर्वरक :

आवश्यकता :	1.7 मिलियन मीटरी टन	नाइट्रोजन
उत्पादन :	0.55 ,,	,,
आयात :	1.05 ,,	,,

(2) फास्फेटिक उर्वरक :

		पी	ओ
आवश्यकता :	0.65 मिलियन मीटरी टन	2	5
उत्पादन :	0 23 ,, ,,	,,	
आयात :	0.14 ,, ,,	,,	

(3) पोटासयूरक उर्वरक :

		पी	ओ
आवश्यकता :	0.45 मिलियन मीटरी टन	2	5
उत्पादन :	शून्य ,, ,,	,,	
आयात :	0.213 ,, ,,	,,	

देशीय उत्पादन और पिछले साल से आगे लाये गये उर्वरक-स्टाकों को ध्यान में रखते हुए आयात का आयोजन किया जाता है ।

आस्ट्रिया, बैल्जियम, बुलगारिया, कैनेडा, फ्रांस, जर्मन ड्रेमोकैटिक रिपब्लिक, हालैंड, हंगरी, जापान, कुवैत, नारवे, पोलैंड, रुमानिया, यू. के, अमरीका, रूस और पश्चिमी जर्मनी से आयात की व्यवस्था की गई है ।

(ख) नये संयन्त्रों का निर्माण और कई वर्तमान संयन्त्रों का निर्माण और कई वर्तमान संयन्त्रों का विस्तार कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :–यह एक असामान्य स्थिति है । एक ओर तो उर्वरकों की बहुत संभाव्य मांग है । परन्तु दूसरी ओर कुछ सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखाने अपना उत्पादन बेचने में असमर्थ हैं । क्या मैं जान सकता हूँ कि मन्त्री महोदय उर्वरकों को बेचने के लिए समुचित विपणन संस्थाऐं स्थापित करने के लिए क्या कदम उठा रही है और किसानों को उर्वरकों के प्रयोग के लाभदायक परिणामों के बारे में क्या बता रही है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखानों को अपना माल बेचने में वर्तमान असफलता को देखते हुए सान्तर आयात किया जायेगा ?

श्री रघुरामैया : मेरे विचार में किसान उर्वरकों की आवश्यकता पर काफी ध्यान दे रहे हैं । इसलिये उनकी मांग काफी बढ़ रही है । जहां तक मंडी का सम्बन्ध है, अगर किसी कारखाने को गत वर्ष कोई कठिनाई हुई हो तो इसका कारण यह था कि कुछ आयातित माल उसी समय मंडी में लाये गए थे जबकि हमारे अपने एककों से हुआ उत्पादन को मंडी में लाया

गया था, खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के सहयोग से इसमें सुधार किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में ट्राम्बे यूनिट विपणन संगठन का संचालन कर रहा है। सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव है जिसमें कहा गया है कि सरकार को केन्द्र में भारतीय खाद्य निगम का एक निदेशक विपणन के कार्य के लिए रखना चाहिए। इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : जैसा कि मंत्री महोदय ने भी स्वीकार किया है कि ऐसा लगता है कि अगले पांच वर्षों में उर्वरकों की संभावित मांग 40 लाख मैट्रिक टन से 50 लाख मैट्रिक टन बढ़ जायेगा। इसको देखते हुए क्या सरकार ने कच्चे माल की स्थिति का अध्ययन किया है कि यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा कि नहीं और यदि नहीं तो कच्चे माल के आयात के प्रति सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार आयातित कच्चे माल के आधार पर चलने वाले उर्वरक कारखानों को इसके आयत की अनुमति देगी ?

श्री रघुरामैया : हाल ही में तत्कालीन पैट्रोलियम और रसायन मंत्री ने सभा पटल पर एक विवरण रखा था जिसमें कि विदेशों से कुछ सम्भावित आयातों के बारे में कहा गया था। हम अपने उत्पादन की रीतियों में विभिन्नता लाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि न केवल नेप्था पर बल्कि कोयला, भारी तेल, और विद्युत प्रक्रिया जो कि नांगल में चल रही है, पर आधारित होगा। अतएव उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करने में और अग्रेतर उर्वरक उत्पादन की योजना बनाने में हम इन सब बातों पर विचार कर रहे हैं।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : आयातित कच्चे माल पर आधारित कारखानों की नीति के बारे में क्या हुआ ?

श्री रघुरामैया : सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : एक सामान्य शिकायत यह है कि विभिन्न मन्त्रालयों तथा राज्य सरकारों का इससे सम्बन्ध होने के परिणाम स्वरूप वास्तविक आवश्यकता तथा देशीय उत्पादन और आय के बीच समुचित तालमेल कायम नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि बहुत सी राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने तथा अनुमान लगाने में स्वभावतः अधिक बताते हैं क्योंकि वे समझते है कि केन्द्र बहुत सीमा तक उनकी मांगों में कटौती करेगा ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने आयात स्थिति का अच्छी तरह अध्ययन किया है ताकि विकास के इस चरण में अनावश्यक आयात नहीं किया जाये? विवरण से यह पता चलता है कि कम से कम सत्रह देशों से आयात किया जा रहा है, जैसे कि मेरे मित्र श्री कोठारी ने भी कहा है कि ऐसा पाया गया है कि जबकि उपलब्ध उर्वरक नहीं उठाये जा रहे हैं और वह जमा हो रहे है। अतएव यह असंतुलन विद्यमान है। सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

श्री रघुरामैया : मैंने क्रियान्वयन के बारे में पहले ही बता दिया है। जहां तक खपत आंकड़ों के अनुमान का सम्बन्ध है, यह निश्चय ही खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय का कार्य है। हम उनके द्वारा समन्वित आंकड़े लेते हैं और तब हम उत्पादन के लक्ष्यों की योजना बनाते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : According to the statement, laid down on the Table of the House some new plants are being built and some existing plants are being exp-

anded. Will the Hon. Minister give some more information to the House regarding the plants which are being expended and to which extent.

श्री रघुरामैया : इस समय जो परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं वे दुर्गापुर, कोचीन, मद्रास, नामरुप विस्तार, बरुनी, गुजरात विस्तार, कोटा और कानपुर हैं। कुल 12.48 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होगा, कांडला, गोवा, मंगलौर, मिर्जापुर विज़ग विस्तार और ट्राम्बे विस्तार के लिए भी प्रस्ताव हैं परन्तु उन्हें अभी क्रियान्वित नहीं किया गया है।

श्री रा० की० अमीन : क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कुछ उर्वरकों का विशेषकर यूरिया का उपयोग कैमिस्ट गैर-कृषि कार्य के लिए करते हैं और वे इस यूरिया को उन सहकारी समितियों से खरीदते हैं जो कि यूरिया का किसानों में वितरित करते हैं? अतएव कर-अवकता के कारण किसानों को देने के बदले वे निर्माता अथवा गैर सरकारी उपक्रमियों को दे रहे हैं। क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि इस तरह की पद्धति गुजरात राज्य में काफी बड़े पैमाने पर प्रचलित है? यदि हां, तो इस पद्धति को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री रघु रामैया : इस मंत्रालय का काम केवल उर्वरकों का उत्पादन करना है। उनका वास्तविक उपयोग आदि कार्य अन्य मन्त्रालय द्वारा, सम्भवतः राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाता है।

Shrimati Lakshmi Kanthamma : May I know the reasons for lying unsold fertilizers in large quantities in States as well as in factories and keeping in view of this fact what steps are being taken by Government to reduce the import of fertilizers ?

श्री रघुरामैया : मैं असन्तुलन के कारण बता चुका हूँ। पिछले वर्ष आयातित उर्वरकों तथा देश में उत्पादित उर्वरकों, दोनों ही बिक्री के लिये एक बाज़ार में रख दिये गये थे।

श्री ए० श्रीधरन : उर्वरक कारखानों में उत्पादन बढ़ाने में एक बाधा यह है कि इस देश के उर्वरक कारखानों का प्रबन्ध अकुशल है। हमने पिछले सत्र में एक ज्ञापन दिया था, जिसमें फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, ट्रावनकोर के प्रबन्धकों के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये थे। 11 नवम्बर, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 136 के उत्तर में बताया गया था कि कार्य में तथा अनुरक्षण विभाग में कुछ कमियां हैं.....कम्पनी द्वारा मद्रास तथा दिल्ली प्रत्येक के किराये.....पर 5-6 लाख रुपये व्यय करना भी न्याय संगत नहीं है। यह कम्पनी अतिथि गृह/विश्राम गृह के व्यय में बचत कर सकती है। बजट तैयार करने, प्रस्तुत करने तथा स्वीकृत करने की पद्धति का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि व्यय पर समय समय पर नियन्त्रण रखा जा सके। कुछ गम्भीर आरोप भी प्रबन्धकों के विरुद्ध साबित हुए हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि (क) उनके मन्त्रालय ने कार्य कुशलता बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है; (ख) क्या निदेशक द्वारा सरकारी धन का अपव्यय करने के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने के हेतु कोई कार्यवाही की गई है; और (ग) सरकारी धन के अपव्यय के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री रघुरामैया : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर के बारे में कह रहे हैं। इस सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न के बारे में बताया गया था कि धन के अपव्यय को रोकने के लिये सरकार प्रयत्न कर रही है। सरकार ने कमियां और उन कमियों को दूर करने के उपाय बताये थे।

श्री ए० श्रीधरन : सरकार ने सरकारी धन के अपव्यय के लिये उत्तरदायी प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की थी ?

श्री रघुरामैया : यह सच है कि कुछ कमियां अवश्य थी, किन्तु अपव्यय के लिये किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं था क्योंकि उसकी प्रक्रिया ही गलत है और उसे सुधारने के लिये हम कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : सभा पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार सरकार लगभग 17 देशों से उर्वरकों का आयात कर रही है किन्तु उसमें इसके कारण नहीं बताये गये हैं, अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें इन देशों से आयात करने की शर्तों का एक ब्यौरा दिया गया हो ? क्या मन्त्री महोदय यह मानने के लिये तैयार हैं कि उर्वरकों के क्षेत्र में अपव्यय हो रहा है ? क्या मन्त्री महोदय देश की उर्वरक सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने और श्री कोठारी के सुझाव के अनुसार विपणन व्यवस्था करके आत्म निर्भर बनने के लिये एक समेकित योजना बनाने को तैयार हैं ? क्या उर्वरकों के लिये गोदामों की उचित व्यवस्था की जायेगी ?

श्री रघुरामैया : आयात करना पूर्ति मन्त्री का काम है। विभिद्ध देशों से आयात सस्ते मूल्य तथा ऋण की उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाता है। इससे अधिक जानकारी पूर्ति मन्त्री दे सकते हैं।

गड़बड़-झाले वाली बात को मैं नहीं मानता हूं। मंत्रालय उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। वर्ष 1973-74 तक उर्वरकों के मामले में आत्म निर्भर बनने की हमारी योजना है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : विभिन्न कच्चे माल के उपयोग के प्रस्ताव पर सरकार पहले से ही विचार कर रही है। सरकार तलचर में कोयले पर आधारित एक कारखाना, जिसकी व्यावहारिकता के बारे में रिपोर्ट मिल चुकी है, स्थापना करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है यह प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है तथा क्या सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में वहां पर यह कारखाना स्थापित करेगी ?

श्री रघुरामैया : कोयले पर आधारित तीन कारखानों के बारे में सरकार विचार कर रही है। ये कारखाने तलचर, कोरबा और रामकुंडा में स्थापित किये जायेंगे। इस समय उन पर विभिन्न अवस्थाओं में विचार किया जा रहा है।

श्री रा० बरुआ : उर्वरकों के आयात में वृद्धि से इस बात का पता लगता है कि भारत में उत्पादन देश की आवश्यकता से कम होता है। कुछ वर्ष बीत चुके हैं किन्तु अभी तक इस बात

का निर्णय नहीं हो सका है कि यह अमोनिया पर आधारित होना चाहिए या कोयले पर । क्या सरकार सभा को आश्वासन दे सकती है कि इस पर शीघ्र निर्णय किया जायेगा, ताकि देश में उर्वरक उत्पादन कार्य आगे बढ़ सके ?

श्री रघुरामैया : भविष्य में भी हमें उर्वरक उत्पादन के लिये विभिन्न कच्चे माल का प्रयोग करना पड़ेगा । अब भी यही किया जा रहा है ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : In a reply to a question asked on 21st July, 1968 it was stated that a study Team of the officials of Government of India visited America and Canda for market study and details of the recommendations of the Team were also given. May I know the recommendations which have accepted and will be implemented by the Government ?

श्री रघुरामैया : मुझे इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करनी होगी ।

श्री उमा नाथ : समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से ऐसा लगता है कि अमरीका भारत सरकार पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस बात के लिये दबाव डाल रहा है कि भारत अधिक मात्रा में अमेरीका से उर्वरकों का आयात करे । अमरीका में उर्वरक कारखानों को रियायतें दी जाये और समाजवादी देशों से उर्वरकों का आयात कम किया जाये । विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री मेकनामारा का मन्त्रालय के सचिव से मिलने का प्रस्ताव है । क्या श्री मेकनामारा तथा इस मन्त्रालय के सचिव के बीच उर्वरकों के आयात के सम्बन्ध में भारत पर दबाव डालने के बारे में विचार विमर्श किया जायेगा ? और यदि नहीं, तो उर्वरकों से सम्बन्धित किन विषयों पर विचार विमर्श किया जायेगा ? वह इस मंत्रालय के सचिव से किस लिये मिल रहे हैं ?

श्री रघुरामैया : किसी अधिकारी को किसी बात के बारे में बताने के लिये कहा जा सकता है । यह उपप्रधान मंत्री की सलाह से किया गया है ।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : कारखानों से माल उठाने के बारे में असंतुलन अभी तक बना हुआ है और देश की मांग के अनुसार आयात का ठीक ढंग से अनुमान नहीं लगाया गया है । मन्त्री महोदय को अनेक बातों के बारे में, जिनका उनसे सम्बन्ध नहीं है, जानकारी नहीं होगी । उदाहरणार्थ, पिछले वर्ष नेवेली उर्वरक कारखाने में यूरिया 820 रुपये प्रति टन बेचा जा रहा था; जबकि खुले बाजार में उसका मूल्य 1000 रुपये प्रति टन तक था । किन्तु अमरीका आदि देशों से उर्वरकों के आयात के बाद उर्वरकों के मूल्य गिर गये और यह कारखाना, जिसका उत्पादन 400-500 टन प्रति दिन है, 820 रुपये प्रतिटन की दर से यूरिया और अन्य रासायनिक उर्वरक नहीं बेच पा रहा है । इसने मूल्य 820 रुपये टन से घटाकर 800 रुपये प्रति टन कर दिया है । अब यूरिया 780 रुपये प्रतिटन बिक रहा है । अब प्रबन्धक इस महीने के अन्त तक 300 टन उर्वरक ले जाने वाले लोगों को 3 टन उर्वरक निशुल्क बोनस के रुप में दे रहे हैं । इस प्रकार उर्वरकों के आयात की कोई उचित योजना नहीं बनाई गई है, जिसका हमारी विदेशी मुद्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।अतः क्या भारत सरकार ने देश की यूरिया तथा रासायनिक उर्वरकों सम्बन्धी आवश्यकता उचित ढंग से अनुमान लगाया है तथा क्या वह सरकारी उपक्रमों को संरक्षण देने के लिये कोई योजना बनायेगी ताकि उनके द्वारा उत्पादित यूरिया तथा रासायनिक उर्वरकों को उन्हें कम मूल्य पर न बेचना पडे ?

श्री रघुरामैया : निस्संदेह खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा लगाया गया अनुमान सही है। उसके अनुमान पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है।

श्री वी० कृष्ण मूर्ति : मंत्री महोदय को ऐसा नहीं कहना चाहिए। यदि मन्त्री महोदय को किसी प्रकार का संदेह हो तो उन्हें सम्बन्धित मन्त्रालय से उसका उत्तर मांगना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह समझते हैं कि यह सही नहीं है, तो इसके लिये और भी तरीके हैं।

श्री रघुरामैया : असंतुलन के बारे में मैं बता चुका हूं कि यह असंतुलन इस कारण हुआ था कि इस बात में ताल-मेल कायम नहीं हो पाया था कि आयातित माल बाजार में कब पहुंचेगा। और देश में उत्पादित माल कब पहुंचेगा। अब खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और हमारा मंत्रालय इस प्रकार की बात यथा संभव न होने देने के लिये एक दूसरे से सम्पर्क बनाये हुए हैं।

Shri Sita Ram Kesri : Dr. Walker has stated in his book "Improvement of Indian Agriculture" that the use of fertilizers reduce the fertility of the soil and he has suggested .....to use animal dung and compost mannures for agriculture. Keeping in view this fact have the Government got examined this matter by their experts ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उनके मन्त्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Jagannath Rao Joshi : The country is facing a shortage of fertilizers. The proposal for setting up a fertilizers factory in Korba, where it should have been set up 6 years ago, is still under consideration even after incurring an expenditure of above Rs. 1 crore. May I know from the hon. Minister the time by which the fertilizers factory is likely to be set up at Korba ?

श्री रघुरामया : यह कारखाना कोयले पर आधारित होगा। इसके आर्थिक पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। वहां पर एक विशेष किस्म का कोयला मिलता है। अतः इसके तकनीकी पहलुओं पर भी विचार करना होगा।

श्री तिरुमल राव: क्या यह सच है कि ट्राम्बे में बने उर्वरक की अपेक्षा सिन्दरी में बने उर्वरक को अधिक पसन्द किया जाता है ? क्या इसी कारण से ट्राम्बे में बना उर्वरक बिक्री के अभाव में एकत्र होता जा रहा है ? क्या यह भी सच है कि प्रभावशाली अभिकर्ता सिन्दरी उर्वरक अधिक प्राप्त कर लेते हैं ?

श्री रघुरामैया : यह तो सच है कि ट्राम्बे उर्वरक की स्थिति कुछ क्षेत्रों में ऐसी है परन्तु कारण यह नहीं है। सिन्दरी उर्वरक की मांग भी अधिक है। इसलिये विपणन संगठन अर्थ व्यवस्था के हित में दोनों प्रकार के उर्वरकों के समान वितरण की व्यवस्था कर रहा है।

श्री लोबो प्रभु : मंत्री महोदय ने जो उत्तर सभा पटल पर रखा है उसमें प्रश्न के दूसरे भाग जिसमें यह पूछा गया है कि देश में कुल कितनी उर्वरक क्षमता है, का उत्तर नहीं दिया गया। प्रति वर्ष कितने उर्वरक की आवश्यकता होती हैं इसका भी उत्तर उसमें नहीं है। मैं इन प्रश्नों के उत्तर चाहता हूं। मन्त्री महोदय यह भी बताने की कृपा करें कि किन-किन देशों से उर्वरक का आयात किया जाता है। उर्वरक की जो मात्रा ऋण के अधीन आयात नहीं की जाती क्या सरकार उसके लिये विश्व मण्डियों से टेण्डर मंगायेगी ?

श्री रघुरामया : यदि माननीय सदस्य 'आवश्यकता' और 'उत्पादन आंकड़ों शीर्षक के अधीन देखें तो उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर मिल जायेंगे। 'आवश्यकता' शीर्षक के अधीन 17 लाख टन और 'उत्पादन आंकड़ों, के शीर्षक के अधीन 5.50 लाख लिया हुआ है।

श्री धीरेश्वर कलिता : विभिन्न उर्वरक कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी कितनी है; और उनमें अधिष्ठापित क्षमता का कितने कितने प्रतिशत उपयोग में लाया जा रहा है; उनमें इस समय कितना उत्पादन हो रहा है।

श्री रघुरामैया: चूंकि यह प्रश्न अनेक कारखानों से सम्बन्धित है,इसलिये माननीय सदस्य वस्तुतः यह जानकारी चाहते हैं तो यह जानकारी बाद में सभा पटल पर रख दी जायेगी।

श्री चिन्तामणि पाणिग्राही : क्या भारत में उर्वरकों के भाव विश्व में सब से ऊंचे हैं। क्या सरकार इस सम्बन्ध में विभिन्न देशों के भावों के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करेगी ? भारत में उर्वरक की उत्पादन लागत को कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? क्या यह निर्णय क्रियान्वित कर दिया गया है कि कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत उर्वरक सीधे किसानों के लिये अभिकर्ताओं के माध्यम से उपलब्ध होगा और 30 प्रतिशत 'कामन पूल, में आयेगा।

श्री रघुरामैया : यह सच है कि पुराने औद्योगिक शिल्प के आधार पर बने कुछ कारखानों में उत्पादन लागत अपेक्षाकृत अधिक आती है। परन्तु भविष्य में बनने वाले कारखानों में उत्पादन लागत काफी कम हो जाएगी।

श्री हेम बरुआ : कई नये तेल क्षेत्रों में गैस मिलती जा रही है। नई गैस का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा ?

श्री रघुरामैया। नाम रूप में उर्वरक उत्पादन के लिए अपेक्षित गैस दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : इस बात की जांच की जायेगी कि नई गैस का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है।

श्री प० गोपालन : 'फेक्ट' के अध्यक्ष ने यह कहा था कि 'फेक्ट' उर्वरक कारखाने का निर्माण उसकी इंजीनियरी और डिजाइन सहित स्वयं कर सकता है। भारत के उर्वरक निगम ने भी कहा था कि उर्वरक कारखाने की सम्पूर्ण मशीनरी स्वदेशी सामग्री से तैयार की जा सकती है। इस पर भी क्या सरकार उर्वरक कारखानों के निर्माण के लिए विदेशों से सहायता मागेगी ?

श्री रघुरामैया : यदि उपकरण और मानव शक्ति दोनों ही दृष्टि से हम आत्म निर्भर हो जाए तो वस्तुतः विदेशी सहायता की आवश्यकता ही न पड़ेगी।

Loans to Farmers

+

*157 **Shri Brij Bhushan Lal**: Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the extent of loans advanced by the Reserve Bank of India nd other banks to the agriculturists for fertilizers and tractors during the last two years and the rate of interest charged thereon, and

(b) the steps being taken by Government to ensure that cultivators receive quick and more loans at reasonable rate of interest ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) The Reserve Bank does not lend to agriculturists directly. Separate figures of Loans granted to agriculturists by banks for the purchase of fertilizers or tractors are not available. The interest charged by banks will vary depending on the duration of the loan, security available and similar other considerations.

(b) The Reserve Bank makes available substantial finance at concessional rate to the cooperative credit structure which is the primary institutional agency for disbursement of agricultural credit. There is also a proposal to set up agricultural credit corporations in cooperatively weak States. The commercial banks have entered the field of agriculs tural financing and the National Credit Council has also recommended that commercial banks should enlarge their credit facilities for agriculture.

Shri Brij Bhushan Lal : May I know whether Government have any propoal which will make it obligatory for banks and Reserve Bank to advance more loans to farmers ?

Shri Krishan Chandra Pant : Cooperative Banks are the main sources through which credit is advanced to the farmers. Many facilities are being given in this connection. The Reserve Bank has built a full structure for it. In 1951-52 the cooperative credit was 3.1 per cent of the whole credit, which has now in 1961-62 gone upto 2 per cent. It can be imagined upto what extent the cooperative credit has recently increased. As regards the other commercial banks, the National Credit Council has asked them to increase the credit to be given to farmers by them. They have been asked to give 15 per cent of their deposit between July 1968 to June 1969 as credit for agricultural purposes. It will include the cash as well as the cost of inputs.

Shri Raghuvir Singh Shastri : Till now cooperative Banks enjoy the monopoly in respect of advancing loans to the farmers with the result that there is a lost of corruption. In view of it may I know whether Govern nent will consider the suggestion of Shri Dahejia, the Chairman of State Bank of India that all the villages in our country should be divided in groups and each group of villages should have a branch of some commercial bank. Whether Government will form groups of villages, each group having 20 villages in order to extend banking facilities in the villages ?

Shri K. C. Pant : Governments' policy has been in favour of extension of banking facilities in the villages. We have asked all the banks to extend their credit facilities in rural areas. The State Bank of India has opened its branches in rural areas. The cooperative have done commendable work in this direction.

Shri Prem Chand Verma : May I know the amount credit given to farmers during 1966-67 and 1967-68 by the Cooperative Banks, the State Bank or the Reserve Bank and the Private Banks separately; the target of such credit fixed for 1968-69 ? Will the Government make the terms of credit as moderate as will easily be fulfilled by the farmers ?

Shri K. C. Pant : I would like to give some figures, During 1964-65 and 1965-66 an amount of Rs. 262 crores was given to Agricultural Credit Societies for advancing short-term ctedit to farmers. As regards the target for next year I have already told.

Shri Maharaj Singh Bharati : The farmer has to mortage his land against the credit he wants to take from the Bank. The court fee for mortgaging the land is too much in some States. On the other hand there is Land Mortgaging Banks which mortgage the land without charging the court fee. May I know whether Government will direct all the State Governments to make such an arrangement where court fee is not required to be paid for mortgaging the land for credit purposes ? Secondly, some times the rate of interest charged by banks is much more than the rates charged by private individual creditors.

Shri K. C. Pant : It is wrong to say that private creditors are cheaper than the banks.

Shri Maharaj Singh Bharati : What are the terms and conditions of the scheduled banks ?

Shri K. C. Pant : They impose such terms as they deem fit for the purpose. If hon. Member has some concrete proposal for it, we will consider it.

Shri Maharaj Singh Bharati : If land is mortgaged under the Land Mortgaging Law, the mortgager will have to pay less interest. Scheduled banks charge more interest.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह कार्यवाही करने के लिए एक सुझाव है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उत्तरी बंगाल दार्जिलिंग, मिदनापुर और वर्दवान के बाढ़ पीड़ित लोगों को अनुदान या ऋण देने के सम्बन्ध में क्या सरकार ने निश्चय कर लिया है, यदि हां, तो उसकी योजना परिव्यय से बाहर कितनी राशि है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है । दूसरे इस विषय पर राज्य सरकार विचार करेगी ।

श्री वेदव्रत बरुआ : क्या कोई ऐसी मशीनरी अस्तित्व में है, जो इस दिशा में हुई प्रगति का बैंक दर बैंक तथा प्रतिमास मूल्यांकन करती है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : राष्ट्रीय ऋण परिषद यह कार्य करती है, और उसने इस बात पर बल दिया है कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र को अधिक ऋण दिया जाए ।

Shri Om Prakash Tyagi : Is it a fact that some farmers do not utilize the credit for the purpose on the ground of which the loan is advanced to them and they spend the amount so received for other purposes like marriage and construction of House etc. ?

Shri K. C. Pant : I remember that is one Committees' report such cases were enumerated These days crop loans are issued in the fertilizers etc. instead of cash amount. If hon. Member has some concrete proposal in this respect we will take that into consideration.

श्री कृ० मा० कौशिक : आजकल किसानों को कृषि सहकारी समितियां या जिला सहकारी समितियां ऋण देती है । उनके ब्याज की दर 8 से 9 प्रतिशत है जबकि औद्योगिक क्षेत्र ब्याज की दर 2 से 3 प्रतिशत है । क्या सरकार इस विषमता को दूर करने के लिए ब्याज की दर कम करेगी ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक रिजर्व बैंक का सम्बन्ध है, वह राज्य सहकारी बैंकों को रियायती दरों पर ऋण देता है । इससे अधिक रिजर्व बैंक क्या कर सकता है ?

Shri Balraj Madhok : I now whether Government are aware of the fact the some Managers of the commercial banks, who work in rural areas have reported to their head offices that the conditions prescribed for the issue of loans to farmers are unsuitable to them as well as to the agriculturists and that they should be modified. Moreover, they asked that they should be empowered to mortgage the land, if so, the action taken by the Government to improve this situation ?

Shri K. C. Pant : As I have said the National Credit Council gives serious consideration to all these issues and tries to deal with the difficulties which come in the way.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कमला नदी का भारत-नेपाल द्वारा सर्वेक्षण

***153. श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5712 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल राज्य क्षेत्र में कमला नदी के भारत-नेपाल द्वारा किये गये संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर बनायी गयी विस्तृत योजना को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका नेपाल सरकार ने अनुमोदन कर दिया है ;

(ग) तटबन्धों को बनाने का काम कब आरम्भ किया जायेगा और कब तक पूरा हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी आवास में रहने वाले अनधिकारी व्यक्तियों से बाजार दर पर किराये की वसूली

***154. श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में सरकारी आवास में रहने वाले अनधिकारी व्यक्तियों से बाजार दर पर किराया वसूल करने का कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अनधिकारी व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितना किराया वसूल होने की सम्भावना है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जिन अनधिकारी व्यक्तियों को सरकारी वास आवंटित किया गया है, उनसे आमतौर पर वर्तमान फार्मूला के अनुसार पहले ही बाजार दर पर किराया वसूल किया जा रहा है। अभी हाल ही में यह फार्मूला पुनरीक्षित किया गया है और इन व्यक्तियों से वसूल करने के लिए किराये की वास्तविक राशि की गणना की जा रही है।

(ख) तथा (ग) : 16 नवम्बर,1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 763 के उत्तर में दिये गए आश्वासन को पूरा करने के लिए 30 अगस्त,1968 को एक विवरण पहले ही सभा पटल पर रख दिया गया है।

सरकारी वास में रहने वाले, व्यक्तियों के कुछ और वर्गों को अनधिकारी घोषित कर दिया गया है।

बाजार दर के मौजूदा तरीके के अनुसार मासिक राशि लगभग 1.5 लाख रुपये है। इसका नये फार्मूला के अनुसार संशोधन किया जाना है।

केरल की इद्दिवकी पनबिजली परियोजना

*155. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने हाल में केरल सरकार को इद्दिकी पन बिजली परियोजना के लिये ऋण की मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो मंजूर की गई कुल राशि कितनी है ; और

(ग) इस परियोजना के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा अब तक संस्वीकृत धन राशि 11,02,50 लाख रुपये है।

(ग) अब तक हुई प्रगति का विवरण नीचे दिया जाता है।

विवरण

इद्दिकी परियोजना पर अब तक हुई प्रगति निम्नलिखित है :-

(क) **इद्दिकी बांध** : मुख्य बांध के लिए नींव खुदाई का कार्य लगभग 52 प्रतिशत पूर्ण हो गया है। नींव के लिए और आगे खुदाई करने तथा बांध की कंक्रीट बिछाने के लिए मशीनें लगाने का कार्य जारी है।

(ख) **चोरूथोनी बांध** : कुल खुदाई कार्य में से लगभग 7.5 प्रतिशत नींव खुदाई का काम पूरा हो गया है। अतिरिक्त नींव खुदाई कार्य की प्रगति जारी है।

(ग) **कुलामाबू बांध** : बांध के कुल भाग का लगभग 26 प्रतिशत चिनाई कार्य अब तक हो गया है। नींव के लिए दाब गारा भराई का कार्य जारी है।

(घ) **बिजली सुरंग** : अब तक खोदी गई सुरंग की कुल लम्बाई लगभग 3660 रनिंग फीट है। यह अब तक खोदी गई कुल लम्बाई का लगभग 56 प्रतिशत है।

(ङ) **बिजली घर** : बिजली घर तक पहुंच सुरंग को खोदने और सुरंग के अन्दर सड़क-मार्ग पर कंक्रीट डालना पहले से ही पूर्ण हो गया है। बिजली घर कन्दरा पर भी कार्य प्रगति कर रहा है।

(च) **टेलरेस सुरंग और नाली** : टेलरेस सुरंग की खुले काट खुदाई के मिट्टी के कार्य का लगभग 40 प्रतिशत पूर्ण हो हो गया है। टेल-रेस मार्ग को सुधारने का कार्य चल रहा है।

(छ) **सड़कें, पुल और भवन** : अधिकतर कार्य पूर्ण हो गए हैं।

परादीप में उर्वरक कारखाना

*156. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र में परादीप में विदेशी सहयोग से एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या सरकार निकट भविष्य में परादीप पतन में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख): एक प्राइवेट पार्टी ने गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशी सहयोग से परादीप में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्योंकि प्रस्ताव कई बातों में अधूरा था, पार्टी को इसका पुनरीक्षण करने के लिए कहा गया है।

(ग) उर्वरक कारखाना दो चरणों में स्थापित करने का प्रस्ताव है। पहले चरण में, आयातित अमोनिया और फास्फोरिक एसिड से प्रतिवर्ष 260,000 मीटरी टन डायमोनियम फास्फेट (18:46:0) तैयार करना है, और दूसरे चरण में 260,000 मीटरी डायमोनियम फास्फेट (18:46:0) और 330,000 मीटरी टन यूरिया अमोनिया फास्फेट (28:28:0) तैयार करना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Central Government Employees' Strike

***158. Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri M. L. Sondhi :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of employees of his Ministry, its Attached and Subordinate Offices throughout the country who observed the token strike on the 19th September, 1968;

(b) the number of employees who were suspended and the number of those whose services were terminated on this account;

(c) the number of employees who were killed and injured as a result of lathi-charge and firing by the police, if any; and

(d) the financial assistance given by Government to the families of the deceased and the injured ones ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Jagannath Pahadia) : In so far as Secretariat Departments of the Ministry of Finance are concerned, the information is as follows :--

(a) 47 employees absented themselves on the 19th September, 1968.

(b) Suspended : 3

Services terminated on account of suspension : .....None.

(c) Nil.

(d) Does not arise.

Information in respect of Attached and Subordinate Offices under the Ministry of Finance is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

नागार्जुन सागर परियोजना

***159 श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना में अब तक कितना व्यय हुआ है;

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को अब तक किस प्रकार की तथा कितनी वित्तीय सहायता दी है;

(घ) इस कार्य को पूरा करने के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी; और

(ङ) इस कार्य को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा और कितनी सहायता दिये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) बांध का उमड़ भाग क्रेस्त स्तर तक बन गया है; 21 पाये पुल तक बना दिए गए हैं; पुल के 7 दर तैयार कर दिए गए हैं । अ-परिवाह बांध तथा मिट्टी के बांध सम्बन्धी भाग पूर्ण हो चुके हैं ।

(ख) अक्तूबर, 1968 तक 139 करोड़ रुपये ।

(ग) भारत सरकार द्वारा ब्याजी ऋण स्वीकार किए जाने हैं । ब्याज की अदायगी के लिए 11.09 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त अभी तक 136.37 करोड़ रुपये स्वीकार किए गए हैं ।

(घ) इस कार्य को पूरा करने के लिए ठीक-ठीक कितना धन चाहिए, इसका हिसाब लगाया जा रहा है । हो सकता है कि इस पर 30 से 40 करोड़ रुपये व्यय हो जाये ।

(ङ) जिन परियोजनाओं को पृथक-रक्षित केन्द्रीय सहायता दी जाती है, उनमें नागार्जुन सागर परियोजना भी शामिल है और यह आशा है कि भविष्य में भी उसी नीति को ही जारी रखा जाएगा ।

प्रधान मंत्री के घरेलू/सिब्बन्दी व्यय का राष्ट्रपति के व्यय में दिखाया जाना

*160. **श्री मधु लिमये :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान लागू होने के बाद से प्रधान मंत्री के घरेलू/सिब्बन्दी व्यय का कोई भाग राष्ट्रपति के व्यय में दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो 26 जनवरी, 1950 से 1968 तक प्रतिवर्ष के तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या उस व्यय को जिसे संचित निधि से लिया जाता है और जिस पर मतदान होता है, राष्ट्रपति के व्यय में दिखाना जिसे यद्यपि संचित निधि में से लिया जाता है तथापि जिस पर मतदान नहीं होता है संवैधानिक है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस परम्परा को अविलम्ब समाप्त करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) प्रधान मंत्री का घरेलू व्यय या सिब्बन्दी व्यय भारत को समेकित निधि पर प्रभारित नहीं किया गया है । मार्च 1966 तक प्रधान मंत्री के सरकारी निवास स्थान पर सरकारी तौर पर किये गये आतिथ्य के लिए जो खर्च किया गया था वह "मंत्रिमण्डल" नामक अनुदान से पूरा किया गया था, जो स्वीकृत होता है, प्रभारित नहीं, किन्तु 26 जनवरी 1950 और 31 मार्च 1950 के बीच के कुछ सप्ताहों के लिए यह खर्च "राष्ट्रपति के कर्मचारी परिजन और भत्ते" नामक विनियोग से पूरा किया गया था । मार्च 1966 से इस तरह का खर्च 'वैदेशिक-कार्य" नामक अनुदान से पूरा किया जाता है, जो स्वीकृत होता है, प्रभारित नहीं ।

केरल तट पर समुद्र द्वारा भूमि का कटाव

*162. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लकप्पा ।

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल की वर्षा ऋतु में केरल तट पर समुद्र द्वारा व्यापक रूप से भूमि का कटाव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने इस प्रकार के कटाव को रोकने के लिये कार्यवाही करने के लिये भारत सरकार से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ): इस मामले पर विचार हो रहा है।

भेषज तथा अन्य औषधियों के मूल्य

*163. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966 से भेषज और अन्य औषधियों के मूल्य बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पिछले तीन वर्षों की तुलना में मूल्यों में वृद्धि किस सीमा तक हुई है; और

(ग) यदि हां, तो देश में भेषज और औषधियों के मूल्य नीचे लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां, कुछ भेषजों तथा उनके फारमूलेशन के मूल्य 1966 से बढ़ गये हैं।

(ख) वृद्धि के निम्न कारण हैं :--

(1) आयातित कच्चे माल के मूल्य पर अवमूल्यन का प्रभाव,

(2) भेषज निर्माण में अपेक्षित देशीय कच्चे माल अर्थात् अम्ल, अल्कलीस, स्टार्च, ग्लुकोस और और्गनिक केमीकल्स के मूल्य में वृद्धि,

(3) पैकिंग सामग्री तथा डिब्बयों के मूल्य में वृद्धि।

मूल्यों में वृद्धि की सीमा, भेषजों तथा औषधियों के लिए थोक मूल्य सूचियों से निर्णीत की जा सकती है। जनवरी 1966 में मूल्य सूची 105.1 थी जबकि 12-10-1968 को 126.5 थी।

(ग) सरकार ने निम्न कदम उठाये हैं :--

(1) देशीय दो कच्चे माल अर्थात् चीनी और अल्कोहल नियन्त्रित मूल्यों पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

(2) जहां तक सम्भव है; कच्चे माल पर आयात उत्पादन शुल्क का सामंजन किया जाता है ताकि निर्माताओं को कच्चे माल उचित लागत पर उपलब्ध हो सके।

(3) ताकि निर्माण एकक अपनी क्षमता का पूर्णतया इस्तेमाल कर सके; यह उद्योग अग्रता-उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है और आयातित कच्चे माल की पूर्ण आवश्यकताएं उपलब्ध कराई जाती है और

(4) क्योंकि निर्माताओं द्वारा अधिक दाम लिये जाने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी; 1966 में 18 आवश्यक भेषजों तथा उनके फारमूलेशनस के मूल्यों की जांच के लिए, टैरिफ आयोग से प्रार्थना की गई थी। उसकी रिपोर्ट, जो प्राप्त हो चुकी है; की जांच की जा रही है।

आसाम में सरकारी क्षेत्र में दूसरा तेल शोधक कारखाना

*164. **श्री हेम बरुआ :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस समय लाकवा, रुद्रसागर तथा गलेकी में पाये जाने वाले अशोधित तेल के परिष्करण के लिये आसाम राज्य में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत एक दूसरे तेल-शोधक कारखाने की स्थापना की मांग कुछ समय से काफी जोर पकड़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है तथा इस मांग के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) आसाम में सरकारी क्षेत्र में एक दूसरे तेल-शोधक कारखाने की स्थापना की मांग का सरकार को पता है।

(ख) आसाम में दूसरे तेल-शोधक कारखाने की स्थापना से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, अन्य बातों के साथ साथ उसका एक कारण यह है कि पहले से की गई वचनबद्धता से फालतू कच्चा तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है।

नई दिल्ली में कृषि भवन के सामने पैट्रोल पम्प के लिये भूमि का आवंटन

*165. **श्री जगन्नाथराव जोशी :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री बलराज मधोक :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री 28 अगस्त, 1968 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में कृषि भवन के सामने पैट्रोल पम्प के लिये मैसर्स बर्मा-शैल कम्पनी को भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में नई दिल्ली नगरपालिका के चेयरमैन के आचरण की जांच का क्या परिणाम निकला है; और

(ख) उनके तथा पैट्रोल पम्प के मालिकों के विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख): मामले की जांच करली गयी है। यह पता चला है कि नई दिल्ली नगरपालिका के अध्यक्ष का सद्भाव से यह विचार था कि रायसीना रोड पर गाड़ी ठहराने का स्थान इस मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका को आवंटित किया जा चुका है तथा इस स्थान पर पैट्रोल पम्प स्थापित करना उनके अधिकार क्षेत्र में है, विशेष रूप से इस कारण से कि प्रश्नाधीन स्थान पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पैट्रोल पम्प स्थापित करने का अनुमोदन दे दिया था। और फिर, रायसीना रोड पर पैट्रोल पम्प स्थापित करने का प्रस्ताव अब रद्द कर दिया गया है। इन परिस्थितियों में सरकार का यह विचार है कि नई दिल्ली नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं।

पैट्रोल पम्प के स्वामी के विरुद्ध भी किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पम्प बन्द कर दिया गया है।

फरक्का बांध का निर्माण

*166. **श्री धीरेश्वर कलिता :** **श्री श्रीनिवास मिश्र :**
डा० रानेन सेन : **श्री स० मो० बनर्जी।**
श्री के० हाल्दर : **श्री कृ० गु० देशमुख :**

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है, तथा क्या यह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा हो जायेगा;

(ख) इस परियोजना में अब तक कितना व्यय हुआ है; और

(ग) क्या पाकिस्तान द्वारा इस बांध के निर्माण पर आपत्ति उठाई जाने के कारण इस परियोजना के पूरा होने में विलम्ब होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) फरक्का बराज परियोजना के निर्माण कार्य की प्रगति संक्षेप रूप से निम्नलिखित है :—

बराज के 109 स्तम्भों में से बाएं तट पर 57 स्तम्भों पर तथा दाएं तट पर 12 स्तम्भों पर कार्य पूर्ण हो चुका है। बाएं तट पर 33 स्तम्भों के कपाट तथा कपाट-पुल पूर्ण हो चुके हैं। बराज के 25 दरों पर सड़क का पुल बन चुका है। शेष कार्य प्रगति में है।

परियोजना अनुसूची के अनुसार पूर्ण हो जाएगी।

(ख) बराज तथा अन्य कार्यों पर सितम्बर, 1968 तक कुल 66.68 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं।

(ग) जी, नहीं। परियोजना की पूर्ति में पाकिस्तान द्वारा उठाई गई किसी आपत्ति के कारण कोई विलम्ब नहीं होगा।

देवनगर कालोनी, नई दिल्ली में गन्दगी

*167. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देव नगर कालोनी, नई दिल्ली में गन्दगी के बारे में काफी समय से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कालोनी के क्वार्टरों में, विशेषत: बरांडों, दरवाजों और छतों में, मरम्मत की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो कालोनी में सफाई और मरम्मत के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) देव नगर में दो-मंजिला क्वार्टरों के पीछे के आंगन में बनी बरसाती नालियों की सफाई तथा देखभाल के लिए, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जिम्मेदार है तथा इनकी सफाई समय-समय पर की जाती है । बाहर की नालियों के लिए दिल्ली नगर निगम उत्तर-दायी है ।

जहां तक बरामदों, दरवाजों और छतों की मरम्मत का सम्बन्ध है, कुछ निर्माण-कार्य हो रहा है और अन्य निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ होगा ।

Establishment of Police Station in Barauni Refinery

*168. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) whether any suggestion has been received by Government that a Police Station should be opened in Barauni Oil Refinery for e nsuring security;

(b) if so, the reasons for not opening a Police Station so far; and

(c) whether Government propose to make such an arrangement in the near future and if so, w

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghuramaiah) : (a) No, Sir. There is already one Police out-post in the Refinery.

(b) and (c) Do not arise.

Budget Allocations for Electricity

*169. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state the reasons for the increase of estimated budget expenditure under the head electricity increased from Rs. 340 crores to Rs. 400 crores last year while the power generated was only 12 lakh k.w. against the target of 20 lakh k.w. ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : Againstatarget of 20 lakh Kw of additional generating capacity to be commissioned during 1967-68, nearly 19 lakh kw was actually put into commission. The target was therefore, nearly fulfilled.

The Planning Commission had approved an outlay of Rs. 377.81 crores for the year 1967-68 against which an expenditure o about Rs. 400 crores is reported to have been incurred. The increase is of a comparatively small order and is inter alia due to the general increase in costs and increased expenditure on rural electrification.

गर्भाशयांतर गर्भ निरोध युक्ति (लूप) अपनाने वाली महिलाओं को नकद प्रोत्साहन

*170. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि गर्भाशयांतर गर्भ निरोध युक्ति (लूप) अपनाने वाली महिलाओं को तत्काल नकद प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न स्तरों पर स्थायी अग्रिम धन-राशि देने की व्यवस्था की जाये;

(ख) क्या राज्य स्वास्थ्य सचिवों की उप-समिति ने भी यह सिफारिश की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों ने धन की कमी के कारण इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उन राज्यों को सहायता देने का है, जिन्हें वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि लूप पहनने वाले या नसबन्दी आपरेशन कराने वाले व्यक्तियों तथा ऐसे प्रेरकों को तत्काल मुआवजे का पैसा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर स्थायी अग्रिम-धनराशि की व्यवस्था की जाए।

(ख) जी हां।

(ग) इस सुझाव को मान लेने में किसी भी राज्य ने कोई कठिनाई नहीं बतलाई है। राज्य सरकारों को अपनी इच्छानुसार खर्च करने के लिए पर्याप्त धनराशि दे दी गई है।

(घ) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

भारत में विद्युत जनन और उसकी सप्लाई के लिये विनियोजित धनराशि

*171. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत जनन तथा सप्लाई के सम्बन्ध में अब तक कुल कितनी धनराशि का विनियोजन किया गया है;

(ख) उक्त राशि में से कितनी राशि सिंचाई के लिये बिजली सप्लाई करने में लगायी गई है; और

(ग) प्रत्येक राज्य को उद्योग, सिंचाई तथा घरेलू खपत के लिये अलग-अलग किस दर पर बिजली सप्लाई की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) : बिजली के उत्पादन और सम्भरण पर 1967–68 के अन्त तक कुल 3205 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस राशि में से, 372 करोड़ रुपये ग्राम विद्युतीकरण पर व्यय हुए थे, जिसमें सिंचाई के लिए बिजली की सप्लाई करना और पम्पों को ऊर्जित करना शामिल है।

(ग) विभिन्न राज्यों में उपभोक्ताओं की विविध श्रेणियों को दी जाने वाली बिजली की दरों का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2140/68]**

खानाबदोश आदिम जातियां

***172. श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खानाबदोश आदिम जातियों को बसाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) इस कार्य सम्बन्धी परियोजना सभी पंचवर्षीय योजनाओं में समाविष्ट की गई है।

खम्भात में तट से दूर कम गहरे पानी में जापान द्वारा खुदाई

***173. श्री एस० पी० राममूर्ति :** **श्री नन्दकुमार सोमानी :**
श्री रा० की० अमीन : **श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से खम्भात के पास समुद्र में कम गहरे पानी में ड्रिलिंग करने के कार्य को जापानी विशेषज्ञों के एक दल को सौंपने का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में इससे पहले रूस के साथ एक करार हुआ था; और

(ग) क्या जापान के साथ किया गया नया करार रूस के साथ किये गये करार के अतिरिक्त है अथवा यह करार रूस के साथ किये गये करार के स्थान पर किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क), (ख) और (ग) : तट से दूर ड्रिलिंग कार्य में सहायता के लिये अब तक कोई पेशकश प्राप्त हुई हैं, परन्तु किसी पार्टी के साथ अभी कोई करार नहीं हुआ है । तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का अपने आप खम्बात की खाड़ी के कम गहरे पानी में ड्रिलिंग कार्य करने का विचार है । इस विषय में वह रूस अधिकारियों से अपेक्षित सहायता के लिये पत्र-व्यवहार कर रहा है । जापानी पार्टी की पेशकश सिर्फ एक उपयुक्त अतटीय व्यधन प्लेट फार्म / जहाज बनाने और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी बिक्री की है, इसे गहरे पानी में व्यधन हो सकेगा । जापानी पार्टी इसको प्रारम्भिक अवधि में चलायेगी और आयोग के व्यक्तियों को प्रशिक्षण देगी । इस विषय में तथा कोई अन्य प्राप्त प्रस्तावों के संदर्भ में प्लेट फार्म / जहाज, जो हमें अपने प्रयोग के लिये अपेक्षित है, की सही किस्म पर अध्ययन हो रहा है ।

व्यास बांध पुनर्वास समिति

***174. श्री हेम राज :** क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री 29 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1378 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास बांध पुनर्वास समिति को पुनर्गठित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) : जी, हां । इस बारे में औपचारिक आदेश शीघ्र जारी किए जा रहे हैं ।

पश्चिम बंगाल में हड़ताल के कारण बिजली की सप्लाई में गड़बड़

***175. श्री बे० कु० दास चौधरी :** **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री शिव कुमार शास्त्री : **श्री य० अ० प्रसाद :**

क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की हाल की हड़ताल के दौरान पश्चिम बंगाल में बिजली की सप्लाई में काफी गड़बड़ी पैदा हो गई थी जिससे लोगों को बहुत परेशानी हुई;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) क्या कलकत्ता में बिजली विभाग में और अन्य स्थानों पर तोड़-फोड़ के कोई मामले अधिकारियों के ध्यान में आये हैं;

(घ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों को क्या दण्ड दिया गया है; और

(ङ) बिजली की सप्लाई पुनः चालू करने और हड़ताल को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ) : पारेषण बुर्जों को गिराने, परिषण पथों इत्यादि के सर्किटों को काट डालने जैसी तोड़फोड़ की कार्रवाई के परि-

णामस्वरूप, राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की हाल की हड़ताल के दौरान, कलकत्ते में तथा पश्चिम बंगाल में अन्य स्थानों पर बिजली की सप्लाई में कुछ गड़बड़ी हुई। उन कर्मचारियों के मामले जो इस गैर-कानूनी हड़ताल और तोड़-फोड़ के आरोप के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, अदालत को सौंप दिए गए हैं। उन कर्मचारियों को जो कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं उनको गिरफ्तारी की तारीख से मुअत्तिल कर दिया गया है।

(ङ) तोड़-फोड़ की कार्रवाई के कारण हुई क्षति की मरम्मत करने और सम्बन्धित क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई को पुनः चालू करने के लिए अधिकारियों ने शीघ्र कार्रवाई की। एक संघ ने तो 11 अक्तूबर, 1968 से और दूसरे ने 14 अक्तूबर, 1968 से हड़ताल बिना किसी शर्त के वापिस ले ली। बिजली की सामान्य सप्लाई फिर से पूर्णतया चालू हो गई है।

Printing of Hindi Bills and Publications in Government Presses

*176. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) the specific efforts made to remove the difficulties being faced by the Government of India Presses in printing Bills and other publications of routine nature in Hindi;

(b) whether it is also a fact that private presses had to undertake Government printing jobs due to non-availability of requisite Hindi printing capacities of the Government Presses,

(c) if so, whether adequate arrangements are made for ensuring their secrecy and security; and

(d) the time by which the necessary facilities for the printing of all kinds of Hindi publications will be made available in Government Presses ?

The Minister of Works, Housing and Supply (Shri Jagannath Rao) : (a) The following steps have been/are being taken :--

(1) A Reprographic unit, with electric typewriters (Hindi key boards) and offset duplicators, is being set up for prin ing some of the sessional papers of Parliament.

(2) A second shift has been introduced in the Government of India Press, Faridabad for working the Monotype machines equipped for Hindi printing.

(3) A new Government of India Press is being set up at Ring Road, New Delhi. It will be equipped with Hindi machanical composing equipment.

(4) Some periodicals and other publications have been diverted from the Government of India Presses at Faridabad and New Delhi to private printers.

(b) and (c): Yes, Sir, but only non-secret jobs were given to private printers.

(d) It is not possible to indicate a definite time limit, as it would depend on various factors, especially availability of funds and foreign exchange.

उर्वरकों के क्रय की प्रक्रिया

*177. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों के क्रय की प्रक्रिया के पुनर्गठन तथा नवीकरण के लिए कोई अध्ययन किया गया है जिससे कि उस समय उर्वरकों के विभिन्न किस्मों की सप्लाई प्राप्त की जा सके जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी प्रचलित कीमत सबसे कम हो;

(ख) 1967-68 में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरकों की विभिन्न किस्में किस औसत मूल्य पर खरीदी गयी और उसी अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हर किस्म की उर्वरक के निम्नतम मूल्य स्तर के साथ उनकी तुलना कैसे की जा सकती है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रतिकूल समय में उर्वरकों के क्रय के परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय के रूप में हुई कुल हानि का कोई अनुमान लगाया गया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति का सारा साल अध्ययन किया जाता है और उर्वरक खरीदने का कार्यक्रम ऐसा बनाया जाता है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के लिए न्यूनतम मूल्य अदा करने पड़ें।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है, जिसमें 1967-68 में पोत पर्यन्त निशुल्क आधार पर खरीदे गए विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के औसत मूल्य दिखाए गए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2141/68]** अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का निम्नतम स्तर बताना संभव नहीं है, क्योंकि इस जानकारी के लिए कोई प्राधिकृत स्त्रोत नहीं है, और फिर इन मूल्यों की तुलना का कोई सामान्य आधार भी नहीं है, क्योंकि सप्लाई की शर्तें जैसे कि बोरियों में बन्द करने की विशिष्टयां, निरीक्षण आदि की शर्तें विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की हैं।

(ग) उर्वरकों की खरीद अत्यधिक मितव्ययी मूल्यों पर की जाती हैं। इसके लिए सप्लाईकर्त्ता देशों के अपने मौसम में जहाजों में माल नहीं लादा जाता और कृषि विभाग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए माल के वितरण के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किए जाते हैं। अतः ऐसी परिस्थितियों में सरकार को हानि उठाने का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

गुजरात में विद्युत परियोजनाओं के बारे में सर्वेक्षण

***178. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कुछ विद्युत परियोजनाओं के बारे में सर्वेक्षण पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो जिन परियोजनाओं के बारे में सर्वेक्षण पूरा हो गया है, उन पर कब तक काम प्रारम्भ करने का विचार है; और

(ग) इन परियोजनाओं की कुल प्रत्याशित क्षमता क्या होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) गुजरात में उकाई ताप-परियोजना और कडाना परियोजना का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है;

(ख) परियोजना रिपोर्टों की जांच हो रही है और परियोजनाओं की स्वीकृति मिलते ही इन पर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

(ग) इन दोनों परियोजनाओं से 564 मैगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता उत्पन्न होगी ।

सिंचाई परियोजनाओं के लिये धन की व्यवस्था

*179 **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप-प्रधान मंत्री के साथ हुई बैठक में कुछ मुख्य मंत्रियों ने सुझाव दिया था, जैसा कि 9 अक्तूबर, 1968 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपा था, कि अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत की सिंचाई परियोजनाओं के लिये केन्द्र को ही पूरा धन जुटाना चाहिये;

(ख) विभिन्न राज्यों में निर्माणाधीन ऐसी परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा दी गई सहायता का वर्तमान नियतन क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त भाग (क) में दिये गये सुझाव पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार यह प्रार्थना शायद एक गैर-सरकारी बैठक में ही की गई थी । इस विषय पर सरकारी तौर पर कुछ नहीं कहा गया ।

(ख) इस समय कुछ खास-खास बहूद्देश्यीय एवं वृहत सिंचाई परियोजनाओं को ही पृथक केन्द्रीय सहायता दी जा रही है । उनके नाम और 1968–69 में उनके आवंटित धनराशियां निम्नलिखित हैं :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	1968–69 के लिए आवंटन (लाख रुपयों में)
1.	भाखड़ा नांगल	4.00
2.	चम्बल	697.00
3.	कोसी	433.00
4.	नागार्जुनसागर	1400.00
5.	राजस्थान नहर परियोजना	650.00
6.	व्यास परियोजना	2227.00
7.	गंडक	1800.00 (ऋण) 250.00 (अनुदान)

8.	दामोदर घाटी निगम	156.00
9.	तुंगभद्र उच्च स्तरीय नहर	118.00
10.	उकाय	1720.00
11.	गुड़गांव नहर	67.00
12.	बाघ	111.00
13.	घटप्रभा चरण-2	250.00
14.	महानदी डेल्टा	330.00
15.	राम गंगा	1034.00
16.	कंग्सवती	350.00
17.	सोन उच्च स्तरीय नहर	70.00

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में चन्दन बांध का निर्माण

*180. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में चन्दन बांध के निर्माण कार्य के पूरा होने की अन्तिन तिथि क्या है;

(ख) इसकी नहरों से कितनी भूमि को सींचने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या इस बांध के बनने तक सभी सहायक नहरें तैयार की जायेंगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) चन्दन बांध को दिसम्बर, 1968 तक पूरा करने का लक्ष्य है, और सारी परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ।

(ख) प्रतिवर्ष 1.70 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का प्रस्ताव है जिसमें लगभग 70,000 एकड़ भूमि की वर्तमान सिंचाई को पक्का करना भी शामिल है ।

(ग) नहरें चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तैयार हो जाएंगी । इसका कारण यह है कि परियोजना की लागत 2.76 करोड़ रुपये से बढ़ कर 9.92 करोड़ रुपये हो गई है ।

पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा विद्युत का अत्यधिक व्यय

960. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1968 के प्रथम सप्ताह में भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड के एक प्रवक्ता द्वारा इस आशय का वक्तव्य दिया गया था कि पंजाब और हरियाणा सरकारें हमारी लागत

पर विद्युत का अत्यधिक व्यय कर रही है और हम इतनी अधिक मांग पूरी करने की स्थिति में नहीं हैं; और

(ख) पंजाब और हरियाणा को इस प्रकार विद्युत व्यय किये जाने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका द्वारा अनुदान

961. श्री बाबू राव पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई कार्यवाही करने का है कि अमरीका द्वारा भारत में पी० एल० 480 के धन का वितरण सरकार की मंजूरी के पश्चात् उचित पार्टी को हो और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों में वर्ष-वार पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका द्वारा वितरण के लिये दिये गये कितने अनुदानों को भारत सरकार ने मंजूरी दी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वर्तमान कार्यप्रणाली के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार, भारतीय संस्थाओं को पी० एल० 480 के अन्तर्गत अनुदान देने की मंजूरी देने से पहले, भारत सरकार से परामर्श करती है । इस तरह के अनुदान गवेषणा-सम्बन्धी खास-खास प्रायोजनाओं तथा सम्बन्धित कार्य के लिए ही दिये जाते हैं । इसलिए अनुदान पाने वालों की छानबीन करने के लिए, और कार्रवाई करने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

(ख) पिछले पांच वर्षों में भारत सरकार ने जिन अनुदानों के लिए स्वीकृति दी है उन सबका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपयों में)
1963–64	2.1
1964–65	2.7
1965–66	2.5
1966–67	4.6
1967–68	3. 1

कर अपवंचन के बारे में जानकारी देने वालों को कमीशन का भुगतान

962. श्री बाबूराव पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968 तक समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में करदाताओं के बारे में मूल्यवान जानकारी देने वालों को वर्ष-वार कमीशन के रूप में कितना धन दिया गया है;

(ख) पहले 50 जानकारी देने वालों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक को गत पांच वर्षों में कितना धन दिया गया; और

(ग) उन प्रथम 50 करदाताओं के नाम क्या हैं, जिन्होंने उपर्युक्त मामलों में कर अपवंचन किया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क)

1963–64	55,580 रुपये
1964–65	36,266 रुपये
1965–66	1,80,986 रुपये
1966–67	3,23,777 रुपये
1967–68	4,07,753 रुपये

(ख) सूचना देने वालों के नाम प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

(ग) करों का अपवंचन करने वाले जिन कर-निर्धारितियों के बारे में सूचना देने वालों से सूचना मिली थी, उनमें से मूर्धन्य 50 निर्धारितियों का निश्चय तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक अपीलों के फैसले होने के बाद अन्तिम रूप से कर-निर्धारण नहीं किया जाता और वस्तुतः छिपाई गई आय निश्चित नहीं हो जाती।

Cases of Retired Government Employees

963. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of cases of the retired employees of the Central Government as on the 31st August, 1968, which have been lying pending for more than three years, one year and six months respectively; and

(b) the reaons for not deciding these cases so far; and

(c) when these cases are likely to be decided ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a)(b) and (c) : It is Precumed that the reference to outstanding cases relates to sanction of final pension. on this basis the necessary information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as available.

राज्य सरकार के मंत्रियों की विदेश यात्रा

964. **श्री चं० चु० देसाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1968 से लेकर अब तक किन-किन राज्य सरकारों के मंत्रियों ने विदेश यात्रा की, किस किस देश की यात्रा की है; वे वहां पर कितना कितना समय रहे, इन दौरों पर कुल कितना धन व्यय हुआ तथा उनके लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2142/68**]. इन दौरों पर रुपयों में किये गये खर्च का ब्यौरा उपलब्ध नहीं क्योंकि ऐसा खर्च प्रायः राज्य सरकारों ने अपने साधनों से पूरा किया होगा।

अमरीका से पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्य सहायता

965. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को अमरीका से पी० एल० 480 के अन्तर्गत 25 लाख टन की अतिरिक्त अपेक्षित खाद्य सहायता नहीं मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू सत्र में अतिरिक्त बजट पेश करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वर्ष 1968-69 के बजट बनाते समय उक्त आयात को ध्यान में रखा गया था; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो पी० एल० 480 के अन्तर्गत सहायता न मिलने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या बजट सम्बन्धी कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) हाल ही में इस बात की मंजूरी मिल चुकी है कि 23 लाख मैट्रिक टन अपेक्षित अनाज दिए जाने के लिए एक करार किया जाय और उसके सम्बन्ध में बातचीत चल रही है।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

आयल इंडिया लिमिटेड

966. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति वर्ष 30 लाख टन की दर से कच्चे तेल के उत्पादन के लिए भारत के तेल क्षेत्रों का 1963 में ही पूर्ण विकास कर लिया गया था;

(ख) क्या इसमें परस्पर विरोध नहीं है कि जब इन्डियन आयल कारपोरेशन के तेल शोधक कारखानों द्वारा कच्चा तेल आयोजित मात्रा से कम खरीदा जाने के कारण आयल इन्डिया लिमिटेड का उत्पादन क्षमता से कम या उसी समय लगातार भारत द्वारा कच्चा तेल आयात किया जा रहा था;

(ग) क्या यह सच है कि आयल इन्डिया द्वारा उत्पादित एसोसियेटिड गैस आग लग जाने के कारण नष्ट हो गई है क्योंकि गैस का प्रयोग करने वाली अपेक्षित योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो सकी हैं और क्या यह सच नहीं है कि तेल क्षेत्रों में आरम्भ में गैस के उत्पादन का दबाव बहुत अधिक था जो निरंतर उत्पादन से कम होता जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस अपव्यय को जिसको रोका जा सकता है, भविष्य में रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) यह अनुमान है कि हवाला आयल इन्डिया लि० के क्षेत्रों के बारे में है। तब प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) उस समय, जब आयल इन्डिया लि० क्षेत्रों से कच्चे तेल की कुल उपलब्धि प्रति वर्ष 3 मिलियन मीटरी टन से कम थी, यह कच्चा तेल परिवहन की प्रतिबन्धित लागत के कारण किसी तटीय शोधन शाला को सप्लाई नहीं किया जा सकता था।

(ग) बिक्री के लिए उपलब्ध गैस का अप्रयुक्त अंश (अर्थात उपभोक्ताओं द्वारा न उठाई गई मात्रा, जो उनके लिए निर्धारित की गई थी) जला दिया जाता है। तेल क्षेत्र-विकास के प्रारम्भिक चरणों में, तेल के साथ उत्पादित सम्मिलित गैस उच्च दबाव से निकलती है, किन्तु जिसका दबाव कई वर्षों के उत्पादन के साथ कम हो जाता है।

(घ) गैस का रोके जाने वाला अपव्यय बहुत कम हो जायेगा जब उपभोक्ता गण, जिन के लिए गैस रखी जाती है, अपना पूरा कोटा उठा लेंगे। तब भी, कुछ बहुत निम्न दाब वाली गैस का जलना जारी रहेगा।

मध्य प्रदेश के सिनेमा मालिकों पर कर की बकाया राशि

967. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त मंत्री** 5 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2536 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सिनेमा मालिकों की ओर कर की बकाया राशि के बारे में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) दिया गया आश्वासन पूरा किया जा चुका है। संसदीय कार्य विभाग को भेजी गई सूचना की प्रति सभा पटल पर रखी गई। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2143/68]**

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता।

भूतपूर्व नरेशों द्वारा विदेशों में बैंक खाते

968. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त मंत्री** 5 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2526 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1968 को 38 भूतपूर्व नरेशों तथा राजपरिवारों के 11 सदस्यों द्वारा विदेशों में बैंकों में जमा कराई गई राशि के बारे में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि आय कर तथा सम्पत्ति कर का भुगतान भारत में किया गया है तो किसी पूर्ण निर्धारण वर्ष में इन मदों पर संयुक्त रूप से कुल कितनी राशि दी गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग): लोक-सभा के 5 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2526 के सम्बन्ध में अभी सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे जल्दी ही सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

भारत में चोरी छिपे चांदी ले जाना

969 **श्री काशीनाथ पाण्डेय :**
श्री रा० को० अमीन :

क्या वित्त मंत्री 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 499 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से चोरी छिपे चांदी ले जाने के बारे में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक गिरफ्तार किये गये चोरी छिपे चांदी ले जाने वालों के नाम क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख): गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नामों की सूची सभा पटल पर रखी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2144/68**]. चांदी का तस्कर आयात-निर्यात करने वाले जो व्यक्ति 1966, 1967 तथा 1968 (अक्तूबर 1968 तक) में गिरफ्तार किये गये उनकी कुल संख्या 247 है। इनमें से 31 व्यक्ति छोड़ दिये गये अथवा बरी कर दिये गये तथा जमानत पर छूटे व्यक्तियों में से 32 फरार हो गये। 24 व्यक्तियों को सजा हुई। 14 व्यक्तियों के विरुद्ध दायर की गई शिकायतें अदालत में विचाराधीन है। बाकी 146 व्यक्तियों के विरुद्ध जांच पड़ताल जारी है।

अखिल भारतीय बाक् तथा श्रवण संस्था, मैसूर

970. **श्री सिद्धय्या** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री 29 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1325 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार से शिक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दिये जाने के बारे में जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय के अधीन सभी शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को ये रियायतें देने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

अनुसूचित जातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने के लिये आय-साधनों की जांच (मीन्स टैस्ट)

971. श्री सिद्धया : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों को मैट्रिकोत्तर छात्र-वृत्तियां देने के लिये आय-साधनों की जांच की पद्धति 1957-58 में समाप्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे; और

(ग) अनुसूचित जातियों के मामले में यह जांच अब भी क्यों की जाती है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह):(क) हां श्रीमान ।

(ख) आय साधनों की जांच इसलिए समाप्त की गई है कि परियोजना परिपक्व नहीं थी तथा ऐसे लाभ पाने वालों की संख्या जिनके माता पिता की आय निश्चित सीमा से अधिक हो, अनुमानत: अत्यल्प थी ।

(ग) आय साधन की जांच 1961-62 में फिर लागू की गई। अनुसूचित आदिम जातियों में शिक्षा की अधिक प्रगति न हो पाने के कारण यह उन पर लागू नहीं की गई। अनुसूचित आदिम जातियों पर भी आय साधन की जांच लागू करने का सुझाव अब विचाराधीन है ।

अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा मलकानी समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

972. श्री सिद्धया : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेहतरों के कार्य तथा रहन सहन की स्थिति में सुधार करने के लिये मलकानी समिति की सिफारिशों को अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन ने कहां तक क्रियान्वित किया है;

(ख) उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये 1960-61 से अब तक उसे कुल कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) कितनी राशि व्यय की गई है और क्रियान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क), (ख) और (ग): मुख्यत: सिर पर मल ढोने की प्रथा के उन्मूलन के विषय में ही मलकानी समिति की सिफारिशें हैं। अन्दमान और निकोबार प्रशासन क्षेत्र में यह प्रथा प्रचलित नहीं है। वहां अनुसूचित जातियां भी नहीं हैं ।

Scheme for Potable water for Madhya Pradesh

973. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Health, Family Planning and Urban Development be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have forwarded a scheme in regard to adequate supply of potable water during the next year in Madhya Pradesh for the approval of the Central Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the amount likely to be allocated by the Central Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

Cooperative Housing Societies in Madhya Pradesh

974. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) the amount of grant given by the Central Government to the Cooperative Housing Societies in Madhya Pradesh in 1967-68; and

(b) the number district-wise, of the said Societies in Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b): Central financial assistance under various social housing scheme is given to the State Government who implement the schemes in their respective States through various including Cooperative Housing Societies.

The requisie information has been called for from the Government of Madhya Pradesh and will be placed on the Table of the House when received.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का वेतन निश्चित करना

975. श्री प्र० कु० घोष : क्या वित्त मंत्री 1 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5974 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का वेतन निर्धारित करने के बारे में पूछी गई जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) वह सदन की मेज पर रखी जा चुकी है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

आय कर की बकाया राशि

976. श्री नाथूराम अहीरवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 के लिए आयकर की बकाया राशि के बारे में आय कर विभाग अथवा न्यायालय में कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं, कितने मामलों पर निर्णय किया जा चुका है तथा कितने मामलों में कर दाताओं को कर के भुगतान से छूट दी गई है; और

(ख) कर का भुगतान न करने के लिए कितने कर दाताओं को दण्ड दिया गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) तथा (ख): मांगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और उसे बड़ी संख्या में फाइलों की छानबीन करके ही इकठ्ठा किया जा सकता है, जिसमें काफी समय तथा परिश्रम लगेगा जो परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। उपलब्ध सूचना, 1967-68 के, कर निर्धारण करने से बकाया रहे मामलों और आय कर की वसूल होनी बकाया के सम्बन्ध में हैं तथा नीचे दिये अनुसार है :-

(क) 1967-68 के सम्बन्ध में जो कर निर्धारण
1 अप्रैल, 1968 को आगे ले जाये गये..... 13,02,775

(ख) 1967-68 में जारी की गयी मांग में
से वसूल होनी बकाया रकम जो
1 अप्रैल, 1968 को आगे ले जाई गई.....79.61 करोड़ रुपये।

दिल्ली की कुछ समवायों द्वारा आयक का भुगतान

977. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन समवायों अर्थात नार्दर्न इण्डिया, बिजली पहलवान की एसोसिएटेड इंजीनियर अमृतसर ट्रांसपोर्ट, ईस्टर्न इण्डिया के आयकर विवरणों में अनियमितताओं का पता लगा है;

(ख) क्या समवाय चिट फण्ड चला रहे थे और क्या ऐसे खाते अनियमित रूप से रखे हुए हैं;

(ग) क्या उनके निदेशक तथा परिवार के सदस्य विभिन्न नामों से विभिन्न बैंकों में खाते खोले हुए हैं; और

(घ) इन अनियमितताओं के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केवल एक कम्पनी मैसर्स एसोसिएटेड ट्रेडर्स एण्ड इंजीनियरिंग (प्राइवेट) लिमिटेड, का कर निर्धारण आयकर आयुक्त, दिल्ली के कार्य क्षेत्र में किया जाता है। कम्पनी ने कुछ आयकर-विवरणियां दायर की हैं और उनकी छान-बीन चल रही है। इसमें कोई अनियमितताएं होने अथवा नहीं होने का पता, छान बीन पूरी होने पर ही चलेगा।

(ख) जी नहीं। जहां तक उपर्युक्त कम्पनी का सम्बन्ध है, ऐसा नहीं है।

(ग) इस कम्पनी के बारे में अभी तक ऐसी कोई बात विभाग की जानकारी में नहीं आई है।

(घ) किसी अनियमितता के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न छान-बीन पूरी हो जाने के बाद ही पैदा होगा।

मैसर्स किर्लोस्कर (इंडिया) लिमिटेड

978. डा० सुशीला नैयर :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स किर्लोस्कर (इन्डिया) लिमिटेड ने हाल ही में आस्ट्रेलिया में शाखा कार्यालय खोला है;

(ख) यदि हां, तो यह शाखा किन परिस्थितियों में खोली गई है; और

(ग) इस पर कितना खर्च आया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख): मैसर्स किर्लोस्कर आयल इन्जिस लिमिटेड को आस्ट्रेलिया में शाखा कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है, पर उसे आस्ट्रेलिया में बिक्री और विपणन अभिकर्ता (एजेण्ट) नियुक्त करने और इसके लिए आवश्यक कदम उठाने की अनुमति दी गयी है ।

(ग) आस्ट्रेलिया के अभिकर्त्ताओं को उनके द्वारा की गई बिक्री पर कमीशन मिलेगा । इसके अतिरिक्त मैसर्स किर्लोस्कर आयल इन्जिस लिमिटेड को, प्रारम्भिक प्रवर्तन-व्यय के रूप में 10,000 आस्ट्रेलियन डालर दिये गये हैं ।

State Development Loan in U. P.

979. Shri Yashpal Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Uttar Pradesh Government are raising a State Development Loan through their officers;

(b) whether it is also a fact that no receipt is issued to the people subscribing to the said loan;

(c) whether it is a fact that M/s Gopi Mal and Company, who have been appointed Commission Agent therefor in Bulandshahar, earned about Rs. 20,000 as Commission last year and this time also the said Company has been appointed as Commission Agent when there are complaints of blackmarketing against this company; and

(d) if so, the reasons for allowing one industrial company in Bulandshahar for the purpose when the said amount could be directly deposited in Government's treasury ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) : In September, 1968, the Government of Uttar Pradesh floated a 12 year loan carrying interest at 5¾ per cent per annum for a sum of Rs. 10 crores. Subscriptions to the loan were received at :—

(i) Offices of the Reserve Bank of India;

(ii) Branches of the State Bank of India within Uttar Pradesh except at Kanpur, where there is an offices of the Reserve Bank;

(iii) Government Treasuries and Sub-treasuries in Uttar Pradesh at places where there is no Branch of the State Bank; and

(iv) Branches of the State Bank at Patna and of its agent Banks at Hyderabad and Jaipur.

Persons tendering subscriptions at receiving offices get the usual receipts from the receiving offices.

The loan was not raised through the officers of the State Government but the State Government had requested the District Officers to mobilise public support to the loan on a voluntary basis. However, sometimes persons who do not subscribe to the loan make contributions which are utilised by District officers for purchases through financiers.

(c) and (d) : There was no question of appointment as a commission agent of M/s Gopi Mal & Company who, however, acted as a financier. The enquiry against the Company for blackmarketing was completed in June, 1968 but the complaints were not proved.

सरकारी अधिकारियों द्वारा विदेशों का दौरा

980. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 जुलाई, 1968 से 31 अक्टूबर, 1968 के बीच कितने सरकारी अधिकारियों ने विदेशों का दौरा किया;

(ख) उनके नाम और पद क्या हैं;

(ग) उनको कितनी विदेशी मुद्रा दी गई; और

(घ) उनके दौरे के प्रयोजन क्या-क्या थे ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख), (ग) और (घ) : अपेक्षित सूचना अनुबन्ध में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2145/68]

Income Tax Assessment of Messrs Capital Finance of India (P) LTD, Delhi

981. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Finance be pleased to state the amount of Income-tax assessed on Messrs. Capital Finance of India (P) Ltd., Delhi during the past five years and the amount of Income-tax paid by it during this period ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : The requisite information is given in the statement below.

Statement

Financial year	Amount of tax assessed Rs.	Amount of tax paid Rs.
1663-64	—	—
1964-65	—	9052/-
65-66	61074/-	8462/-

1966–67	34975/ —	
1967–68	2,53,134/- (The assessment completed during this year was made ex-parte)	—

हट्टी / स्वर्ण खानें

982. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में हट्टी सोना खानों से प्रति वर्ष कितना तथा कितने मूल्य का सोना निकाला गया;

(ख) इन स्वर्ण खानों के मालिक कौन हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन खानों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) हट्टी सोना खानों से पिछले पांच वर्षों में निकाले गये सोने की मात्रा और अन्तर्राष्ट्रीय सम-मूल्य के आधार पर उसका मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा (ग्रामों में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1963–64	8,95,358	47.97
1964–65	7,86,462	42.14
1965–66	8,30,431	44.49
1966–67	9,18,758	72.82
1967–68	9,16,765	77.37

(ख) से (घ) : हट्टी सोना खानों का कार्य-चालन हट्टी गोल्ड माइन कम्पनी लिमिटेड करती है और इसके 90 प्रतिशत से अधिक शेयर मैसूर सरकार के पास हैं ।

उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिये विदेशी फर्मों की रुचि में कमी

983. **श्री वेणीशंकर शर्मा :**
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री चिंतामणि पाणिग्रही :
श्री रवि राय :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री सीताराम केसरी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में उर्वरक कारखाने स्थापित करने के मामले में

विदेशी फर्मों की रुचि कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) कोई विशिष्ट कारण नहीं कहे जा सकते ।

(ग) जहां तक ऐसे प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं, यह विचार है कि सरकारी क्षेत्र इस में रुचि ले और अन्तर को पूरा करे ।

हड़ताल के कारण डाक सेवा के अस्त-व्यस्त होने से बैंकों के कारोबार पर प्रभाव

984. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में हाल की हड़ताल के दौरान डाक सेवा के अस्त-व्यस्त होने से दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में बैंकों के कारोबार पर 80 प्रतिशत प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सही निर्धारण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : डाक-सेवा सम्बन्धी हाल की हड़ताल के कारण बैंकों का कारबार कितना अस्त-व्यस्त हुआ है, इसका ठीक ठीक निर्धारण सम्भव नहीं है । सामान्यत: यह कहा जा सकता है कि बैंकों की सूचनाओं के प्राप्त न होने / भेजे न जाने के कारण, बिलों और प्रेषणाओं से सम्बद्ध कारबार पर प्रभाव पड़ा था ।

(ग) हड़ताल समाप्त हो गयी है और स्थिति सामान्य हो गयी है ।

Grant to Medical Colleges in Madhya Pradesh

985. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the amount of grant given by the Central Government to each of the Medical Colleges in Madhya Pradesh during the year 1967-68; and

(b) the amount allocated for giving grants for the development of these Medical Colleges during the year 1968-69 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The Central Government has been giving grants to the State Governments under specific schemes for the establishment/expansion of medical colleges. During the year 1967-68, no central assistance was released to the Government of Madhya Pradesh under these schemes. However, assistance amounting to Rs. 1,60,000 has been

released to the Government of Madhya Pradesh during 1963-69, as arrears pertaining to the year 1967-68 in connection with the establishment/expansion of medical colleges in that Sate. Details of aid sor individual institutions are not available.

(b) Rs. 60,000/- has been allocated as Central assistance to Madhya Pradesh during 1968-69 in respect of the schemes for establishment and expansion of medical colleges in the State.

Education for Scheduled Castes and Scheduled Taibes Persons

986. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of Social Welfare be pleased to stase :

(a) whether it is a fact that the Central Government have special responsibility for imparting education to the persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(b) if so, the schemes and programmes formulated during the years 1966-67 and 1967-68 for this purpose and the total amount spent in this regard ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (SMT.) Phulrenu Guha) : (a) Education is a State subject. The Central and State Governments have a joint responsibility to advance the educational interests of the Scheduled Castes and Scheduled Trlbes.

(b) These schemes are :

(i) Pre-matric scholarships and stipends.

(ii) Hostels and boarding grants.

(iii) Ashram schools.

(iv) Midday meals.

(v) Residential schools.

(vi) Re-imbursement of grants to school examination Boards for loss in examination fee income.

(vii) Supply of clothes, books, states etc.

The amounts spent on the above programmes during 1966-67 and 1967-68 are as indicated below :

(Rs. in Lakhs)

Year	Expenditure incurred	
	Scheduled Castes.	Scheduled Tribes
1966-67	644.36	261.00
1967-68 (Anticipated)	756.81	433.29
	1401.17	694.29

बिहार में दरभंगा के निकट मोहिनी नदी पर तटबन्धों का निर्माण

987. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5713 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के दरभंगा जिले में मोहिनी नदी के दोनों ओर के तटबन्धों के बनाने की योजना की ब्यौरेवार जांच कर ली गई है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ग) क्या खिरोई नदी (दरभंगा) में कालीगांव-हरिहरपुर, मुरैथा तथा अन्य स्थानों पर जल कपाट (स्लूस गेट) बनाने और सर्वे करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सविस्तार जांच हो रही है ।

(ख) मोहिनी नदी के दोनों ओर तटबन्धों के निर्माण का प्रस्ताव अधवारा बाढ़ नियन्त्रण स्कीम का ही एक अंग है । इस स्कीम की कार्यान्विति, चौथी पंच वर्षीय योजना में अधवारा बाढ़ नियन्त्रण स्कीम के शामिल होने पर और इसके कार्यान्वयन के लिये धन की उपलब्धि पर, निर्भर करती है ।

(ग) इन स्थानों पर जल कपाट (स्लूस गेट) के निर्माण के प्रस्ताव की राज्य सरकार जांच कर रही है ।

अधावाड़ा नदी समूह की बाढ़ नियन्त्रण परियोजना

988. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री 19 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न सं० 4257 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच बिहार सरकार के अधावाड़ा समूह की सभी नदियों की बाढ़ नियन्त्रण परियोजना को बदल कर बाढ़ नियन्त्रण तथा सिंचाई परियोजना तैयार करने के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार सामान्य रूप से अधावाड़ा नदी समूह की सभी नदियों की और विशेष रूप से बागमती, धोंस तथा मोहिनी नदियों की बाढ़ नियन्त्रण तथा सिंचाई परियोजना को क्रियान्वित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जाफर अली समिति की सिफारिशों के अनुसार उन का विचार है कि अधवारा स्कीम को कार्यान्वित किया जाये । उन्होंने यह भी सूचित किया है कि बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी इस स्कीम के सम्बन्ध में अनुसंधान किये जा रहे हैं ।

कोटा स्थित उर्वरक कारखाने में हुई दुर्घटना की जांच

989. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री 5 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 306 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा स्थित उर्वरक कारखाने में 5 अप्रैल, 1968 को हुई दुर्घटना के बारे में जांच आयोग ने इस बीच अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस के निष्कर्ष क्या हैं; और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) 21 दिसम्बर, 1968 तक राज्य सरकार के पास रिपोर्ट प्राप्त होने की आशा है।

(ग) अभी प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम

990. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में सरकारी ऐजेन्सियों द्वारा अपनाये गये विभिन्न तरीकों द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस योजना पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) अपेक्षित सूचना का विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2146/68]

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से 1967–68 के अन्त तक परिवार नियोजन कार्यक्रम पर हुआ अनुमानित खर्च 6706.69 लाख रुपये है। चालू वर्ष के लिये 3700 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

दिल के दौरे के मामले

991. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 के दौरान राज्यवार घातक सिद्ध होने वाले दिल के दौरे की कितनी घटनाओं की सूचनायें प्राप्त हुई थीं;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल के रोगों में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रकार होने वाली मौतों को कम करने या इस प्रकार के रोगों के उपचार के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एव नगर विकास मंत्रालय में उपलब्ध सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2147/68]

(ख) नैदानिक तथा जीवन बीमा के आंकड़ों और महामारी विज्ञान सर्वेक्षण के आधार पर मालूम होता है कि देश में मृतकों की संख्या में वृद्धि हो जाने का कारण कारोनरी हृदय-रोग है।

(ग) स्थूलता, नागरिक जीवन का बोझ तथा निरन्तर बैठने का काम जैसी कुछेक बातें इस के कारण हैं।

(घ) आवश्यकता इस बात की है कि प्रभावित लोगों को इन कारणों का समुचित ज्ञान हो जाये।

Central Loans to Bihar

992. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri D. N. Patodia :
Shri B. K. Das Chowdhury :
Shri Himatsingka :
Shri Shri Chand Goyal :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bihar Government have requested the Central Government to write off the Central loans given to Bihar;

(b) if so, the amount of Central loans outstanding against the State Government at present; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) No Sir.

(b) Central loans outstanding against the Government of Bihar as on 31st March, 1968 amounted to Rs. 519.48 crores.

(c) Does not arise.

Indian Mercantile Insurance Company

993. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the date of establishment of the Indian Mercantile Insurance Company and the number of its Branches in India and abroad along with their locations;

(b) the financial position of the Company at the time of its formation and the authorised capital of the Company at present; and

(c) the amount of claims paid by the Company since its inception to date and the total amount of claims preferred by various companies and individuals from time to time ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The Indian Mercantile Insurance Company was incorporated under the Indian Companies Act, 1882, in the year 1907 and was registered under the Insurance Act, 1938, with effect from

25.9.1938. Under the Insurance Act, 1938, insurers are not required to furnish details about their branch offices in India and abroad. However, according to the latest annual report of the company for the year 1967, it has 29 branches in India and none outside India.

(b) and (c) : The information regarding financial position of the company and the claims paid by it since it was registered under the Insurance Act, 1938, is available in the Indian Insurance Year Books published by the Government under the Insurance Act, 1938.

Information regarding the total amount of claims preferred in any year and the names of the claimants is not required to be furnished under the Insurance Act.

कोसी पश्चिम तट नहर परियोजना

994. **श्री मधु लिमये :**
श्री शिवचन्द्र झा :
डा० सुशीला नैयर :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसी पश्चिम तट नहर परियोजना में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को बिहार के सहरसा और दरभंगा जिलों में बढ़ते हुए असन्तोष के बारे में पता है; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार तथा बिहार सरकार ने इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) यह ठीक है कि पश्चिम कोसी नहर परियोजना तीसरी पंचवर्षीय योजना की एक स्वीकृत स्कीम है परन्तु इस का कार्यान्वयन आरम्भ नहीं हो सका, क्योंकि इस नहर के पहले 22 मील के खण्ड के संरेखण के सम्बन्ध में, जो कि नेपाल के इलाके में पड़ेगा, अभी तक नेपाल सरकार का अनुमोदन नहीं मिला है ।

(ख) जी. हां ।

(ग) नेपाल सरकार से उच्चतम स्तर पर प्रार्थना की गई है कि वे शीघ्र ही अपना अनुमोदन भेजें ।

उर्वरक उत्पादन की 1975-76 तक क्षमता

995. **श्री मधु लिमये :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का लक्ष्य 1975-76 तक 50 लाख टन की उर्वरक क्षमता स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मात्रा उस समय की उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगी;

(ग) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कितने नये संयत्रों की आवश्यकता होगी ; और

(घ) ये नये संयंत्र सरकारी क्षेत्रों में होंगे अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में होंगे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां, यह नाइट्रोजन के बारे में हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) संयन्त्रों की संख्या जो इच्छित क्षमता को प्राप्त करने के लिये अपेक्षित होंगे, प्रत्येक संयन्त्र के आकार पर निर्भर होगी । तो भी, लगभग 20 नये संयन्त्र अनुमानित हैं ।

(घ) दोनों सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में ।

Private trusts run by Sarabhai Family

996. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 350 private trusts are being run by the Sarabhai family;

(b) whether it is also a fact that whenever the income of a trust exceeds the tax-limits, another trust is started with the income of that trust in order to evade taxes; and

(c) if so, whether Government propose to conduct enquiries into the matter and take steps according to the rules ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The Department is aware of 168 Private Trusts run by the Sarabhai family.

(b) There is no information to indicate that when the income of a Trust exceeds the minimum tax limit another Trust is started in order to evade taxes. As a matter of fact the income of all these Trusts is assessed directly or through beneficiaries.

(c) Do not arise.

Central Government Undertakings in U. P.

997. **Shri Jagannath Rao Joshi** :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Ranjit Singh :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount spent on Central Government undertakings in Uttar Pradesh established during the First and Second Five Year Plans; and

(b) the amount estimated to be spent for the purpose during the Fourth Five Year Plan ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Since no Central Government industrial project was set up in Uttar Pradesh during the first two Plan periods, no expenditure was incurred during this period.

However, an amount of Rs. 72.1 crores was invested during the Third Plan in the Central Govt. projects located in the State.

(b) As the Fourth Five Year Plan is yet to be finalised, it is not possible to indicate at this stage the amount that would be allocated for U. P.

Quarters Constructed by D. D. A.

998. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of Health, Family Planning and Urban Development be pleased to state :

(a) the number of quarters constructed plots developed and allotted to the public by the Delhi Development Authority upto 31. 5. 1968 and the number of plots where construction work has been started;

(b) the number of quarters likely to be constructed and plots likely to be developed upto the 31st March, 1969;

(c) that target thereof upto the 31st March, 1970 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The Delhi Development Authority had constructed 252 flats, developed 12515 plots and had allotted 8995 plots to the public upto 31. 5. 1968. Till 31. 3. 1968, 174 flats were allotted to the public. The lesses had completed the construction on 1410 plots and on 133 plots the buildings were under progress upto 31. 3. 68.

(b) It is expected that construction of 3130 flats will be completed and 4500 plots will be developed by 31st March, 1969.

(c) The target fixed for the year 1969–70 is (i) construction of 5000 flats and (ii) development of 10,000 plots.

विदेशी ऋणों के भुगतान की अवधि का पुनः निर्धारण

999. **श्री अदिचन :**
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री चिंतामणि पाणिग्रही :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री शारदानन्द :
श्री ओंकार सिंह :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री रा० की० अमीन :
श्री देवेन सेन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहायता सार्थ संघ के देशों के ऋणों के भुगतान की अवधि को पुनः निर्धारित करने की भारत की प्रार्थना पर कार्य निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) भारत-सहायता-संघ की, 23 और 24 मई, 1968 को हुई बैठक में उसके सदस्य 1968–69 के लिये 1000 लाख डालर की रकम की ऋण-परिशोधन-सम्बन्धी

सहायता देने के लिये और बाद के दो वर्षों के लिये भी उतनी ही रकम की ऋण-परिशोधन-सम्बन्धी सहायता देने के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये राजी हो गये है ; परन्तु उसके लिये कुछ मामलों में संसदीय मंजूरी लेनी पड़ेगी ।

कर्जन रोड होस्टल में साज-सज्जा की व्यवस्था करने के लिये ठेके

1000 श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : क्या निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के कर्मचारियों (स्टाफ) के लिये कर्जन रोड होस्टल नई दिल्ली के कमरों की साज-सज्जा करने के काम के ठेके किन-किन ठेकेदारों को दिये गये थे और इन ठेकों की शर्तें क्या थीं;

(ख) क्या इसके लिये टेन्डर मांगे गये थे और यदि हां, तो टेन्डर देने वाले ठेकेदारों के नाम और उनके द्वारा दिये गये टेन्डरों की राशि क्या थी; और

(ग) ठेकेदारों को दी गई या दी जाने वाली राशि कितनी है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क), (ख) और (ग) : आवश्यक सूचना देते हुये विवरण सभा पटल पर रख दिया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2148/68]**

Damage caused by floods to various Dams in India

1001. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of Irrigation and Power be Pleased to state :

(a) the number of dams broken, washed away and cracked due to floods in 1967;

(b) the loss suffered as a result thereof; and

(c) the steps which have been taken to check such losses in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwer Prasad): (a) to (c) : The information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the House in due course.

Vishapu Dam Project of U. P.

1002. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Uttar Pradesh have already incurred a heavy expenditure on an inter-State project named Vishapu Dam Project : on the Jamuna;

(b) if so, whether it is also a fact that it will prove beneficial to Himachal, Delhi and other states in North India;

(c) if so, whether it is also a fact that it will help in controlling the floods upto great extent and also it will help in improving Irrigation and water supplies;

(d) whether the U. P. Government have demanded Rs. 150 crores over and above the money allotted actually under the Plan; and

(e) if so, whether the Government of India propose the provide the U. P. Government with certain special help over and above the provision of the Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwer Prasad) : (a) The reference is presumably to the Kishau Dam Project. No amount has been spent on Kishau Dam Project so far by the U. P, Government.

(b) Preliminary investigations show that if Kishau Dam Project is undertaken, it can benefit the States of Haryana Himachal Pradesh, Rajasthan and Delhi in addition to U. P.

(c) The project will reduce the flood intensities of the river Yamuna and will improve irrigation supplies to U. P. and Haryana.

(d) The U. P. Government have not made any request for an allotment for the Kishau Dam.

(e) Does not arise.

Social Welfare Schemes for Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes

1003. Shri Ram Singh Ayarwal : Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) the manner in which Government propose to reorientate social work in the light of Gandhi Centenary with a view to achieve success in this regard;

(b) the scheme which Governmeat have formulated for the benefit of members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Adivasis and other Backward Classes through social welfare work and whether this scheme has been implemented and the amount allocated for this work;

(c) whether it is a fact that even in Porbandar, there are separate taps, for Harijans and that untouchability exists in other places also; and

(d) the remedial steps Government propose to take in this regard ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) and (b) : All the schemes taken up in the Backward Classes Sector are intended for the benefit of members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes. and other backward classes. No special schemes have been drawn exclusively in the light of Gandhi Centenary to re-orientate social work. Encouragement already given to voluntary agencies will continue.

(c) and (d) : There are no complaint or official information about there being separate taps for Harijans in Porbandar.

As a result of various legislative and executive measures taken by the State Governments/U. T. Administrations the incidence of untouchability has been considerably reduced. With the spread of education and other measures that may be adopted in the light of the recommendations to be made by the Elaya-Perumal varlous Committee, the practice of untouchability will be further discouraged, and gradually eliminated.

Barauni Oil Refinery

1004. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of Petrolenm and Chemicals be pleased to state :

(a) whether the Central Government Security Team suggested some security measures for the Barauni Oil Refinery in 1966;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the number of suggestions implemented and the number of those not implemented out of them separately and the reasons for not implementing them ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghurmaiah) : (a), (b) and (c) : An Inuustrial Security Inspection Team of the Central Intelligence Bureau visited the Barauni Refinery in 1965 (and not in 1966) and made 45 observations/recommendations. 40 of those observations/recommendations have already been implemented in full. Action on the remaining is in progress. As the recommendations are of a secret nature. it is not considered desirable to disclose details thereof.

Target for Nitrogen Chemical Fertilizer Production

1005. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state ;

(a) whether the targets of 25 lakh tons of production capacity and 20 lakh tons of production in respect of nitrogen chemicals fertilizer during 1970-71 will not be achieved and if so, the reasons therefor; and

(b) whether it is a fact that by 1970-71, the public sector and the private sector will be able to produce 10 lakh tons and 4 lakh tons of nitrogen respectively and if so, how the gap will be fulfilled ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chamicals (Shri Raghuramaiah) : (a) and (b) : According to the latest review, the target anvisaged for 1970-71 of 2.4 million tonnes of nitrogen capacity may not be achieved, as three fertilizer projects which were expected to be completed by 1970-71, viz the Goa project, Vizag (expension) project and D. M. C. C. (Sheva-Noova) project of a total capacity of 270,000 tonnes have been delayed.

It is expected that the production by 1970-71 will be about 1.42 million tonnes nitrogen of which Rs 897 millions will be in the public sector and 0.523 million tonnes in the private sector. The gap between production and demand is expected to be met by imports to the extent precticable.

Consumption of Electricity in Fertilizer Factories

1006. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the consumption of electricity ranges from 1,400 to 16,000 units per ton of ammonia in different factories, and in the Trombay Fertilizer Factories when it starts functioning, the consumption of electricity will be reduced;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action proposed to be taken by Government to reduce the power consumptiod in all the factories ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghuramaiah) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

(b) The consumption of electricity depends upon the processes adopted, feedstocks used and the sizes of the plants, The consumption of power is different in naphtha-based plants and gas based plants. It also varies between naphtha and Coke/C. O. G. based plants as well as Electrolytic Hydrogen Plants.

(c) In so far as the existing plants are concerned, it may not be possible to change the processes and technology adopted. But in the case of new plants, Government have already taken steps to adopt improved technology and single stream ammonia plants using centrifugal compressors. The consumption of electricity in the new plants will be lower.

Projets Set up by Koyali Refinery

1007. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state :

(a) whether all the projects set up for the purpose of utilisation of oil productes manufactured by Koyali Refinery will start functioning by the scheduled time;

(b) if not, the steps Government propose to take to tide over the crisis, which might arise as a result of recession in sale of its products;

(c) whether it is a fact that land has been acquired for the Naphtha Franking Plant and whether the project has been dropped and if so, the reasons therefor;

(d) whether it is also a fact that as a result of non-consumption of oil products, this Refinery will not be in a position to produce upto its capacity for the next 5 years and the 36 lakh ton production capacity will remain idle; and

(e) if so, the estimated loss for this factory ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Raghuramaiah) : (a) Yes, Sir. The three projects which will be mainly based on the utilisatioa of naphtha produced at the Koyali Refinery are the Udex plant, the Gujarat Aromatic and the naphtha Cracker. The Udex plant was scheduled to be completed by the middle of 1968. The construction work is over and the unit is in the pre-commissioning stage. The Gujrat Aromatic project is expected to be completed, as per the schedule, by the year 1971-72. The naphtha cracker project is still in a preliminary stage and the expected date of completion may be the end of the Fourth Plan period.

(b) There is no recession in the sale of petroleum products produced at Koyali refinery. No difficulty is invisaged in the sale of the products of this refinery.

(c) Land has been acquired and the project is under finalisation.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

भारत में एशियाई पलू का फैलना

1008. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री वे० कृ० दास चौधरी :
श्री प्र० के० देव :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देशों में फ्लू के फैल जाने के समाचार मिलने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने एशियाई फ्लू को भारत में फैलने से रोकने के लिये विशेष उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो ये उपाय क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सितम्बर में मद्रास राज्य से फ्लू के मामलों के कई समाचार मिले थे;

(घ) यदि हां, तो इसको फैलने से रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(ङ) इस दिशा में किस हद तक सफलता मिली है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) (1) पत्तन एवं विमान पत्तन स्वास्थ्य अधिकारियों और राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशकों को सतर्क कर दिया गया था ।

(2) इन्फ्लूएंजा को एक अधिसूच्य रोग घोषित कर दिया गया था ।

(3) सभी निरोधक तथा उपचारात्मक उपाय बरते गये ।

(ग) जी हां ।

(घ) (1) समुद्री जहाजों द्वारा पहुँचने वाले व्यक्तियों की जांच की गई और इन्फ्लूएंजा के रोगियों को अलग कर दिया गया ।

(2) सभी स्कूल बन्द कर दिये गये ।

(3) बिना वातानुकूलन वाले सिनेमा घरों के प्रातः तथा तीसरे पहर के खेल बन्द कर दिये गये ।

(4) सभी डिस्पेन्सरियों ने अधिक समय तक काम किया । चलती फिरती डिस्पेन्सरियां खोल दी गई ।

(5) अस्पतालों में पर्याप्त औषधियों का भण्डार रख दिया गया, कर्मचारी बढ़ा दिये गये तथा पर्याप्त स्थान की व्यवस्था कर दी गई ।

(6) जनता द्वारा निरोधक उपायों को अपनाने के लिये व्यापक प्रचार किया गया ।

(ङ) रोग पर शीघ्र ही नियन्त्रण कर लिया गया ।

कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने के सम्बन्ध में भारतीय उर्वरक निगम का प्रतिवेदन

1009. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री एस० आर० दामानी :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरबा और रामगुंडम में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में सरकार को प्रस्तुत किये गये भारतीय उर्वरक निगम के प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिया गया है और उस पर निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने में कितना समय लग जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) प्रतिवेदनों का अध्ययन किया गया है लेकिन कई आवश्यक समझे गये अन्य अन्वेषणों के कारण अभी कोई निर्णय नहीं लिये गये हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में किये जाने वाले निर्णय के बारे में कोई संकेत देना कठिन है।

(ग) भारतीय उर्वरक निगम के प्रतिवेदनों में कोरबा (मध्य प्रदेश) और रामागुण्डम (आन्ध्र प्रदेश) में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना निहित है जिनकी क्षमता निम्न प्रकार होने का प्रस्ताव है :—

	यूरिया (मीटरी टन)	नाइट्रोजन (मीटरी टन)
कोरबा	495,000	228 000
रामागुण्डम्	495,000	228,000

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश की नदियों से उत्पन्न बिजली पर स्वामित्व की मांग

1010. श्री हेम राज : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न सं० 77 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार की इस मांग पर कोई निर्णय किया गया है कि हिमाचल प्रदेश की नदियों के पानी से उत्पादित बिजली पर स्वामित्व का एक अंश तथा विद्युत का लाभ उठाने वाले राज्यों द्वारा लगाये गये विकास कर का एक अंश हिमाचल प्रदेश सरकार को भी मिले;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो राज्यों के बीच इस मामले को निपटाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : इस मामले पर अभी भी विचार हो रहा है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये प्रोत्साहन

1011. श्री हेम राज : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा घोषित किये गये प्रोत्साहन से परिवार नियोजन कार्यक्रम को कितनी सहायता प्रदान की है; और

(ख) इन प्रोत्साहनों का कितने प्रतिशत जनसंख्या ने लाभ उठाया ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : (क) और (ख) : परिवार नियोजन के तरीकों की ओर लोगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं दिये जाते हैं। स्वेच्छा से नसबन्दी आपरेशन कराने। लूप लगवाने के लिये उस व्यक्ति को मजदूरी की हानि और परिवहन खर्च तथा अन्य खर्चे को पूरा करने के लिये मुआवजे के रूप में कुछ पैसा दिया जाता है। परिवार नियोजन केन्द्रों और क्लीनिकों पर प्रचलित गर्भनिरोधक, जिनमें निरोध (कण्डोम) भी शामिल है, मुफ्त प्रदान किये जाते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम स्वेच्छा के सिद्धान्त पर ही आधारित है।

यह बतलाना कठिन है कि कितने प्रतिशत लोगों ने इस मुआवजे का लाभ उठाया है। यह कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ा है। 1967–68 में 18.40 लाख नसबन्दी आपरेशन किये गये और 6.69 लाख लूप पहनाये गये, जबकि 1966–67 में 8.68 लाख नसबन्दी आपरेशन किये गये और 9.5 लाख लूप पहनाये गये। 8-11-1968 तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर 1968-69 में 7.46 लाख नसबन्दी आपरेशन किये गये हैं और 2.13 लाख लूप पहनाये गये हैं।

परिवार नियोजन पखवाड़े के दौरान बन्ध्यीकरण के आपरेशन

1012. श्री हेम राज : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में हाल के परिवार नियोजन पखवाड़े के दौरान कितने बन्ध्यीकरण आपरेशन किये गये; और

(ख) उनमें से कितने सफल सिद्ध हुये ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : (क) असम, गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल, नागालैण्ड और हिमाचल प्रदेश की राज्य-सरकारों से अपेक्षित सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। अन्य राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों से प्राप्त अब तक सूचनाओं के अनुसार हाल ही के परिवार नियोजन पखवाड़े के दौरान 1,47,254 व्यक्तियों ने नसबन्दी कराई।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बम्बई में घड़ियों का पकड़ा जाना

1013. श्री रा० बरुआ :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 सितम्बर 1968 को बम्बई में 10,48,750 रु० मूल्य की 8,200 घड़ियां पकड़ी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस मामले में अभी तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन घड़ियों को किस प्रकार बेचा गया है और इन से कितना धन प्राप्त हुआ है?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग) : 16 सितम्बर 1968 को बड़े तड़के, बम्बई पुलिस के अधिकारियों ने जब एक जीप को पहले तो समुद्र के किनारे की ओर जाते और फिर तेज रफ्तार से लौटते हुये देखा तो उन्होंने उसका पीछा किया तथा कुछ दूरी पर जाकर उसे रोका। इसी दरम्यान अंधेरे का फायदा उठाकर जीप का चालक तथा एक सवार गायब हो गये। जीप सात पैकेजों से भरी पाई गई, जिनमें 8070 कलाई घड़ियां थीं। इनका मूल्य पुलिस ने 10,48,750 रुपये आंका है। कलाई घड़ियां तथा जीप पकड़ ली गई है तथा उन्हें आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। अभी तक की गई जांच पड़ताल से यह पता चला है कि जीप की रजिस्ट्री एक जाली आदमी के नाम है।

(घ) कलाई घड़ियों का निपटारा नहीं किया गया है क्योंकि अभी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन कार्यवाही होना बाकी है।

केन्द्रीय अध्ययन दल का हरियाणा का दौरा

1014. श्री गोपालन :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ और सूखे के कारण हुई हानि का निर्धारण करने के लिये केन्द्रीय अध्ययन दल ने हाल ही में हरियाणा का दौरा किया था;

(ख) किस प्रकार का निर्धारण किया गया है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में गंगा के दूसरी ओर बांध का निर्माण

1015. श्री हिम्मतसिंहका : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि पाकिस्तान सरकार पूर्वी पाकिस्तान में गंगा के दूसरी ओर एक बांध बनाने की योजना को कार्यान्वित कर रही है;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार के साथ इस मामले पर कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो पाकिस्तान सरकार की परियोजना पर काम को आगे बढ़ाने की कार्यवाही पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क), (ख) और (ग) : भारत और पाकिस्तान के जल-संसाधन-विशेषज्ञों की मई, 1968 में हुई बैठक के दौरान, पाकिस्तानी दल ने, कुष्टिया, जैशोर, खुलना, फरीदपुर, बरिसाल, राजशाही और पाबना जिलों में 42.55 लाख एकड़ (नहर-नियन्त्रित क्षेत्र) की सिंचाई के लिये, पूर्वी पाकिस्तान में पदमा पर बराज बनाने के प्रस्ताव के बारे में कुछ सूचना दी थी । भारत सरकार ने इस परियोजना के प्रति पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेजा था और इस मामले पर दोनों देशों के विशेषज्ञ और विचार-विमर्श करेंगे ।

हाल में स्थापित हुये औद्योगिक उपक्रमों को कर सम्बन्धी रियायतें

1016. श्री हिम्मतसिंहका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत में स्थापित उन नये औद्योगिक उपक्रमों को कर सम्बन्धी विशेष रियायतें देने का निर्णय किया है जिनमें मुख्य रूप से पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों, और बर्मा, श्रीलंका, मोजम्बीक तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य देशों से लौटे हुये व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के उद्योगों को कौनसी विशिष्ट रियायतें दी गई हैं; और

(ग) वर्ष 1968–69 में इस कारण से कर वसूली में कितनी कमी होने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1967 द्वारा आयकर अधिनियम में उन नये औद्योगिक एककों को कर सम्बन्धी रियायतें देने की व्यवस्था की गई थी, जो मुख्यतः, पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापितों, तथा बर्मा श्रीलंका, मोजम्बिक एवं केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचित किसी अन्य देश से लौट आने वाले लोगों को नौकर रखने हों ।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित उपबन्ध के अधीन, कोई भी कर-निर्धारिती जो 1 अप्रैल, 1967 से 31 मार्च 1970 तक की 3 वर्षीय अवधि में भारत में नये स्थापित किये गये औद्योगिक उपक्रम से लाभ कमाता है तथा कुछ शर्तों को पूरा करता है, उसे उसकी कर योग्य आय में से, इस प्रकार अर्जित लाभ का 50 प्रतिशत घटौती के रूप में पाने का अधिकार होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपया होगी। यह घटौती 10 वर्ष तक हर साल मिलेगी, तथा जिस वर्ष उपक्रम वस्तुओं का निर्माण अथवा उत्पादन शुरू करेगा, उस साल से मिलनी शुरू होगी।

(ग) : इस कर सम्बन्धी रियायत के कारण, 1968-69 में राजस्व में सम्भवतः कितनी कमी होगी, इसका अनुमान तभी लगाया जा सकेगा जब कर निर्धारण वर्ष 1968-69 में रियायत पाने योग्य औद्योगिक उपक्रमों की आयकर-विवरणियां प्राप्त हो जायेगी और उनकी जांच कर ली जायेगी।

जीवन बीमा निगम द्वारा गुजरात और महाराष्ट्र में पूंजी लगाना

1017. श्री नरेन्द्र सिंह महोडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम गुजरात राज्य में वहां से वसूल की गई राशि के अनुपात में पूंजी नहीं लगाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पूंजी विनियोजन के मामले में निगम गुजरात और महाराष्ट्र के साथ भेदभाव करता है; और

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों में गुजरात और महाराष्ट्र से निगम ने कितनी धन राशि एकत्र की और इस प्रकार से एकत्र की गई धन राशि में से उक्त राज्यों में उद्योगों आदि में कितनी-कितनी पूंजी का विनियोजन किया गया ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जीवन बीमा निगम की पूंजी को लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह निगम के सम्बन्ध में संसद् में 25-8-58 को दिये गये वक्तव्य में निर्दिष्ट नीति के दायरे में हो, और निगम के पालिसी-धारकों के हित में हो। किसी राज्य से प्राप्त बीमा-किश्तों की आय और उस राज्य में लगाई गई पूंजी में किसी प्रकार का अनुपात बनाये रखने की कोशिश नहीं की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जीवन बीमा निगम को गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में पिछले तीन वर्षों में प्राप्त बीमा-किश्तों की आय तथा उसके द्वारा लगाई गई पूंजी के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

अवधि	राज्य में बीमा-किस्त की आय	राज्य में लगाई गई पूंजी
	(करोड़ रुपयों में)	
गुजरात		
1965-66	12.88	6.33
1966-67	14.24	14.59
1967-68	16.11	13.15

महाराष्ट्र		
1965-66	33.36	19.19
1966-67	37.85	23.14
1967-68	42.01	29.58

टिप्पणी : बीमा किस्त की आय निवेश-योग्य रकम नहीं होती । दावे, समर्पण मूल्य, पालिसी पर ऋण, प्रशासनिक खर्च आदि बीमा-किस्त की आय में से पूरे करने होते हैं ।

बिजली की सप्लाई में वृद्धि के लिए गुजरात को सहायता

1018. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि प्रयोजनों के लिए सस्ती बिजली का उपयोग करने के लिए गुजरात राज्य में बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार का विचार 1968-69 में गुजरात को वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : मुख्यतः कृषि-कार्यों के लिये सस्ती बिजली देने हेतु, बिजली के विकास के लिये गुजरात राज्य को पृथक केंद्रीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है । बहरहाल, गुजरात राज्य ने 85.53 करोड़ रुपये की व्यय राशि की व्यवस्था की है जिसमें 1968-69 के दौरान योजना में सम्मिलित स्कीमों पर केंद्रीय सहायता के रूप में दिये जाने वाले 29.7 करोड़ रुपये भी शामिल हैं । इसमें से 16.5 करोड़ रुपये बिजली विकास की स्कीमों पर व्यय करने का प्रस्ताव है । राज्य में अब जिन बिजली उत्पादन स्कीमों की कार्यान्विति हो रही है, उन से अगले कुछ वर्षों में उत्तरोत्तर 634 मेगावाट बिजली पैदा होने की सम्भावना है ।

गुजरात में राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा सफाई योजना के लिए वित्तीय सहायता

1020. श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात राज्य के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा सफाई योजना के लिये सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में और वर्ष 1966-67 और 1967-68 में इस राज्य को कितनी और किस प्रकार की सहायता दी है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० वू० मूर्ति) : राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का नियम इस प्रकार था :—

31-3-1967 तक

1. नगर जलपूर्ति एवं मल निष्कासन योजना	100 प्रतिशत ऋण
2. ग्राम जल पूर्ति योजना	50 प्रतिशत सहाय्यानुदान

1-4-1967 से आगे

1. नगर जलपूर्ति योजना — 100 प्रतिशत ऋण
2. ग्राम जल पूर्ति योजना — 50 प्रतिशत सहाय्यानुदान

(1961 की जनगणना के अनुसार 20,000 तक की आबादी वाले क्षेत्र तथा छोटे-छोटे कस्बे सम्मिलित हैं)

3. (क) मल निष्कासन योजनाएं — 75 प्रतिशत ऋण
25 प्रतिशत सहायता

(जहां मल का उपयोग कृषि के कामों के लिए किया जाता है वहां मल निष्कासन योजनाओं के लिए दी जाने वाली सहायता की इस राशि को केन्द्र और राज्य बराबर बराबर वहन करेंगे)

(ख) जहां मल का ऐसा उपयोग नहीं किया जाता — 100 प्रतिशत ऋण

विशेष जांच प्रभागों के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता सहाय्यानुदान के रूप में 100 प्रतिशत तक दी जाती थी।

राज्य में जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के लिए गुजरात सरकार को ऋण तथा सहायता के रूप में दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट हो जाती है--

वर्ष	नगर जलपूर्ति एवं नाली योजनाओं के लिये ऋण	ग्राम जलपूर्ति योजनाएं	अनुदान विशेष जांच प्रभाग
		(रुपये लाखों में)	
तृतीय पंचवर्षीय योजना			
1961-62	90.72	3.62	-
1962-63	55.14	5.18	-
1963-64	101.96	3.62	-
1964-65	83.73	7.92	-
1965-66	135.89	13.63	3.12
योग	467.44	33.97	3.12
1966-67	98.88	11.37	3.59
1967-68	61.14	27.42	2.80

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा भूमि का अर्जन

1021. श्री स० चं० सामन्त : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा सरकारी तथा गैर-सरकारी भवन निर्माण के लिये भूमि का अर्जन करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) भवन बनाने के बारे में कितनी भूमि की आवश्यकता होगी तथा उस मांग को पूरा करने के बारे में क्या योजना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ग) : जैसा कि दिल्ली की वृहद योजना में दिया गया है, दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिये दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की नगरीय सीमाओं के भीतर लगभग 56,300 एकड़ भूमि अर्जन के लिए अधिसूचित की जा चुकी है। यह भूमि आवास उद्योग वाणिज्य, संस्थान, तथा पार्क आदि जैसे विभिन्न कार्यों के उपयोग के लिए है। इसमें से लगभग 29,000 एकड़ भूमि अन्तिम रूप से अर्जित कर ली गई है और विकास के लिए उसे विभिन्न एजेंसियों को नियत / आवण्टित कर दिया गया है। शेष भूमि को अर्जित करने सम्बन्धी कार्यवाही विभिन्न स्तरों पर चल रही है।

पतरातु (बिहार) स्थित धातु मिश्रण इस्पात कारखाने को बिजली की सप्लाई

1022. श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री 26 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 661 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा पतरातु (बिहार) स्थित धातु मिश्रित इस्पात कारखाने को बिजली की सप्लाई की दरें इस बीच तय हो गई हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : मैसर्स बिहार अलॉय स्टील लिमिटेड को बिजली की सप्लाई करने के लिये अपेक्षित अतिरिक्त निवेश पर लगे वार्षिक शुल्क समेत, दामोदर घाटी निगम की मानक 132 के० वी० टैरिफ दरों के आधार पर, बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने विभिन्न भार अनुपातों पर लागू समस्त यूनिट दरों को बताया था। किन्तु मैसर्स बिहार अलॉय स्टील लिमिटेड का यह विचार है कि ये दरें कुछ अधिक हैं, इसलिये उन्होंने राज्य सरकार से प्रार्थना की है कि उन्हें इस सम्बन्ध में उपदान दिया जाए। उपदान की इस प्रार्थना पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

लोकटाक परियोजना का निर्माण

1023. श्री मेघचन्द्र : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोकटाक परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) क्या इस परियोजना को पूरा करने के लिये कोई समय सीमा निश्चित की गई है ; और

(ग) यदि नहीं तो उस का क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) : लोकटाक पन बिजली परियोजना तकनीकी तौर से पास हो चुकी है परन्तु इसके कार्यान्वियन के लिए औपचारिक अनुमोदन अभी तक नहीं मिला है। अतः इस परियोजना पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

(ख) इस परियोजना कोई पूरा करने के लिए कोई निश्चित तिथि नहीं रखी गई है। इस के निर्माण में लगभग चार से पांच वर्ष लगने की सम्भावना है।

मद्य निषेध

1025. श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में पूर्ण रूप से मद्य निषेध लागू किया गया है ;

(ख) किन-किन राज्यों में आगामी वर्ष 1969 में मद्य निषेध के लागू किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) सारे देश में पूर्ण मद्य निषेध कब तक लागू हो जायेगा ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) : गुजरात, मद्रास और महाराष्ट्र।

(ख) और (ग) : मद्य निषेध एक राज्य विषय होने के कारण प्रत्येक राज्य द्वारा मद्य निषेध के विषय में अपनी निजी नीति का अनुसरण करना उसके अधिकार के अन्तर्गत है। इस बात का संकेत करना सम्भव नहीं है कि देश भर में कब तक पूर्ण मद्य निषेध लागू कर दिया जायेगा। अब तक केवल राजस्थान सरकार ने घोषित किया है कि वे एक प्रावस्थात्मक कार्यक्रम, जो कई वर्ष तक फैला होगा, के द्वारा मद्य निषेध लागू करने का विचार रखते हैं।

जनपथ नई दिल्ली में बहु मन्जिली इमारत का निर्माण

1026. श्री हरदयाल देवगुण : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के मैदान के सामने वाली जनपथ, नई दिल्ली में बहु मंजिली इमारत का निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ख) क्या नीचे की मंजिल में दुकानों के लिए कोई व्यवस्था है ;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(घ) क्या इन दुकानों के आवंटन के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या जनपथ के अस्थायी दुकानदार इस नए भवन में इन दुकानों के आंवटन के पात्र होंगे ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबालसिंह) : (क) इस वर्ष के अन्त तक भवन तैयार हो जाने की सम्भावना है ।

(ख) जी हां ।

(ग) 29 ।

(घ) तथा (ङ) : अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड

1027. श्री हरदयाल देवगुण : क्या वित्त मन्त्री 29 जुलाई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 152 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड के कार्यों के बारे में जांच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) जांच को कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) : जांच पड़ताल अंशतः पूरी कर ली गयी है तथा प्रवर्त्तन निदेशालय ने मैसर्स डोडसाल तथा इसके निदेशकों को, विदेशी मुद्राविनिमय विनियमन अधिनियम 1947 का विभिन्न प्रकार से उल्लंघन, प्रथम-दृष्टया, किया होने से, 'कारण बताओ' नोटिस जारी कर दिये हैं । कुछ दूसरे लेनदेनों के बारे में 'कारण बताओ' के कुछ और नोटिस जारी करने के प्रश्न पर निदेशालय विचार कर रहा है ।

(ग) तथा (घ) : कम्पनी तथा इसके निदेशकों से मांगे गये कुछ स्पष्टीकरणों की अभी भी प्रतीक्षा है। जांच पड़ताल पूरी करने में लगने वाले समय के बारे में पहले से बताना सम्भव नहीं है, यद्यपि उसे शीघ्रता से पूरा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

आयकर दाता

1028. श्री हरदयाल देवगुण : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दस अधिकतम आयकर-दाताओं के नाम क्या हैं ;

(ख) यदि उनसे आयकर की कोई राशि बकाया है तो प्रत्येक से कितनी राशि बकाया है ;

(ग) उनमें से प्रत्येक से बकाया यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में कितनी कम अथवा अधिक है ; और

(घ) बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) दस मूर्धन्य कर-दाताओं के बारे में सूचना, जो 1966-67 में पूरे किये गये आयकर-निर्धारणों पर आधारित थी, लोक सभा अंतारांकित प्रश्न संख्या 9631 के 6 मई 1968 को दिये गये उत्तर में प्रस्तुत की गई थी। इसी प्रकार की सूचना, जो 1967-68 में पूरे किये गये कर निर्धारणों पर आधारित होगी, इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ख) से (घ) : मांगी गई सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

Bank Accounts Maintained abroad by Indians

1029. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 5948 on the 1st April 1968 and state :

(a) the total amount of bank balances is the foreign countries in the name of Shrimati Aruna Asaf Ali, Shri Sachindra Choudhury, Shri K. P. S. Menon and other political leaders ;

(b) whether Government have conducted inquiries as to how this money reached abroad and in what manner such accounts are being maintained there ; and

(c) if so, outcome of such enquiries and the action taken as a result thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Shrimati Aruna Asaf Ali and Shri K. P. S. Menon have no accounts abroad. Shri Sachindra Choudhury is having an account abroad with the approval of the Reserve Bank, It is difficult to give information generally about 'political leaders' in the absence of specific names.

(a) and (c) : Shri Sachindra Choudhury's accounts is fed by collection of fees for professional services rendered by him to clients in the U. K. as required by the Reserve Bank he is repatriating to India any amount in excess of £ 500/-

Before agreeing to the request of a person to maintain a foreign currency account abroad, the necessity to maintain the account and the nature of credits and debits to be allowed thereon are carefully considered. Subsequent operations of the account are also subject to periodical reporting to the Reserve Bank whereby a watch is kept on them.

Rehabilitation of Jhuggi-Dwellers in Delhi

1030. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of new Jhuggi-dwellers in Delhi proposed to be rehabilitated next year and the names of localities of such jhuggi-dwellers which are to be covered by this Scheme :

(b) the details of facilities to be provided by Government to eligible and non eligible jhuggi-dwellers ; and

(c) the expenditure likely to be incurred on these facilities ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S Murthy) : (a) to (c) : The programme of removal of jhuggis, jhonpries and the resettlement of jhuggi dwellers. during the next year has not been finalised yet.

बैंकों के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

1031. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के कर्मचारियों का बैंकिंग विधेयक के खण्ड 36-एडी के विरुद्ध देश-व्यापी आन्दोलन आरम्भ करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस पूरे मामले पर पुनर्विचार कर रही है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

टेनेको के साथ संयुक्त उपक्रम

1032. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री क० लक्कप्पा :
श्री श्रीधरन :

क्या **पट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरब सागर में तेल की खोज करने के लिए सरकार गैसर्ज टेनेको के साथ एक उपक्रम स्थापित करने के लिये तैयार हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संयुक्त उपक्रम की शर्तें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खगरिया सब-डिवीजन में मिट्टी के तेल की सप्लाई

1033. श्री कामेश्वर सिंह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री 5 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2735 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि खगरिया सब-डिवीजन में मिट्टी के तेल की सप्लाई में कोई सुधार नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और 5 अगस्त, 1968 से 5 नवम्बर, 1968 तक की अवधि में प्रतिमास कितने किलो लिटर मिट्टी का तेल सप्लाई किया गया ; और

(ग) सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में वस्तु सूची तैयार करने के काम का इकट्ठा होना

1034. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री क० लकप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग भारी मात्रा में जमा हुए माल को सामान्य स्तर पर लाने के लिये कोई कार्यवाही की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) स्टोर्स और फालतू पूर्जों के संहिताकरण एवं वर्गीकरण के अतिरिक्त, इलेक्ट्रानिक दित्ता प्रक्रिया प्रस्थापित की गई है ताकि स्टोर्स और फालतू पुर्जों के विभिन्न समूहों एवं श्रेणियों की जांच तथा वस्तु सूची के संग्रह तथा आकारा पर कड़ी देख-रेख की जा सके ।

Simplification of Taxation

1035. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the action taken so far on the recommendations made by the Bhoothalingam Committee on the rationalisation and simplification of the tax structure ;

(b) the details regarding the accepted and rejected recommendations ; and

(c) the reasons for the delay in taking action on all the recommendations of the said Cemmittee ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a)and(b): In regard to Shri Bhoothalingam's First Interim Report on Rationalisation and Simplification of the Tax Structure, a statement setting forth the list of the recommendations in that Report and indicating the action taken thereon, is laid on the Table of the House. [Placed in Library See No. LT. 2149/68] Decisions on the recommendations in Shri Bhoothalingam's Final Report will be taken by Government after a careful and thorough study of their implications and after considering the views of Chambers of Commerce, expert bodies and members of the public, However, some of the suggestions in the Final Report on matters which were already engaging the attention of the Government and which did not involve any radical change in the tax structure have been implemented through the Finance Act, 1968. These relate to discontinuance of the 'dividend tax' on domestic companies with reference to their excess distributions of equity dividends; prescription of standard deductions for expenditure on maintenance and the wear and tear of conveyance owned by salaried taxpayers ; and deduction, in the computation of the annual value of let-out house property, of the whole of the local taxes in respect of the property, in all cases.

(c) Some of the recommendations in Shri Bhoothalingam's reports relate to structural changes of a far-reaching nature and decisions on these recommendations can be taken by Government only after considering the views and comments thereon, which had been invited from Chambers of Commerce, expert bodies and members of the public. These recommendations and the comments thereon are at present under examination.

Finance Commission

1036. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri R. Barua :**
Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shri Bibhuti Mishra : **Shri Shiv Chandra Jha :**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the interim report of the Finance Commission has been received ;

(b) if so, the main recommendations thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : The Interim Report, along with an Explanatory Memorandum as to the action taken thereon, was laid on the Table of the Sabha on the 15th November, 1968.

कोलार स्वर्ण खान उपक्रम

1037. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औपचारिक बिक्री और हस्तान्तरण दस्तावेजों द्वारा कोलार स्वर्ण खान उपक्रम तथा उसके कार्य संचालन को केन्द्रीय सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है ;

(ख) इन दस्तावेजों पर किन-किन तारीखों को हस्ताक्षर किये गये ; और

(ग) उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : केन्द्रीय सरकार ने खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 17 (2) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करके, मैसूर सरकार के परामर्श से तथा उसकी सहमति से, कोलार स्वर्ण खान उपक्रमों के खनन कार्यों को अपने हाथ में लिया था। यह भी निर्णय किया गया है उपक्रमों की सम्पत्ति केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित करने के लिए एक औपचारिक दस्तावेज पर मैसूर के राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किये जाये। इस विषय पर, राज्य सरकार के साथ लिखा-पढ़ी की जा रही है और आशा है कि बैनामे पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किये जायेंगे।

कोलार स्वर्ण खान उपक्रम

1038. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोलार सोना खान उपक्रम में खनन के वर्तमान तरीकों की जांच करने और अधिकतम उत्पादन करने के लिए सुधारों के सुझाव देने हेतु जनवरी, 1965 में एक तकनीकी समिति बनाई गई थी ;

(ख) क्या इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : समिति ने अभी रिपोर्ट पेश नहीं की है।

(घ) जनवरी 1965 में शुरु में जो समिति गठित की गयी थी उसके बहुत से सदस्य जिन पदों पर वे काम कर रहे थे, उनसे या तो वे रिटायर हो गये थे या उनसे अन्य पदों पर उनका तबादला कर दिया गया था। इसलिए, अगस्त 1966 में समिति का फिर से गठन किया गया और समिति की सदस्यता पदेन बना दी गयी। समिति की पहली बैठक नवम्बर, 1966 में और दूसरी बैठक फरवरी, 1967 में हुई थी और उसने अपने विचारणीय विषयों के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न मामलों का अध्ययन करने के लिए 3 उप दल बनाये थे। इन उप-दलों की कई बैठकें हो चुकी हैं पर उनकी रिपोर्टें अन्तिम रुप से तैयार नहीं हुई हैं। इस काम में काफी विस्तार पूर्वक अध्ययन तथा अंक-संकलन आदि का काम करना पड़ता है। फिर भी समिति के अध्यक्ष से जल्दी रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया गया है। आशा है कि दो उप-दलों की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी।

तेल की खोज

1039. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन स्थानों में तेल की खोज का कार्य चल रहा है ;

(ख) यह कार्य किन-किन पार्टियों अथवा ऐजेन्सियों द्वारा किया जा रहा है ; और

(ग) वे किन शर्तों के अन्तर्गत यह कार्य कर रहें हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) गुजरात, आसाम, राजस्थान, मद्रास, पांडीचेरी, पश्चिमी बंगाल, जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैण्ड, उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तेल की खोज का कार्य प्रगति पर है ।

(ख) 1. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ।

2. आयल इंडिया लिमिटेड ।

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद अधिनियम (तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959-1959 की संख्या 43) के अधीन पैट्रोलियम के संसाधनों के विकास, और पैट्रोलिय तथा पैट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन एवं बिक्री की व्यवस्था करने के लिये की गई थी ।

आयल इण्डिया लिमिटेड 50 : 50 के आधार पर भारत सरकार और बर्मा तेल कम्पनी का एक संयुक्त उपक्रम है । यह अपर आसाम घाटी के उत्तर-पूर्वीय भाग में एक सीमित क्षेत्र में केवल तेल की खोज का कार्य कर रही है ।

Filing of Suits by D. M. C. against Dead Persons

1040. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(c) whether it is a fact that authorities of the Delhi Municipal Corporation have filed suits for the offence of forcibly occupation of public land against those people who have either died years ago or who do not exist at all ;

(b) if so, the financial loss Government suffered as a result of such cases ; and

(c) the action Government have taken against the officers responsible for this ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No.

(b) and (c) : The questions do not arise.

Encyclical Letter of Pope on Family Planning

1041. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain Catholic Churches in India have refused to obey the Encyclical letter from the Pope in regard to family planning;

(b) if so, whether the Pope has threatened to take action against these Churches; and

(c) if so, the likely effect of this on the family planning programme?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) There have been some news items in press to this effect.

(b) Government are nor aware of this.

(c) Does not arise.

पाकिस्तान में गंगा नदी के निचले प्रवाह क्षेत्रों में भारतीय इन्जीनियरों का दौरा

1042. **श्री श्रीकर सूपकार** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध के निचली और पाकिस्तान में गंगा नदी के निचले प्रवाह क्षेत्रों में जल सम्बन्धी डेटा (आधार सामग्री) एकत्रित करने के लिए भारतीय इन्जीनियरों के दौरे का प्रस्ताव क्रियान्वित हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकाला है और क्या दोनों देशों के विशेषज्ञों का कोई और सम्मेलन हुआ है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) और (ख) : परियोजना के विभिन्न पक्षों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय जानकारी प्राप्त करने के लिये, भारतीय विशेषज्ञों के एक दल ने 9 से 12 नवम्बर, 1968 तक, पूर्वी पाकिस्तान में गंगा-कोबाडाक परियोजना से सिंचाई किये जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र का, दौरा किया था। मई, 1968 में हुई बैठक के पश्चात दोनों देशों के विशेषज्ञों की कोई और बैठक नहीं हुई है।

'लिंक' द्वारा प्राप्त धन राशि का 'पैट्रियाट' को दिया जाना

1043. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वित्त** मन्त्री 19 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4248 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'लिंक" द्वारा 1960 तथा 1962 में प्राप्त चन्दे को 1965-66 में "पैट्रियाट" को हस्तान्तरित करना वैध और नियमानुकूल था ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उन के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) यदि एक कम्पनी प्राप्त दान बाद में दूसरी कम्पनी को हस्तान्तरित कर दिया गया तो इसमें आयकर सम्बन्धी कोई पहलू ग्रस्त नहीं था।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड

1044 **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी और इस समय इस के निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन कौन थे ; और

(ख) इस कम्पनी के वर्तमान निदेशक बोर्ड के सदस्यों तथा अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक के नाम क्या हैं तथा वे कब नियुक्त किये गये थे और उनके कार्यकाल की अवधि कितनी है तथा उनके कार्य की शर्तें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) भारतीय उर्वरक निगम 1 जनवरी, 1961 को बनाई गई थी और निम्नलिखित व्यक्ति उस समय निदेशक थे--

1. श्री के० आर० दामले, चेयरमैन ।
2. श्री पी० ए० नारियलवाला ।
3. श्री वृष भान ।
4. श्री शिव चंडिका ।
5. श्री के० बी० लाल ।
6. श्री के० एल० घेई ।
7. डा० एस० हुसैन जहीर ।
8. श्री एम० आर० चौपडा ।
9. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा ।
10. श्री पी० एन० थापर ।
11. श्री एच० एन० सेठना ।
12. श्री बी० एन० सिन्हा ।
13. श्री के० रामचन्द्रन रेजीडेंट निदेशक ।
14. श्री बी० सी० मुखर्जी, प्रबन्ध निदेशक ।

(ख) इस समय निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक हैं । उनकी नियुक्ति 10 अक्तूबर, 1968 से की गई थी--

1. श्री सतीशचन्द्र, चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक ।
2. श्री एम० रामकृष्णय्या ।
3. श्री आर० एस० गुप्ता ।

4. श्री एस० एम० एच० बर्नी ।

5. श्री वी० एल० दत्त ।

6. श्री डी० पी० चक्रवर्ती ।

7. श्री बी० पी० तिवारी ।

कारपोरेशन के आर्टीकल्ज़ आफ एसोशियेशन (Artical of Association) के अनुछेद 66(2) के अन्तर्गत, प्रबन्ध निदेशक, कार्यकारी निदेशकों तथा रेज़ीडेंट निदेशकों के सिवाय सभी निदेशक कम्पनी की प्रत्येक वार्षिक सामान्य बैठक पर कार्यालय से सेवा-निवृत हो जाते है । मौजूदा बोर्ड का कार्यकाल आगामी वार्षिक सामान्य बैठक, जिसके सितम्बर / अक्तूबर, 1969 में होने की आशा है, पर समाप्त हो जायेगी ।

श्री सतीशचन्द्र 6 सितम्बर, 1965 से चेयरमेन एवं प्रबन्ध निदेशक के रुप में नियुक्त किये गये । उन्हें 3,500/–रुपये मासिक के नियत वेतन पर नियुक्त किया गया है । इस समय के लागू सामान्य अनुदेशों के अनुसार सरकारी उपक्रमों के उच्च पदों के कार्यकाल की प्रारम्भिक अवधि 4 वर्ष है ।

भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड

1045. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) भारतीय उर्वरक निगम को उस की स्थापना से ले कर आज तक (एक) अनियमितताओं, (दो) चोरी, (तीन) स्टाक कम पाये जाने, (चार) अग लगने अथवा ऐसे किसी अन्य कारणों से कितनी क्षति हुई तथा क्या इन मामलों की जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) (क) और (ख) : सूचना इकठ्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड़

1046. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड में क्रय ठेके तथा विक्रय के लिये 500 मासिक से अधिक वेतन वाले पदों के लिए, कर्मचारियों को भर्ती के सम्बन्ध में, उचित नियम विद्यमान हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये नियम क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) भर्ती और तरक्की नियमावली की एक प्रति, जो भारतीय उर्वरक निगम लि० के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों पर लागू है, सभा पटल पर रखी गयी है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 2150/68]।

भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड

1047 श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के कार्य का कभी मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इसकी कमियों का पता लगाने तथा उनमें सुधार करने के लिये किसी विशेषज्ञ की सेवाओं का उपयोग करने का सरकार का कोई विचार है ?

पट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) (क) और (ख) : जी नहीं। किन्तु सरकारी क्षेत्रीय निगमों/कम्पनियों का, जिन में भारतीय उर्वरक निगम शामिल हैं, ऐसे उपाय अपनाने के लिए 1967 में अध्ययन किया गया था, जिनसे देशमें तेजी से बढती हुई उर्वरक आवश्यकताओं के परिणामस्वरुप उत्पन्न कठिनाइयों तथा चुनौतियों का सफलता पूर्वक सामना करने में मदद मिले। सरकार इस अध्ययन की रिपोर्ट पर विचार कर रही है कुछ निर्णय ले लिये गये हैं और कई अन्य मामले लम्बित हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम

1048. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जीवन बीमा निगम कब स्थापित किया गया था तथा क्या जिस उद्देश्य से यह निगम स्थापित किया गया वह प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो किस प्रकार;

(ख) पिछले तीन वर्षों में जीवन बीमा निगम की क्या उपलब्धियां हैं;

(ग) जीवन बीमा निगम के निदेशक बोर्ड का स्वरूप क्या है तथा इसमें पांच वर्ष से अधिक अवधि से कितने निदेशक कार्य कर रहे हैं और उनके नाम क्या हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख): निगम की स्थापना 1 सितम्बर, 1956 को हुई थी। निगमों के कार्यों के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना, निगम की उन वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध है, जो समय समय पर सदन की मेज पर रखी जाती है। निगम की प्रगति, इन रिपोर्टों में प्राप्य सूचना से आंकी जा सकती है। इस सम्बन्ध में विशेष रूप से कहा जा सकता है कि 1955 और 1967-68 के मध्य नया कारोबार 261 करोड़ रुपये से बढ़कर 844 करोड़ रुपये, किस्तों से आमदनी 59 करोड़ रुपये से बढ़कर 213 करोड़ रुपये और सकल चालू कारोबार 1220 करोड़ रुपये से बढ़कर

5240 करोड़ रुपये हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के कारोबार की रकम, पिछले पांच वर्षों में 209 करोड़ रुपये से बढ़कर 235 करोड़ रुपये हो गई है।

(ग) बीमा निगम अधिनियम 1956 की धारा 4 के अन्तर्गत, निगम का निर्माण इतने व्यक्तियों से होगा जो 15 से अधिक नहीं हों और जिन को केन्द्रीय सरकार निगम पर नियुक्ति के लिए योग्य समझे तथा उनमें से एक व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया जायगा। इस समय निगम के 15 सदस्य हैं और उनमें से किसी को भी निगम को सदस्यता में पांच वर्ष से अधिक नहीं हुए हैं।

विवाहों का पंजीयन (रजिस्ट्री)

1049. श्री रविराय : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में राज्य मंत्री ने देश में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये विवाहों का पंजीयन करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : (क) और (ख) जी हां। मेरे विचार में जन्म, मरण और विवाह जैसी महत्व पूर्ण घटनाओं का हिसाब रखा जाना चाहिए जिससे वह सामग्री जिसके आधार पर राष्ट्रीय नीतियां बनाई जा सकें, उपलब्ध रहे।

नई दिल्ली में इंडिया गेट पर गांधी जी की मूर्ति लगाना

1050. श्री रविराय : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आगामी गांधी शताब्दी वर्ष में नई दिल्ली में इंडिया गेट पर गांधी जी की एक मूर्ति लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस काम के कब तक पूरा होने की सम्भावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री श्री इकबाल सिंह : (क) से (ग) : सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि इण्डिया गेट पर पहले जिस स्थान पर किंग जार्ज की मूर्ति थी उस स्थान पर सरकारी व्यय से महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित की जाये।

प्रारंभिक व्यवस्थाओं को अन्तिम रूप देने के उद्देश्य से सरकार ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इन्जीनियर-इन-चीफ की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना भी कर दी है। इस स्थिति में यह बताना संभव नहीं कि मूर्ति का स्थापित करना कब पूरा हो जायेगा।

पी० एल० 480

1051. श्री रविराय :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमरीका सरकार द्वारा इस वर्ष पी० एल० 480 के अन्तर्गत बचत दी गई अनाज की सहायता की 35 लाख टन की शेष मात्रा तुरन्त भेजने के लिये अमरीका सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है और उसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार 1968 के लिए पहले ही 35 लाख मेट्रिक टन अनाज दे चुकी है। 23 लाख मेट्रिक टन अनाज के लिए एक और करार किया जाने वाला है और उसके बारे में बातचीत चल रही है।

बिजली मंडलों के सभापतियों की बैठक

1052. श्री रा० की० अमीन : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने गुजरात सहित पांच राज्यों के बिजली मंडलों के सभापतियों की एक बैठक नई दिल्ली में अक्तूबर, 1968 में संयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बैठक में गुजरात राज्य में बिजली की कमी के बारे में विचार विमर्श हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख): जी, हां।

(ग) पश्चिम क्षेत्र के राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के साथ, जिसमें गुजरात और अन्य संबंधित राज्यों के बोर्ड सम्मिलित थे, अक्तूबर, 1968 में संयोजित बैठक में, 1968-69 के दौरान इस क्षेत्र में बिजली सप्लाई की स्थिति की फिर से जांच की गई। गुजरात में बिजली की प्राप्यता में वर्तमान कमी को 83 मेगावाट आंका गया था जो इसके जून, 1969 तक बढ़कर 150 मेगावाट तक हो जाने की सम्भावना थी। इस तंगी को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए गए थे :–

(1) अल्प-कालीन उपाय के रूप में, गुजरात में सभी ताप उत्पादक यूनिटों को उनकी अधिकतम क्षमता तक चलाई जानी चाहिए; और आपात-कालिक क्षमता (स्टेंड-बाई) कम से कम मात्रा में रखी जानी चाहिए। फैक्टरी

भार को बांटने की सम्भाव्यता और कार्य-घंटों इत्यादि को बदल कर उच्चतम भार अवधि में परिवर्तन करने की संभाव्यता की जांच भी महाराष्ट्र और गुजरात द्वारा संयुक्त रूप से कर सकती थी।

(2) ट्रांबे यूनिट नं० 2 (62.5 मेगावाट) के लिए घूणार्क देने में हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० भोपाल द्वारा शीघ्रता की जानी चाहिए। महाराष्ट्र में उर्जा की कमी को पूरा करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र को, गुजरात में उपलब्ध उच्चतम उर्जा के उपयोग की सम्भाव्यता की भी जांच करनी चाहिए और गुजरात को जहां उच्चतम क्षमता में कमी की प्रत्याशा हो, अधिकतम बिजली देनी चाहिए।

(3) दीर्घकालीन उपायों में से जो चौथी योजनावधि के दौरान भार भागों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, यह निर्णय किया गया था कि पहले से ही क्रियान्वित हो रही स्कीमों को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए और साथ ही कुछ नई स्कीमों के कार्यान्वयन को हाथ में लेने का प्रस्ताव किया गया।

(4) यह भी निर्णय किया गया था कि पांचवी योजनावधि के दौरान लाभ प्राप्त करने के लिए सौराष्ट्र क्षेत्र में एक परमाणु बिजली केन्द्र के स्थल की जांच की जानी चाहिए।

कोरबा में एल्यूमिनियम तथा उर्वरक परियोजनाओं को बिजली सप्लाई करने के सम्बन्ध में करार

1053. श्री दे० वि० सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोरबा स्थित एल्यूमिनियम परियोजना तथा उर्वरक परियोजनाओं के लिए बिजली सप्लाई करने के सम्बन्ध में भारत एल्यूमिनियम निगम और भारतीय उर्वरक निगम ने मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के साथ कोई पक्का करार किया है;

(ख) यदि नहीं, तो करार न करने के क्या कारण हैं और इन के कब तक किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड इन करारों को जल्दी करने का आग्रह कर रहा है क्योंकि इस बोर्ड के लिए अपनी व्यवस्था में अपेक्षित अतिरिक्त ताप संयंत्र लगाने संभव नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन करारों को जल्दी करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भारत अल्युमीनियम निगम और भारतीय उर्वरक निगम ने कोर्बा में स्थित अपनी परियोजनाओं के लिए बिजली लेने हेतु, मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से अभी तक कोई पक्का समझौता नहीं किया है।

(ख) दोनों परियोजनाओं को भारत सरकार की अन्तिम स्वीकृति मिलनी अभी शेष रहती है।

(ग) तथा (घ) मध्य प्रदेश राज्य विजयी बोर्ड ने उर्वरक निगम को समझौते का फार्म भेज दिया है और उत्तर अभी नहीं आया है। भारत अल्युमीनियम निगम बिजली सप्लाई की दरों और अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार से बातचीत कर रहा है। समझौते के क्रियान्वित करने के प्रश्न पर बोर्ड तब विचार करेगा जब दरों आदि के प्रश्न तय हो जाएंगे और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति मिल जाएगी।

नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन

1054. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन के उच्च प्रबन्धकों को कार्यकरण संगठन सम्बन्धी तरीकों तथा सरकारी उपक्रमों की समस्याओं से परिचित कराने के लिये नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के आरम्भ किये जाने से लेकर अब तक किन किन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ग) उनको कितने समय तक तथा किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया और इस समय वे नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन में किन पदों पर नियुक्त हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में अकाल सहायता निधि में गोलमाल

1055. **श्री दे० वि० सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 1967 में समाप्त हुए दो अकाल वर्षों में मध्य प्रदेश के दमोह जिले में किये गये राहत कार्य में लगभग 2 करोड़ 15 लाख रुपये का गोलमाल किये जाने का हाल ही में पता लगाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इससे सरकारी कोष को कुल कितने धन की हानि हुई है;

(ग) इन दो वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने उक्त अकाल सहायता निधि में कितने धन का अंशदान किया था, और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच का आदेश दे दिया है, और यदि हां, तो जांच के निर्देश-पद क्या हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख): राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अप्रैल 1964 में दमोह जिले में शुरू किये गये कुछ राहत कार्यों के सम्बन्ध में राज्य के सतर्कता आयोग द्वारा की गयी जांच के अनुसार उन राहत कार्यों पर, किये गये कुल खर्च की रकम कार्य स्थल पर हुए वास्तविक कार्य के मूल्य की

अपेक्षा लगभग 2.15 करोड़ रुपया अधिक है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि यदि उपर्युक्त रकम में से किसी रकम का गबन हुआ हो तो वह रकम कितनी है, यह ठीक ठीक बताना सम्भव नहीं है।

(ग) राहत कार्य के सम्बन्ध में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति जिलों के अनुसार नहीं दी जाती। आलोच्च वर्षों में, राहत कार्यों के लिए राज्य सरकार को कुल 35.50 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी थी।

(घ) इस मामले की जांच करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकार की है। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, उक्त राज्य को अब तक दी गयी सहायता का अन्तिम हिसाब किताब व्यय के परीक्षित आंकड़ों के आधार पर किया जायगा।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दो कमरों के क्वार्टर

1056. **श्री निहाल सिंह :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दो कमरों के क्वार्टर बनाने हेतु यदि धन राशि की कोई स्वीकृति दी गयी थी तो वह कितनी है;

(ख) प्रत्येक वर्ष में ऐसे कितने आवास बनाये जाने का प्रस्ताव था, प्रत्येक वर्ष में वास्तव में कितने क्वार्टरों का निर्माण हुआ और प्रत्येक वर्ष इस सम्बन्ध में वास्तव में कितनी धन-राशि खर्च हुई; और

(ग) वे कहां पर बनाये गये हैं या उन्हें कहां पर बनाने का प्रस्ताव है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग): सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

1057. **श्री निहाल सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1959 के बाद से अब तक रुपये की क्रय शक्ति के कम हो जाने को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए, द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित की गई वार्षिक वेतन वृद्धि की दरें कुशलता पूर्वक कार्य के लिये निरन्तर प्रोत्साहन देने के अपने उद्देश्य मे असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो सेवा के विभिन्न प्रक्रमों पर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दी जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का घटा हुआ वास्तविक मूल्य क्या है; और

(ग) क्या इन दरों में वृद्धि की जा रही है और क्या इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई तथ्य अथवा अन्य आयोग स्थापित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचनांक जो 1949 में 100 था, 1959 और अगस्त 1968 के बीच 77% से ऊपर चला गया है। इस सूचनांक के मान से उक्त अवधि में रुपये की क्रय-शक्ति लगभग 43.7 प्रतिशत घट गई है। चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के वार्षिक वेतन–वृद्धि की दरों के मूल्यों में में भी तदनुसार गिरावट आ गई है।

(ग) तथा (घ) जी नहीं। उसके कारण ये हैं :–

(1) वर्तमान वेतनमानों तथा वेतन वृद्धि की दरों का निर्धारण 1–7–59 में किया गया था तथा उनमें सामान्य संशोधन के लिये अगले वेतन आयोग द्वारा, जब भी वह नियुक्त हो विस्तृत जांच की प्रतीक्षा करनी होगी।

(2) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में, जीवन निर्वाह के मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में समय समय पर, महंगाई भत्ते में उचित समायोजन करके प्रतिपूर्ति की जाती रही है।

(3) फिलहाल प्रशासनिक व्यय में किफायत के उपाय के रूप में सभी स्तरों पर वेतन श्रेणियों के संशोधन पर रोक लगी है।

कर्जन रोड नई दिल्ली स्थित होस्टल में सरकारी कर्मचारियों को आवास का दिया जाना

1058. श्री निहाल सिंह : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्जन रोड, नई दिल्ली पर नवनिर्मित होस्टल में जिन सरकारी कर्मचारियों को आवास दिया गया है उन्हें मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता है;

(ख) क्या इस आवास के सामान्य किराये के अतिरिक्त इस होस्टल में आवास के किराये के रूप में उनके वेतन में से 10 प्रतिशत की कटौती भी की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) लागू आदेशों के अनुसार, वे सरकारी कर्मचारी मकान किराया भत्ता के पात्र नहीं होते, जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए वास में रहते हैं।

(ख) तथा (ग) जिन सरकारी कर्मचारियों को इस होस्टल में वास आवंटित किया जाता है, उनसे कर्जन रोड होस्टल के कमरों (सूटस) का किराया उनकी परिलब्धियों के प्रतिशत आधार पर वसूल नहीं किया जाता। फर्नीचर, गीजर, सांझी बिजलियां (कामन लाइट्स), कम्पाऊंड तथा सार्वजनिक (कामन) स्थानों की निगरानी, सार्वजनिक (कामन) स्थानों के बल्बों को बदलना, लिफ्टों का परिचालन तथा निगरानी, और बूस्टरे पम्प आदि

अतिरिक्त सेवाओं के खर्च को दृष्टि में रखते हुए, इस होस्टल के कमरों के किराये तदर्थ आधार पर नियत किये गये हैं और ये सहायता प्राप्त हैं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सुविधायें तथा भत्ते

1059. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता सहित दी गई बहुत सी सुविधाओं को जिन्हें वर्ष 1962 में आपातकालीन स्थिति घोषित किये जाने के बाद वापस ले लिया गया था, अथवा कम कर दिया गया था, अभी तक पुनः नहीं दिया गया है अथवा उस स्तर पर नहीं लाया गया है, जिस स्तर पर वह आपात काल घोषित किये जाने से पहले थी; और

(ख) यदि हां, तो किन किन मामलों में इन सुविधाओं को पुनः नहीं दिया गया है; और इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) : द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयी तथा अन्य समान कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देने की योजना को 1962 में हुई आपातकालीन स्थिति के सन्दर्भ में कम उदार बना दिया गया था तथा यह कम उदार योजना अभी चालू है।

(ग) प्रशासन सम्बन्धी व्यय में बचत लाने के लिए उदारता में कमी बरती गयी तथा उसकी आवश्यकता अभी भी है।

साउथ एवेन्यू नई दिल्ली में पानी की सप्लाई

1060. **श्री निहाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली में 12 बजे दोपहर से 4 बजे सायं तथा 10 बजे रात से 5 बजे प्रातः तक नलों में पानी नहीं आता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके आस-पास के क्षेत्रों में नलों में 24 घण्टे पानी आता रहता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा साउथ एवेन्यू में पानी की निरन्तर सप्लाई बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : राष्ट्रपति भवन के, जहां के लिए एक अलग लाइन दी हुई है तथा संसद सदस्यों के कतिपय फ्लेटों के अलावा, जिनमें उसी लाइन से पानी दिया जाता है, शेष सारे नई दिल्ली क्षेत्र में 11 बजे प्रातः से 4 बजे सांय और 9.30 बजे सांय से 4 बजे प्रातः तक पानी की सप्लाई बन्द रहती है।

बिहार में कोसी परियोजना

1061. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में कोसी परियोजना के लिए 71 लाख रुपये की धन-राशि मंजूर कर दी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा परियोजना के अधीन प्रत्येक कार्य की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इस परियोजना में राज्य सरकार का अंशदान कितना है; और

(घ) इस योजना के परिणामस्वरूप कितनी अतिरिक्त भूमि की सिंचाई होने की सम्भावना है और इस से कितनी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कोसी परियोजना पर व्यय करने के लिए बिहार सरकार को जो 71 लाख रुपये दिए गए वह 1968-69 में ऋण की पहली किस्त थी।

(ख) परियोजना में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:—

(1) हनुमानगढ़ में कोसी बराज (2) बाढ़ तटबंध (3) पूर्वी कोसी नहर प्रणाली ।

उपर्युक्त यूनिटों में से हर एक की अद्यतन अनुमानित लागत निम्नलिखित है:—

	करोड़ रुपयों में
(1) हनुमान नगर में कोसी बराज	32
(2) बाढ़ तटबंध	14
(3) पूर्वी कोसी नहर प्रणाली	39
कुल	85

(ग) कोसी परियोजना की पूरी लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रथम रक्षित ऋण सहायता के रूप में दी गई है ।

(घ) कोसी परियोजना से निम्नलिखित लाभ हैं:—

(1) पूर्वी कोसी नहर से सिंचाई	14.05 लाख एकड़
(2) कोसी बिजली घर से बिजली	इसकी प्रतिष्ठापित क्षमता 20 मेगावाट होगी ।

पूर्वी कोसी नहर प्रणाली के पूर्ण होने के फलस्वरूप 1967-68 में 4,50,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई । 1968–69 के लिए संख्या 6,50,000 एकड़ है ।

केरल राज्य में सिचाई परियोजनायें

1062. श्री श्रीधरन : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केरल में क्रियान्वित की जा रही सिंचाई परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर 242,000 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई हो सकेगी और प्रतिवर्ष चावल के उत्पादन में लगभग 400,000 से 500,000 मीट्रिक टन वृद्धि हो जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या धन के अभाव के कारण इन परियोजनाओं में विलम्ब होने की सभावना है; और यदि हां, तो कितना;

(ग) इस विलम्ब को कम करने के लिए क्या विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है अथवा देने का विचार है; और

(घ) प्रत्येक परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : इन परियोजनाओं को चौथी योजना में पूरा करने के लिए जितना धन आवश्यक होगा उसकी व्यवस्था चौथी योजना में करने के लिए सिफारिश की जा रही है।

(घ) एक विवरण नीचे दिया गया है।

विवरण

केरल की इस समय चालू बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने की संभावित तिथियां।

बड़ी परियोजनाएं	**पूर्ण होने की संभावित तिथि**
1. पेरियार घाटी	1970–71
2. पाम्बा	1973–74
3. कल्लडां	1973–74
मध्यम परियोजनाएं	
1. नेय्यार चरण 1	1968–69
2. गायत्री	1968–69
3. नेय्यार चरण-2	1969–70
4. पातुड्डी	1968–69
5. चित्तुरपुझा	1969–70
6. कण्हीरपुझा	चौथी योजना के दौरान
7. कुटियाडी	–वही
8. पजासी (क्लापट्टएम)	–वही–

आसाम के डिगबोई तेल क्षेत्र

1063. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अपर आसाम में डिगबोई तेल क्षेत्र में तेल खत्म होने वाला है;

(ख) यदि हां, तो इस समय प्रतिवर्ष कितना तेल निकाला जाता है;

(ग) डिगबोई तेल क्षेत्र से कितने समय तक तेल के निकलते रहने की सम्भावना है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में तथा तेल के अन्य निक्षेपकों का पता लगाने के लिए भी सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) और (ख) : डिगबोई तेल क्षेत्र में कच्चे तेल के उत्पादन दर में कमी हो रही है और उत्पादन 1950 में 251,530 मीटरी टन से घट कर 1968 में लगभग 120,000 मीटरी टन हो गया है।

(ग) 1980 में उत्पादन दर से लगभग 47,500 मीटरी टन हो जाने की आशा है। आसाम आयल कम्पनी उत्पादन बढ़ाने के कई नये उपायों और द्वितीयक रिक्वरी तकनीकी की खोज कर रही है, ताकि, यदि संभव हो, उत्पादन की इस अधोमुख प्रवृति को रोका जाये।

(घ) और (ङ) : सरकार ने डिगबोई क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने आसाम के अन्य क्षेत्रों में सर्वेक्षण किये हैं और अब तक रुद्रसागर तथा लाकवा तेल क्षेत्रों में व्यापारिक मात्रा वाले तेल भण्डारों का पता लगाया है।

Punjab Lottery

1064. Shri Om Prakash Tyagi :
Shri M Sudarsanam :

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the Press reports to the effect that embezzlement to the tune of lakhs of rupees has been done in the first lottery conducted by the Punjab Government and against the criticism of the system of drawing of lot;

(b) if so, whether Government propose to appoint an Enquiry Commission to look into the said embezzlement with a view to removing the doubts in the minds of the people; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) The Press Reports about the Punjab Lottery scheme mostly relate to the procedure that was followed for the award of prizes According to the State Government, prize winning ticket numbers were individually drawn for the first five prizes (numbering 67 in all) but the smaller denomination prizes of Rs. 100 and Rs. 0 (numbering 300 in all) were awarded to tickets bearing numbers suitably linked to numbers actually drawn. Thus, one number was drawn and prizes of Rs. 100 were awarded to tickets bearing the same number in all alphabetical series. Again, prizes of Rs. 100 were awarded to the immediately preceding and succeeding numbers of the numbers winning the first three prizes. Consolation prizes of Rs. 50 were given to tickets bearing numbers differing only in the first digit from the numbers winning the first prize and also to tickets bearing the same number as the tickets winning the first two prizes but in other alphabetical series. While 67 prizes of value Rs. 1.75 lakhs were individually drawan, 300 prizes of value Rs. 20,000 were awarded by this process of linking numbers with those actually drawn. This procedure was devised by the State Government in order to avoid the need for the drawal of a large number of small prizes, thereby saving time, and it had also been publicly announced before the draw was held. Further the draw was held in public and was supervised by eminent persons including a retired High Court Judge. In view, however, of the criticism of the procedure that was followed, the State Government have since decided to draw all prizes individually for the second lottery to be held next month.

Bombay Customs Department

1065. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of fire boats and jeep cars with the flying squad of the Customs Department at Bombay;

(b) whether the Customs Department have complained to Government that they are not equipped with adequate means to prevent and detect smuggling; and

(c) if so, the nature thereof and the action taken to equip them with adequate means for this purpose ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) There are no fire boats. Several jeep cars are in commission at present for customs work at Bombay. It would not, however, be in public interest to disclose their number;

(b) and (c) : There have been no complaints as such from the Customs Department at Bombay. The problems and needs of this region for anti-smuggling equipment are kept under systematic review by the Government in consultation with the local Heads of Departments. Some additional equipment has already been provided. Further proposals are under active consideration.

Admission to Medical Colleges in Rajasthan

1066. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some students have changed their castes to get admission to the Medical colleges in Rajasthan;

(b) if so, the names of the colleges in which the students did so as also the number of such students during the current year;

(c) the manner in which Government dealt with them; and

(d) the action taken by Government with a view to checking the recurrence of such incidents in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to d) : The information is being collected from State Government and will be placed on the Table of the Sabha.

Irrigation Schemes

1067. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme with a view to see that agriculture in any part of India does not depend on the vagaries of monsoon;

(b) if so, the broad details thereof; and

(c) the time by which Government propose to make India self-sufficient in the field of irrigation ?

The Deputy. Minister in the Ministry of irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) : Rough studies indicate that only about half the area under cultivation can be provided with irrigation facilities by m jor, medium and minor irrigation schemes;

The ultimate Irrigation potential is assessed as 112 million acres by Major and Medium Irrigation Schemes and 90 million acres by Minor Irrigation Schemes including Ground Water Development. It will take at least 20-25 years more to develop all this potential provided sufficient resources could be made available for such schemes.

राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन की मांग

1068. श्री य० अ० प्रसाद : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बार बार सूखे की स्थिति को उत्पन्न होने को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए अधिक धनराशि नियत करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Municipality for Modinagar

1069. Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri ;

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 434 on the 12th August, 1968 and state :

(a) the reasons for which the decision of Parliamentary Consultative Committee for Uttar Pradesh in regard to formation of a Municipality in Modinagar has not been implemented by the State Government ;

(b) whether the State Government have pointed out any reason for it ;

(c) whether some members of Parliamentary Consultative Committee have requested for reconsideration of the question ; and

(d) if so, the result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a), (b), (c) and (d) : A statement is enclosed

Statement

On October 10, 1967, the Government of Uttar Pradesh issued a draft of a Notification proposing to convert the Notified Area Committee, Modinagar, into a Municipal Board and invited objections and suggestions. 15 institutions, including four village Panchayats and several unions of workers, filed objections to the proposal, and their common stand was that the population of Modinagar consisted mostly of lowpaid workers who would be hard hit by the taxes that may be levied by the Municipal Board and that adequate civic amenities are already available to the reisdents of the Town through the Notified Area Committee and the management of the Modi Industries, It was also felt that the setting up of a Municipality would considerably increase of expenditure over staff, and that the Modi House which has been paying a substantial contribution to the Notified Area Committee, might also withdraw its assistance if a Municipal Board was established.

This matter was discussed in the meeting of the Consultative Committee of U. P. Legislation held at Naini Tal on June 13, 1968, when certain members expressed the view that a Municipality should be costituted at Modinagar. The matter was cosidered by the State Government in all its aspects, and it was decided to drop the proposal to convert the Notified Area Committee, Modinagar into a Municipal Board. But at the same time the Modi Industries were asked to raise their annual contribution to the Notified Area Committee from Rs. 20,000 to Rs. 40,000 or 25% of the expenditure, whichever is more, and the Modi Industries have already agreed to this.

This matter was raised again for discussion in the meeting of the Consultative Committee on U. P. Legislation held at Lucknow on October 30, 1968. The position indicated above was brought to the notice of the members of the Committee.

Shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation

1070. **Shri J. B. Singh :**
Shri Sharda Nand :
Shri T. P. Shah :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2542 on the 5th August, 1968 regarding Shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation and state :

(a) the date on which the firm M/s Navrang Ram Nand Kishore Verma was set up and the capital invested in it at that time ;

(b) the number and names of its Directors ; and

(c) the amount of Income-tax paid by this firm during the past five years ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Existence of the firm of M/s Navrang Ram Nand Kishore Verma is not known to the Income-tax Department.

(b) and (c) : Do not arise.

Shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation

1071. **Shri J. B. Singh :** **Shri T. P, Shah :**
Shri Sharda Nand : **Shri Onkar Shingh :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2542 on the 5th August, 1968 regarding shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation and state :

(a) the date of which M/s Glass Carbois and Prest Waves was established and the amount of capital invested in them at that time ;

(b) the number and the names of the Directors of that firm ; and

(c) the amount paid by the aforesaid firm as Income-tax to Government during the last five years ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) M/s Glass Carboys and Pressed Wares Ltd. was incorporated in February, 1963. Its initial subscribed capital was Rs. 70.-

(b) There are eight directors. There names are :—

Shri Ramjilal Jhunjhunwala.

Shri Manilal Virchand.

Shri Radhakrishna Rungta.

Shri Nirmal K. Ruia.

Shri V. V, Joshi.

Shri Bhagwatiprasad Jhunjhunwala.

Shri M. L. Apte.

Shri S. K. Handoo.

(e) Nil.

Shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation

1072. **Shri J. B. Singh :** **Shri Onkar Singh :**
Shri Sharda Nand : **Shri T. P. Shah :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2542 on the 5th August, 1968 regarding shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation and state :

(a) the date on which the firm named M/s National India Trading (Pvt.) Ltd. was set up and the capital invested therein ;

(b) the names of the Directors of this firm and the names of other firms of which they are partners ; and

(c) the amount of income tax paid by the firms and its Directors during the past five years ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) M/s National India Trading (Pvt.) Ltd. was incorporated on 20-3-1952. Its issued and subscribed capital is Rs. 3 lakhs.

(b) The names of the Directors of the above company are :-

Shri Purshotamlal Jhunjhunwala.

Shri Ramjilal Jhunjhunwala.

Shri Bhagwatiprashad Jhunjhunwala.

Shri Champalal Jhunjhunwala.

Shri Banwarilal Jhunjhunwala.

Shai Girdharilal Jhunjhunwala.

Shri S B. Abhyankar.

Some of these directors are partners in the following firms :-

M/s Jhunjhunwala Bros.

M/s Sriram Ramniranjan.

M/s Ramniranjan Jhunjhunwala & Sons.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation

1073. **Shri J. B. Singh :**
Shri T. P. Shah :
Shri Sharda Nand :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5870 on the 26th August, 1968 regarding shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation and state ;

(a) whether the information in regard to the M/s Pulp Industries Ltd. has since been collected by Government ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, when it will be laid on the Table ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) A copy of the statement fulfilling the assurance in this respect is given below.

Statement

The Company was established in December, 1960. It had no Managing Director at the time of its establishment and there is none at present.

The Company is located at Bombay. It has five directors. The Director are partners in two firms, which derive income from dividends, managing agency, speculation and milling af seeds. There total investments in these two firms is Rs. 3,66,855/-. Both these firms are located at Bombay.

The Company did not carry on any business and did not derive any taxable income upto the assessment year 1967 68. There has, therefore, been no income-tax demand against the company and there are no arrears,

(c) Does not arise.

Shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation

1074. **Shri J. B. Singh :** **Shri Onkar Singh :**
Shri Sharda Nand : **Shri T. P. Shah :**

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2542 on the 5th August, 1963 regarding Share-holders of M/s Oriental Timber Trading Corporation and state :

(a) the date on which M/s Kalyan Pulp and Paper Mills (P) Ltd. was set up and the amount of the capital invested in the said firm at present ;

(b) the kinds of business transacted by the said firm and the number and names of its Directors ; and

(c) the amount of income tax paid to Government by the firm and its Directors during the last five years and the amount of excise duty paid so far by the said firm since its inception ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) ; (a) The company was incorporated in Jnly, 1963. Its issued and subscribed capital is Rs. 1,07,000/-.

(b) The business of the company is that of Re-rolling of steel. There are three directors. They are :—

Shri Babulal Jhunjhunwala.

Shri Girdharilal Jhunjhunwala.

Shri S, Srinivasan.

(c) The company has not paid any tax so far as it remained defunct for a long time and commenced business only 7 or 8 month back.

The informa ion regarding the income-tax paid by its directors and the excise duty paid by the company is being collected and will be laid on the Table of the House.

Requests from Shopkeepers of R. K. Puram recovering of Verandah

1075. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether Government have received some requests from shopkeepers of Ramakrishana Puram, New Delhi to cover the Verandah and thus make it a part of their shops ;

(b) whether it is a fact that stall-holder of Ramakrishna Puram also have demanded the enlargement of projections before their stalls ; and

(c) if so, the decision taken by Government in this regard ?

The Deputy Ministr in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The matter is under examination.

Regularisation of Unauthorised Colonies in Delhi

1076. **Shri Onkrar Lal Berwa** : Will the Minister of Health, Family Planning and Urdan Development be pleased to state :

(a) whether the residents of unauthorised colonies in Delhi have applied to Government a number of times for the regularisation of their colonies ;

(b) if so, whether it is also a fact that Government have not taken any decision in the matter so far ; and

(c) if so, Government's policy in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a), (b) and (c) : The residents of unauthorised colonies, as and when they approached the Government, have been advised that their cases can be settled only in accordance with the policy decision announced by the Government in a statement made by Chief Executive Councillor in the Metropolitan Council on the 28th October, 1968. A copy of that statement is placed on the table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2151/68]

सभी राज्यों में प्रत्येक रविवार को विद्युत में कटौती

1077. **डा० कर्ण सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उसके ग्रिड में सभी राज्यों को प्रत्येक रविवार को बिजली का सम्भरण लगभग बन्द कर दिया जाता है जिससे जनता को असुविधा होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस असुविधा को कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) बिजली के सम्भरण के बन्द होने के इक्का-दुक्का उदाहरण तो हो सकते हैं परन्तु ग्रिड व्यवस्था में बिजली का सम्भरण किसी राज्य में प्रत्येक रविवार को घण्टों तक बन्द नहीं रहता है ।

(ख) प्रत्येक राज्य में बिजली की व्यवस्था में सुधार करने के लिये निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं बल्कि बिजली के सम्भरण के बन्द होने की घटनाओं को कम से कम किया जा सके ।

Schemes for Supply of Drinking water in States

1079. **Shri Valmiki Chaudhari** : Will the Minister of Health, Family Planning and Urban Development be pleased to state :

(a) the percentage of people who have not been provided with the facility of drinking water in each of the States and Centrally Administered Territories ;

(b) the steps proposed to be taken in this direction under the Fourth Five Year Plan and the details of the schemes formulated for solving this problem ; and

(c) the amount of expenditure to be incurred in each of the States and Centrally Administered Territories for the said scheme under the Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) In the country as a whole about 50% of the rural population living in easy areas, about 96.7% rural population living in difficult and scarcity

areas and about 40% of the urban population have not yet been provided with safe drinking water. The information is not available separately for each State and Uuion Territory.

(b) The Fourth Five Year Plan has not yet been finalised.

(a) The question does not arise.

नकली धूप चश्मों के विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये विधान

1080. डा० कर्ण सिंह : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री 11 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3590 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जनता को नकली धूप-चश्मों के विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये विधान प्रस्तुत करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : सोचा यह गया कि धूप के चश्मों की बिक्री मौजूदा कानूनों के अन्तर्गत ही विनियमित कर दी जाये ।

हिसार-खेतरी-जयपुर ट्रांसमीशन लाइन

1081. डा० कर्ण सिंह : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री 18 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4172 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 220 किलोवाट हिसार-खेतरी-जयपुर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण इस बीच पूरा हो गया है और यह लाइन चालू है ; और

(ख) यदि नहीं तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख): मुख्यतः बुर्ज (टावर) के लिए अपेक्षित सामग्री देरी से प्राप्त होने के कारण ही 220 के० वी० हिसार-खेतरी-जयपुर पारेषण पथ को, जैसे कि पहले सोचा गया था, जून, 1968 तक पूरा नहीं किया जा सका है । इस पथ का हिसार-खेतरी खंड अक्तूबर, 1968 में पूरा हो चुका है । खेतरी और जयपुर के बीच के पथ के जनवरी, 1969 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है । इस पथ को तब ऊर्जित किया जाएगा जब लुधियाना और संगरूर के रास्ते भाखड़ा से हिसार तक का 220 के० वी० पथ पूर्ण हो जाएगा । इस पथ के भी जनवरी, 1969 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

Industrial Estates in U. P.

1082. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3641 on the 12th August, 1968 and state :

(a) the number of persons being benefited by the Badaun Industrial Estate ;

(b) the time likely to be taken in completing the Industrial Estates at Ghazipur and Gonda and the amount of expenditure incurred so far on the aforesaid work ; and

(c) the time by which the construction of Industrial Estate at Ballia and Rai Bareilly would be undertaken ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt) Phulrenu Guha) : (a) No shed in the Badaun Industrial Estate has been allotted to any private entrepreneur so far. Fourteen persons are likely to benefit when the allotments are made.

(b) Ghazipur and Gonda Industrial Estates are likely to be completed by the end of the financial year 1 69-70. An estimated expenditure of Rs. 2.00 lakhs has been incurred on the Industrial Estate at Gonda and Rs. 1.00 lakh on the Industrial Estate at Ghazipur.

(c) The construction of Industrial Estate at Ballia has been deferred as a result of a legal dispute over the acquisition of lands. Acquisition of lands for the Industrial Estate at Rai Bareli hss not yet been finalised.

Audit of Accounts of District Board of Uttar Pradesh

1083. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Health, Family Planning and Uaban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2672 on the 5th August, 1968 and state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh have got the accounts of Zila Parishads of Faizabad, Bara banki, Basti and Gonda audited by the Audit units ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether the audit report in respect of the accounts of the Zila Parishad, Sultanpur has since been received from the State Government Examiner, Local Fund Accounts, Allahabad ;

(d) if so, the details thereof ; and

(e) the time by which the accounts of the Zila Parishads of the other remaining districtsts of Uttar Pradesh are likely to be audited ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a), (b),(c), (d) and (e): The information is being collected from the State Government and will be laid on the table of the Sabha as soon as received.

Scheduled Castes/Ttibes Employees

1084. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5744 on the 26th August, 1968 and state :

(a) whether the information regarding Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Minisrty of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) Full information is not yet available. All efforts are being made to collect and compile full information and it will be placed on the Table of the House in fulfilment of the Assurance against Unstarred Question No. 5744 as soon as the information is complete.

(b) Does not arise at this stage.

(c) Question No. 5744 referred also to "Other Backward Classes" besides Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Information regarding employees belonging to "Other Backward Classes" is not available and would have to be collected by enquiry from each individual employee. Collection of this information would, therefore, take considerable time. The Ministry of Home Affairs have clarified that the Government of India have not recognised any classes other than the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as Backward Classes for the purpose of reservation in services. Information is therefore being collected from Scheduled Castes/Tribes only.

(ii) The offices like Central Public Works Department and Chief Controller of Printing and Stationery have subordinate units under them in all parts of the country. They are, therefore, unable to furnish complete information until replies from all these units are received.

Allocation of Resources for Fourth Plan

1085. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3509 on the 12th August, 1968 and state

(a) whether the work regarding the allocation of internal and external resources for the Fourth Five Year Plan has been completed ;

(c) if so, the details thereof ; and

(c) if not. the reasons for the delay ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Planning Commission is holding discussions with State Governments. The final picture will emerge only after these discussions with all the State Governments are over and the National Development Council has given its approval to the Planning Commission's assessment of internal and external resources for the Fourth Plan.

Rural Electrification during Gandhi Centenary Celebration Year

1086. Shri D. S. Patil : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether 30,0..0 are villages proposed to be electrified in the country during the Gandhi Centenary Celebration year ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) : The Committee of Members of Parliament on Rural Electrification have recommended additional financial assistance to enable electrification of about 24,400 villages by the end of Gandhiji Centenary Year, i. e. by 2nd October, 1970.

This estimate has been worked out on the basis that by the end of March, 1969, the number of villages electrified is expected to be 65,' 00 leaving 35,000 villages to be electrified for the achievement of target of electrification of one lakh villages by 2nd October, 1970. About 10,600 villages are expected to be covered by the normal programme of rural electrification up to 2nd October, 1970, i. e. by implementation of schemes

with a bias towards energisation of pumpsets. Additional financial assistance would. therefore, require to be provided for electrification of 24,400 villages by 2nd October 1970.

Rihandiobar Projects in U. P.

1087. Shri Raghuvir Singh Shashtri : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a crisis is likely to occur in the matter of power supply position in Uttar Pradesh due to failure to produce power of the requisite quantity from the Rihand-Obara Projects ;

(b) if so, the causes of slow progress in the aforesaid projects ; and

(c) the action Government propose to take in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheshwar Prasad) : (a) There is likely to be some power shortage in Uttar Pradesh during 1968 69. caused by (i) deficient rainfall resulting in lower energy potential at Rihand hydro power Station and (ii) difficulties in the operation of new thermal stations at Obra, Harduagani & Panki at high plant factors.

(b) The Rihand project was completed during the Third Plan period. The 100 MW Obra hyde-station is expected to be completed by 1969-70 as per schedule. However, in the case of 250 MW Obra thermal station where three units of 50 MW each have been installed, there has been some delay in commissioning of the last two units. These two units are now expected to be commissioned in June 1969 and December 1969 respectively.

(c) The power supply position in the Northern Region during 1968-69 was reviewed by the Ministry of Irrigation & Power with the State authorities concerned, in a meeting held on 14.10.68 when the following measures were decided upon to mitigate the power shortage anticipated in Uttar Pradesh :—

(i) Efforts be made to operate the thermal power stations at Obra. Harduaganj and Panki at high plant factors.

(ii) The Rihand reservoir be drawn down to a level of 800 ft. as was done last year.

(iii) Construction of the 132 kV transmission line from Amarkantak to Morwa in Madhya Pradesh be expedited to enable Uttar Pradesh to utilise surplus power available in Madhya Pradesh.

Changing of Financial Year

1088 **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri P. N Solanki :
Shri D. N. Deb :
Shri Gadilingana Gowd :
Shri R. K. Amin :
Shri Sita Ram Kesri :
Shri R. K. Sinha :
Shri Hem Raj :
Shri Yashwant Singh Kushwah :
Shri Basumatari :
Shri Y. A. Prasad :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have received several representations in regard to the change in the period of the existing financial year ;

(b) the reaction of various State Governments in this regard ; and
(c) decision taken in the matter ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Suggestions for a change in the financial year have been received frome time to time.

(b) The Study Team of the Admini trative Reforms Commission on Financial Administration, which had ascertained the views of the State Governments, has indicated in its Report that there is no unanimity in the views of the State Governments in regard to the commencement of the financial year.

(c) The question is presently under the condsideration of Government with reference to the recommendation of the Administrative Reforms Commission in its Report on Finance, Accounts and Audit.

आन्ध्र प्रदेश में स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां

1089. श्री मि० सू० मूर्ति : क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं; और

(ख) यदि कोई छात्रवृतियां नहीं दी गई थीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) पिछले तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश में चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा आदि में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए केन्द्रीय सरकार ने जिन छात्रों को छात्रवृतियां दी हैं उनकी संख्या इस प्रकार हैं :—

1965–66	65
1966–67	43
1967–68	55

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

खनिज अयस्कों पर निर्यात शुल्क

1090. श्री सीताराम केसरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(के) क्या सरकार ने खनिज अयस्कों पर निर्यात शुल्क कम करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण राजस्व में कितनी कमी होगी ; और

(ग) कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत सरकार ने 31 अगस्त, 1968 की अधिसूचना संख्या 126-सीमाशुल्क द्वारा, [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये

संख्या एल० टी 2152/68] कच्चे लोहे के ढेलों की कुछ किस्मों पर निर्यात शुल्क की दरें 31 अगस्त, 1968 से घटा दी हैं ।

(ख) निर्यात शुल्क में कमी किये जाने के कारण बजट में इस सम्बन्ध में दिये गये अनुमानों में कोई कमी होने की सम्भावना नहीं हैं क्योंकि आशा है कि वर्तमान वर्ष में कच्चे लोहे का अधिक मात्रा में निर्यात होगा ।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

बैंकिंग आयोग

1091. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग आयोग स्थापित करने का कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निर्देश-पद क्या हैं और उसके सदस्य कौन-कौन हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) आयोग के सदस्यों और उसके विस्तृत विचारणीय विषयों के बारे में अभी अन्तिम फैसला नहीं किया गया है ।

चौथी योजना में घाटे की अर्थ व्यवस्था

1092. **श्री लोबो प्रभु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आय-व्ययक में घाटे की अर्थ व्यवस्था के उपबन्ध के बावजूद सामान्य मूल्य सूचनांक कम हो गया है, योजना आयोग ने चतुर्थ योजना को बढ़ाने के लिये घाटे की अर्थ व्यवस्था की सम्भावनाओं पर विचार किया है ; और

(ख) यदि घाटे की अर्थ व्यवस्था से मुद्रास्फीति न हो तो क्या सीमा के अन्दर इससे लाभ उठाया जा सकता है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) । चौथी पंचवर्षीय आयोजना कितनी बड़ी हो, उसमें क्या-क्या काम शामिल किये जांय और उसके लिए वित्त-व्यवस्था किस तरह की जाय, इस सम्बन्ध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है । कुछ ही परिस्थितियों में, घाटे की वित्त-व्यवस्था, साधन जुटाने के उपाय के रूप में उचित हो सकती है । घाटे की वित्त-व्यवस्था का सहारा किस हद तक लिया जा सकता है, इस सम्बन्ध में विभिन्न मत हो सकते हैं और इसका निर्णय वर्तमान आर्थिक स्थिति तथा आर्थिक विकास की आवश्यकता के अनुमान के आधार पर ही किया जा सकता है ।

चुनीदा उद्योगों पर कर-प्रमाण पत्रों का दिया जाना

1093. श्री लोबो प्रभु : क्या **वित्त** मन्त्री 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6118 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे चुनीदा उद्योग कौन से हैं जिनको उत्पादन वृद्धि के कारण प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं ;

(ख) पिछले वर्ष उद्योगवार कितने मूल्य के कर-प्रमाणपत्र दिये गये ;

(ग) सभी उद्योगों को कर प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिये जाते, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि होने पर चाहे उसकी गति कम ही क्यों न हो एक ओर तो जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और दूसरी ओर सरकार की आय भी बढ़ेगी ; और

(ग) क्या सरकार ने प्रमाण पत्रों में करों की छूट की दर बढ़ाने का विचार किया है, यदि पहले ही दी गई छूट पूर्णत: प्रभावी सिद्ध नहीं हुई ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ; (क) विशेष उद्योग वे हैं जो (i) सीमेंट (ii) अखबारी कागज़ (iii) कास्टिक सोडा (iv) सोडा राख (v) अखबारी कागज तथा गत्ते से भिन्न कागज़ (vi) एल्युमीनियम की सीलें बनाते हैं।

(ख) 1967-68 में जारी किये गये कर-प्रमाण पत्रों की उद्योगवार कुल रकम नीचे दिये अनुसार है :—

उद्योग का नाम	जारी किये गये कर-प्रमाण पत्रों की रकम रुपये
(1) सीमेंट	85,33,674
(2) अखबारी कागज़	3,399
(3) कास्टिक सोडा	3,57,599
(4) सोडा-राख	2,35,693
(5) अखबारी कागज तथा गत्ते से भिन्न	20,45,914
(6) एल्युमीनियम की सिलें	कुछ नहीं (इस उद्योग पर कर जमा योजना 24 जुलाई 1967 से लागू की गई थी)।

(ग) तथा (घ) : यह योजना केवल उन्हीं उद्योगों पर लागू की गयीं जिन्हें इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता थी। सहायता पाने योग्य सभी उद्योगों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद ही ऐसा किया गया है। सभी संबंधित बातों को ध्यान में रखकर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 280 जेड डी के उपबन्धों के अनुसार जिन दरों पर 'कर की जमा' दी जानी चाहिये, उनका भी निर्धारण किया गया तथा निश्चित की गई दरों में वृद्धि करना सरकार ने आवश्यक नहीं समझा है।

साऊथ कनारा में पाइपों द्वारा जल की सप्लाई करने की योजनाओं के लिये राज सहायता

1094. श्री लोबो प्रभु : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचायतों को पाइपों द्वारा जल देने की उन योजनाओं की सख्या तथा लागत कितनी है जो साऊथ कनारा जिले में इस समय अधिकारियों के विचाराधीन है ;

(ख) राज्य सरकार के पास धन के अभाव के कारण कितनी योजनायें अनिर्णित पड़ी हैं ; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में इस जिले में सबसे अधिक फाइलेरिया का रोग फैलता है, केन्द्रीय सरकार इन अनिर्णित पड़ी योजनाओं के लिये अनुदान तथा ऋण उपलब्ध करेगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री ((श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना मैसूर सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) "फाइलेरिया वाले क्षेत्रों" के लिए सहायता का कोई पृथक स्वरूप नहीं है, राज्य सरकार जैसा वे आवश्यक समझें राज्य योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दे सकते हैं :

जलपूर्ति योजनाओं को चलाना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, उन्हें इसके लिए खर्च की व्यवस्था अपने ही बजट में करनी होती है और केन्द्रीय सहायता देने का जो सामान्य नियम है उसके अनुसार वे केन्द्रीय सहायता मांग सकते हैं ।

राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित नियम के अनुसार दी जाती है :--

1.	नगर जलपूर्ति योजनाएं	100 प्रतिशत ऋण के रूप में ।
2.	ग्राम जलपूर्ति योजनाएं (इनमें 1961 की जनगणना के अनुसार 20,000 की आबादी वाले क्षेत्र तथा छोटे कस्बे सम्मिलित हैं ।	50 प्रतिशत सहायतानुदान के रूप में ।

दिल्ली/नई दिल्ली के पोलीटैक्निकों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना

1095. श्री शारदानन्द :
श्री ओंकार सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री तुकाराम गेविट :

क्या समाज कल्याण मन्त्री 23 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5446 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में छात्रवृत्तियां देने के लिये दिल्ली/नई दिल्ली के पोलीटेक्निकों को (संस्थावार) के विद्यार्थियों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को भेजे गये ; और

(ख) प्रत्येक वर्ष में संस्थावार उन्हें प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी छात्रवृतियां दी गई ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी विवरण पत्र में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2153/68**]

नर्मदा नदी का जल विवाद

1096. श्री पें वेंकटासुब्बया : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और गुजरात के मुख्य मंत्रियों ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की थी कि नर्मदा नदी जल विवाद को मध्यस्थ-निर्णय के लिए सौंप दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केवल गुजरात सरकार ने ही केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि अन्तर्राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन, नर्मदा नदी जल विवाद को मध्यस्थ निर्णय के लिए सौंप दिया जाए।

(ख) इस समस्या को बातचीत द्वारा हल करने के लिए प्रयास किया जाता रहेगा।

खम्भात की खाड़ी में तेल की खोज के लिये खुदाई कार्यक्रम

1097. श्री हेम बरुआ :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने खम्भात की खाड़ी में तेल प्राप्ति हेतु गहन ड्रिलिंग के एक कार्यक्रम के बारे में निर्णय किया है। ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) पहले कदम पर, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, 1969 के शुरु में अलियाबेट द्वीप के पास एक अतटीय संरचना पर व्यधन करेगा। अन्य उथलाजल संरचनाओं पर उठाये जाने वाली आगामी कदमों का निर्णय, उक्त प्रारम्भिक प्रयत्न के परिणाम पर निर्भर होगा।

आंध्र प्रदेश में उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव

1098. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने एक अमरीकी फर्म के सहयोग से एक उर्वरक कारखाना चालू करने का प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां। किन्तु एक अमरीकी फर्म का प्रस्ताव, जिसका आंध्र प्रदेश सरकार ने समर्थन किया है, प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रस्ताव में विशाखापतनम में एक उर्वरक कारखाने का तीन चरणों में स्थापित किया जाना निहित है। तीसरे चरण में, परियोजना की क्षमता 140,000 मीटरी टन नाइट्रोजन और सम्मिश्र उर्वरकों के रूप में 140,000 मीटरी टन पी 2 ओ 5 हो जायेगी।

सरकार ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है और पार्टी को एक आशय पत्र भेज दिया गया है।

नेपथा का निर्यात

1099. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपथा का निर्यात कम होता जा रहा है।

(ख) क्या यह भी सच है कि 1970 तक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी कि भारत को नेपथा का आयात करना पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उर्वरक कारखानों को देशी कच्चे माल पर आधारित करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां, जनवरी से सितम्बर, 1968 की अवधि के दौरान के निर्यात के आंकड़ों की पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान के निर्यात के आंकड़ों से तुलना करने से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

(ख) इसके 1971 के बाद होने की आशा है।

(ग) जी हां। जहां तक ऐसा तकनीकी-आर्थिक बातों को ध्यान में रखते हुए संभव एवं न्यायसंगत होगा।

आपातकाल जोखिम (वस्तु) बीमा योजना

1101. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपात जोखिम (वस्तु) बीमा योजना के अन्तर्गत आपातकाल समाप्त होने की तारीख तक के प्रीमियम की 16 करोड़ 36 लाख रुपये की बकाया बहुत बड़ी राशि अभी वसूल करनी शेष है, उसे वसूल करने के लिये क्या कारगर कार्यवाही की गई है ताकि सरकार को हानि न हो ;

(ख) क्या सरकार का विचार समय पर प्रीमियम न देने वालों को भारी अर्थदण्ड देने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 16.36 करोड़ रुपये की रकम उन किस्तों की हैं जो 1 जनवरी, 1963 से 31 मार्च, 1968 तक स्वेच्छा से तथा निदेशालय के प्रवर्तन प्रयत्नों से वसूल हुई है। उक्त योजना के अन्तर्गत अब भी बकाया रही रकम को चूक-कर्ताओं से वसूल करने के लिये, कुछ उपाय किये जा रहे हैं, जिनमें नये प्रवर्तन केन्द्र खोलना, वर्तमान केन्द्रों की कर्मचारी शक्ति में वृद्धि करना, माल संस्थाओं की घर-घर जांच को तेज करना आदि भी शामिल है।

(ख) इरादतन अदायगी टालने के मामलों में मई 1966 से किस्त की बकाया रकमों के 50 प्रतिशत की दर से पारस्परिक समझौते से निश्चित शुल्क लगाया जा रहा है जो अधिकतम 1 लाख रुपये तक हो सकता है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

रंग तथा रसायन उद्योग

1102. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रंग तथा रसायन उद्योगों द्वारा देश में बनाये जा रहे कुछ मध्यस्थ पदार्थ आयातित मध्यस्थ पदार्थों से महंगे हैं ?

(ख) यदि हां, तो ऐसे मध्यस्थ पदार्थों के नाम क्या हैं, देश में उनका कितना उत्पादन होता है और उनकी कुल मांग क्या है तथा प्रतिवर्ष कितनी मात्रा की जाती है ?

(ग) उनका आयात करने के क्या कारण हैं जबकि आयात देशी उद्योग के विकास के लिये हानिकारक हैं ; और

(घ) यह आयात कब तक जारी रहेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना वाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2154/68]

(ग) क्योंकि देश में रंग-निर्माताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देशीय उत्पादन अपर्याप्त है, इसलिए आयात अपरिहार्य है। किन्तु देशीय मध्यस्थ पदार्थ निर्माताओं

के हितों का बचाव किया जाता है क्योंकि इस उद्योग पर एक टैरिफ संरक्षण है और मध्यस्थ पदार्थों पर आयात-शुल्क यथासम्भव बढ़ाये गये हैं।

(घ) आयात उस समय तक जारी रहेगा जब तक देशीय उत्पादन देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी न हो।

कृषि के लिये ऋण सुविधायें

1103. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकों की प्रवृत्ति तथा प्रगति पर हाल में दी गई रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया था कि मंद गति वाली अर्थ व्यवस्था को सक्रिय बनाने के लिए ऋण नीति को आश्यकतानुसार गतिशील बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऋण नीति को उपर्युक्त काम के लिये गतिशील बनाने हेतु क्या विशिष्ट उपाय किये गये हैं ; और

(ग) मंदी से प्रभावित उद्योगों को पर्याप्त ऋण सुविधा देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : अगस्त 1967 से रिजर्व बैंक ने उदारतापूर्वक ऋण देने के बहुत से कदम उठाये हैं ताकि मन्दी से ग्रस्त उद्योगों को बढावा मिले। जो कदम उठाये गये हैं उनमें एक यह है कि जो वाणिज्यिक बैंक प्राथमिकता-प्राप्त विभिन्न क्षेत्रों को ऋण देते हैं, उन्हें रियायती दरों पर उन ऋणों के बराबर की रकम देने की व्यवस्था की गयी है। शुरु में उन अग्रिमों की शर्तों को उदार बनाया गया, जो बैंकों द्वारा, देशी इंजीनियरी उद्योगों को खास तौर से ऐसे उद्योगों को, जो निर्यात-योग्य माल तैयार कर सकते हैं, दिये जाते है, और बाद में सभी तरह के बैंकिंग ऋणों और लदान के बाद दिये जाने वाले ऋणों, खेती के काम की चीजों (रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों) अनाज की प्राप्ति और उसके वितरण के लिये तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों की शर्तें भी इसी तरह से उदार कर दी गयीं। अर्थ-व्यवस्था में उत्पन्न हुई मन्दी की प्रवृत्तियों को और अधिक ठीक करने के लिए, रिजर्व बैंक ने 2 मार्च 1968 को अपनी बैंक-दर 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी और उसके साथ ही वाणिज्यिक बैंकों की ऋण देने की दरों में भी सामूहिक रूप से कमी हो गयी। हाल ही में रिजर्व बैंक ने फैसला किया है कि वाणिज्यिक बैंकों की जमा रकम के 6 प्रतिशत के सामान्य निर्धारित अनुपात के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों के मीयादी ऋणों का हिसाब लगाते समय ये रकमें शामिल नहीं की जायेंगी ऋण गारन्टी योजना के अन्तर्गत आने वाले छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये जाने वाले, दरमियानी और लम्बी अवधि के ऋण, बैंकों द्वारा की जाने वाली दरमियानी अवधि की निर्यात सम्बन्धी वित्त-व्यवस्था और उन उद्योगों को दिये गये, दरमियानी और लम्बी अवधि के ऐसे अग्रिम जिनके बराबर की रकम, ऋण देने वाले बैंकों ने औद्योगिक विकास बैंक से पुनः प्राप्त कर ली हो। जहां तक 1968-69 के अधिक कामकाज के मौसम का सम्बन्ध है, जो अक्टूबर 1968 के समाप्त होने पर शुरू हुआ, रिजर्व

बैंक ने यह फैसला किया है कि ऋण-सम्बन्धी उस उदार नीति में कोई परिवर्तन न किया जाय, जो अधिक कामकाज के पिछले मौसम से लागू है।

मिदनापुर के लिए नियन्त्रण योजनायें

1105. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में बाढ़ नियन्त्रण के लिए कुछ योजनाओं को हाल में मन्जूरी दी है जिन पर लगभग 16 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है ;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है तथा वे कब तक पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : राज्य सरकार ने मिदनापुर जिले में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बाढ़ संरक्षण और जल-निकास कार्यों की शीघ्र कार्यान्विति का प्रस्ताव किया है :—

	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
दूवदा बेसिन जल-निकास स्कीम	199.08
कंटाई बेसिन जल निकास स्कीम	47.83
बड़ाचौका बेसिन जल निकास स्कीम	28.87
सुवर्ण-रेखा तटबंध	123.00
कालीध्य तथा उसकी सहायक नदियों का पुनरुज्जीवन	199.00

दूवदा और कंटाई स्कीमों की रिपोर्ट केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में पहुंच गई हैं और इन स्कीमों के लिये राज्य बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की स्वीकृति मिल जाने पर योजना आयोग के विचार के लिये आगे कार्यवाही की जाएगी।

अन्य स्कीमों की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि वे बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम का पुनरावलोकन करें और यह बताएं कि चालू वर्ष में प्राथमिकता वाले कार्यों के लिये कितने अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ेगी।

Enhancement of rates of Electricity in Bihar

1106. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he had directed the officers of Electricity Board in Bihar to fix the rates of electricity at 12 paise per unit at a meeting of Members of Parliament from Bihar in Delhi in August, 1968;

(b) whether it is also a fact that the Electricity Board of Bihar has announced the maximum rate of electricity at 15 paise per unit in October, 1968,.

(c) the reaction of Government thereto; and

(d) the steps proposed to be taken by Government with a view to reduce the rate of electricity to 12 paise per unit ?

The Deptuy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) At the meeting of the Members of Parliament from Bihar in Delhi in August, 1968, the attention of officers of the Bihar State Electrieity Board was drawn to the subsidy scheme of the Government of India which was introduced from 1966-67. According to this scheme, the rate of 12 Paise per unit was considered as the ceiling rate for power supply for agriculture and the Government of India agreed to bear 50% of the subsidy involved in bringing down rates in excess of 12 paise per unit, the remaining 50% being borne by the State Government

(b) to (d) : Before October, 1968. the average rate of power supply for agriculture in Bihar was about 17.34 paise per unit, inclusive of a fixed charge of Rs. 6 per H. P. per month. The Bihar State Electricity Board in October, 1968, revised the tariff for agri cultural suppy with effect from lst November, 1968, abolishing the fixed charge. The average tariff for agricultural supply is now about 15 paise per unit. Because of the constraint of resources, the State Government feels it difficult to meet its share of subsidy involved in reduction of the tariff for agricultural supply below the average rate of 15 paise per unit.

Master Plan for Patna City

1107. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Patna Improvement Trust has prepared a Master Plan for the development of Patna City;

(b) if so, the outline thereof;

(c) the number of years likely to be taken in the implementation of the said Plan; and

(d) the total amount proposed to be spent thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) The Master Plan contains proposals for devlopment of Patna and deals with population growth; housing; education; health facilities; civic; cultural and recreational factilities; traffic and transportation problems including the development of a major road system; and water supply, sewerage and storm water drainage; to cater the needs of an anticipated population of six lakhs by 1981.

(c) The Master Plan proposals have been worked out on the basis of a twenty year phased implementation.

(d) This information is not indicated in the Plan.

घाटे की अर्थ व्यवस्था

1108. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके साथ हुई एक बैठक में कुछ राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने सुझाव दिया है कि सिंचाई और कृषि परियोजनाओं को उचित पूर्ववर्तिता देने के लिये केन्द्र को और अधिक घाटे की अर्थ व्यवस्था का सहारा लेना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सम्भवतः यह प्रश्न कांग्रेस पार्टी की एक बैठक से सम्बन्धित कुछ अखबारी खबरों पर आधारित है। कुछ भी हो, यह बैठक गैर-सरकारी थी। घाटे की वित्त व्यवस्था किस हद तक की जानी चाहिए ; इस विषय में सरकार की यह राय है कि यह समय समय पर विद्यमान रहने वाली कुल आर्थिक स्थिति पर निर्भर होगा ।

विदेशी पूंजी विनियोजक

1109. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पूंजी निवेश केन्द्र ने सरकार को वर्ष 1967–68 में भारत में विदेशी पूंजी विनियोजकों द्वारा अनुभव की जा रही विभिन्न कठिनाइयों और समस्याओं के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन दिया है, यदि हां, तो यह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया तथा इसका ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या सरकार द्वारा इस पर विचार कर लिया गया है, और यदि हां, तो विदेशी पूंजी विनियोजकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार को इसी प्रकार की रिपोर्ट अथवा सुझाव किसी अन्य विश्वासनीय स्रोत से भी प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) शायद माननीय सदस्य, भारतीय निवेश केन्द्र के न्यूयार्क स्थित कार्यालय द्वारा, मई से अक्टूबर, 1967 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के निगमों के सम्बन्ध में किए गए उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे हैं जो यह जानने के लिए किया गया था कि उक्त निगमों को भारत में अपने उपक्रमों की स्थापना के सम्बन्ध में जांच पड़ताल करने बातचीत करने, निर्माण करने और उनका संचालन करने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस रिपोर्ट की एक प्रति वित्त मन्त्रालय को जून, 1968 में मिली थी। इस रिपोर्ट में, भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा जारी किए गए एक प्रश्न–पत्र के संयुक्त राज्य अमेरिका के 95 निगमों द्वारा दिए गए उत्तर शामिल हैं और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न वर्गों के निवेशकों को भारत में किए गए निवेशकों के सम्बन्ध में जो अनुभव प्राप्त हुए उनके आधार पर उनके विचार और सुझाव दिये गये हैं। इन विचारों के विश्लेषण से पता चलता है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो भारत में पूंजी लगाने के अनुकूल समझी जाती हैं, जैसे विस्तृत और उत्तरोत्तर वृद्धिशील बाजार, लाभ के प्रेषण तथा

पूंजी के स्वदेश प्रत्यावर्तन के मामले में भारत का प्रशंसनीय आचारण, भारतीय साझेदारी की योग्यता, और भारत की आर्थिक तथा राजनीति स्थिरता। सर्वेक्षण से बहुत सी ऐसी बातों का भी पता चलता है, जो निगमों के विचार में, भारत में किये जाने वाले निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। उनमें ये बातें शामिल हैं- कार्य प्रणालियों के कारण होने वाला विलम्ब, सरकारी नीतियों तथा शर्तों की अनिश्चितता, भारतीय स्वामित्व तथा नियन्त्रण के लिए आग्रह विदेशी सहयोग के करारों की अवधि, निर्यात के बारे में शर्तें, नियन्त्रण, सरकारी क्षेत्र की स्थिति, और करों का ज्यादा बोझ। निगमों में निवेश सम्बन्धी वातावरण सुधारने के लिये भी कुछ सुझाव दिये हैं ;

(ख) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा

1110. डा० अ० ग० सोनार : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय-विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल में हुए राज्य मन्त्रियों के सम्मेलन में इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। इस सेवा का नाम भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा है।

(ख)और(ग) : बम्बई में हाल ही में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की बैठक में इस मद पर विचार-विमर्श नहीं किया गया।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम

1111. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या निर्माण आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण, निगम बिलों का शीघ्र भुगतान किए जाने पर छूट देने के लिये सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था के लागू किये जाने से अब तक कितनी छूट दी गई है; और

(ग) क्या इस व्यवस्था के क्रियान्वित करने से अपेक्षित परिणाम निकले हैं ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) छूट (रिबेट) के लिए इस प्रकार की शर्त लगा कर, ऐसे अनुबन्ध के लिए ग्राहकों की अनिच्छा के कारण, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के द्वारा कोई भी अनुबन्ध नहीं किया जा सकता ।

इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटर

1112. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटर यह पता लगाने के लिये काफी हद तक सहायक सिद्ध हो सकते हैं कि बिजली कहां-कहां खराब हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न बड़े बिजली घरों में इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटर लगाने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटरों को बिजली प्रणालियों में खराबियां ढूंढने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता ये वृहत तथा आपस में जुड़ी प्रणालियों में वाष्प संयंत्रों के स्वतः चालान और भार प्रेषण के लिए केवल उन देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी उन्नत हों ।

(ख) और (ग) : अपने देश की बिजली प्रणालियों में इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटरों को लगाने पर तब विचार किया जाएगा जब ये प्रणालियां काफी बड़ी और जटिल हो जाएंगी । इस समय तो केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग इन्हें केवल बिजली प्रणालियों से सम्बन्धित अध्ययन करने के लिए ही काम में ला रहा है ।

दिल्ली में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिये आकस्मिकी निरीक्षण

1113. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में 1967 के बाद खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए आकस्मिक निरीक्षण कम कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) 1966 से कितनी बार आकस्मिक निरीक्षण किया गया और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गए; और

(घ) उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : सूचना इस प्रकार है :

(1)

वर्ष	आकस्मिक निरीक्षण के समय लिये गये नमूनों की संख्या
1966	3653
1967	3117
1968 (30 सितम्बर, 1968 तक)	2915

(2) कोई गिरफ्तारी नहीं की गई ।

अपमिश्रण करने वाले सभी अपराधियों के विरुद्ध अभियोग चलाये गये और दोषी व्यक्तियों को विभिन्न अवधि की सजाएं दी गई तथा जुर्माने किए गए ।

दिल्ली के होटलों तथा जलपान गृहों में खाद्य पदार्थों में मिलावट

1114. श्री गाडिलिगन गौड : क्या **स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 के बाद दिल्ली में किये गये आकस्मिक निरीक्षणों के परिणामस्वरुप किन-किन होटलों तथा जलपान गृहों में खाद्य पदार्थों में मिलावट किये जाने का पता लगाया गया है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि होटलों तथा जलपान गृहों में की जाने वाली मिलावट को कम करने के लिये सरकार का विभिन्न उपाय करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० पू० मूर्ति) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) और (घ) : दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण निवारण के लिए निम्नलिखित कदम पहले ही उठाये जा चुके हैं:—

1. दिल्ली नगर निगम ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन नमूने लेने के लिये आठ पूर्णकालिक खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति कर दी है । इसके अलावा दिल्ली में सभी सफाई निरीक्षकों को इस अधिनियम के अधीन खाद्य निरीक्षक के रूप में कार्य करने की शक्तियां भी दे दी गई हैं ।

2. दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण निवारण संबंधित गतिविधियों को विशेष रूप से क्रियान्वित करने तथा उनमें ताल-मेल बैठाने के लिए दिल्ली नगर निगम ने एक सहायक स्वास्थ्य अधिकारी को नियुक्त कर दिया है । दिल्ली नगर निगम के सभी उप स्वास्थ्य अधिकारियों, सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों तथा मुख्य सफाई निरी-

क्षकों को खाद्य निरीक्षकों की शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार दे दिया गया है।

3. दिल्ली नगर निगम ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन अदालतों में चलने वाले मुकदमों की पैरवी के लिए एक म्युनिसिपल प्रासीक्यूटर और एक सहायक प्रासीक्यूटर पृथक से लगा दिये हैं।

4. दिल्ली नगर निगम की खाद्य प्रयोगशाला में इस समस्या के निबटान के लिए पर्याप्त साज-सामान और स्टाफ लगा दिया गया हैं।

5. नई दिल्ली नगरपालिका ने खाद्य अपमिश्रण के निरीक्षण के लिए खाद्य निरीक्षकों का एक स्क्वाड अलग से नियुक्त किया है।

6. बार बार छापे मारे जाते हैं।

7 बिना ढके अस्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों की बिक्री पर कड़ी निगाह रखी जा रही है।

8. केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा दिल्ली प्रशासन इस कार्य से सम्बन्धित गतिविधियों की जांच पड़ताल तथा समन्वय करते हैं।

आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति

1115. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० डी० साठे की अध्यक्षता में बनाये गये केन्द्रीय अध्ययन दल ने सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये आवश्यक व्यय का अनुमान लगाने तथा केन्द्रीय सरकार को उसकी रिपोर्ट देने के उद्देश्य से सितम्बर, 1968 में आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न स्थानों का दौरा किया था;

(ख) क्या उपर्युक्त दल ने केन्द्रीय सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) दल की रिपोर्ट का सारांश सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2155/68]**।

दल की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सहायता देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1968-69 में सूखा सहायता सम्बन्धी कार्यों पर किए जाने वाले खर्च की अधिकतम सीमा में संशोधन कर के 13.55 करोड़ रुपए तक के खर्च की सीमा अपनाने का फैसला किया है।

Facilities to Gond Community of Bihar

1116. Shri Deorao Patil : Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that "Gond" community is included in the list of the Scheduled Tribes which is applicable to the entire Bihar State;

(b) whether the Government of Bihar have stopped giving facilities such as scholarships, employment, etc. , to the people of "Gond" community, which they used to enjoy previously along with the Adivasis vide Welfare Department Circular No. A. C. 109 K. Serial No. 7237 dated the 30th August, 1968; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (stm.)Phulrenu Guha) (a) Yes.

(b) and (c) : There is a caste "Gonr" some of whose members were misrepresenting themselves as Gonds in order to obtain benefits admissible to the Scheduled Tribes. The State Government have issued instructions that "Gonr" are not Gonds.

Investment Policy of L. I. C.

1117. Shri D. S. Patil :
Shri N. K. Sanghi :
Shri R. R. Singh Deo :
Shri Ram Chandra Verappa :
Shri Y. A. Prasad :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the Administrative Reforms Commission has suggested a modification in the investment policy of the Life Insurance Corporation;

(b) if so. the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a), (b) and (c) : A Working Group of Life Insurance Administration set up by the Administrative Reforms Commission has recently submitted its report to the Commission This report, inter-alia, contains certain recommendations in regard to the investment policy of the LIC. The recommendations made by the Working Group are for the Administrative Reforms Commission to consider. The Administrative Reforms Commission has yet to submit its recommendations on the subject to the Government. The question of any action being taken by the Government does not arise at this stage.

कम्पनियों की पूंजी पर कर

1118. श्री रा० कृ० सिंह :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतलिंगम समिति ने कम्पनियों की पूंजी पर कर लगाने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या सरकार को भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल से कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें इस कर का विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) कर-व्यवस्था के युक्तिकरण तथा सरलीकरण पर श्री भूतलिंगम-द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट से दी गई सिफारिशों पर सरकार ने व्यापार मंडलों आदि से सम्मति मांगी थी । भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के महासंघ ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें श्री भूतलिंगम की सिफारिशों पर, उक्त संघ की समिति का अभिमत निहित है । भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के महासंघ की समिति ने कम्पनियों की पूंजी पर कर लगाये जाने की सिफारिश से असहमति व्यक्त की है ।

(ग) श्री एस० भूतलिंगम द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर तथा और विभिन्न प्रतिनिधि-संस्थाओं तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के महासंघ की सम्मतियों पर विचार किया जा रहा है ।

Shri Nijalingappa's Tour of Japan

1119. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Nijalingappa had requested the Government that some Public Relations Officer of a private company should be permitted to accompany him on his last tour to Japan;

(b) whether it is also a fact that that company was negotiating for partnership with a Japanese company; and

(c) if so, the action taken by Government in regard thereto ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No request of this nature was received by Government. 'P' form clearance was asked for in favour of Dr. Shankar Dayal Sharma as General Secretary and Shri H. C. Guttal as Personal Secretary.

(b) and (c) : Do not arise.

दस रुपये के नोट

1120. श्री ई० के० नायनार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दस रुपये के पुराने नोटों के मुख भाग पर हिन्दी में केवल "दस रुपये" शब्द छपे हुए है, जबकि दस रुपये के नये नोटों पर हिन्दी में रिजर्व बैंक के नाम के अतिरिक्त "प्रोमिज टू पे" शब्दों के समानार्थक हिन्दी शब्द भी छापे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने दस रुपये के नये नोटों पर रिजर्व बैंक के नाम के अतिरिक्त "प्रोमिज टू पे" शब्दों का हिन्दी अनुवाद छापने का निश्चय भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से किया था, ताकि नोटों पर अंग्रेजी और हिन्दी दोनों को समान रूप से प्रमुखता प्राप्त हो ।

कोसी बांध के गिर जाने के कारणों की जांच

1121. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इन्जीनियर श्री पी० एन० कुमार ने जिन्हें गत बाढ़ में दरभंगा के पास कोसी बांध के गिर जाने के कारणों की जांच करने और उसके परिणामस्वरूप हुई हानि का अनुमान लगाने के लिए नियुक्त किया गया था अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ऐसा लगता है कि प्रश्न केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के मुख्य इन्जीनियर (बाढ़) द्वारा 12 और 13 अक्टूबर, 1968 को किये गये निरीक्षण के बारे में पूछा गया है। यदि ऐसा है, तो उत्तर "हां" में दिया जाता है।

(ख) अक्तूबर, 1968 के प्रथम सप्ताह के दौरान, बहुत भंयकर बाढ़ें आई थी। 5 अक्तूबर, 1968 को प्रातः ब्राक्षेत्र में 9.13 लाख क्यूसेक की अधिकतम बाढ़ रिकार्ड की गई। इससे पहले, 1954 में ही अधिकतम जल निस्सार रिकार्ड किया गया था, जो कि 8.55 लाख क्यूसेक था। इन भंयकर बाढ़ों के परिणामस्वरूप पश्चिमी तट बंध के अन्तिम छोर में निम्नलिखित स्थानों पर कुल 4 दरारें आई थी :–

(गोघरडीहा के नीचे की ओर दूरी)

(1) 42 किलोमीटर और 43 किलोमीटर के बीच। 3 से 4 फुट की निघर्षण गहराई के साथ 350 फुट लम्बी एक दरार।

(2) और (3) : 43 किलोमीटर और 44 किलोमीटर के बीच दो दरारें। एक 10 से 12 फुट की निघर्षण गहराई के साथ 340 फुट लम्बी और दूसरी 3-4 फुट की निघर्षण गहराई के साथ 225 फुट लम्बी।

(4) 45 किलोमीटर से 46 किलोमीटर के बीच 2 से 3 फुट की निघर्षण गहराई के साथ 335 फुट लम्बी एक दरार। इसके अतिरिक्त 42वें किलोमीटर के निकट एक-दो जगहों पर तटबंध नीचे धंस गया।

तटबंध में से जल-स्त्राव होने के कारण ही मुख्यतः ये दरारें आई हैं।

Imposition of General Revenue Charge

1122. **Shri Ram Avatar Sharma :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government have received a Memorandum from the United Chamber of Trade Associations, Delhi, wherein the recommendation of Shri Bhoothalingam to impose 10 per cent General Revenue charge has been opposed; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai)) (a) Yes, Sir.

(b) The grounds urged in the memorandum for opposing the proposal to levy a 10% general excise duty will be kept in view when the decision is taken on the recommendations contained in the report of Shri Bhoothalingam.

राजस्थान में "महत्वाकांक्षी योजनायें"

1124. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को कहा है कि वह देहाती क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई की स्थायी व्यवस्था करने के लिये "एक महत्वाकांक्षी योजना" बनाये;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य को कुएं खोदने के लिये "रिंग" आयात करने के लिये अत्यावश्यक विदेशी मुद्रा देने का आश्वासन भी दिया है; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कितनी आवश्यकताओं का कोई अनुमान लगाया था और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ख) और (ग) : योजना आयोग के सलाहकार (कार्यक्रम प्रशासन) के नेतृत्व में गठित विभिन्न संबंधित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों के केन्द्रीय दल ने राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करते समय राज्य में उपलब्ध प्रमाणित भूमिगत जल-स्त्रोतों से इस राज्य के विभिन्न ग्राम क्षेत्रों में जल पूर्ति की स्थायी व्यवस्था करने के बारे में भी विचार-विमर्श किया था। केन्द्रीय दल का यह मत था कि नियमित योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रकार की एक नियमित मिली-जुली योजना प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित की जा सकती है।

इस संबंध में राज्य सरकार के प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है। वे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 500 नलकूप लगाने के बारे में एक योजना तैयार कर रहे हैं और उनका अनुमान है कि वे अब तक उपलब्ध रिगों का उपयोग कर तथा बिना कोई विदेशी मुद्रा खर्च किये ही जुलाई, 1968 से पूर्व 100 नलकूप लगाने का काम पूरा कर देंगे।

दिल्ली में गैर-न्यायिक स्टाम्प कागजों की कमी

1125. **श्री हेम राज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दिल्ली की अदालतों में गैर-न्यायिक स्टाम्प कागजों तथा न्यायिक वाटर मार्क कागजों की बहुत कमी है और यदि हां, तो यह कमी कब से जारी है तथा इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि केवल सितम्बर और अक्तूबर, 1968 के दौरान कभी-कभी थोड़े समय के लिए छोटे मूल्य के गैर-अदालती स्टाम्प कागजों की कमी हो गयी थी। आपाति मांग-पत्रों के आधार पर इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड़ से स्टाम्प कागज भेजे जा रहे हैं और आशा है स्थिति जल्दी ही ठीक हो जायगी।

छोटे मूल्य की गैर-अदालती स्टाम्पों की प्रायः तंगी हो रही है, क्योंकि इनकी मांग बढ़ती जा रही है और सिक्योरिटी प्रेस इस मांग को पूरी तरह पूरा नहीं कर सकता और उसे पहले की कुछ उन मांगों को भी पूरा करना है जिन्हें कुछ समय पहले स्टाम्प छापने के लिए आवश्यक आयातित कागज की कमी होने के कारण वह पूरा नहीं कर सका था। कागज की पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था कर दिये जाने से, पहले की मांग को अब धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है।

वाटर मार्क वाले सादे अदालती कागजों के सम्बन्ध में जून के मध्य से अगस्त, 1968 के तीसरे सप्ताह तक के बीच की अवधि में कुछ कमी थी परन्तु अब कोई कमी नहीं है।

काबिनी योजना

1127. **श्री ई० के० नायनार :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने काबिनी योजना को क्रियान्वित कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के कारण केरल में दो सौ एकड़ भूमि में पानी भर जायेगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि केरल सरकार की अनुमति के बिना मैसूर सरकार काबिनी योजना क्रियान्वित कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) : काबिनी परियोजना 2.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1958 में स्वीकार की गई थी। ऐसा पता चला है कि राज्य सरकार ने परियोजना को परिशोधित करके इस की लागत को बढ़ा कर 24 8 करोड़ रुपये कर दिया है। परिशोधित परियोजना की संचय क्षमता 12.3 टी० एम० सी० से जैसा कि इस समय स्वीकृत हैं, बढ़ा कर 19.2 टी० एम० सी० कर दी गई है। इस परिशोधित परियोजना रिपोर्ट की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है। इस परियोजना पर 1968-69 के अन्त तक, 4 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान हैं। केरल सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया था कि काबिनी बांध के निर्माण से इस राज्य के कुछ क्षेत्र पानी में डूब जायेंगे और उन्होंने विरोध करते हुए मैसूर सरकार से कहा था कि वह केरल सरकार की सहमति के बिना निर्माण कार्य को आगे न चलाएं। मैसूर सरकार को यह सलाह दी गई है कि वे परिशोधित स्कीम पर कार्य करने से पहले परिशोधित परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति और अन्तर्राज्यीय पहलुओं के फैसले की प्रतीक्षा कर लें।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह से राजस्व की वसूली

1128. **श्री जो० ना० हजारिका :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65, 1965-66 और 1966-67 में अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह से आय कर के रूप में राजस्व की कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ख) क्या उक्त अवधि में आय कर अपवंचन का कोई मामला सामने आया है; और

(ग) इन वर्षों में नारियल व्यापार की एकाधिकारी अकोजी फर्मों से आयकर के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ख) और (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

उत्तरी बंगाल में हिमालय से निकली हुई नदियों को नियंत्रित करना

1129. डा० रानेन सेन : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बंगाल में हिमालय से निकली नदियों जैसे तीस्ता, तोरसा से बारबार होने वाली हानि को देखते हुए यथाशीघ्र इन नदियों पर नियंत्रण पाने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय यह योजना किस चरण में है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) उत्तर बंगाल में बाढ़ों को नियन्त्रित करने के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने तीस्ता, जलढाका राइडाक, टोरसा और महानन्दा नदियों के लिए, दीर्घकालीन उपायों के रूप में, व्यापक योजनाओं के प्रारूप तैयार किए हैं। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने इन योजनाओं की जांच की है और अब आयोग द्वारा बताये गये संशोधनों और सुझावों पर पश्चिम बंगाल सरकार विचार कर रही है।

अनुसूचित जातियों को भूमि का आवंटन किये जाने के बारे में यारडी समिति की सिफारिशें

1130. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या समाज कल्याण मंत्री यारडी समिति द्वारा अनुसूचित जातियों को भूमि के आवंटन के बारे में दी गई विभिन्न सिफारिशों पर लिये गये निर्णयों तथा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला एक वक्तव्य सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : इन सिफारिशों पर की गई कार्यवाही दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2156/68]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के रोजगार तथा प्रशिक्षण के बारे में विचार-गोष्ठी की रिपोर्ट पर सिफारिशें

1131. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या समाज कल्याण मंत्री 1 सितम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3992 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी-फरवरी, 1964 में, योजना आयोग द्वारा, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के रोजगार तथा प्रशिक्षण के बारे में आयोजित विचार-गोष्ठी की प्रत्येक सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा, तब अब तक क्या अनुकरणात्मक कार्यवाही की गई है; और

(ख) उसके क्या परिणाम है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क)तथा(ख): जिन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था, उनके बारे में विभिन्न सम्बधित एजेंसियों द्वारा वित्तीय शिखरों के भीतर यथा सम्भव आयोजनाओं को वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल करके अनुकरणात्मक कार्यवाही की गई है। जहां कहीं आवश्यक था राज्यों ने अधीनस्थ कार्यालयों को हिदायतें जारी कर दी हैं।

जहां तक केन्द्रीय एजेंसियों का सम्बन्ध हैं, यार्डी समिति ने रोजगार तथा प्रशिक्षण के प्रश्न पर पुनर्विचार किया है।

सीमा-शुल्क कार्यालय, कलकत्ता में आचार सम्बन्धी गोपनीय विवरण का लिखना

1132 **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि 5 सितम्बर, 1968 के दैनिक वासुमति (कलकत्ता) के एक प्रमुख लेख में, विशेष रूप से सीमा–शुल्क कार्यालय कलकत्ता तथा सामान्यत: अन्य सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों के आचार सम्बन्धी गोपनीय विवरणों के लिखने में मनमानी तथा भ्रष्टाचार की कार्यवाहियों को पूर्ण रूप से प्रभावपूर्ण ढंग से प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उस लेख में लगाये गये गम्भीर आरोपों के बारे में सच का पता लगाने के लिए तथा इस संदर्भ में सुधार हेतु सुझाव देने के लिये एक उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिये जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार को इस बात का पता है कि कलकत्ता के दैनिक "बसुमति" के 5 सितम्बर, 1968 के सम्पादकीय में कलकत्ता सीमाशुल्क गृह आदि में गोपनीय चरित्र पंजियों में रिपोर्ट लिखने के मामलों में स्वेच्छानुसार और भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गए हैं।

(ख) लगाये गए आरोप, यथार्थता पर आधारित नहीं है। वर्तमान आदेशों के अनुसार, रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारियों को अपनी टिप्पणियां कर्म विषयक रीति से लिखनी पड़ती है। इस पर भी, यदि किसी कर्मचारी का खयाल है कि कोई प्रतिकूल टिप्पणी उपयुक्त नहीं है तो वह उस प्रतिकूल टिप्पणी के विरुद्ध आवेदन दे सकता है और ऐसे आवेदनों की जांच रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी का वरिष्ठ अधिकारी करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उच्चस्तरीय जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपर्युक्त (ख) के उत्तर में बताई गई कार्यविधि से यह स्पष्ट है कि चरित्र पंजियों में वार्षिक रिपोर्ट लिखने के मामले में प्रत्येक कर्मचारी के साथ निष्पक्षता बरती जाने का इतमीनान करने के लिये काफी आन्तरिक सुरक्षण की व्यवस्था है।

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी

1133. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों के यात्रा भत्तों तथा समयोपरि भत्तों के भुगतान के नियमों का गठन तथा प्रचार किया है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के समयोपरि भत्तों के नियमों में कुछ विभिन्नता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा किये गए दौरों को नियन्त्रित तथा नियमित करने के लिए कोई सख्त प्रक्रिया स्थापित करने का है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) यात्रा भत्ते सहित विभिन्न प्रकार के भत्तों के सम्बन्ध में सरकारी उद्यम कार्यालय ने सरकारी उद्यमों के नाम कुछ निदेश जारी किए हैं। लेकिन इन निदेशों के अन्तर्गत समयोपरि भत्ता नहीं आता।

(ख) समयोपरि भत्ते आदि के नियम संस्था की अन्तर्नियमावली के सम्बद्ध उपबन्धों के अधीन आवश्यकतानुसार सरकार की स्वीकृति से, उद्यमों के प्रबन्धक बोर्डों द्वारा स्वयं तैयार किये जाते हैं। इसलिए ये नियम समान नहीं होते। प्रशासनिक सुधार आयोग की सरकारी उद्यमों से सम्बद्ध रिपोर्ट में आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के सन्दर्भ में सरकार ने पहले ही फैसला कर लिया है कि सभी सरकारी उद्यमों के लिए समान नियम बनाना व्यावहारिक नहीं हो सकता, लेकिन जहां तक सम्भव हो नियमों को युक्तिसंगत बनाना चाहिये।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि ये दैनिक प्रशासन के मामले हैं।

कलकत्ता सड़कों की दयनीय स्थिति

1134. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता तथा उसके आस-पास क्षेत्रों में सड़कों की शोचनीय दशा, जिनके कारण यातायात में अव्यवस्था तथा गाड़ियों को क्षति पहुँच रही है और जिसके बारे में कलकत्ता की अमृत बाजार पत्रिका ने अगस्त तथा सितम्बर, 1968, के मास के दौरान समाचारों तथा चित्रों द्वारा प्रकाश डाला है, की ओर आकृष्ट हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। गत वर्षा ऋतु में असाधारण रूप से भारी वर्षा होने के कारण कलकत्ता में बहुत सी सड़कों को काफी क्षति पहुँची है।

(ख) क्षतिग्रस्त सड़कों की न्यूनतम आवश्यक मरम्मत के लिए कलकत्ता नगर निगम ने पश्चिम बंगाल सरकार से 70 लाख रुपये की रकम का नियतन करने के लिये अनुरोध किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर निगम से विस्तृत प्राक्कलन भेजने के लिए कहा है।

नई दिल्ली में सिनेमाघरों द्वारा मास्टर प्लान का उल्लंघन

1135. **श्री जुगल मण्डल** : क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5691 के उत्तर क सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में सिनेमाघरों द्वारा मास्टर प्लान के उल्लंघन के बारे में जानकारी अब प्राप्त कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं, और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) वृहद योजना के उल्लंघन सम्बन्धी आरोप ओडियन सिनेमा और प्लाजा सिनेमा के विरुद्ध लगाये गये हैं। दिल्ली प्रशासन से मिली सूचना के अनुसार स्थिति इस प्रकार है:—

(1) **ओडियन सिनेमा :**

इस सिनेमा के नक्शे नवम्बर, 1963 में इस शर्त पर मंजूर किए गए थे कि उसे पैनल्टी तथा 9,12,980 रुपये की कम्पोजीशन फीस देनी होगी। काम पूरा होने का प्रमाण पत्र 27-5-64 को दिया गया था। इस प्रकार यह दिखाई देगा कि इस सिनेमा के मामले में नक्शों के मंजूरी, क्षेत्रीय विकास योजना की स्वीकृति तथा सितम्बर 1964 में नगरपालिका उपनियमों के लागू होने से पहले ही नवम्बर 1963 में, दे दी गई थी।

(2) **प्लाजा सिनेमा :**

इस मामले में नई दिल्ली नगरपालिका ने सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति, इस पार्टी द्वारा प्रस्तुत पार्किंग प्लान पर विचार करने के बाद दी। पार्किंग प्लान में सारी म्युनिसिपल भूमि दिखाई गई जिसमें प्लाजा थियेटर के सामने तथा उसके नजदीक वाली सड़क के दोनों ओर फुट-पाथों को पार्किंग क्षेत्र के रूप में दर्शाया हुआ है। नई दिल्ली नगरपालिका ने उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसार इन नक्शों को मंजूर किया।

इस प्रकार यह दिखाई देगा कि नई दिल्ली नगरपालिका ने फुट-पाथ पर पार्किंग की अनुमति दी हुई थी तथा उन्होंने सिनेमा के अहाते के अन्दर इसकी व्यवस्था करने पर जोर नहीं दिया था। नई दिल्ली नगरपालिका ने बाद में अपनी भूल महसूस की और 13-10-67 के अपने संकल्प सं० 58 में इन नक्शों के लिए दी हुई मंजूरी में निम्नलिखित संशोधन करने का निश्चय किया।

(क) दो वितानों (20'×10' और 15'×10') को नामंजूर कर दिया जाय क्योंकि यह नगरपालिका की भूमि पर जबरन कब्जा माना जायेगा।

(ख) सीटों की संख्या में वृद्धि की अनुमति (कुल वृद्धि 176) इस शर्त पर दी जाय कि सिनेमा वाले अपने अहाते के अन्दर 6225 वर्ग फुट के एक पार्किंग स्थान की व्यवस्था करें।

इन संशोधनों की सूचना पार्टी को 30-10-67 को दे दी गई थी।

वाणिज्यिक बैंकों में निदेशकों की नियुक्ति

1136. **श्री जुगल मण्डल** : क्या वित्त मन्त्री 19 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 516 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों के उन निदेशकों के बारे में जिनकी जमा राशि 10 करोड़ रुपये या इससे अधिक है जानकारी अब प्राप्त कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : मांगी गयी सूचना 12 नवम्बर, 1968 को सभा की मेज पर रख दी गयी है।

फिल्म कलाकार राज कपूर तथा देवानन्द को दी गई विदेशी मुद्रा

1137. **श्री जुगल मण्डल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष फिल्म कलाकार श्री देवानन्द तथा श्री राजकपूर को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी ;

(ख) वह किस प्रयोजन के लिए दी गई थी;

(ग) वे किन फिल्म स्टूडियो तथा सिनेमा घरों के मालिक हैं; और

(घ) क्या इन फिल्म कलाकारों अथवा उनके साथों ने उपरोक्त अवधि में कोई आय कर दिया है और यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष कितना आय कर दिया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

(ग) श्री राजकपूर, मेसर्स आर० के० स्टूडियोज लिमिटेड के मालिक हैं और मेसर्स नवकेतन इण्टरनेशनल फिल्मस का नियन्त्रण श्री देवानन्द के हाथ में है। इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है कि ये दोनों व्यक्ति किन-किन सिनेमा घरों के मालिक हैं।

(घ) यह सूचना, राज्य सभा के 20 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 669 के उत्तर में दी गयी थी। उसकी प्रतिलिपि, संलग्न है।

विवरण 1

श्री राजकपूर :

वर्ष	रकम (रु०)	प्रयोजन
1964	62,080 *	लंदन में 'संगम' नामक फिल्म के नेगेटीव प्रिन्ट को रंगीन बनाने के लिए।
1965	200	सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ में, फिल्म समारोह में भाग लेने के लिए।
1966	5,580	एक फिल्म तैयार करने तथा उसका क्रम निर्धारित करने के सम्बन्ध में ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देशों की यात्रा।

*विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से निर्यात सम्बन्धी दायित्व को पूरा करने केलिए।

1967	3,230	सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ में फिल्म समारोह में भाग लेने के लिए ।
1967	7,500	सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ में 'मेरा नाम जोकर' नामक फिल्म के प्रारम्भिक कार्य के लिए ।
1968	9,500	'मेरा नाम जोकर' नामक फिल्म तैयार करने के सम्बन्ध में सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ के अधिकारियों के साथ अन्तिम रूप से बातचीत करने के लिए ।

श्री देवानन्द :

1964	500 रु०	एक नयी फिल्म के सम्बन्ध में एक अमरीकी फिल्म निर्माता से बातचीत करने के लिए ।
1965	40 डालर	'गाइड' नामक फिल्म के प्रथम दर्शन विश्व समारोह में भाग लेने के लिए ।
1968	8,000 पौंड**	'प्रेम पुजारी' नामक फिल्म के कुछ भागों से सम्बद्ध कुछ स्थानों का चित्र लेने के सम्बन्ध में विदेश में होने वाले खर्च के लिये ।

** सम्बद्ध पार्टी से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे जितनी विदेशी मुद्रा दी गयी है वह उससे चौगुनी विदेशी मुद्रा अर्जित कर के वापस देगी ।

विवरण 2

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 669

(जिसका उत्तर 20 दिसम्बर, 1967/29 अग्रहायण 1889 (शक) को दिया जाने वाला है)

फिल्म कलाकारों द्वारा आयकर का अपवंचन

***669. श्री जगत नारायण :**
श्रीमती सरला भदौरिया :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निम्नलिखित फिल्म कलाकार गत पांच वर्षों से आयकर की अदायगी नहीं कर रहे हैं: (1) श्री सुनील दत्त, (2) कुमारी आशा पारिख, (3) श्रीमती सायराबानू, (4) श्री राजेन्द्र नाथ, (5) श्री शशि कपूर, (6) श्री शम्मी कपूर, (7) श्री देवानन्द, (8) श्री राज कपूर, (9) श्री राजेन्द्र कुमार, (10) श्री धर्मेन्द्र, (11) श्री मनोज कुमार और (12) कुमारी वहीदा रहमान; और

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में आय कर की कितनी-कितनी रकम का भुगतान किया गया और उनसे आय कर की कितनी रकम वसूल की गयी ?

वित्त मन्त्रालय में मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 1-4-1962 से 31-3-1967 तक की अवधि में जिन कर निर्धारणों की कार्यवाही पूरी हो गयी है उनके सम्बन्ध में निम्न-लिखित फिल्म स्टारों को अपनी आय छिपाते तथा आयकर की चोरी करते पाया गया है।

(1) श्री देवानन्द (2) श्री राज कपूर (3) श्री राजेन्द्र कुमार (4) श्री शम्मी कपूर (5) कुमारी वहीदा रहमान।

कुमारी आशा पारिख के मामले की जांच की जा रही है। उपर्युक्त अवधि में अन्य फिल्मी सितारों के मामले में जो कर निर्धारण किये गये थे उनसे यह पता चलता है कि इन्होंने आय कर की चोरी नहीं की।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि इन फिल्मी सितारों ने करों की कितनी कितनी रकम अदा की है। श्री राजकपूर को छोड़कर सभी अन्य सितारों ने, किसी प्रकार के बल प्रयोग के बिना कर की निर्धारित रकम अदा कर दी है। जहां तक श्री राजकपूर का सम्बन्ध है, बल प्रयोग द्वारा उनसे 80,000 रुपये की रकम वसूल की गयी है। उन्होंने कर की बाकी रकमें अपने आप ही अदा कर दी है।

राज्य सभा में 20-12-1967 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या

669 के भाग (ख) में उल्लिखित विवरण

अदा किया गया कुल कर

नाम	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
सुनील दत्त	49,088	30,891	58,130	43,350	–
आशा पारिख	66,401	70,319	78,333	68,460	44,466
सायरा बानू	32,629	26,077	–	–	–
राजेन्द्र नाथ	13,157	22,821	27,224	34,977	–
देवानन्द	1,58,196	1,62,379	2,16,063	–	–
शम्मी कपूर	17,380	1,20,723	3,2,8145	1,31,675	49,909
शशि कपूर	7,078	10,352	15,672	33,960	14,578
राज कपूर	4,87,679	–	11,54,137	75,604	–
राजेन्द्र कुमार	1,61,682	1,39,058	5,58,895	1,67,341	3,46,723
धर्मेन्द्र	13,051	14,778	87,023	1,33,319	95,699
मनोज कुमार	13,968	23,227	33,961	73,033	36,386
वहीदा रहमान	1,40,834	82,422	96,489	1,40,700	–

फिल्म उद्योग में लगे व्यक्तियों द्वारा कर अपवंचन

1138. **श्री जुगल मण्डल** : क्या वित्त मन्त्री 19 अगस्त 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4389 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म उद्योगों में लगे व्यक्तियों द्वारा कर अपवंचन के बारे में जानकारी अब प्राप्त कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम तथा पते क्या हैं और प्रत्येक के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) यह सूचना इसके पहले 19 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4389 के उत्तर के सिलसिले में मांगी गई है। उस प्रश्न में उससे भी पहले के 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2746 का हवाला दिया गया था। जैसा कि उसमें पूछा गया था, फिल्म उद्योग में लगे उन व्यक्तियों से पिछले पांच वर्षों में 416 लाख रुपये वसूल कर लिये गये हैं, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक थी।

(ख) चूक करने वालों के नाम अनुबन्ध में दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2157/68**]। उनके पते देना इसलिए संभव नहीं है कि इस सूचना को इकट्ठी करने में बहुत समय तथा श्रम लगेगा जो प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। कर वसूल करने के लिये प्रत्येक मामले के गुण-दोष तथा परिस्थितियों के आधार पर वे सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं, जिनकी कानून में व्यवस्था की गई है।

फिल्म अभिनेता राजकपूर और देवानन्द

1139. **श्री जुगल मण्डल** : क्या वित्त मन्त्री 19 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4167 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों फिल्म अभिनेता श्री राज कपूर तथा श्री देवानन्द के बारे में आय-कर अनुमान सम्बन्धी जानकारी एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) मांगे गये ब्यौरे अनुबन्ध में दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2158/68**]।

हाई ऐक्सप्लोसिव फैक्टरी किर्की को स्वीकार्य जैली का विशिष्ट विवरण

1140. **श्री काशी नाथ पांडेय** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 555 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाई एक्सप्लोसिवस फैक्टरी, किर्की को स्वीकार्य जैली के विशिष्ट विवरणों सम्बन्धी जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो हाई एक्सप्लोसिव फैक्टरी, किर्की के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) मिलिटरी ऐक्सप्लोसिव के मुख्य निरीक्षक ने रिपोर्ट की है कि गत समय में रक्षा विशिष्टियों तक परीक्षण के लिए स्पेशल विक्स ग्रेड जैली उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ था। मिनरल जैली के लिए रक्षा-विशिष्टियों की आवश्यकताएं पैट्रोलेटम (वाईट) की विशिष्टियों से पूर्णतया पूरी नहीं होती है क्योंकि कालटाईल द्रव्य, फ्लैश पाइन्ट तथा प्रैक्टीकल टैस्ट से सम्बन्धित आवश्यकताएं पैट्रोलेटम (वाइट) की विशिष्टियों में निहित नहीं हैं।

Haj Pilgrims

1141. Shri Ram Charan : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government are aware that most of the Haj pilgrims while returning from Haj, bring with them many foreign articles and sell them in India;

(b) if so, whether Government propose to reduce the amount of foreign exchange admissible to Haj pil rims; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Instances of some Haj pilgrims bringing foreign goods into the country have come to the notice of Government.

(b) and (c) : Haj pilgrims are given a small quota of foreign exchange to meet their essential requirements. While action is taken against those who violate import customs regulations, no reduction of the foreign exchange quota is proposed on these grounds.

चोरी छिपे लाया गया माल

1143. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वित्त मन्त्री दिनांक 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5725 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चोरी-छिपे लाये गये माल के बारे में इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो चोरी-छिपे लाये गये माल में सोना कितना था तथा यह कितने मूल्य का था और किन से पकड़ा गया था ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) पकड़े गये माल में लगभग 43 किलो सोना भी था, जिसका अन्तर्राष्ट्रीय दर से मूल्य लगभग 4.18 लाख रुपये होता है। जिन व्यक्तियों से सोना पकड़ा गया उनके नामों की सूची सभा पटल पर रखी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2159/68**]।

Accommodation to Certain Institutions in Theatre Communication Barracks, New Delhi

1144. Shri S. M. Joshi : Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3629 on the 12th August, 1968 and state :

(a) whether the Bharat Sewak Samaj (Central Office), Bharat Sewak Samaj (Delhi Pradesh) and the Delhi Congress Rachnatmak Karya Samiti have since vacated the accommodation allotted to them in the Theatre Communication Barracks, New Delhi;

(b) if not, the action taken against them for not vacating the accommodation in sp of its being cancelled by Government;

(c) whether Government have been able to realise rent from the said organisations;

(d) if not, the action taken against them and when the full rent is likely to be recovered; and

(e) the arrears of rent to be recovered from these organisations at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) : Bharat Sewak Samaj (Central Office)

Out of the total accommodation measuring 4407 Square feet allotted to the Samaj allotment in respect of 726 Square feet had been cancelled. The Samaj has since surrenderd 363 Square feet and for the rest, eviction proceedings are going on under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 1958. In addition to the above, allotment of accommodation measuring 601 Square feet which was recently found occupied by another organisation has also been cancelled with effect from Ist December, 1968.

The Samaj has also vacated on their own accommodation measuring 252 Square efet.

Bharat Sewak Samaj (Delhi Pradesh)

This Organisation was allotted 1277 square feet of which allotment to the extent of 562 square feet stands cancelled, As this accommodation has not been vacated so far eviction proceedings are going on against the Samaj under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 1958.

Delhi Congress Rachnatmak Karya Samiti

The entire accommodation allotted to the Samiti measuring 238 square feet has been cancelled in their name. As the same has not yet been vacated, eviction proceedingse are going against the Samiti.

(c) No.

(d) Proceedings for recovery of rent arrears under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 1958 have already been initiated and are being pursued. No definite date as to when the full arrears of rent will be recovered can be indicated at this stage.

(e) The arrears of rent recoverable from each of the three Organisations mentioned above as on Ist November, 1968 are as under :--

Bharat Sewak Samaj (Central Office).	Bharat Sewak Samaj (Delhi Pradesh).	Delhi Congress Rachnatmak Karya Samiti.
Rs. 50,360.99	Rs. 19,341.61	Rs, 3529,17

Accommodation in Theatre Communieation Barracks, New D hi

1145. Shri S. M. Joshi : Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleasad to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3629 on the 12th August, 1968 and state :

(a) the area of accommodation allotted to Central Government, State Governments and semi-Government offices, separately, in the Theatre Communications barracks, New Delhi;

(b) the rate of rent charged from each of such offices as have been allotted accommodation in the said Barracks;

(c) the arrears of rent to be realized by Government from each of the said Offices; and

(d) whether any waiting list has been prepared on the basis of applications received from State Governments for allotment of accommodation in the said barracks ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) The area of accommodation allotted is as under :--

Central Government Offices.	State Government Offices.	Semi-Government Offices.
1,678 sft.	7,856 sft.	Nil.

(b) No rent is recovered from the Central Government Offices as per the rules. In the case of accommodation allotted for the Post Office in the Theatre Communication Barracks, which is a Commercial Department, rent is, however, being recovered under FR 45-B. Rent from the State Governments is being recovered at Rs. 50/- per hundred square feet of accommodation plus other Service charges at the rates fixed by the Government from time to time.

(c) From Central Government Offices (as on lst November, 1968),	Nil.
From State Governments (as on lst November, 1968).	Rs. 13,502.39

(d) No demand from any State Government is pending for allotment of accommodation in the Theatre Communication Barracks.

नागपुर के निकट कुरादी में ताप बिजलीघर

1146. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नागपुर के निकट कुरादी में एक ताप बिजलीघर स्थापित कर रही है;

(ख) क्या यह बिजली घर किसी विदेशी कम्पनी के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है और यदि हां, तो किस देश की कम्पनी के सहयोग से तथा उसका स्वरूप क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा बिजली घर अनुमानत: कब तक पूरा हो जायगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड नागपुर के पास कुराडी में एक ताप बिजली घर स्थापित कर रहा है।

(ख) बिजली घर में प्रतिष्ठापित होने वाले 120–120 मेगावाट की चार जनित्र यूनिटों में से पहले दो टर्बो–जनित्र, दाब नल, स्थिर विद्युत अवक्षेपक इत्यादि पोलिश ऋण सहायता के अन्तर्गत पोलैंड से आयात किए जा रहे हैं पहले दो बायलरों की अपने देश में ही गढ़ाई करने के लिए कच्चा माल यू० के० ऋण–सहायता के अन्तर्गत इंगलैंड से प्राप्त किया जा रहा है। शेष उपकरण देश में ही प्राप्त किए जा रहे हैं।

शेष दो जनित्र यूनिटें अपने देश में से ही उपलब्ध करने का प्रस्ताव है।

(ग) स्थल अनुसंधान लगभग पूर्ण होने वाले हैं। भूमि–अर्जन का कार्य हो रहा है। सलाहकार नियुक्त कर लिए गए हैं। इंगलैंड से कच्चे माल के दो पोत–लदान प्राप्त हो चुके हैं और परिणाम स्वरूप 25 प्रतिशत गढ़ाई पूर्ण हो चुकी है। कोम्पटीखेरी बांध पर कार्य, जिस से शीतल जल किया जायेगा, शुरू कर दिया गया है। यह आशा की जाती है कि पहला जनित्र यूनिट 1971 के अन्त तक और दूसरा यूनिट इसके छः महीने बाद चालू हो जायगा।

बिहार में दरभंगा जिले में महादेवनाथ हस्पताल भवन

1147. श्री शिव चन्द्र झा : क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के दरभंगा जिले की मधुबनी, सब–डिवीजन में महादेव नाथ हस्पताल भवन की दशा बड़ी शोचनीय है;

(ख) यदि हां, तो यह दशा कब से है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी मरम्मत के लिये यदि सरकार ने कोई उपाय किये हैं तो वे क्या हैं; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस भवन की बड़ी मरम्मत करने की आवश्यकता है।

(ख) और (ग) : जुलाई, 1967 से इस भवन की दशा असन्तोषजनक है। सरकार को इसकी मरम्मत के बारे में एक प्राक्कलन प्राप्त हुआ है जिस पर विचार किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये चलते फिरते अस्पतालों की योजना

1148. श्री शिव चन्द्र झा : क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में चलते फिरते अस्पताल चलाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो पहले तो, सामान्यतः देश के लिए तथा फिर विशेषकर बिहार के लिये उसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) (ख) और (ग) : स्वास्थ्य एक राज्य विषय है और देहाती-क्षेत्रों में स्थानीय अवस्थाओं के अनुकूल पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का काम

है। 400 पलगों वाला एक चलता-फिरता सर्जिकल अस्पताल केवल राजस्थान में है। केरल में 9 सर्जिकल यूनिट है जबकि मद्रास तथा जम्मू व काश्मीर में क्रमशः 11 और 2 मेडिकल यूनिट हैं। बिहार में चलता-फिरता कोई यूनिट नहीं है।

बिहार में आदर्श ग्राम

1149. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **निर्माण आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आदर्श ग्रामों के बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है तथा बिहार में, जिले वार अब तक कितने आदर्श ग्रामों का निर्माण किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम का आरम्भ इस मन्त्रालय के द्वारा किया गया था। इसमें अन्य अनुदानों के साथ-साथ जहां तक संभव हो सके पूरे गांव की पुनर्योजना के लिए जिसमें सड़कों तथा नालियों की व्यवस्था शामिल है, राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता परिकल्पित है। यह योजना राज्य सरकारों आदि के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) तथा (ग): यह सूचना बिहार सरकार से प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

बन्दरों का निर्यात

1150. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में श्री कोलिन स्मिथ उनसे मिले थे तथा उन्होंने विदेशी प्रयोगशालाओं में अंगच्छेद प्रयोगों के लिये भारतीय बन्दरों के निर्यात पर रोक लगाने की सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : जी, हां। श्री कोलिन स्मिथ को यह परामर्श दिया गया कि वे इस मामले में वाणिज्य मन्त्री से बात-चीत करें।

बरौनी तेल शोधक कारखाने के समीप पैट्रो रसायन उद्योग समूह

1151. **श्री हेम बरूआ :**

श्री विश्व नाथ पाण्डेय :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बरौनी तेल-शोधक कारखाने के समीप ही कहीं एक पैट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने का विचार किया था जैसा कि कोयाली के बारे में निर्णय किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये क्या कोई अन्तिम तारीख नियत कर दी गई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) बरौनी में भी एक एरोमेटिक्स परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है।

(ख) जी नहीं।

(ग) परियोजना की सम्भाव्यता और गुंजायश का अध्ययन किया जा रहा है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

1152. श्री हेम बरुआ : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अभी हाल ही में परिवार नियोजन सम्बन्धी एक जोरदार कार्यक्रम चलाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का मुख्य ब्यौरा क्या है तथा देश में इस बारे में एक मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) जी हां। 1963 में कार्यक्रम पुनर्गठित किया गया और 1966 में उसे और आगे सशक्त किया गया।

(ख) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 2160/68**]।

बर्दवान के पास दामोदर घाटी निगम की विद्युत पारेषण लाइन

1153. श्री डी० चं० शर्मा :

श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम का बर्दवान के पास विद्युत पारेषण लाइन का 132 किलोवाट का विद्युत टावर 8 अक्तूबर 1968 को गिर गया था जिससे बर्दवान क्षेत्र में दो घंटे तक पूर्ण अन्धकार रहा;

(ख) क्या यह घटना नादिया में पहले हुई तोड़-फोड़ की घटना से मिलती जुलती है; और

(ग) इस मामले की जांच करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) नादिया जिले में गयेशपुर के टावर को गिराना, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड की सम्पत्ति है और बर्दवान के टावर को जो दामोदर घाटी निगम की सम्पत्ति है, गिराना, तोड़-फोड़ के काम हैं।

(ग) पुलिस ने पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के कुछ कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान किये गए तोड़-फोड़ के कामों के सम्बन्ध में कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था और उन पर अदालत में मुकदमें चल रहे हैं। दामोदर घाटी निगम ने बर्दवाना का टावर फिर लगा दिया है। 11 अक्तूबर और 14 अक्तूबर को हड़ताल बन्द हो गई थी। बिजली की सप्लाई पूर्णतः बहाल कर दी गई है।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

COLLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कलकत्ता में पेट्रोल की अत्यधिक कमी

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"कलकत्ता में पेट्रोल की अत्यधिक कमी"

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : इस महीने की 7 तारीख को कलकत्ता में बर्मा शेल के 304 कर्मचारियों की छंटनी और कालटेक्स के 88 कर्मचारियों की सेवा-समाप्ति के तत्काल बाद, एस्सो और इण्डो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी को शामिल करते हुए समस्त प्राइवेट तेल कम्पनियों के कर्मचारियों ने काम न करो हड़ताल की। उस समय भारतीय तेल निगम के पास कलकत्ता में मौरीग्रांम केन्द्र और हल्दिया में 27,000 किलो लिटर पेट्रोल था। यह कलकत्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो महिनों का स्टाक है। परन्तु प्राइवेट तेल कम्पनियों के हड़ताल करते कारीगरों में प्राइवेट तेल कम्पनियों के 236फुटकर पम्पों तक तेल के पहुचने में रुकावट डाली। इस के परिणाम स्वरूप बगैर नोटिस के, फुटकर बिक्री का भार भारतीय तेल निगम के 37 पम्पों (जो कलकत्ता शहर में कुल फुटकर पम्पों के 13 प्रतिशत है) पर पड़ा। इस से मोटरिस्टस को कठिनाई हुई। ज्योंही भारतीय तेल निगम को स्थिति मालूम हुई, इन समस्त पम्पों पर फुटकर विषय सन्बन्धी सुविधाओं के बढ़ाने के लिए आपत्तकालीन उपाय अपनाये गये। शहर में उपलब्ध सारे टैंक ट्रकों को किराये पर लेते हुए दिन रात उत्पाद सम्पूर्ति की व्यवस्था की गई। इस के परिणाम स्वरूप 3 दिनों में भारतीय तेल निगम के पम्पों से बिक्री प्रतिदिन 30 किलो लिटर से लेकर 355 किलो लिटर तक बढ़ गई, जो शहर की पेट्रोल की सामान्य आवश्यकता है। निगम ने 7 काम चलाऊ विक्रय पम्प भी कलकत्ता मैदान और शहर के दूसरे क्षेत्रों में लगाये तथा और लगाये जाने वाले हैं।

2. 15 तारीख अपराह्न को एस्सो और इण्डो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी के कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी। इसके परिणाम स्वरूप पेट्रोल की फुटकर बिक्री के लिए 78 अतिरिक्त पम्प उपलब्ध हैं। भारतीय तेल निगम की संवधित सुविधाओं

और एस्सो तथा इण्डो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी की मौजूदा सुविधाओं से शहर की जरूरतें भली प्रकार से पूरी होती है, और मोटरिस्टस को कोई लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता ।

3. डीजल तेलों की फुटकर बिक्री की स्थिति लगभग वही है जो पेट्रोल की है। यह भी, भारतीय तेल निगम ने अपनी बिक्री 30 से 158 किलो लिटर प्रतिदिन तक बढ़ा ली, जो कि शहर की सामान्य आवश्यकताएं हैं। एस्सो और इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी के पम्पों के फिर से चालू हो जाने से स्थिति सामान्य हो जानी चाहिये ।

4. जहां तक अन्य उत्पादों का प्रश्न है, हम ने भारतीय तेल निगम की मार्फत मिट्टी के तेल, हल्के डीजल तेल, इंधन तेल और विमानन तेलों की सप्लाई का पूर्ण प्रबन्ध कर दिया है। अब जूट बेचिंग आयल की मांग को पूरा करने में समर्थ होना चाहिये : भारतीय तेल निगम ने एक प्रतिस्थापित, पदार्थ की पेशकश की है जिसे इण्डियन जूट मिल्लज एस्सोशियेशन ने स्वीकार कर लिया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप ने समाचार पत्रों में बर्मा शैल द्वारा दिये गये विज्ञापनों को अवश्य देखा होगा । उनमें उन्होंने बताया है कि उन्हें इन कर्मचारियों की छटनी क्यों करनी पड़ी । उन में उन्होने यह बताया है कि पेट्रोलियम उत्पाद बेचने के मामले में भारतीय तेल निगम की आयात की स्थिति तथा गौहाटी और बरौनी में सरकारी तेल शोधक कारखानों की आपात की स्थिति के कारण हमारी (बर्मा शैल कम्पनी को) बाजार में प्रतियोगिता की स्थिति बहुत खराब हो गई है । इसलिये हमें कर्मचारियों की छंटनी करने के लिये बाध्य होना पड़ा है तथा इस छंटनी के कारण हड़ताले आदि हो रही हैं । इसलिये मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हुं कि वह इस कम्पनी केइस तर्क से कहां तक सहमत है ।

श्री रघुरामैया : मेरा निवेदन यह है कि यह ध्यान दिलाने वाली सूचना पेट्रोल की कमी के बारे में है तथा यह प्रश्न विदेशी तेल कम्पनियों और उनके कर्मचारियों के बीच छंटनी के प्रश्न के बारे में है जिसका सम्बन्ध श्रम मंत्रालय से है परन्तु जहां तक मुझे ज्ञान है मै उसकी जानकारी दे दूंगा । इस सारे प्रश्न के बारे में गोखले जांच आयोग विचार कर रहा है तथा मेरे लिये इस समय कुछ कहना ठीक नहीं है क्योंकि उससे आयोग की रिपोर्ट पर प्रभाव पड़ सकता है । मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि हड़ताल का झगड़ा निपटाने के बारे में हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री इन्दजीत गुप्त : मैं मन्त्री महोदय से केवल यह जानना चाहता था कि क्या कम्पनी का यह तर्क सही है कि भारतीय तेल निगम की कार्यवाहियों के कारण उनके व्यापार पर प्रभाव पड़ रहा है ?

श्री रघुरामेया : जब श्रम मन्त्री ने इस प्रश्न के समान प्रश्न पर विचार करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया है तो क्या इसका उत्तर देना मेरे लिये जरूरी है ?

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : यह तो दोनों मंत्रालयों द्वारा उत्तरदायित्व का हस्तांत्रण किया जा रहा है । इस प्रश्न का आधार तो बहुत सरल है । इस का आधार

यह है कि गैर सरकारी विदेशी तेल कम्पनिया नहीं चाहती कि भारतीय तेल निगम का काम बढ़े। इसलिये यदि हम इस बात पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं तो हमें उन कम्पनियों को साफ शब्दों में कह देना चाहिये कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। अतः क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या गैर-सरकारी विदेशी तेल कम्पनियों के साथ इस सारे पहलू के बारे में बातचीत कर ली गई है तथा उन्हें बता दिया गया है कि उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जायेगा ?

श्री रघुरामैया : श्रम मंत्रालय के तत्वावधान में हुई त्रिसूची बैठकों में कई बार इस बारे में चर्चा की जा चुकी है। 16 तारीख को एक ऐसी बैठक हुई थी जिसमें मैंने यह बताया था कि 7 तारीख को विदेशी तेल कम्पनी द्वारा की कार्यवाही को जल्दी में की गई कार्यवाही समझा गया था क्योंकि वे गोखले आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर सकते थे। मैं समझता हूं कि इस सारे मामले को आज या कल तक निपटाया जायेगा।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : मैं यह बात आप को बताना चाहता हूं कि एक समझौता हुआ है जिसके अनुसार 15 दिन तक छंटनी नहीं की जायेगी जिसका मतलब यह है कि यदि इस मामले पर अच्छी तरह से विचार न किया गया तो 15 दिन के बाद वे पुनः हड़ताल करेंगे।

श्री रघुरामैया : हमें 15 दिन तक प्रतीक्षा कर लेनी चाहिये और देखना चाहिये कि इस मामले पर अच्छी तरह से विचार हो गया है अथवा नहीं।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता - उत्तर - पूर्व) : यह बात तो कहने की जरुरत ही नहीं है कि इन तेल कम्पनियों से हमारे देश को खतरा है। ये तेल कम्पनियां खुले तौर पर कह रही हैं कि भारतीय तेल निगम के कारण ही उनके कर्मचारी फालतू हुए हैं। वे खुले तौर पर स्वचालित मशीनें लगा कर कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। हालांकि कई बार आश्वासन दिया गया है कि जांच आयोग के प्रतिवेदन आने तक कोई छंटनी नहीं की जायेगी।

श्री रघुरामैया : मैं पहले ही बता चुका हूं कि श्री हाथी वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत त्रिसूत्री बैठक बुलाने का प्रयत्न कर रहे हैं और समझौता कराने का पूरा जोर लगा रहे हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

देश में सूखे की स्थिति

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : मैं देश में सूखे की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2161/68]**

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 आदि के अन्तर्गत जारी अधि सूचनायें

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा०श्री चन्द्र शेखर) : मैं (1) (क) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा, दिनांक 15 अप्रैल, 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित, के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) नगर महापालिका, कानपुर जल प्रभारों के विनियमन सम्बन्धी नियम, 1968 जो दिनांक 13 मार्च, 1968 की अधिसूचना संख्या 824-डी/IX-बी-3 (14)-67 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नगर महापालिकाओं द्वारा राहदारी, चुंगी अथवा सीमा कर अथवा इन करों में से कोई दो अथवा सभी तीन उगाहने के लिए पारगमन पास (संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 15 जून, 1968 की अधिसूचना संख्या 181 बी/XI-सी-34 67 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) नगर महापालिका, वाराणसी जल प्रभारों के विनियमन संबंधी नियम, 1968 जो दिनांक 24 जून, 1968 की अधिसूचना संख्या 2669-डी/IX-बी-4(28) डब्ल्यू टी-68 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) नगर महापालिका, लखनऊ जल प्रभारों के विनियमन संबंधी नियम, 1968 जो दिनांक 24 जून 1968 की अधिसूचना संख्या 2970-डी/IX-बी-4 (23)-डब्ल्यू टी-68 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका जल सप्लाई नियम, 1968 जो दिनांक 25 जून, 1968 की अधिसूचना संख्या 3172 - डी/ IX-बी-304-डब्ल्यू-61 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) नगर महापालिका, आगरा जल प्रभारों के विनियमन सम्बन्धी नियम, 1968 जो दिनांक 26 जून, 1968 की अधिसूचना संख्या 2971-डी/IX-बी-4 (30) डब्ल्यू टी-68 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (शपथ) नियम, 1968 जो दिनांक 19 जुलाई, 1968 की अधिसूचना संख्या 1851-ए/ XI-के-एच-1968 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2162/68]**

2. ऊपर की अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2162/68]**

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं

(1) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 25 फरवरी,1968 को जारी की गई उद्घोषणा, दिनांक 15 अप्रैल, 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित, के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 94 की उपधारा ( ) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :

(एक) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (निष्कासन तथा किराया वसूली के कार्यवाहियों में देय खर्चे का निर्धारण) नियम, 1967 जो दिनांक 7 अक्टूबर, 1967 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या 741-एच/XXXVII-16-(IX)-(19)-68 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (आवास समितियों का गठन) नियम, 1967 जो दिनांक 9 दिसम्बर, 1967 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओ–305–एच/XXXVII-12-एच बं-65 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (नोटिस देने का फार्म तथा रीति) (संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 16 दिसम्बर 1967 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओ-308-एच /XXXVII-22-एच-बी-65 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी को पारिश्रमिक तथा न्यायाधिकरण के एवार्डों तथा आदेशों की क्रियान्विति) नियम, 1967 जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या 359 - एच/ XXXVII-27-(एच बी) 65 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (अध्यक्ष को देय पारिश्रमिक तथा बोर्ड के सदस्यों को देय भत्ते) नियम, 1967 जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओ–367–एच/XXXVII-10 (एच बी)-65 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (मलीन बस्ती सुधार और निपटान योजना के अन्तर्गत क्षेत्र में किरायेदारों के बारे में

उपबन्ध) नियम 1968 जो दिनांक 6 जुलाई, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओ - 293-एच/XXXVII-29-एच बी० 65 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (मलीन बस्ती सुधार और निपटान योजना के क्षेत्र में भवनों में रहने वालों को अस्थायी तौर पर बदले में आवास-स्थान अलाट करना) नियम, 1968 जो दिनांक 6 जुलाई, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2184 क/XXXVII - 66 - (X)-11-66 में प्रकाशित हुए थे ।[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2163/68**]

(आठ) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (बोर्ड तथा आवास आयुक्त द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन) नियम, 1968 जो दिनांक 6 जुलाई, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2185 क/XXXVII-16 (IX) (3)-66 में प्रकाशित हुए थे । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2163/68**]

(1) ऊपर की अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2163/68**]

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मद 4 और 5 के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । 25 फरवरी को राष्ट्रपति ने एक उद्घोषणा जारी की थी तथा राज्य सरकार की शक्तियों को राष्ट्रपति ने तथा राज्य विधान मण्डल की शक्तियों को संसद् ने ले लिया था । नियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचनायें 15 अप्रैल, 13 मार्च, 15 जून, 24 जून, 25 जून, 26 जून तथा 19 जुलाई, 1968 को जारी की गई थी। जहां तथा मद 5 का सम्बन्ध है जिसे श्री जगन्नाथ राव ने सभा पटल पर रखा था । उनकी तारीख हैं 7 अक्तूबर, 1967, 9 दिसम्बर, 1967, 16 दिसम्बर, 1967, 30 दिसम्बर, 1967, 6 जुलाई 1968 आदि । अतः उन्होंने ने इस सम्बन्ध में देरी होने के कारण नहीं बताये है । मैं जानना चाहता हूं कि देरी होने के क्या कारण थे ।

श्री जगन्नाथ राव : ये नियम 20 अप्रैल, 1968 को राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे । उत्तर प्रदेश सरकार ने यह विचार किया कि आगामी चुनाव के बाद राज्य के विधि विभाग के माध्यम से नियमों की अतिरिक्त प्रतियां विधान मण्डल के सभा पटल पर रख दी जायेंगी । परन्तु बाद में नियमों की प्रतियां उपलब्ध नहीं थी । अतः उन्हें फिर छपाना पड़ा जिस के कारण देरी हो गई ।

स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं

1 स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 114 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) स्वर्ण नियन्त्रण (स्टैंडर्ड सोने की छड़ों के विशिष्ट विवरण तथा शुद्ध करने की शर्तें) नियम, 1968 जो दिनांक 1 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3116 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) स्वर्ण नियन्त्रण (फार्म, फीस तथा विविध विषय) नियम, 1968 जो दिनांक 1 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3117 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी 2164/68**]

(2) (एक) कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 की धारा 46 की उपधारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस ई सी-205/बी 3-68/69 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 20 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कृषि पुनर्वित्त निगम (कर्मचारी) विनियम 1964 में कतिपय संशोधन किये गये। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 2165/68**]

(दो) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2165/68**]

(3) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा, दिनांक 15 अप्रैल, 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित, के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विक्रय कर अधिनियम, 1948 की धारा 24की उपधारा (5) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विक्रय कर(संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 31 अगस्त, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस टी-3300/X-948 (2)-67 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2166/68**]

(4) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा, दिनांक 15 अप्रैल 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित, के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विक्रय कर अधिनियम, 1948 की धारा 3क की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस टी-3494/X-950 (1)-64 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक, 24 अक्तूबर, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2167/68**]

(5) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में, बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) दिल्ली विक्रय कर (पांचवां संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1968 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०4(41)/66-फिन० (जी०) में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2168/68**]

(दो) दिल्ली विक्रय कर (छटा संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 27 सितम्बर, 1968 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (125)/68-फिन० (जी०) में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2168/68**]

(तीन) दिल्ली विक्रय कर (सातवां संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 9 अक्तूबर, 1968 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4(144)/68–फिन० (जी०) में प्रकाशित हुए थे। (**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2168/68**]

(6) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सत्रहवां संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० 1890 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2169/68**]

(7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 115वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 19 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1873 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) भारत के 116वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 19 अक्तूबर, 1968 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1874 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 10वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 2 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1924 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 118वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 2 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1925 में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 119वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 2 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1926 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 120वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 2 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1927 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2170/68**]

(8) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत 30 जून, 1968 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के औद्योगिक वित्त निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा निगम की आस्तियां तथा दायित्व और लाभहानि लेखा दर्शाने वाला विवरण [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2171/68**]

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गेस (संशोधन) नियम 1968

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामेया) मैं तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अन्तर्गत पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 1948 की एक प्रति जो दिनांक 19 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1868 में प्रकाशित हुए थे। सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2172/68**]

अन्तर्राज्य जल विवाद (संशोधन) नियम, 1968

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : मैं अन्तर्राज्य जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अन्तर्राज्य जल विवाद (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3559 में प्रकाशित हुए थे। सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2173 68**]

पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के बजट अनुमान

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : श्री सिद्धेश्वर प्रसाद की ओर से मैं पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित बिजली (सप्लाई) अधिनियम, 1968 की धारा 61 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वर्ष 1968-69 के लिये पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के बजट अनुमान की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2174 68**]

नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (चौथा संशोधन) विनियम, 1968

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मं० रं० कृष्णा) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (चौथा संशोधन) विनियम, 1968 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 17 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एम० आर० ओ० 11-ई में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1661/68]**

आधे घन्टे की चर्चा के उत्तर में विवरण

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपालसिंह) : मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत अध्ययन द्वारा निदेशों के निर्देश 19 के अधीन, खान अब्दुल गफ्फार खाँ की भारत यात्रा के बारे में 13 नवम्बर, 1968 को श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा उठाई गई आधे घंटे की चर्चा के उत्तर में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2175/68]**

विशेषाधिकार समिति
COMMITTEE OF PRIVILEGES

छठा प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं विशेषाधिकार समिति का छठा प्रतिवेदन पुरःस्थापित करता हूँ।

पूर्वी रेलवे में मुगलसराय और गया के बीच सोननगर स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. RAILWAY ACCIDENT ON THE EASTERN RAILWAY AT SONNAGAR STATION BETWEEN MOGHAL SARAI AND GAYA

श्री वी० कृष्णामूर्ति : (कडलूर): मन्त्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिये जाने से पहले प्रत्येक दल को अपना विरोध प्रकट करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

Shri Shiv Chandra Jha : (Madhu bani) : Mere Statement will not do. We should be given an opportunity to ask questions.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : हमारा मन्त्री इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। इसके लिये रेलवे बोर्ड उत्तरदायी है। नीति वे लोग बनाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्ष बोल रहा हो तो अन्य सदस्यों को नहीं बोलना चाहिये।

यह पहली बार तो दुर्घटना नहीं हुई है। इससे पहले भी दुर्घटनायें हो चुकी है। मन्त्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिये जाने के बाद देखा जाना चाहिये कि मन्त्री महोदय को त्याग पत्र देना है या किसी और को। अब ऐसी कोई चीज कार्यवाही में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

श्री गुन्नानन्द ठाकुर : (सहरसा)**

अध्यक्ष महोदय : आप या तो बैठ जायें या बाहर चले जाये ।

श्री गुन्नानन्द ठाकुर :**

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह मामला बहुत गम्भीर है परन्तु हर सदस्य को शान्त रहना चाहिये । वक्तव्य दिये जाने के बाद हम इस बारे में विचार करेंगे और यदि आवश्यक समझेंगे तो इस बारे में किसी दिन चर्चा कर लेंगे । केवल शोर करने से काम नहीं चल सकता । अत: हमें मन्त्री महोदय को अब सुनना चाहिये ।

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : 15 नवम्बर, 1968 को लगभग 23-59 बजे, जब नं० 2 डेहरी-आन-सोन गोमो सवारी गाड़ी पूर्व रेलवे में ग्रैंन कार्ड के गया-मुगलसराय खंड पर स्थित सोननगर स्टेशन से छूट रही थी, उस समय एक अप बिजली माल गाड़ी इसके साथ बगल से टकरा गई । इसके परिणामस्वरुप, सवारी गाड़ी के इंजन से चौथा डिब्बा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो कर उलट गया, पांचवें और छठे डिब्बे भी उलट गये तथा सातवां डिब्बा पटरी से उतर गया । माल गाड़ी का बिजली इंजन और दो डिब्बे पुश्ते से नीचे गिर गये और उनसे ठीक पीछे वाले 11 डिब्बे पटरी से उतर कर उलट गये । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि दुर्घटना में 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 52 घायल हो गये जिनमें से 6 को गम्भीर चोटें आई हैं ।

डेहरी-आन-सोन के सहायक परिचालन अधीक्षक और सहायक इंजीनियर, दो रेलवे डाक्टरों के साथ, तुरन्त दुर्घटना स्थल पर पहुँचे । सोननगर से दुर्घटना सहायता गाड़ी, दो रेलवे डाक्टरों के साथ 01-00 बजे दुर्घटना स्थल पर पहुंची । गया से चिकित्सायान एक रेलवे डाक्टर और 3 अन्य डाक्टरों के साथ दुर्घटना स्थल पर 03-50 बजे पहुँचा । मंडल चिकित्सा अधिकारी, मुगलसराय के साथ मुगलसराय से चिकित्सा-यान दुर्घटना स्थल पर 04-35 बजे पहुँचा । दानापुर के मंडल अधीक्षक, मंडल अधिकारियों के साथ 07-05 बजे दुर्घटना स्थल पर पहूंचे । पूर्व रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य वाणिज्य अधीक्षक भी दुर्घटना स्थल पर गये ।

रेलवे बोर्ड के इंजीनियरी सदस्य और संरक्षा निदेशक के साथ, रेल राज्य मन्त्री भी हवाई जहाज से दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गये । वे वहां 21-50 बजे पहुंचे और उन्होंने दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को डेहरी-आन-सोन और सोननगर के अस्पतालों में देखा ।

रेल संरक्षा के अपर आयुक्त सोननगर में 20.11.68 से दुर्घटना की जांच करेंगे ।

दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों और घायल व्यक्तियों को अनुग्रह के रुप में कुछ रकम देने की व्यवस्था की गई है ।

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

अध्यक्ष महोदय : श्री कुन्टे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दें ।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
** Not recorded.

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : मैं एक संक्षिप्त का विवरण दूंगा ।

श्री हेम बरूआ (मंगलदायी) : व्यवस्था के प्रश्न पर; श्री कुन्टे पर यह आरोप था कि वह श्रीनगर में फेमीना द्वारा आयोजित श्री प्रिंसेस शो देखने गये थे तथा मन्त्री महोदय ने कहा था कि इस आरोप की जांच की जा रही है । अब यदि श्री कुन्टे अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए विवरण देंगे तो इससे जांच पर कुप्रभाव पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : सरकार को अपनी जांच करने दीजिये। जो कुछ लोगों ने कहा है अथवा श्री कुन्टे कहेंगे वह गलत भी हो सकता और ठीक भी। मैं तो उन्हें माननीय सदस्य होने के नाते बोलने का अवसर दे रहा हूं ।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : श्री कुन्टे पर इस सभा के सदस्य के नाते आरोप नहीं लगाये थे बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के रुप में आरोप लगाये गये थे ।

अध्यक्ष महोदय : आरोप यहां सभा में लगाये गये थे तथा अब मैंने उन्हें अनुमति दी है ।

श्री दत्तात्रय कुन्टे : इसी मास की 12 तारीख को अपने बारे में कही गई कुछ बातों के बारे में ही मैं एक संक्षिप्त सा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दूँगा । मुझे उस समय इस सभा का सदस्य कह कर सम्बोधित किया गया था ।

मैं राजनीति में वर्ष 1930 के सत्याग्रह के समय से हूँ तथा मुझ से पूर्व भी जो बैनट कोलमेन कम्पनी के अध्यक्ष चुने गये थे वह भी एक राजनैतिक दल के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ।

माननीय सदस्य श्री उमानाथ जी ने यह सत्य से दूर की बात कही है कि मैंने अपने चुनाव के लिये इस कम्पनी से दो लाख रुपये लिये । मैंने कोई पैसा नहीं लिया ।

यह एक लिमिटेड कम्पनी है तथा इसके लेखे की कई स्तरों पर कड़ी जांच होती है । सरकार की ओर से भी इस कम्पनी में दो निदेशक नियुक्त हैं । श्र उमानाथ की यह बात भी सत्य नहीं है कि मैंने उस कम्पनी में अपने सम्बन्धियों को विभिन्न पदों पर भर्ती कराया ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज ने कम्पनी द्वारा किसी मशीनरी के क्रम की बात कही थी । मैंने उनको विस्तार से उत्तर दिया था तथा उन्हें प्रमाण देने को कहा था ।

Shri George Fernandes : These are the proofs. We should get explanation.

संविद श्रमिक (विनियमन तथा उत्पादन) विधेयक

CONTRACT LABOUR (Regulation & Abolition) BILL

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरणीय समय में वृद्धि

श्री काशी नाथ पांडेय (पदरौना) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि यह सभा कतिपय स्थापनाओं में संविद श्रमिकों के नियोजन का विनियमन करने तथा कतिपय परिस्थितियों में इसके उत्पादन तथा तत्सम्बन्धी विषयों के लिए

उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय बजट सत्र (1969) के दूसरे सप्ताह के अन्तिम दिन तक अग्रेतर बढ़ाती है।'

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा कतिपय स्थापनाओं में संविद श्रमिकों के नियोजन का विनियमन करने तथा कतिपय परिस्थितियों में इसके उत्पादन तथा तत्सम्बन्धी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय बजट सत्र (1969) के दूसरे सप्ताह के अन्तिम दिन तक अग्रेतर बढ़ाती है।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक
GOVERNMENT (LIABILITY IN TORT) BILL

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरणीय समय में वृद्धि

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़)। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा दुष्कृति में सरकार के दायित्व सम्बन्धी विधी को परिभाषित तथा संशोधित करने तथा कतिपय तत्सम्बन्धी विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय 31 मार्च, 1969 तक अग्रेतर बढ़ाती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा दुष्कृति में सरकार के दायित्व सम्बन्धी विधी को परिभाषित तथा संशोधित करने तथा कतिपय तत्सम्बन्धी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय 31 मार्च, 1969 तक अग्रेतर बढ़ाती है।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

पेटेंट विधेयक
PATENTS BILS

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरणीय समय में वृद्धि

श्री राजेन्द्रनाथ बरुआ (जोरहाट) : म प्रस्ताव करता हूं

"कि यह सभा पेटेंटों से सम्बन्धित विधि को संशोधित तथा समेकित करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय को 31 मार्च 1969 तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा पेटेंटों से सम्बन्धित विधी को संशोधित तथा समेकित करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिये नियत समय को 31 मार्च 1969 तक बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सर्व श्री मधुलिमये तथा अर्जुनसिंह भदोरिया की गिरफ्तारी के बारे में
RE-ARREST OF SARVASHRI MADHU LIMAYE AND ARJUN SINGH BHADORIA

Shri Rabi Ray (Puri) : Our hon. Members Shri Arjun Singh Bhadoria and Madhu Limaye have been arrested and no statement in this behalf has come so far.

अध्यक्ष महोदय : अभी अभी कुछ समाचार आया है । मैं उसे देख रहा हूं कि सरकार का इस बारे में क्या कहना है । पढ़ने के बाद ही मैं आपको अधिक जानकारी दे सकूंगा ।

Shri Rabi Ray : They have been put into jail only to prevent them from attending the House. Govt. may be asked to release them and let them come in the House.

Shri S. M. Joshi (Poona) : Shri Bhadoria has been prosecuted under Section 307 whereas there are no reasons for that They have rejected bail. When Parliament is in session, Govt. should not stop him from coming to the House.

Shri George Fernandes (Bombay South) : There is some conspiracy behind it as the bye elections in U. P. and Bihar are ahead.

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : These States are under Presidents' Rule and Shri Chavan must have inquired into the affairs. They have jailed Bihar's ex-Chief Minister Shri Kapil Deo also. This all is for the sake of mid-term elections.

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक (जारी)
CONTROL INDUSTRIAL SECURIETY FORCE BILL (Contd)

अध्यक्ष महोदय : अब हम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक पर विचार करेंगे । इस के लिए कुल 5 घण्टे नियत हुए थे जिसमें से हम तीन घण्टे तक तो पहले ही विचार कर चुके हैं । सामान्य विचार एक घण्टा और जारी रह सकता है । सभी दल बोल चुके हैं; जो नहीं बोल पाये हैं वे भी बोल लेंगे ।

आज शाम कच्चाथिव पर भी आधे घण्टे की बहस होनी है । कुछ ही दिनों में श्रीलंका के प्रधान मन्त्री यहां आने वाले हैं तथा सरकार इस मामले में विचार करना चाहती है । पर मैं इसे स्थगित करता हूं । इस पर बाद में कभी विचार किया जायेगा ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं इस विधेयक का पूरी तरह विरोध करता हूं क्योंकि यह केवल असामयिक ही नहीं, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों में अनावश्यक भी है।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

संयुक्त समिति में तथा यहां भी इस पर काफी विचार हो चुका है तथा सरकार इसकी आवश्यकता के बारे में हमें सन्तुष्ट नहीं कर सकी है।

पहले तो सरकार यह बताये कि क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने भी अपनी सुरक्षा हेतु इस बिल की मांग अथवा इच्छा प्रकट की है ? जहां तक मैं जानता हूं ऐसी कोई मांग नहीं हुई है।

यह विधेयक राज्यों के अधिकारों के बारे में भी मूल भूत प्रश्न पैदा करता है। शायद सरकार राज्यों अधिकारों का अतिक्रमण करने का निश्चय कर चुकी है। क्योंकि ये उपक्रम तो केन्द्र सरकार के अन्तर्गत है परन्तु श्रम सम्बन्धों के बारे में राज्य सरकारें निर्णय करती है। कार्मिक संघों ने इस बारे में कठिनाई अनुभव करते हुए यह मांग की थी कि श्रम सम्बन्धों के मामले को भी केन्द्र सरकार अपने अधीन ले ले, परन्तु न तो केन्द्र ने ही कोई पग उठाया तथा न ही राज्य सरकारों ने इसे स्वीकार किया। यदि केन्द्र सरकार मान जाती तो ये कठिनाईयां काफी हद तक दूर हो सकती थी।

इस केन्द्रीय सुरक्षा बल का क्या अर्थ है ? वास्तव में यह एक राज्य में केन्द्रीय द्वीप के समान है। यह बल सरकारी उपक्रमों के लिये कार्य करेगा तथा मनमाने ढंग से कार्य करेगा। परन्तु गैर सरकारी उपक्रमों में जब कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार कार्मिक संघों की उचित मांगों को दबाने हेतु दमन की कार्यवाहियां करती है। फिर, सुरक्षा बल भी तो पहरा–निगरानी बल है जो कि इस समय भी सरकारी उपक्रमों में विद्यमान है; कई बार तो राज्य के बलों तथा केन्द्रीय बलों में झड़पें, यहां तक कि गोली चलने की वारदातें भी हो जाती हैं। काश्मीर और आसाम में ऐसा हुआ है तथा वहां कुछ मौतें भी हुई हैं।

हम जानते हैं कि सीमा सुरक्षा बल केन्द्र के अधीन है। परन्तु यदि राज्यों में सरकारी उपक्रमों में यह केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भी स्थापित हो गया तो वहां भी राज्य की पुलिस के साथ उनके झगड़े होंगे। यह राज्य की पुलिस किसलिये है ? क्या यह पुलिस कठिनाई के समय सरकारी उपक्रमों की सहायता नहीं करती ? ऐसा कभी नहीं हुआ है। फिर भी क्यों केन्द्र राज्य सरकारों के अधिकारों को छीनना चाहता है। कानून और व्यवस्था का दायित्व राज्य सरकारों पर है। अतः यह विधेयक राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है।

यदि केन्द्र सरकार अधिकाधिक उद्योग स्थापित करने हेत ऐसे विधेयक की आवश्यकता अनुभव करती है तो वह संविधान में संशोधन करले तथा राज्यों को उनके कार्य-क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से वंचित करदे। परन्तु इस प्रकार तो कुछ मतभेद पैदा हो जाएगा तथा सरकारी उपक्रमों में शान्ति बनाये रखना कठिन हो जायेगा। प्रबन्धकगण कार्मिक संघों की गतिविधियों के विरुद्ध सदैव ही इस केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रयोग करेंगे।

केन्द्र सरकार अपने औद्योगिक उपक्रमों में पहरा निगरानी को ही क्यों नहीं दृढ़ करती ? वस्तु स्थिति तो यह है कि दूषित भर्ती नियमों के कारण पहरा निगरानी दल अपने कार्य में असफल हुआ है । उनको उचित प्रशिक्षण भी नहीं मिला अन्यथा वे लोग अच्छा कार्य करते ।

इसके अतिरिक्त कठिनाइयां भी उत्पन्न होती है कि कार्मिक संघों के मध्य प्रतिद्विन्द्वता है तथा प्रबन्धकगण बहुसंख्यक संघ को कोई न कोई कारण दिखाकर मान्यता नहीं देते । राज्य सरकारें जिन बहुसंख्यक कार्मिक संघों को पसन्द नहीं करती उन्हें अल्पसंख्यक कह कर मान्यता नहीं देती तथा वे कार्मिक संघ मान्यता न पाने पर निरन्तर मुसीबतें खड़ी करते हैं ।

अत: मैं इस विधेयक का विरोध केरता हूं क्योंकि यह राज्य सरकारों के अधिकारों को छीनता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस शासित राज्य सरकारों ने भी इस को स्वीकार किया है कि केन्द्र के सरकारी उपक्रमों की रक्षा हेतु कोई अलग एक बल गठित किया जाये ? यहां तक कि आपात कालीन स्थिति के दौरान भी ऐसी कोई घटना सरकारी उपक्रमों में नहीं हुई कि ऐसे किसी विधेयक की आवश्यकता पडती ।

अत: हमें और अधिक मुसीबत मोल लेने की आवश्यकता नहीं है । अभी भी यह विधेयक वापस लिया जा सकता है । राज्यों और केन्द्र के मध्य पहले से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है । राज्यों को संविधान के अनुसार प्राप्त हर अधिकार मिलने चाहिये अन्यथा कोई गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है । सरकार इस मामले को पुन: सरकारी उपक्रमों तथा राज्यों को भेजे तथा पूछे कि क्या उपक्रमों की रक्षा हेतु राज्य सरकार की पुलिस पर्याप्त नहीं है ।

अत: मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं तथा यदि वह वापस नहीं लिया जाता तो मैं सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा के वे इसे अस्वीकार करदें ।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलिया बोर): इस बात का समर्थन करना तो प्रसन्नता की बात नहीं कि राज्यों की अवपीड़क शक्ति को बढ़ने दिया जाये, परन्तु श्री द्विवेदी की यह बात माननीय है कि राज्यों में केन्द्र के हस्तक्षेप से उत्तेजना बढ़ती है । साथ ही एक बात और भी समझने की है कि यदि ऐसे तनाव बढ़ते हैं तो ये कलुषित भावना, आपसी समझ बूझ आदि की कमी के कारण होती है और यही चीज देश के विकास को रोक देती है ।

प्रश्न तो यह है कि क्या सरकारी उपक्रम सुरक्षित हैं । यही बात सर्वप्रथम सोचनी है । हर देश भक्त आज यह मानेगा कि देश में आज जो कुछ हो रहा हैं उससे कोई खुश नहीं है । राज्यों में यह वृत्ति बढ़ती जा रही है कि वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाये कि केन्द्र की सम्पति को हिंसक भीड़ द्वारा क्षति पहुँचाई जाय । हमने ये उपक्रम इसलिए तो नहीं बनाये कि उन्हें गुमराह लोगों के रहम पर छोड़ दिया जाये । अत: सर्वप्रथम तो यह विचारना है कि क्या सरकारी अनुष्ठानों को वास्तव में ही कोई खतरा है ।

और वास्तव में यह खतरा है । नये नये अनुष्ठानों के होने से तथा नई नई परिस्थितियों के उत्पन्न होने से केवल खतरा ही पैदा नहीं हुआ बल्कि सुरक्षा प्रबन्ध भी कम पड़ गये हैं । अत: इस बारे में कोई कदम जरूर उठाया जाना चाहिये ।

यदि नागरिकगण कानूनों का यथेष्ठ ढंग से पालन करें तो पुलिस आदि के अधिकारों में वृद्धि करने की आवश्यकता ही नहीं बल्कि यदि नागरिक ऐसा करें तो पुलिस धीरे धीरे समाप्त ही हो जायेगी। परन्तु यह तो एक आदर्श स्थिति है और ऐसा हो सकना बड़ा ही कठिन है। आज तो सरकारी अनुष्ठान भी बढ़ रहे हैं तथा हिंसा भी बढ़ रही है। इस मूल भूत स्थिति का हम को मुकाबला करना है।

इस विधेयक की इतनी निन्दा करना ठीक नहीं है। खण्ड 10 में इसके उद्देश्य के बारे में बताया गया है। इस में सरकारी उपक्रमों तथा उनसे सम्बन्धित यंत्रों आदि की सुरक्षा के बारे में कहा गया है। और भारत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय दण्ड संहिता के अधीन प्रत्येक नागरिक को अपनी आत्म-रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। यह विधेयक इसलिये विस्तृत है कि सरकारी उपक्रमों को खतरा भी बड़ा है। रेलवे के लिये भी तो रेलवे प्रतिरक्षा बल मौजूद है तथा और भी कई बल स्थापित हो चुके हैं।

जहां तक कानून का प्रश्न है, महान्यायवादी ने भी अपना मत दे दिया है तथा बाद में सर्वोच्च न्यायालय को भी देना है, और इसके बाद तो कोई सन्देह की बात ही नहीं रह सकती।

प्रभुसत्ता प्राप्त देशों में कानून और व्यवस्था बनाये रखना एक अनिवार्य बात है। यद्यपि अधिकारों का वितरण राज्यों को भी हुआ है, परन्तु फिर भी यह केन्द्र का भी काम है। केन्द्र को राज्य सरकार से भी विचार-विमर्श करना होता है। अतः यह केवल एक प्रक्रियात्मक विधान है। इसके अधीन अपराधी को पकड़ने हेतु शक्ति देना है। धारा 11 और 12 में यह स्पष्ट कर दिया गया है। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार कानून और व्यवस्था, शक्ति अथवा अधिकार के बारे में राज्यों पर क्या कुप्रभाव पड़ता है। लोगों में अधिक विश्वास उत्पन्न करने हेतु एक केन्द्रीय बल की भी आवश्यकता होती है। अमेरिका में भी ऐसा है।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बज कर 7 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at seven minutes past fourteen of the clock

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / **Mr. Deputy Speaker *in the Chair*** }

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लोबो प्रभु !

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं गृह-कार्य मन्त्रालय के पिछले विधेयक के विरोध करने वालों में से था परन्तु अब मैं वर्तमान विधेयक के समर्थन करने वालों में से हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि मैंने अपना दृष्टिकोण बदल दिया है। मैं कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का अनुसरण कर रहा हूं।

सर्व प्रथम तो सभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयक का कानूनी होना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया था कि कानून की बात सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ दी जाये। मैं कहना चाहता हूं कि यह सभा ही सर्वोच्च संस्था है जिसको कि कानून का अधिक ज्ञान है अथवा होना चाहिये। वास्तव में तो कानून व्यवसाय से सम्बन्धित लोगों का यहां सब से अधिक प्रतिनिधित्व है। क्या हम ही इस विधेयक के कानूनी पहलुओं पर विचार नहीं कर सकते ?

यदि सरसरी नजर से यह प्रतीत होता कि यह मामला राज्य सरकारों के अधिकार का उल्लंघन है तो निश्चय ही हम कह सकते थे कि यह विधेयक प्रभावहीन है और अवैध है। यह प्रश्न बड़ा नाजुक है। राज्य और केन्द्र के अधिकारों का विभाजन करना बड़ा ही नाजुक है, मैंने केवल यही कहा है कि हमारा सीमा-विभाजन का अधिकार अपने हाथ में लेना खतरनाक है। मैंने यह नहीं कहा कि इस सभा को इस पर वाद विवाद करने का अधिकार नहीं है।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : इस व्याख्या के लिए मैं आपका अनुग्रहीत हूं। परन्तु यह मेरे इस प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करता कि उच्चतम न्यायालय में ले जाने से पूर्व इस विधेयक पर सभा को विचार करना चाहिए। मेरा अपने उन मित्रों से मतभेद है जो यह कहते हैं कि इस विधेयक पर महान्यायवादी को विचार करना चाहिए।

दूसरी बात गृह मन्त्रालय का संशोधन पर विचार करने का हक इस विधेयक की महता को समाप्त करता है। अगर विधेयक के प्रत्येक संशोधनों को अस्वीकार किया गया तो इस प्रक्रिया का क्या तात्पर्य हो सकता है ? अगर गृह मन्त्री इस संशोधन को स्वीकार कर लेते कि मंत्रियों को उनके नाम से न पुकारा जाय तो इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं होती, यह विधेयक त्रुटियों से पूर्ण है, मैं कहना चाहता हूं कि विरोधी दल और सरकार के मध्य यह एक महत्व पूर्ण मामला है कि संशोधनों पर यथावत विचार किया जाय और इस पर समुचित मतदान किया जाय।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : क्या मेरे माननीय सदस्य यह सुझाव दे रहे हैं कि मंत्री लोग विधेयक का प्रारुप अच्छा बना सकते हैं।

श्री लोबो प्रभु : मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि मंत्री लोग प्रारुप अच्छा बना सकते हैं, परन्तु मेरे विचार में वे इस पर ध्यान दे सकते हैं।

अब मैं तीसरी बात पर आता हूं जो कि इस विधेयक से सम्बन्धित हैं। अगर हम विधेयक द्वारा जनता की भलाई नहीं कर सकते तो हम उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए हम चुने गए हैं, मैं यह अपने उन दोस्तों को कह रहा हूं जो कि यहां आकर कुछ विधेयकों का विरोध करते हैं। हमें यहां सब लोगों की भलाई को दृष्टि में रखते हुए इस विधेयक पर विचार करना चाहिए। मैं अपने मित्रों को यह आश्वासन दूंगा कि यह विधेयक सरकार के लिए उतना नहीं जितना कि उनके लिए आवश्यक है। मैं उनसे तीन प्रश्न पूछूगां जिनका वे जवाब दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं मंत्री नहीं हूं। माननीय सदस्य मुझ से प्रश्न क्यों पूछते हैं ?

श्री लोबो प्रभु : पहला प्रश्न यह है कि क्या यह सभा सरकारी सम्पत्ति की रक्षा करने को तैयार है, अगर सरकारी सम्पति की रक्षा करने वाला कोई नहीं है तो इस सभा का कौनसा सदस्य उस सम्पत्ति को बरबाद करने वाले का साथ देगा ? मुझे विश्वास है कि वे औद्योगिक सम्पत्ति को बरबाद नहीं करेंगे, क्योंकि औद्योगिक सम्पत्ति उनको रोजगार देती है। उन्हें मालूम होगा कि सरकार को दुर्गापुर कारखाने से 8 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी, और उन्हें महसूस हुआ होगा कि इसने उनको प्रभावित किया है। अगर वे उन लोगों की निन्दा करते हैं जिन्होंने सम्पत्ति का विनाश किया है तो वे इस विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं ? इस प्रश्न का उन्हें उत्तर देना चाहिए।

मैंने एक सशोधन पेश किया है जिसके अन्तर्गत विधेयक का कार्य-क्षेत्र औद्योगिक सम्पत्ति तक बढ़ाया जाय, चाहे यह गैर सरकारी क्षेत्र तक ही क्यों न हो क्योंकि औद्योगिक सम्पति रोजगार की सम्भावनाओं को बढ़ाती है।

श्री वी० कृष्ण मूर्ति (कडुलूर) : वे उड़ीसा के मुख्य मन्त्री पर विश्वास करते हैं जिनका कहना है कि हमें गैर सरकारी उद्योगों की रक्षा करनी चाहिए।

श्री लोबो प्रभु : मेरे पास बहुत ही थोड़ा समय है। मेरे माननीय मित्र बाद में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि क्या वे तोड़-फोड़ में विश्वास रखते हैं ? यह विधेयक केवल सरकारी सम्पति से सम्बन्धित प्रक्षेय अपराध के लिए है। मैं चाहता हूं कि सम्पति के नुकसान अथवा विनाश का इसमें हवाला होना चाहिए। क्या इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति है जो यह कहे कि मैं औद्योगिक सम्पत्ति को रक्षा का महत्व समझता हूं और फिर यह कहे कि मैं तोड़-फोड़ में विश्वास रखता हूं। यह एक सीधा प्रश्न है जिसका उत्तर मैं अपने दोस्तों से चाहता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि यह विधेयक अपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रक्षेय अपराधों का ही हवाला है और इसमें सम्पत्ति को नुकसान अथवा विनाश का कोई जिक्र नहीं है। मैं चाहता हूं कि प्रक्षेय अपराध के बदले "सरकारी सम्पति के नुकसान तथा विनाश" शब्द लाया जाये।

मेरा तीसरा प्रश्न है कि क्या यह विधेयक श्रमिक संघों के विरुद्ध है, इस पर कई विपरीत टिप्पणियां की गई हैं, श्रमिक संघों में कुछ ऐसे बुरे लोग हैं जो तोड़-फोड़ में विश्वास रखते हैं और इन्हीं लोगों के कारण श्रमिक संघ बदनाम है। मेरे माननीय मित्रों को इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा वे श्रमिक संघ आन्दोलन के शरारती तत्वों को दूर कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह विधेयक उन लोगों के विरुद्ध नहीं है जो श्रमिक संघों के अच्छे सदस्य हैं। परन्तु यह इसके वास्तविक शत्रुओं के विरुद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है। अब उन्हें यह समाप्त करना चाहिए।

श्री लोबो प्रभु : मेरा समय बढ़ाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय :- इस वाद-विवाद के लिए दो घंटे निर्धारित किए गए थे और फिर भी हमें एक घंटा और बढ़ाना पड़ा। आपको याद रखना चाहिए कि पांच घंटों में से केवल दो घंटे सामान्य वाद-विवाद के लिए हैं।

श्री लोबो प्रभु : कृपया मुझे पांच मिनट अधिक दीजिए ताकि मैं इस विधेयक के संवैधानिक पहलू पर कुछ कह सकूं। संविधान ने राज्य सूची में विषय एक में सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था और विषय दो पुलिस के बारे में कहा है, सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था के अन्तर्गत किसी की सम्पत्ति की रक्षा करना नहीं होता है, सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था का एक विशेष तात्पर्य होता है।

इस विधेयक में पुलिस' शब्द कहीं भी नहीं लाया गया है, पुलिस के मुख्यतः चार प्रकार के कार्य होते हैं, मैं केवल इसमें सुरक्षात्मक कर्तव्य के बारे मे कहूंगा, आप सोचते हैं कि अगर कोई दूसरी संस्था सम्पति की सुरक्षा कर रही है तो क्या पुलिस के अधिकारों में अन्तर आयेगा। अगर आप अपनी सम्पति की देखभाल कर रहे हों तो इससे पुलिस के अधिकार कम नहीं होंगें। अतएव यह भ्रांति पूर्णतया गलत है कि इस बल से पुलिस के अधिकार प्रभावित होंगें। अब मैं समवर्ती सूची पर आऊंगा जिसमें अपराधी प्रक्रिया और सुरक्षा के कानून के बारे में दिया हुआ है, ये सब कानूनी मामले हैं और इसमें अगर किसी को कोई सदेह है तो वह महान्यायवादी को बुलाकर उनके विचार जान सकता है।

जहां तक राज्य के अधिकारों का हनन करने का प्रश्न है, इस पर दुर्भाग्यवश कानून का ठीक उपबन्ध नहीं पढ़ा गया। इस उपबन्ध के अनुसार एक साधारण व्यक्ति को गैर जमाननी और प्रक्षेय अपराध में किसी को पकड़ने का अधिकार है। अतएव यह अधिकार उस अधिकार से अधिक नहीं है जिसके द्वारा हम में से कोई भी प्रक्षेय अपराध के लिए किसी को पकड़ सकते हैं। इस प्रकार राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन करने का प्रश्न नहीं उठता। पुलिस के अधिकार किसी व्यक्ति के अधिकार को समाप्त नहीं करते।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): क्या राज्य पुलिस करा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कोई गैध अधिकार है ?

श्री लोबो प्रभु :- जहां तक रेलवे सम्पत्ति का सम्बन्ध है, राज्य पुलिस के अधिकार रेलवे पुलिस के अधिकार क्षेत्र से मिले हुए हैं। राज्य पुलिस के पास सब अधिकार हैं। विधेयक में केवल सम्पत्ति की रक्षा करने का अधिकार दिया हुआ है। राज्य पुलिस के दूसरे अधिकारों का हनन करने का कोई प्रश्न नहीं है। चूंकि कानून के इस साधारण उप-बन्ध की ठीक से व्याख्या नहीं की गई, इसलिए यह भ्रांति पैदा हो गई है।

श्रीमती ताराकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : माननीय सदस्य जो कुछ कह चुके हैं उसे मैं दोहराना नहीं चाहती। यह विधेयक इस लिए लाया गया है क्योंकि हमें पिछले 20 वर्षों का अनुभव है। सरकारी सम्पत्ति को दंगे फिसाद और आगजनी से काफी बड़ी मात्रा में हानि हुई है और इस बात को देखते हुए यह विधेयक लाया गया है। जब भी कोई दंगा फिसाद होता है तो रेलवे सम्पत्ति को बहुत हानि उठानी पड़ती है और यह नुकसान लाखों तक पहुंच जाता है, इसके अलावा तोड़-फोड़, आगजनी और अनुचित हस्तक्षेप से सरकारी क्षेत्र के कारखाने को बहुत हानि उठानी पड़ती है इसी कारण से इस विधेयक को लाया गया है। कई सदस्य राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर सकते हैं। अगर निष्पक्ष भाव से इस विधेयक को देखा जाय तब यह मालूम पड़ेगा कि देश के अन्दर जो तोड़-फोड़ चल रही है उससे

सरकारी सम्पत्ति को बहुत हानि उठानी पड़ रही है। इन सब की वजह से ह विधेयक लाया गया। अतएव इस सम्पत्ति के लिए सुरक्षा ही आवश्यक नहीं है अपितु औद्योगिक विकास के लिए इनको सरक्षण देना भी उतना आवश्यक है। सरकारी क्षेत्र का कोई भी ऐसा कारखाना नहीं बचा है जहां कि इस प्रकार से हानि न उठानी पड़ी हो। दुर्गापुर तथा भिलाई कारखाने में अगर निर्मित सामान बाहर रखा जाता है तो उसे ट्रकों में भरकर बाहर खुले बाजार में बेच दिया जाता है। इसको रोकने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई है।

हिन्दुस्तान इस्पात कारखानों तथा रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारखानों में उठाईगिरी काफी बड़ी संख्या में होती है। माननीय सदस्यों को यह जानकर हैरानी होगी कि वस्तुओं को कभी भी उनके नियत स्थान में नहीं पहुंचने दिया जाता है, नियत स्थान में पहुंचने से पहले ही उसमें से काफी सामान उड़ा लिया जाता है। इस प्रकार के कार्यों को रोकने के लिए कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है।

जब भी राज्य सरकारों को इसके बारे में कहा जाता है तो उनसे केवल यही उत्तर मिलता है कि हम अपनी करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति की सुरक्षा करने की स्थिति में है और केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। राज्य सरकार सरकारी क्षेत्र के कारखानों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें काफी हानि उठानी पड़ती है।

कलकत्ता स्थित जीवन बीमा के कार्यालय में अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मुझे ऐसी शिकायतें मिली हैं जब कि किसी चपरासी ने अपने प्रथम श्रेणी के अधिकारी को पत्थर से मारा है। इस प्रकार की वारदातें चल रही हैं और कोई भी इनके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा है।

इन सब कारणों से विधेयक को लाने की आवश्यकता हुई। श्री द्विवेदी सिद्धान्त के तौर पर इसका विरोध कर सकते हैं परन्तु निश्चय ही वे इस तथ्य से इन्कार नहीं करेंगे कि अधिक सुरक्षा उपलब्ध की जाये, यह अत्यावश्यक है।

संयुक्त समिति ने इस विधेयक में कुछ सुधार किये हैं और मैं उनका समर्थन करती हूं परन्तु मैं नहीं समझती कि यह विधेयक उतनी सुरक्षा प्रदान कर सकेगा जितनी कि सरकार आशा कर रही है। क्योंकि विधेयक के कानून बनने से राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के मध्य ऐसा समन्वय होना चाहिए जिससे इसको कार्यान्वित किया जा सके।

रेलवे के लिए भी विधेयक का लाना अत्यावश्यक है। यह एक तथ्य है कि रेलवे में उठाईगिरी और हानि बहुत बड़ी मात्रा में होती है। वर्ष 1965–66 में केवल उठाईगिरी और चोरी से रेलवे को 22 04,592 रुपयों की हानि हुई। परन्तु यह सब कम से कम अनुमान लगाया गया है। हम देखते हैं कि रेलों में से बिजली, पंखे, बल्ब आदि सब चोरी होते रहते हैं और इनकी रोक थाम के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है।

अभी माननीय सदस्य डा० सेन ने बताया है कि दुर्गापुर में 8 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है परन्तु यह बहुत कम आंका गया है। वहां के प्रबन्धकों ने 17 लाख रुपयों के आंकड़े

दिये हैं। हानि बहुत अधिक रही है। हड़ताल के दौरान तोड़ फोड़ को बहुत उकसावा मिलता है।

आज केन्द्र में कांग्रेस दल सत्तारूढ़ है। स्थिति यह है कि केन्द्र में तो कांग्रेसी सरकारें है परन्तु राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें, अतएव वे यह नहीं सोचते कि सरकारी सम्पत्ति की रक्षा की जाय।

केरल में श्री नम्बूदिरीपाद ने बहुत सी बातें की हैं, उनके कहे हुई बातों पर पुनर्विचार करना चाहिए। केरल सरकार की केन्द्रीय सेवाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने वहां अपनी आंखों से देखा है कि राज्य के अधिकारियों की केन्द्रीय सरकारी प्रतिष्ठानों और केन्द्रीय सेवा एककों में कोई दिलचस्पी नहीं है, यह एक तथ्य है कि केरल के लोग उत्तेजित नहीं होते तभी वहां शान्ति विद्यमान है। इसका श्रेय श्री नम्बूदिरीपाद अथवा कम्यूनिष्ट पार्टी को नहीं दिया जा सकता। केरल सरकार वहां कुछ नहीं कर रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि त्रिवेन्द्रम के केन्द्रीय डाक घर में कोई भी रक्षक सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए उपस्थित नहीं था। प्रदर्शनकारियों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। अक्सर राजनीतिक दल कुछ न कुछ दंगा फिसाद कराके निकल भागते हैं, और बाद में गुंडे व शरारती तत्व सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। इन सब को देखते हुए विधेयक का लाना आवश्यक था।

खण्ड 9 में अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया है। जब दूसरे सेवा के आदमी को अपील करने का अधिकार है तो इन लोगों को इससे क्यों वंचित रखा जा रहा है? उन्हें उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार मिलना चाहिए। जिस प्रकार सरकारी कर्मचारी को याचिका दायर करने का अधिकार है उसी प्रकार इन लोगों को भी यह अधिकार मिलना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगी कि खण्ड 14 पर पुनर्विचार किया जाय, क्योंकि यह तथ्य है कि इसकी कई प्रकार से व्याख्या की जा सकती है, इसलिए इसको फिर से देखा जाय।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय मेरे विचार में कांग्रेस दल को इस समय तक विधेयक के उद्देश्य के बारे में निश्चित विचार बना लेने चाहिए। क्योंकि इस सम्बन्ध में उनके द्वारा परस्पर विरोधी विचार प्रकट किये जा रहे हैं, जिससे स्थिति उलझ रही है। मंत्री महोदय ने कहा था कि विरोधी दल के सदस्य इस विधेयक की गहराई में न जायें। उन्होंने बार बार यह जोर देकर कहा था कि यह वर्तमान पहरा-निगरानी संगठन में सुधार लाने से और अधिक नहीं है। उन्होंने कहा था कि वे वर्तमान पहरा-निगरानी संगठन को और अधिक कार्यकुशल बनाना चाहते हैं क्योंकि इसमें चयन, भरती, प्रशिक्षण आदि के मामले में काफी अनियमितता आ गई थी। ये सब विधेयक को पेश किये बिना किये जा सकते थे। पहरा निगरानी में भरती, प्रशिक्षण आदि को संचालन करने वाले नियमों में कोई बाधा उपस्थित नहीं कर रहा है तथा केन्द्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है।

अभी श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने अपने भाषण में अप्रत्यक्ष हवाला दिया था कि श्रम सम्बन्धी झगड़े, कर्मचारियों की हड़ताल आदि से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें इस

बल का प्रयोग किया जा सकता है। अतएव मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का विचार केन्द्रीय औद्योगिक सु क्षा बल को प्रबन्ध निदेशक के हाथ में देने का है कि नहीं ? वे इस प्रश्न का उत्तर दें क्योंकि ऐसा भय प्रकट किया जा रहा है कि प्रबन्ध निदेशक श्रमिक संघों को दबाने में अपने अधिकार का दुरुपयोग करेंगे। श्री लोबो प्रभु ने ईमानदार तथा बेईमान श्रमिक संघों के बारे में कहा है। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि इन सब का कौन निर्णय करेगा।

मैं कहना चाहूंगा कि यह प्रश्न केवल वैधता का नहीं है अपितु सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को चलाने वाले अधिकारियों के श्रमिक संघों तथा श्रम सम्बन्धी प्रश्नों के प्रति दृष्टिकोण का है, उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल हुई तो सरकार ने अध्यादेश जारी करके हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया और कहा कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। यह उनका उठाया गया कदम हो सकता है। परन्तु आप उनका दृष्टिकोण, भाषा आदि देखिए। मैं रेलवे मंत्री द्वारा लिखे गये एक पत्र की प्रतिलिपि दिखा सकता हूं जिसमें कि उन्होनें विभिन्न रेलवे के जनरल मैनेजरों को हड़ताल के बारे में सम्बोधित किया है और उनको हड़ताल तोड़ने तथा सजा देनें पर बधाई दी है।

यह तोड़-फोड का प्रश्न नहीं है। जब भी रेलवे में श्रमिक संगठन हड़ताल का निर्णय करते हैं तो उन्हें 'अतिवादी तत्वों' की संज्ञा दी जाती है। संयत्रों के जनरल मेनेजरों का श्रमिक संगठनों के प्रति ऐसा रवैया है। यदि ऐसा व्यक्ति कहीं का मेनेजिंग डाइरेक्टर नियुक्त कर दिया जाता है तो वह औद्योगिक विवादों के मामले में कैसे निष्पक्ष रह सकेगा। वह तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग श्रमिकों को डराने धमकाने और उन्हें तंग करने के लिए करेगा। हम सरकार से केवल यह अनुरोध करते हैं कि वह हमें यह आश्वासन दिलाये कि वह वस्तुतः इन संयत्रों की तोड़-फोड़ से सुरक्षा करना चाहती है। कुछ श्रमिक संगठनों की मान्यता यह आरोप लगाकर कि उन्होंने गैर कानूनी हड़ताल में भाग लिया है, 24 घंटे के अन्दर ही समाप्त कर दी गई जबकि इंटक संगठन को मान्यता प्राप्त है, हालांकि उसके आह्वान पर की गई हड़ताल में तोड़-फोड़ की कार्यवाही के परिणाम स्वरुप 17-18 लाख रुपयों की हानि हुई थी और रोलिंग मिल के कुलिंग पाइप नष्ट किये गये थे। सरकार इस प्रकार की दोहरी नीति क्यों अपनाती है ? शायद इसका कारण यह है कि इन्टक के संरक्षक श्री अतुल्य घोष है।

आप संयत्रों की किससे रक्षा करना चाहते है ? क्या चोरी से, तो यह रेलवे या बन्दरगाह का तो मामला नहीं है, और रेलवे में भी सुरक्षा बल चोरी कम करने में असफल रहा है। क्या यह व्यवस्था कारखाने के अन्दर होने वाले साम्प्रदायिक दंगों से बचने के लिये की जा रही है ? अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हटिया के सरकारी उपक्रम में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए थे उन पर नियंत्रण के लिये बुलाई गई सेना भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकी थी। हमें यह स्पष्टतः समझ लेना चाहिये कि इस विधेयक का उद्देश्य क्या है ? इसके माध्यम से हम क्या चाहते हैं ? आज भारत का राजनीतिक मानचित्र बदलता जा रहा है। राजनीतिक विचारक यह सोच रहें है कि ऐसी स्थिति में संविधान के संघात्मक स्वरूप की रक्षा कैसे की जाये। परन्तु वर्तमान सरकार तो राज्यों की स्वतंत्रता को सीमित करके हर प्रकार से केन्द्रीय सरकार के हाथ मजबूत करना चाहती है। यह बड़े ही खेद की बात है।

हमारी सरकार महान्यायवादी के परामर्श की परवाह नहीं करती। इस विधेयक के बारे में महान्यायवादी ने संयुक्त समिति में अपनी यह राय प्रकट की थी कि इसमें स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता है। अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है, केवल नियमों में संशोधन से काम नहीं चलेगा। सरकार ने महान्यायवादी श्री सी० के० दफ्तरी की यह राय नहीं मानी।

जहां तक इस बल के क्षेत्राधिकार की बात है, इस बारे में मैंने आपत्ति की थी। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार कि इस बल के अधिकार को केवल संयत्र की परिसीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। परन्तु 'कारखाने की परिसीमा' से क्या तात्पर्य है? क्या यह कारखाने की चारदीवारी तक ही सीमित रहेगी अथवा सरकारी उपक्रमों के आस पास बसी बस्तियों में भी इसे अधिकार प्राप्त होगा। हम चाहते हैं कि इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाये। यदि यह अस्पष्ट रहा, तो इस बल का उपयोग किसी भी उचित या अनुचित प्रयोजन के लिये किया जा सकता है। मेरे विचार से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस पहले से ही विद्यमान है। यह एक अर्ध-सैनिक संगठन है। यह केवल पहरेदारी या निगरानी करने वाला संगठन नहीं है। यह तो अर्ध सैनिक संगठन है जिसके पास बेतार के तार की, परिवहन तथा हथियारों की सुविधा प्राप्त होगी इसका विरोध न केवल गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों ने बल्कि अन्य राज्य सरकारों ने भी किया है। मैसूर और आन्ध्र प्रदेश ने इसका विरोध किया है। यह सरकार का दोहरी सत्ता हथियाने का प्रयास है। अतः हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

श्री रा० धो० भण्डारे(बम्बई मध्य):यह तर्क कि औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक से श्रमिक संगठनों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा केवल शंकाओं पर ही आधारित है। दूसरी बात जो लोगो के मन को आन्दोलित कर रही है, वह यह है कि इस विधेयक से राज्य सरकारों की विधायत्ती शक्ति का हनन हो रहा है। किन-किन औद्योगिक उपक्रमों तथा अन्य औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा का प्रबन्ध करना है इसका निर्णय केन्द्रीय सरकार करेगी। इस प्रकार अन्य औद्योगिक संस्थानों के इसके क्षेत्राधिकार में आने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल उन्हीं संस्थानों पर लागू होगा जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार यह निर्णय करेगी की अमुक अमुक संस्थानों की सुरक्षा का प्रबन्ध करना आवश्यक है। साथ ही राज्य सरकार की अनुमति के बिना भी यह लागू न होगा। परिणामतः यह राज्य सरकार पर उसकी अनुमति से ही लागू होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या अनुमति प्राप्त करने की कोई व्यवस्था है? इसका उत्तर 'हां' में दिया जा सकता है। खंड 10 में प्रावधान है कि किसी भी उपक्रम पर यह विधेयक तब तक लागू न किया जायेगा तब तक उस राज्य की अनुमति न ले ली जाये जिसमें सम्बन्धित उपक्रम स्थित है। इसमें पूर्व अनुमति की व्यवस्था है। इसके पश्चात् यह प्रश्न उठता है कि क्या इस प्रकार से अनुमति देना संविधान से सामंजस्म रखता है? इसके उत्तर में मैं अनुच्छेद 249 का उल्लेख करना चाहता हूं। राज्य सूची के विषय पर भी राज्य सभा कानून बना सकती है यदि कुछ राज्य इस आशय का संकल्प पारित करके राज्य सभा को भेजें। संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन भी ऐसी ही व्यवस्था है। यदि दो या दो से अधिक राज्य संसद से अनुरोध करें कि वह उनके लिये कानून बनाये तो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। मेरा कहने का

तात्पर्य यह हैं कि इस प्रकार की योजना संविधान में भी है। अतः हमें इस बात से नहीं डरना चाहिये कि न्यायपालिका इसे अवैध घोषित कर देगी।

Shri Deven Sen (Asansol) : Sir I oppose the Central Industrial Security Force Bill. It provides. according to Government, for the constitution and regulation of a force called the Central Industrial security force for better protection and security of certain Industrial undertakings. But as a matter of fact it makes no such provision. There are three important clauses-7,11 and 12. In clause 7 it is stated that the superintendence of this force will west in the Central Government and the administration of this force will be controlled by the Inspector General. The State Government will have no power over it. The last sentence of clause 7 is "discharge his functions under the general supervision, direction and control of the Managing Director of that undertaking." The mention of "arrest without warrant" is made in clause 11 and 12 deals with "the power to search without warrant." This is my humble submission that the power to asrest or search without warrant" is in contravention of article 21 of the constitution, which states-"No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law." Moreover article 22 (2) of the constitution reads: " Every person who is arrested and detained in custody should be produced before the nearest magistrate within a period of twenty-four hours of such arrest."

I think the intention of the Minister in introducing this bill is to put a check on the sabotage committed by the workers on strike. Here I would like to point out that all the public sector undertakings or plants except Hindustan Cables and Hindustan Telephones are sustaining heavy loss. In my opinion its main object is to give more powers to Center in India so that at opportune times the central Government may go on ruling while undoing the State force. To put the Central Industrial Security Force under the control of mangaement, is a dangerous thing. This Bill is the ihird Bill in last to months, which go against the interests of the workers. First two were Gold Control Bill and the Banking Regulation Bill. Tbis Bill empowers the personnel of the force to arrest the workers without the warrant. Hence I oppose this Bill.

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल) : कुछ सदस्यों ने इस विधेयक के बारे में संवैधानिक वैधता का प्रश्न उठाया है और कुछ ने इसे लोक सभा की विधायनी शक्ति के बाहर बताया है। माननीय सदस्य ने महान्यायवादी की राय का पूर्ण विवरण नहीं दिया। संवैधानिक वैधता के बारे में उनकी यह राय थी कि इस विधेयक से राज्यसूची प्रभावित नहीं हो रही है। ऐसी ही राय न्यायालय की भी थी। इस दृष्टि से इस विधेयक के बारे में आपत्ति की कोई गुंजाइश नहीं है। इस पर भी यदि कोई शंका रहती है तो सरकार उसे दूर करने के लिये तैयार है। यह बल किसी भी प्रकार से राज्य सरकार की संविधान द्वारा रक्षित स्वतन्त्रता का हनन नहीं करेगा। दूसरी आपत्ति यह उठाई गई है कि भारत सरकार की सम्पत्ति से सम्बन्धित कुछ गैर सरकारी औद्योगिक संस्थान भी हो सकते हैं या राज्य सरकार के उपक्रम आदि हो सकते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए भी हमने सम्बन्धित खंड में संशोधन कर दिया है।

मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के एक बिजलीघर द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र को बिजली सप्लाई की जाती है। अब यह संयत्र केन्द्रीय सरकार का नहीं परन्तु इसके सचालन में केन्द्रीय सरकार का महत्वपूर्ण हाथ है। यदि कोरबा थरमल पावर स्टेशन की सुरक्षा के लिये

औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात किया जाना है तो उसके लिये राज्य सरकार का सहमति आवश्यक है। महान्यायवादी द्वारा व्यक्त की गयी राय और संयुक्त समिति के सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों के अनुसार खण्ड 10, 11, और 14 में संशोधन कर दिया गया है जिससे किसी को संदेह करने या आपत्ति करने की गुंजाइश ही न रहे कि इससे विधेयक से राज्य के क्षेत्रों का अतिक्रमण होता है।

इन संशोधनों के बाद लोगों के मन में जो भी संदेह होगा, वह दूर हो जायेगा। यह कहना अनुचित है कि सरकार मजदूर संघ की गतिविधियों को रोकना चाहती हैं। सुरक्षा बल को प्रबन्धक निदेशक के अनुरोध पर संयंत्र की निगरानी के लिये भेजा जायेगा। इस बल के कृत्य पुलिस जैसे नहीं होंगे। वारंट के बिना किसी व्यक्ति की तलाशी लेने और उसे गिरफ्तार करने के लिये इस बल को दी गयी है वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 59 के अन्तर्गत अन्य नागरिकों को दी गयी शक्ति से न अधिक है और न अच्छी है। अतः यह कहना ठीक नहीं कि यह बल पुलिस के ही बराबर है। इस बल का काम इन प्रतिष्ठानों की निगरानी करना है और उनको इस काम के लिये नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया गया है। इस विधेयक में इस बात की व्यवस्था है कि यदि यह बल किसी व्यक्ति को पकड़ता है तो वह उसे निकटतम पुलिस स्टेशन पर ले जाकर आगे कार्यवाही करने के लिये उसे पुलिस के हवाले कर देगा। इस बल को किसी व्यक्ति को रोकने या उसके विरुद्ध पुलिस की तरह कार्यवाही करने की कोई शक्ति नहीं दी गयी है। फिर उनका अधिकार क्षेत्र केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रमों तक सीमित है।

यह कहा गया है कि यह कार्य राज्य की पुलिस को ही क्यों नहीं सौंप दिया गया ? ऐसा इसलिये नहीं किया गया, क्योंकि यह काम निगरानी और पहरा देने का है जो पुलिस का काम नहीं है। सामान्य स्थिति में हम यह काम 'वाच एण्ड वार्ड' के कर्मचारियों द्वारा करवाना चाहते हैं, पुलिस द्वारा नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यदि किसी औद्योगिक संयंत्र के प्रबन्धक निदेशक को सहायता की आवश्यकता हो तो क्या वह उपरोक्त बल अथवा राज्य की पुलिस को बुला सकता है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यदि प्रबन्धक निदेशक को प्रतिष्ठान की सुरक्षा के लिये सहायता की आवश्यकता हो तो यह काम इस बल द्वारा किया जायेगा। परन्तु यदि कानून और व्यवस्था का मामला हो तो वह निश्चय ही तत्सम्बन्धी मामलों के साथ निपटाने के लिये राज्य की पुलिस को बुला सकता है। इस बल का काम कानून और व्यवस्था स्थापित करना नहीं।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : यदि यह 'वाच एण्ड वार्ड' कर्मचारी हैं तो इन्हें हर समय प्रतिष्ठान में ही रहना चाहिये परन्तु यह तो बाहर रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बुलाया जायेगा फिर वहां पर पहले से ही 'वाच एण्ड वार्ड' कर्मचारी विद्यमान हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने यह पहले बता दिया है कि इस बल को संगठित करने के बाद वहां पर और कोई 'वाच एण्ड वार्ड' कर्मचारी नहीं होंगे। वर्तमान 'वाच एण्ड वार्ड'

कर्मचारियों को यथा सम्भव इसी बल में सम्मिलित कर लिया जायेगा और फिर उन्हें अच्छी प्रकार से प्रशिक्षण दिया जायेगा और आवश्यक उपकरण भी दिये जायेंगे। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार का यह इरादा नहीं है कि वह राज्यों के पुलिस बल द्वारा सामान्य रूप से किये जाने वाले किसी कार्य को करने के लिए राज्यों के प्राधिकार को तनिक भी आघात पहुंचाये। ये स्पष्टीकरण दिये जाने के बाद मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस कार्यवाही का समर्थन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि कतिपय औद्योगिक उपक्रमों के बेहतर संरक्षण तथा सुरक्षा के लिये केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नामक एक बल के गठन तथा विनियमन के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाय।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha Divided

पक्ष में 63 :	**विपक्ष में 56**
Ayes 63 :	**Noes 56**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस विधेयक पर खण्ड वार चर्चा की जायेगी।

खण्ड 2
Clause 2

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं संशोधन संख्या 2 और 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस संशोधन का प्रयोजन यह है कि जो उपक्रम सरकारी नहीं है उन्हें भी यह संरक्षण प्राप्त होना चाहिये। मैंने यह आरम्भ में ही बता दिया था कि हम केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की रक्षा के सिवाय और किसी काम के लिये इस बल को नहीं दे सकते। फिर जो गैर सरकारी उपक्रम राज्यों में हैं, उनकी रक्षा करने का दायित्व राज्य सरकार पर है, केन्द्रिय सरकार पर नहीं। अतः इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 और 3 सभा के मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।
The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

Clause 3

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लोबो प्रभु, श्री नम्बियार, श्री त्यागी, श्री चपलाकांत भट्टाचार्य और श्री अब्दुल गनी दार के संशोधन हैं ।

श्री लोबो प्रभु : मैं संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 22 और 23 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मैं संशोधन संख्या 45 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज) : मैं संशोधन संख्या 47 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव): मैं संशोधन संख्या 57 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु : मेरे संशोधन का एक सामान्य उत्तर दिया गया है मेरा यह कहना है कि सभी प्रकार की सम्पत्ति की रक्षा की जानी चाहिए चाहे वह सरकारी उद्योग हो या गैर-सरकारी हो । किसी भी उद्योग को नष्ट करने से उत्पादन के संसाधन नष्ट हो जाते हैं । अतः प्रस्तावित बल न केवल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बल्कि गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों को भी उपलब्ध होनी चाहिये ।

सरकार ने अपने आपको औद्योगिक संकल्प की प्रथम अनुसूची तक ही सीमित रखा है जबकि सभी सरकारी सम्पत्ति और औद्योगिक सम्पत्ति की रक्षा की जानी चाहिये । अतः यह संशोधन महत्वपूर्ण है ।

श्री नम्बियार : मैं श्री लोबोप्रभु के उपरोक्त सुझाव से सहमत नहीं हूँ । यदि केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों की रक्षा करने के लिये वर्तमान बल में वृद्धि करने के लिये अधिक सुरक्षा बल की आवश्यकता है तो हम उसके लिये अनुमति दे सकते हैं । परन्तु मेरा संशोधन यह है कि यह बल उस राज्य सरकार के नियंत्रण में होना चाहिये जहां पर उस बल के हैडक्वाटर हों । इस बल में भर्ती भी राज्य सरकार द्वारा ही की जानी चाहिये । हां उनको वेतन केन्द्रीय सरकार दे सकती है, क्योंकि राज्य सरकारों के पास धन का अभाव है । इस विधेयक में सरकार किसी सरकारी उपक्रम के महाप्रबन्धक को तलाशी लेने और

{ श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare *in the Chair* }

गिरफ्तार करने की पुलिस की शक्ति दे रही है । इसका अर्थ यह है कि सरकार इस बात की उपेक्षा कर रही है कि वहां राज्य में एक राज्य सरकार भी विद्यमान है जिसके पास पुलिस बल भी है । दूसरी ओर सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श किये बिना ही प्रत्येक राज्य में वर्तमान बल के समानान्तर एक और बल रखना चाहती है । सरकार को ऐसी स्थिति नहीं

पैदा करनी चाहिए जिससे राज्य के लोग यह समझने लगें कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार की शक्तियों को हड़पना चाहती है। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार की सहमति के साथ इस बल का प्रयोग करना चाहिये।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रायगंज) : मैंने खण्ड 3 (2) में संशोधन संख्या 47 प्रस्तुत कर दिया है इस खण्ड की रचना दोषपूर्ण है। इस दोष को दूर किया जाना चाहिये। इस खण्ड में "बल इस ढंग से गठित किया जायेगा" और इसमें इतने पर्यवेक्षण अधिकारी होंगे के बीच में 'और' शब्द रखा जाना चाहिये। इसके बिना यह एक उपखण्ड प्रतीत होता है।

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*. }

संयुक्त समिति के सदस्यों को भी यह वाक्य स्पष्ट प्रतीत नहीं हुआ होगा। इसलिये इस खण्ड में कमी रही है और जब तक इसका परिवर्तन नहीं किया जाता हमें यह खण्ड पारित नहीं करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अब हम बाढ़ के बारे में चर्चा करेंगे।

देश में बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य पर प्रस्ताव
MOTION RE : STATEMENT ON FLOOD SITUATION IN THE COUNTRY

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा सुझाव यह है कि इस पर चर्चा से पूर्व हम कुछ समय के लिये अपने स्थानों पर खड़े होकर उन हजारों व्यक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि दें जो बाढ़ के कारण बिहार, पश्चिम बंगाल अथवा उड़ीसा में मरे हैं।

Shri Rabi Ray (Puri) : I second this motion.

अध्यक्ष महोदय : हमें केवल दो बातों पर ही चर्चा करना है। एक तो बाढ़ और दूसरा समुद्री तूफान।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि देश में बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में सिंचाई और विद्युत मंत्री ने 13 नवम्बर, 1968 को सभा पटल पर जो वक्तव्य रखा, उस पर विचार किया जाये।"

महोदय मैंने सारी सूचना पहले ही दे दी है। अब तो मैं सदस्यों के सुझाव सुनना चाहता हूं। हां उड़ीसा की बाढ़ के लिये वित्त मंत्रालय ने 50 लाख रु० की राशि और दे दी है। यह 50 लाख रु० उस 50 लाख रु० की राशि के अतिरिक्त है जो पहले मंजूर की जा चुकी है। वहां केन्द्रीय दल समुद्री तूफान के कारण नहीं जा सका। अब मैं सदस्यों के सुझाव सुनना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि देश में बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में सिंचाई और विद्युत मंत्री ने 13 नवम्बर, 1968 को सभा पटल पर जो वक्तव्य रखा, उस पर विचार किया जाये"। इस पर कुछ स्थानापन्न प्रस्ताव हैं। सिवाय श्री यशवन्त सिंह कुशवाह और श्री विभूति मिश्र के बाकी सबने अपने स्थानापन्न प्रस्ताव पेश कर दिये हैं।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : महोदय मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : महोदय, मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : महोदय, मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : महोदय, मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 6 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : महोदय, मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रवि राय (पुरी) : महोदय, मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : महोदय, बड़े दुःख के साथ मुझे उस स्थिति का बयान करना है जो बाढ़ तथा समुद्री तूफान के कारण उड़ीसा में घटी है। यह बाढ़ गत मास की 26, 27 तथा 28 तारीख को आये।

जुलाई तथा अगस्त में सूखा के कारण कृषि कार्यों को रोकना पड़ा। अब तूफान और बाढ़ आ गई। यह तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया। बरहमपुर में वर्षा ने पिछले सब रिकार्ड तोड़ दिये। डाक तार तथा संचार के साधन सब समाप्त हो गये। इस समय धान की फसल पकी हुई थी और आप किसानों की हालत का अनुमान लगा सकते हैं। इसी प्रकार खोपरे के पेड़ भी गिर गये और पान के पौधे समाप्त हो गये। सरकारी कार्यालयों के भवन भी गिर गये हैं। वहां मानव तथा पशुओं की लाशें पड़ी सड़ रही हैं। राजकीय पथ संख्या 5 बहुत स्थानों पर टूट गई है। यह सड़क कलकत्ता और मद्रास के बीच है। यह जानकिया तथा खुर्द और छत्तरपुर तथा बरहमपुर स्थानों पर विशेष कर टूटी हुई है।

इन दरारों को भरने के लिए लगभग 1.63 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इस वर्ष की बाढ़ से यह भी सिद्ध हो गया है कि इस राष्ट्रीय राजपथ में पानी के विकास के लिए तथा रेलवे लाइन के लिए रखी गई धनराशि पर्याप्त नहीं थी। इसी प्रकार चिल्का माअथ में रेत भर रही है। इससे भी अनेक क्षेत्रों में पानी भर जाता है। इसका तलकर्षण किया जाना चाहिए।

कलकत्ता से मद्रास को जोड़ने वाली पूर्वी तटीय रेलवे लाइन में अनेक दरारें पड़ गई हैं। रेलगाड़ियों को टीटागढ़ तथा सम्भलपुर की मारफत भेजा जा रहा है। रेलगाड़ियों को सामान्य रूप से चलने में कई महीने लग जायेंगे।

बिजली प्रेषण लाइन भी अनेक स्थानों से टूट गई है और इससे कटक, पुरी तथा गेजम में पूर्णतया अन्धकार छा गया था। उड़ीसा सरकार के एक अनुमान के अनुसार 2451 वर्ग मील क्षेत्र तथा 13,47,752 लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा है। 1,58,699 मकानों को या तो क्षति पहुंची है या वे पूर्णतया नष्ट हो गये हैं। 4200 स्कूलों तथा 5 कालेजों को भी क्षति पहुंची है। 77 व्यक्ति तथा 22,690 पशु मारे गये हैं। 4,88,207 एकड़ भूमि पर खड़ी फसल को क्षति पहुंची है। मछली पकड़ने वाली नौकाओं तथा अन्य उपकरणों को भी लगभग 1.60 करोड़ की क्षति हुई है। वन विभाग द्वारा तटीय पट्टी में लगाये गये बागान भी पूर्णतया नष्ट हो गये हैं। समूचे समुदाय को सामान्य जीवन पर लगाने के लिए लोगों को परीक्षण सहायता कार्य पर लगाने, समाज के गरीब वर्गों में सस्ते दामों पर अनाज देने, उचित मूल्य की दुकानें खोलने, पशुओं के लिए चारा देने, कृषि ऋण देने तथा रबी फसल के लिए बीज आदि देने, जैसे अल्प अवधि उपाय करने चाहिए।

मुख्य मंत्री ने अन्य मंत्रियों तथा कुछ उच्च अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था तथा सभी राजनैतिक दलों के सहयोग से अपने सीमित साधनों के अन्तर्गत सहायता कार्य शुरू कर दिया था। परन्तु राज्य सरकार के लिए अपने सीमित साधनों से इतनी बड़ी चुनौती का सामना करना सम्भव नहीं है। मेरे राज्य में बाढ़ तथा तूफान लगभग प्रतिवर्ष आते हैं। इससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर बहुत बोझ पड़ता है।

पश्चिमी बंगाल के सहायता कार्य के लिए 10.17 रुपये देने का निर्णय किया गया है। मुझे इस बारे में कोई शिकायत नहीं कि केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल को कितनी सहायता देती है परन्तु मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि मेरे राज्य को इसके मुकाबले में बहुत कम सहायता दी जा रही है। मेरा निवेदन है कि लोगों की कठिनाइयों को एक राजनैतिक प्रश्न न बनाया जाये और पश्चिम बंगाल में होने वाले मध्यावधि चुनाव को ध्यान में रखकर इस बात का निर्णय नहीं किया जाना चाहिए कि उस राज्य को कितनी सहायता दी जाये। जबकि प्रधान मंत्री, उप-प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों ने पश्चिम बंगाल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है, कोई भी मंत्री उड़ीसा के दौरे पर नहीं गया है। केन्द्रीय सरकार ने सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं कहा है। मैं प्रधान मंत्री तथा सिंचाई मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह स्वयं मौके पर जाकर देखें तथा राज्य में इस दैवी प्रकोप के लिए अधिक से अधिक केन्द्रीय सहायता दें।

श्रीकाकुलम जिले में नारियल तथा काजू के प्रसिद्ध बागान को बहुत क्षति पहुंची है। प्रो० रंगा ने वहां पर जाने से पूर्व प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसके कुछ भाग मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि 12 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है और अनेक गांव बिल्कुल नष्ट हो गये हैं। नारियल के चार लाख पेड़ गिर गये हैं, एक लाख से अधिक को क्षति पहुंची है। अगले छः से दस वर्षों में इन कृषि मजदूरों को कोई रोजगार नहीं मिलेगा क्योंकि नारियल न होने के कारण नारियल से बनने वाली वस्तुओं का उत्पादन सम्भव

नहीं होगा । उन्होंने आगे लिखा है कि समाहर्ता के अनुमान के अनुसार 11 करोड़ से अधिक की हानि हुई है । एक अन्य अधिकारी का कहना है कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर विनाश होता पहले कभी नहीं देखा ।

अपने इस लम्बे पत्र के अन्त में उन्होंने अल्प तथा लम्बी अवधि के कई सुझाव दिये हैं । प्रति एकड़ 200 रुपये के ऋण में वृद्धि की जानी चाहिए, क्योंकि एक पेड़ को हटाने तथा काटने में लगभग उसे 5 रुपये व्यय हो जाते हैं । मकानों के लिए ऋण की राशि को बढ़ाकर कम से कम 50 रुपये तथा अधिक से अधिक 500 रुपये कर दिये जाने चाहिए । आगामी दो अथवा तीन महीनों के लिए बच्चों तथा बूढ़े लोगों को मुफ्त अनाज सप्लाई किया जाना चाहिए । सभी गांवों में स्थानीय पंचायत तथा राजस्व अधिकारी की देखरेख में सस्ते अनाज के भण्डार खोले जाने चाहिए । भू-राजस्व, तकावी, सहकारी तथा गैर-सरकारी ऋणों को दो अथवा तीन वर्षों के लिए स्थगित किया जाना चाहिए । आगामी पांच और छः वर्षों में कृषि मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार दिये जाने चाहिए ।

केरल के जिला गोदावरी, तंजोर, पश्चिमी बंगाल तथा आसाम से छः से सात लाख नारियल के 'सीडलिंग' लेवर किसानों को दिये जाने चाहिए ताकि वह अगली फसल की बुवाई कर सकें ।

छोटे सिंचाई कार्यों में, सड़कों में, संचार में सुधार किया जाना चाहिए । गेनामरीगंडा योजना को क्रियान्वित किया जाना चाहिए । इससे हजारों मजदूरों को काम मिलेगा तथा हजारों एकड़ भूमि के लिए सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध होंगी । उन्होंने रामकृष्ण मिशन, अन्नादाना सामाजम और मारवाड़ी सहायता संगठन जैसे अनेक समाज कल्याण संगठनों को इन लोगों की सहायता करने के लिए अपील की है । अन्त में उन्होंने केन्द्रीय सरकार को आंध्र सरकार की सहायता करने को कहा है ।

अन्त में मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के दैवी प्रकोप को राष्ट्रीय समस्या समझा जाना चाहिए । अतः इस समस्या के बारे में राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ।

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (रामगंज) : सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के माननीय मंत्री ने बाढ़ के बारे में एक वक्तव्य दिया है । मेरा निवेदन है कि देश के विभिन्न भागों में आसाम से लेकर गुजरात तक जून से अगस्त के महीनों में बाढ़ आती रहती है । परन्तु अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में जो कुछ हुआ वह केवल बाढ़ नहीं थी बल्कि इससे कुछ अधिक था । मुझे आश्चर्य है कि माननीय मंत्री ने उत्तरी बंगाल में अक्तूबर में घटने वाली घटनाओं को देश के विभिन्न भागों में आने वाली बाढ़ के समान ही समझा है । परन्तु वहां पर जो बर्बादी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए उत्तरी बंगाल के साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए । इसको केवल बाढ़ कहना इस बर्बादी की गम्भीरता को कम करना है । वहां का सभ्य जीवन पूर्णतया नष्ट हो गया है । यहां कि विनाशकारी लीला को देखकर ऐसा लगता है कि यह क्षेत्र पहले जैसा कभी नहीं हो पायेगा यद्यपि सभी प्रकार के आधुनिक तरीके अपनाये गये हैं, सेना की सहायता भी ली गई है तथापि छः सप्ताह गुजर जाने पर भी अभी वहां बहुत कम काम हुआ है ।

4 अक्तूबर तक निरन्तर 52 घंटे वहां पर भारी वर्षा होती रही है। माननीय मंत्री के कहने के अनुसार तीसता नदी का पानी खतरे के निशान से 60 फुट ऊंचा हो गया था। यह सब उस समय हुआ जबकि लोग अपने घरों में सो रहे थे। जलपाईगुडी का समूचा क्षेत्र पानी में आ गया था। लोगों के पास अपना जीवन बचाने के लिए कोई साधन नहीं थे। कई बच्चे अपनी माताओं से बिछड़ कर पानी में बह गये। श्रीमती गीता बागची अपने पति से बिछड़ कर पानी में पाकिस्तान बह गई। पाकिस्तान सरकार ने अभी तक उसको वापिस नहीं किया है।

पानी ने समूचे नगर को 20 मिनट के समय में अपने घेरे मे ले लिया था। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि न तो कुछ बचाया जा सका और न ही कुछ किया जा सका। इस बारे में मैं प्रशासन की विफलता का उल्लेख करना चाहता हूँ। तीसता बाजार स्थित गेज रीडर ने बार-बार यह सन्देश भेजा कि तीसता नदी का पानी स्तर बढ़ रहा है। 4 तारीख को यह भी सन्देश भेजा गया कि तीसता का स्तर खतरे के निशान से भी बढ़ गया है और कि अभी यह तेजी से बढ़ रहा है। परन्तु इन सभी सन्देशों के मिलने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। यदि लोगों को इस बारे में कुछ भी बताया जाता तो वे अपने को बचाने के लिए कुछ कार्यवाही कर सकते थे। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

पश्चिम बंगाल सरकार के भूतपूर्व सचिव ने जो कि इस मामले की जांच करने के लिए नियुक्त किये हैं, प्रशासन अधिकारियों तथा सिंचाई अधिकारियों दोनों को दोषी ठहराया है। डा० राव का कहना है इनमें से कोई भी अधिकारी आने वाले खतरे के बारे में अनुमान नहीं लगा सका।

बाढ़ के आने के चार अथवा पांच दिन तक वहां पर कोई प्रशासन नहीं था। जलपाईगुड़ी तथा इसके आसपास के क्षेत्रों को ईश्वर की दया पर छोड़ दिया गया था। कस्बे में तथा इसके आसपास कहीं भी पेय जल उपलब्ध नहीं था। सिलीगुडी के लोगों ने पीने का पानी ट्रकों में ले जाकर वहां के बचे हुए लोगों में बांटा।

चार दिन तक इसी प्रकार चलता रहा। उसके बाद अधिकारियों तथा सेना ने कुछ काम किया। श्री राव ने कहा है कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि सेना अधिकारियों ने सहायता कार्य शुरु करने में इतना विलम्ब क्यों किया। इसके पश्चात यह पानी दिनाजपुर और माल्दा की ओर चला गया। इन दो जिलों में विनाश तो हुआ परन्तु वह इतना गम्भीर नहीं था।

शवों को हटाने की भी समस्या थी। 15 अक्तूबर तक कस्बे तथा आसपास के क्षेत्रों को पूर्णतया साफ नहीं किया जा सका था।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि छः सप्ताह गुजर जाने के पश्चात भी पर्याप्त सहायता नहीं दी गई है। जलपाईगुड़ी में तो बिजली दे दी गई है परन्तु अन्य क्षेत्रों में अभी अन्धकार है।

मेरा सुझाव है कि उत्तरी बंगाल की इस विनाशकारी को एक मामला विशेष समझा जाना चाहिए और वहां का सहायता तथा निर्माण कार्य भी एक अभिकरण विशेष को सौंपा जाना चाहिए। इसके लिए एक समेकित योजना तथा कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। इस कार्य को चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास कार्य का रूप न देकर यथापूर्व स्थिति स्थापित करने का कार्य समझा जाना चाहिए। राज्यों को सहायता और पुनर्निर्माण के बारे में केन्द्रीय सहायता का विनियमन करने वाले नियमों को उत्तरी बंगाल के मामले में शिथिल किया जाना चाहिये।

कादम्बरी तथा डोमोहनी के बीच काफी क्षेत्र पूरी तरह बह गये हैं और लगभग 15,000 लोग इस सर्दी के मौसम में अस्थायी तथा टूटे-फूटे शेड में रह रहे हैं। कादम्बरी पर टूटे बांध का अपने मूल स्थान पर पुनः निर्माण किया जाना चाहिये।

दुरास में विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती बरबाद हो गई है। इन लोगों को सहायता दी जानी चाहिये ताकि ये अपने को बसा सके।

कालिम्पांग अभी भी अलग क्षेत्र है। नष्ट हुई पटरियों और सड़कों की मरम्मत की जानी चाहिये। पिछले 50 वर्षों में बने लगभग 200 पुल बह गये हैं। उन्हें शीघ्रता से बनाया जाना चाहिये।

तार की लाइनें स्थापित की जानी चाहिये। किसानों के लिये ऋण, औजार और बीजों की व्यवस्था की जानी चाहिये। जीवन की दैनिक आवश्यकतायें सप्लाई करने के लिये छोटे व्यापारियों को ऋण दिये जाने चाहिये। मकान बनाने के लिये भी ऋण दिया जाना चाहिये और सरकारी औपचारिकताओं पर अधिक जोर दिये बिना ऐसा किया जाना चाहिये। फिर से स्कूल बनाये जाने चाहिये और विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को सहायता दी जानी चाहिये। अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने चाहिये। समूचे क्षेत्रों में जीवन तथा समन्वय को फिर से लाने के लिये हर चीज की जानी चाहिये।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : हमें पश्चिम बंगाल की दयनीय स्थिति को केवल दैवी संकट के रूप में नहीं समझना चाहिये। हम इस मामले में मानवीय असफलताओं की उपेक्षा नहीं कर सकते। डोमोहनी में तैनात अधिकारियों का यह फर्ज था कि वे जलपाईगुड़ी के लोगों को चेतावनी देते। यदि इन अधिकारियों ने उन्हें समय पर चेतावनी दी होती, जो उन परिस्थितियों में मुमकिन था, तो मानवीय जीवन तथा अन्य चीजों की क्षति न हुई होती और कुछ हद तक उससे बचा जा सकता था। पत्तन अधिकारियों ने राज्य प्रशासन को चेतावनी दी थी कि इस नदी से मैदानों में बाढ़ आने का खतरा है, लेकिन कोई चेतावनी नहीं दी गई।

5 से 10 अक्तूबर के बीच समूचे क्षेत्र में कोई भी प्रशासन नहीं था। पीड़ित लोगों को 72 घंटे तक खाना और पीने का पानी भी नहीं मिला। अधिकारीगण 11 तारीख को जलपाईगुड़ी पहुंचे और उन्होंने सहायता कार्य शुरु किया। लेकिन तब तक ये पीड़ित लोग सिलीगुड़ी से केवल अनौपचारिक रूप से प्राप्त सहायता पर जीवित रहे।

ऐसा पता चलता है कि तिस्ता पुल बनाने में ही कोई दोष रह गया था और इस मामले की जांच की जानी चाहिये हमने अनुरोध किया है कि न केवल सहायता तथा पुनर्वास के लिये बल्कि तिस्ता पुल के सम्बन्ध में कुछ करने के लिये एक समन्वय समिति नियुक्त की जानी चाहिये ।

1968 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उत्तरी बंगाल के लिये पेश की गई वृहद योजना की उचित ढंग से जांच की जानी चाहिये । वास्तव में उसमें कोई त्रुटि है ।

राज्य सरकार ने बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई तथा अन्य चीजों के लिये एक व्यापक योजना प्रस्तुत की है । उस पर 200 करोड़ रुपया खर्च होगा । इस योजना पर अच्छी तरह विचार किया गया है । लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं किया गया है । उत्तरी बंगाल के लोगों के लिये स्थायी हल यह है कि वहां पर वृहद योजना को कार्यान्वित किया जाय ।

जिस समय यह भयकर दुर्घटना हुई, तो पश्चिम बगाल के राज्यपाल स्वयं दार्जिलिंग में ठहरे हुए थे । यह बहुत आश्चर्य की बात है कि उन्हें जलपाईगुड़ी की दुर्घटना की व्यापकता का पता नहीं लगा । स्थानीय प्रशासन ने उनको भी यह नहीं बताया ।

इस भारी दुर्घटना से उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिये धनराशि देने में कोई देर नहीं की जानी चाहिये । उस क्षेत्र को बचाने के लिये हमें एक उचित समन्वित योजना बनानी चाहिये ।

जिस समय तिस्ता पुल बनाया गया था, तब कुछ लोगों ने इस संकट की भविष्यवाणी की थी । उन्होंने बताया था कि हम उसे बहुत छोटा बना रहे हैं । हमें उसे उतना ही चौड़ा बनाना चाहिये जितना कि अंग्रेजों ने करने का प्रयास किया था । हमने अपने समय में इसे अधिक छोटा बनाया है जिससे पानी का बहाव अधिक जोरदार और विस्तृत हो गया । उसी से यह भयानक संकट पैदा हुआ । इसलिये उसकी जांच की जानी चाहिये । इस प्रयोजन के लिये सचिवों की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : मुझे इस बात की खुशी है कि मंत्री जी ने देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में सभा पटल पर एक विवरण रखा है । इस बार जो बाढ़ आई है, वह अभूतपूर्व है । बाढ़ की समस्या एक स्थायी समस्या है । आसाम के लिये यह एक बड़ी समस्या है । राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी उपाय किये बिना, जहां तहां काम करने और सहायता देने से लोगों को कोई लाभ पहुँचने वाला नहीं है ।

1954 में असम में भारी बाढें आई थी और उसके बाद बाढों के बारे में एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई थी । तत्काल तथा अल्पकालीन उपाय किये गये थे लेकिन कुछ नदियों को सहायक नदियों पर जलाशय तथा आवश्यक स्थानों पर अतिरिक्त बांध बनाने जैसे दीर्घकालीन उपाय अभी तक नहीं किये गये हैं ।

असम में बाढ नियंत्रण के बारे में एक योजना की व्यापक रूपरेखा तैयार की गई थी और उसे भारत सरकार द्वारा बनाई गई बाढों सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार

पर 1965 में अन्तिम रूप दिया गया था। उस वृहद योजना में 300 करोड़ रुपये से अधिक परिव्यय का अनुमान था लेकिन अब तक इस वर्ष के अनुदानों को मिला कर असम सरकार को केवल 26 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है।

बाढ़, सूखे, भूमि का कटाव तथा बवंडर जैसी राष्ट्रीय विपत्तियों का मुकाबला करने के लिये अभी तक कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई गई है। संकट के समय राहत तथा नकद रकम देने के बजाय सरकार को एहतियाती तथा निवारक उपाय करने चाहिये। सरकार को इस समस्या को राष्ट्रीय आधार पर हल करना चाहिये, क्योंकि इस राष्ट्रीय संकट का मुकाबला करना किसी भी राज्य के लिये असम्भव होगा।

जहां तक एहतियाती कार्रवाइयों का सम्बन्ध है सरकारी विभाग लोगों की ज्यादा सहायता नहीं करते हैं। मौसम सूचना विभाग लोगों को मदद करने में अभी तक बुरी तरह असफल रहा है। सरकार को असम राज्य में बारक बांध बनाने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये। बांध तथा कोपिली नदी परियोजनाओं को पूरा करने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें।

मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि वह स्वयं जाकर स्थिति का अध्ययन करें और उपयुक्त उपाय करे न कि सब बातों को खटाई में डाल दें।

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : The floods in Orissa, Bihar and Bangal were unprecedented this year. What happened in Jalpaiguri was a most tragic and serious incident The local administration did not issue any warning of the coming danger. Had people got the information in time, they would have made some measure for their safety. Steps should be taken to make arrangement for advance intimation of the floods to the people.

The people can do something if they know about it before hand. I have seen a factory myself at Surat. Machines worth rupees thirty thousands were inundated in water for twenty four hours. He said that if had received advance intimation, then he would have placed the cloths somewhere else But the required intimation is not sent in time. They should all gent the intimation before hand.

{ श्री रा० डो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R D. Bhandare *in the Chair* }

The flood in the Surat is not a new one The British Collector used to go there in a small boat at the time of flood and give relief to the people. But what happened in Bihar ? The flood was engulfing Bihar but the Governor did not go there for a visit to the flood affected areas The people feel such thing very much, whenever a distinguished person visit such places, he duly takes a birds eye view from the helicopter and do not go there personally. Under such cenditions the people never like their visit in this way.

The statement laid in the table of the house misses one thing. Two companies of army are missing. The figures given here are very small.

The Government have no means to meet the threats of Flood. I asked at Surat whether is any means for flood control. The reply was in negative. The municipality or

the Corporation should have means to face the floods. it is not good to leave the people of flood affected areas to the mercy of God. The road between Ahemadabad and Bombay was dislocated. I had myself to walk on foot. I could not reach Siliguri from Kishanganj. The train had to stop there due to flood. But no intimation was given inspite of the fact that Siliguri is itself a Boradcosting Station. To-day we have got Radio as a means to broadcast infarmation but even we did not use the same at Siliguri.

Now the question is what to do after the floods This work is of great importance. But the Government have no scheme to face the threats of floods. Practically no S are Government was functioning there and the people and Government were sleeping. The Government should have come forward but this has not taken place.

There is Radio Station at Siliguri. It was not made of use of and no news about this was broadcast from there. The devastation caused by floods is so enormous that, people died in thousands and loss to property was also clossal. The local administration miserably failed in its duty of helping the people and saving property from destruction. In the words of one communist friends it was wthering of state in west Bengal. There was practically no administration, during those days Had Governnent come forward promptly, this calamity would not have been so destructive.

The relief measures have been very scanty. No medicines have been distributed to avert epidemics. The farmers have not provided essential help, It is surprising that the figures about the help rendered are at variance from the figures of actual help given. Dr. Rao is an eminent engineer himself. In his regime it should be possible to solve the problem of floods in the country on the permanent basis. He should draw up and implement such schemes, rapidly.

In this regard I have to make certain suggestions. We should pay proper attention to afforestation. The forests are being removed and it is one of the causes of floods. The beds of rivers should deepened, so that the flood waters do not overflow the banks of rivers. The Brahamputra and Kosi should tamed by making necessary dams and embankments.

We should have coordination in departments of Government. The Railways should consult Irrigation Ministry before laying down railway lines and ensure that flood water is not likely to cause damage to railway line. The canal dug for the Manglore Harbour project has been the cause of flood water entering large tracts of land in Mysore State. The P. W. D. authorities and the Railway authorities should make provision for adequate number of culverts. It will help in avoiding floods. The disputes regarding sharing of waters by two or more states shouled be settled expeditiously.

There was a proposal to connect Ganga and Cauvery. This proposal should be seriously considered. Perhaps it may help in minimising the occurance of floods. In regard to the floods of Teesta river people doubt that the Chinese might have done some mischief. They might have stored water in the upper ports of river and let it flow, all of a sudden and it resulted in heavy floods in Bhutan and North Bengal. Government should look into this and find out the truth behind this all. A high powered commission should be appointed to prove into the question of floods in its entirety. It should recommend the measures for control of floods,

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : It was feared in 1950 that Teesta would cause harm to Jalpaiguri and Teesta Bazar areas. A book entitled 'The Deluge' has been brought out by Shri Atulya Ghosh. It has given a vivid picture of the damage caused to

west Bangal. He has suggested that a special agency should be set up to remedy the problem of floods.

Sir in my part Kosi river is called the sorrow of Bihar. Some measures were taken in 1954 and some relief was felt by people. This year on the 4th October all of a sudden the floods came in that river and 34 lekhs persons were affected by this flood. Statistics about the damage were presented to Dr. Rao, A large number of houses have collapsed. Three hundred villages have been destroyed. Thousands of cattle have died. A dam was to be constructed on Kosi with the consent of Nepal Government. That has not been constructed in the meantime. This is one of the reason for these sudden floods in Bihar. The Central Government should take the initiative in such matters. It should not be left to State Governments.

A Committee under the Chairmanship of Shri Kanwersen was appointed. It suggested that Dagmara barrage should be constructed in Bihar, but the Hydro-electric station, Poona opposed it, and it was shelved. Though the opinion of the experts were in favour of constructing it. It is very unfortunate that recommendations of experts are not implemented.

Four districts of Bihar have been badly damaged. At the time of floods in Gujarat, I had suggested that we should have a national Floods Commission. It should study the position in regard to all the rivers of the country. In Bihar those persons whose lands have been submereged in rivers, should be given land in lieu of that

The settlement work should be taken over by Central Government itself. The medical facilities should be provided without any further delay. A flood forecasting station should be set up there.

श्री कन्डप्पन (मैट्टूर) : मेरे राज्य तमिलनाडू में बाढ़ के बारे में कोई विशेष शिकायत नहीं है । हमारे देश की औद्योगिक प्रगति पर मन्दे का वैसे भी गम्भीर प्रभाव है परन्तु बाढ़ जैसे दैवी प्रकोपों से तो स्थिति और भी बिगड़ जाती है । जैसा कि यहां पर कहा गया है । स्थिति वास्तव में ही बहुत गम्भीर है । बाढ़ के बारे में यहां कई बार चर्चा हो चुकी है ।

मैंने माननीय मन्त्री जी के वक्तव्य का अध्ययन किया हैं । इनमें कोई विशेष बात स्पष्ट नहीं होती है । उन्हें बताना चाहिये था कि उन्होंने इस बारे में क्या किया है और आगे वह क्या करने का विचार कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने गत बीस वर्षों में इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ? इस वक्तव्य के पृष्ठ 18 पर कहा गया है कि यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । कितनी अजीब बात है ? इससे यही सिद्ध होता है कि केन्द्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डालना चाहती है । इस प्रकार का रवैया बहुत निन्दनीय है । इसी के कारण आज देश में वातावरण बिगड़ता चला जा रहा है और मैं केन्द्रीय सरकार को इसके लिये जिम्मेदार मानता हूं ।

कावेरी नदी पर 2000 वर्ष पूर्व तटबन्ध बनाये गये थे । उनके कारण कावेरी में आज तक बाढ़ से हानि नहीं हुई । स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद हमने कोई विशेष कार्यवाही नहीं की है कि जिसके फलस्वरूप बाढ़ों पर नियन्त्रण हो सके । इस पर मुझे खेद है । केन्द्रीय सरकार को ईमानदारी से समस्या के समाधान हेतु कार्य करना चाहिये । सरकार को मौसम के बारे में पूर्व अनुमान लगाने की व्यवस्था में सुधार करना चाहिये । कई बार इस पूर्व अनुमान के अनुसार चलने में काफी हानि उठानी पड़ती है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : इस वर्ष उड़ीसा, बंगाल और बिहार में बहुत भंयकर बाढ़ें आयी हैं। पुरी, गंजम और कटक में बहुत तबाही हुई है। राजस्थान में सूखा पड़ा हुआ है, हमें उड़ीसा में बहुत अच्छी फसल की आशा थी परन्तु बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो गयी है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक भवनों आदि को भी हानि हुई है। सड़कों, पुल आदि भी खराब हो गये हैं। उपरोक्त तीनों जिलों में जो भी निर्माण हुआ था, प्रायः नष्ट हो गया है।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के अपने दौरे के दौरन हमें पता चला है कि कितनी तबाही हुई है। सरकार ने सहायतार्थ कुछ तुरन्त उपाय किये हैं। अनाज और नगदी की सहायता की सहायता दी गयी है। फिर भी कुछ क्षेत्रों में सहायता की अभी भी अत्यधिक आवश्यकता है। वहां पर करोड़ों रुपये की सम्पत्ति तथा फसल नष्ट हो गयी है। उड़ीसा राज्य का उत्तरी भाग दक्षिणी से बिल्कुल कटा हुआ है। सरकार को बड़े पैमाने पर पुनर्वास कार्य करना होगा। सर्दी का मौसम आने वाला है। अतः इस कार्य को शीघ्रता से किया जाना चाहिये। पुनर्वास के कार्य में लोगों को रोजगार दिलाया जा सकता है, और वे अपने लिये रोटी कमा सकेंगे। अभी भी बहुत बड़ी संख्या में गांव पानी से घिरे हुए हैं।

जब कालूपाड़ा घाट में रेलवे बस्ती पानी में डूब गई थी और रेलवे कर्मचारियों को चार दिन तक खाने के लिये कुछ नहीं मिला था तो खुदी के डिवीजनल सुपरिटेन्डेन्ट वहां पर सहायता के लिये कर्मचारी भेजने के बजाय विमान से सर्वेक्षण करने के हेतु विमान में स्थान रक्षित कराने के लिये टेलीफोन घुमा रहे थे जिससे पता चलता है कि वह विमान सर्वेक्षण के लिये सहायता करने की निसबत ज्यादा उत्सुक थे। मुझे इस बात की खुशी है कि रेल की पटरी को फिर से बनाने के लिये 8000 कर्मचारी लगाये गये हैं। मैं इस बात से भी प्रसन्न हूं कि उन्होंने 28 और 29 तारीख के तुरन्त बाद काम आरम्भ कर दिया था। परन्तु मैं समझता हूं कि रेलवे अधिकारियों को इस काम के लिये स्थानीय लोगों को रखना चाहिये ताकि उन्हें लाभप्रद रोजगार मिल सके।

इस समस्या के बारे में श्रम मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। उड़ीसा की कपड़ा मिलों में ऐसे सैंकड़ों आदमी काम कर रहे हैं जिनके गांव पानी में डूब चुके हैं। उन्होंने भविष्य निधि से धन लेने के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं परन्तु उन्हें धन नहीं मिल रहा है। अतः मेरा निवेदन यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त को उनकी सहायता करनी चाहिये। उन्हें प्रादेशिक निदेशक को लिखना चाहिये कि इन लोगों के मामले में शीघ्र निर्णय किया जाये।

इस्पात मंत्रालय तथा हिन्दुस्तान स्टील मिल द्वारा भी ऐसे लोगों की सहायता की जा सकती है।

मैं एक बात सरकार के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूँ कि इस वर्ष चिलका झील और उसके आस-पास वर्षा और बाढ़ से एक नई चीज का पता लगा है। वह नई चीज यह है कि हम छोटी नदियों की अवहेलना नहीं कर सकते। हमने देखा है कि सलिया, मालागुनी, कंसटियां आदि छोटी नदियों ने मिलों तक रेलवे लाइनों को बहाया है। इसलिये मैं मंत्री

महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस पहलू पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। उन्होंने पूर्वी नदियों की बाढ़ की समस्या पर विचार करने के लिये एक विशेष दल नियुक्त किया है। उन्हें उस दल के निर्देश-पद में उन नदियों को भी शामिल करना चाहिये जो बह कर चिलका झील में जाती है क्योंकि यह एक नई चीज है जो इस वर्ष हमारे ध्यान में आई है। इन

{उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*}

नदियों के बहावों को मोड़ने के लिये कोई कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे चिलका झील में गिरने वाली नदियों पर बांध बांधे जा सकें। इन नदियों पर ऊंचे स्थानों पर बांध बनाये जा सकते हैं तथा इन बांधों से बहुत सी भूमि पर सिंचाई करने के लिये पानी की व्यवस्था की की जा सकती है। अतः ऐसा करना नितान्त आवश्यक है।

जो लोग ऊंचाई पर जा कर बसना चाहते हों उन्हें सहायता दी जानी चाहिये।

बाढ़ कई स्थानों पर आई थी, जैसे वह उत्तर बंगाल, उड़ीसा, बिहार और आसाम आदि स्थानों पर आई थी। इससे एक करोड़ से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ा है। अतः भारत सरकार को इसके लिये एक विशेष अभिकरण बनाना चाहिये ताकि वह सारे क्षेत्र के लिये पुनर्वास कार्यों का समन्वय कर सके तथा जो लोग मुसीबत में हैं उनके लिये कार्यालयों का पता लगा सकें जिससे भविष्य में ऐसी विपत्ति फिर न आने पाये।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर–पूर्व) : हमारे देश के बहुत बड़े हिस्से में, विशेषकर उत्तर बंगाल में, इस बार इतनी बाढ़ आई जितनी पहले कभी नहीं आई। उत्तर बंगाल में जहां बाढ़ आई वह इलाका पाकिस्तान और नेपाल के बीच का इलाका है जो शेष भारत को आसाम, नेफा, नागालैण्ड और मनीपुर को जोड़ता है। अतः यह इलाका सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। यह इलाका जो लगभग 2000 वर्ग मील का है एक पखवाड़े अथवा उससे भी अधिक समय तक शेष भारत से अलग रहा। इस इलाके में बम्बई के "इकानमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली" के अनुसार 20,000 के करीब लोग मारे गये। दार्जिलिंग के 10 प्रतिशत चाय बागान नष्ट हो गये हैं तथा जलपाईगुड़ी में चाय बागानों को कितना नुकसान हुआ इस बारे में अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है। जलपाईगुड़ी का पहाड़पुर नाम का इलाका जहां 5000 शरणार्थी रह रहे थे जल में बिलकुल बह गया है। ऐसा लग रहा था कि यह इलाका 72 घंटे तक एक दूसरा उपग्रह बन गया हो।

इन सब चीजों को देखते हुए मैं यह समझता हूं कि वहां पर जो कुछ हुआ है वह प्रकृति के कारण नहीं हुआ है इसमें वहां के प्रशासन का भी दोष है। वास्तव में प्रशासन की असफलता एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम उत्तर बंगाल में प्रशासन समाप्त हो गया था। जहां तक कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री धर्मवीर, को भी कहना पड़ा कि प्रशासन समाप्त हो गया है। बाढ़ आने की चेतावनी दी गई, परन्तु उसे लोगों को बताया नहीं गया। श्री एस० एन० राय के प्रतिवेदन में इस बात की पुष्टि की गई है। सम्बन्धित अधिकारियों को इसके लिये केवल

यही दण्ड दिया गया है कि उनका दूसरे स्थानों पर तबादला कर दिया गया है। जलपाईगुड़ी के डिप्टी कमिश्नर को कुछ भी दण्ड नहीं दिया गया है। वहां पर इस प्रकार से प्रशासन चल रहा है। आकाशवाणी का सिलीगुड़ी में भी केन्द्र है। वहां से भी इस सारी विपत्ति के बारे में कुछ प्रसारित नहीं किया गया। वहां से केवल सहायता के बारे में ही प्रसारण किया गया। जब कि वास्तविकता यह है कि 12 अक्तूबर तक विमानों के माध्यम से कोई चीज सप्लाई नहीं की गई थी। बाद में जो विमानों से चीजें सप्लाई भी की गईं वह इस तरीके से सप्लाई की गईं जिससे एक बच्चा मारा गया। यह तो आकाशवाणी की कहानी है।

जहां तक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के उत्तरदायित्व का सम्बन्ध है उन्होंने लोगों की कठिनाई का पता लगाने के लिये बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाने की बिल्कुल परवाह नहीं की। डा० कु० ल० राव जो स्वयं एक इन्जीनियर हैं, एक समारोह में भाग लेने के लिये अमरीका चले गये। कुछ अन्य इन्जीनियरों ने यूगोस्लावा जाने का कार्यक्रम बना लिया। जहां तक राज्यपाल का सम्बन्ध है वह दार्जिलिंग में पार्टिया करते रहे। वह 10 मिनट में दार्जिलिंग से जलपाईगुड़ी जा सकते थे परन्तु वह नहीं गये। हमारे गांधियन उप-प्रधान मन्त्री उत्तर बंगाल में गये। लोगों ने सोचा कि वह शायद उनकी दुःख भरी कहानी सुनने आये हैं, परन्तु वह भी बागडोगरा के निकट कहीं पर भोज पर चले गये। इसके अलावा जब बंगाल का चाय बागान का एक मालिक श्री मोरारजी से मिला और उसने उनके साथ सहायता की बात की तो उन्होंने उसे पागल कह कर पुकारा। इन सब चीजों से पता चलता है कि सरकार जनता की परवाह नहीं करती है।

जहां तक सहायता का सम्बन्ध है। हर ओर से, जहां तक कि कांग्रेस की ओर से भी, ये प्रमाण मिले हैं कि सहायता देने में गड़बड़ी हो रही है। लोगों को राजकीय सहायता कांग्रेस तथा उसके सहायकों के जरिये दी जा रही है। जो मांगें सर्वदलीय सहायता समितियां प्रस्तुत करती हैं उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वहां के लोगों की इस विपत्ति का लाभ कांग्रेस के लड़ने-झगड़ने वाले उठा रहे हैं। वास्तव में वहां के लोगों को सहायता देने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

अतः मेरा निवेदन है कि चूंकि वहां पर सरकार है इसलिये उसे अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिये। सबसे पहले सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अधिकारियों की भूलों, औद्योगिक समस्याओं तथा संकटमय स्थिति की जांच करें। दूसरे सरकार को तीस्ता पर काबू पाने का प्रयत्न करना चाहिये तथा जलपाईगुड़ी नगर में तीसता बांध को मजबूत बनाने के लिये तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये। तीसरे, वहां पर अच्छी तरह से सहायता की जानी चाहिये। चौथे, हिमालय क्षेत्र में भू-स्खलन के मामले की छानबीन की जानी चाहिये। सरकार का पांचवा कर्त्तव्य शिक्षा के मामले में सुधार करना होना चाहिये। चूंकि सभी पुस्तकालय तथा स्कूल आदि समाप्त हो गये हैं इसलिये इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये। सरकार का छठा कर्त्तव्य यह होना चाहिये कि वह राष्ट्रीय आय का समुचित भाग बाढ़ नियन्त्रण कार्य पर व्यय करे।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति के बारे में अन्य माननीय सदस्यों ने जो विचार तथा चिन्ता व्यक्त की है उनसे मैं सहमत हूं। जिस

तूफान ने पिछले महीने के अन्तिम सप्ताह में उड़ीसा में क्षति पहुँचाई है उसी तूफान ने आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के तीन तालुकों तथा इतचापुरम, सोमपेटा तथा तेक्काली को भी नुकसान पहुंचाया है । जब यह तूफान वहां आया था, मैं तक वहीं था। उड़ीसा में हुए नुकसान के बारे में आकाशवाणी से प्रसारित किया गया लेकिन आन्ध्र प्रदेश के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया । हालांकि यह विशेष क्षेत्र बहुत छोटा हैं किन्तु वहां प्राकृतिक प्रकोप से जो क्षति पहुंची है उसका वास्तविक अनुमान लगाना तब तक कठिन है जब तक कि कोई वहां जाकर खुद न देखे, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इसे लगभग 11 करोड़ रुपये का नुकसान बताया है ।

यह कहा गया है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस समस्या पर तत्काल ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं । वास्तव में स्थिति ऐसी थी कि चार-पांच दिन तक वहां तूफानी हालतों के बारे में किसी को भी पता नहीं लगा क्योंकि प्रत्येक संचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी। कई पेड़ गिर गये थे और सड़कों को साफ करने तथा जीप से संदेश पहुंचाने में चार दिन लग गये । उसके बाद जिला अधिकारी उन स्थानों में गये और वास्तव में सूखे के लिये नियत धन को इस समस्या को हल करने के लिये खर्च किया गया ।

वास्तव में आन्ध्र प्रदेश सरकार के लिये अकेले ही इस समस्या से निपटना संभव नहीं था, क्योंकि हजारों एकड़ भूमि में नारियल, काजू तथा कटहल के पेड़ गिर गये थे । इस क्षेत्र के लोगों का जीवन-निर्वाह केवल इन्हीं फलों से होता है और इस विनाश का प्रभाव उन पर कम से कम दस वर्ष तक रहेगा क्योंकि नारियल के पेड़ को तैयार होने में कम से कम आठ वर्ष लगते हैं और पूरी तरह बड़े होने में लगभग 12 वर्ष लग जाते हैं। इनके नाश होने से श्रमिक वर्गों के लिये भारी मुसीबत पैदा हो गई है क्योंकि उन्हें अन्य कोई रोजगार नहीं मिल सकता, इस सम्बन्ध में हमने आन्ध्र प्रदेश सरकार को अभ्यावेदन दिया है । मन्त्री महोदय ने कहा है कि वह विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं । आशा है आन्ध्र प्रदेश सरकार रिपोर्ट शीघ्र भेजेगी और उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जायेगी । हमारे संविधान में प्राकृतिक प्रकोपों यथा, अकाल, भूख, तूफान आदि का कोई उल्लेख नहीं हैं । दैविक प्रकोपों के मामले में केन्द्र तथा राज्यों को उनका सामना करने के लिये आपस में सहयोग करना चाहिए, ऐसे मामलों में राज्य सरकारों को केवल ऋण दे देने से ही समस्या हल नहीं हो जाती । राहत कार्यों पर आने वाले पूरे खर्च का एक अंश भी केन्द्र को वहन करना चाहिये । सरकार को दैविक आपदाओं का सामना करने के लिये एक अलग निधि की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ऐसे समय पर उसका तत्काल उपयोग किया जा सके और किसी पर बोझ भी न पड़े, इस निधि के लिये भू-राजस्व अथवा आय-कर या बिक्री-कर अथवा ऐसे अन्य चीजों से उपकर वसूल किया जा सकता है क्योंकि प्राकृतिक संकट राष्ट्र के लिये चिन्ता का विषय है, इसलिये इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाना चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : 21 वर्ष के अपने शासनकाल में आज तक सरकार तथा नौकरशाही दोनों ही अपने कर्तव्यों का पालन करने में सदैव विफल रहे हैं । मैं उत्तर बंगाल में संकट की चर्चा कर रहा हूं, यदि समय पर उचित पग उठाये गये होते तो सम्भव था कि 20,000 लोगों की जाने बचायी जा सकती थी और नुकसान बहुत कम होता, सेना की टुकड़ियां ही बहकर गायब हो गयीं किन्तु प्रतिरक्षा मंत्री सभा में मौन धारण करके बैठे रहे ।

उत्तर बंगाल में लगभग 50 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा है। केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार ने हर चीज की उपेक्षा की है। सरकार ने 1959 के मानसिंह बाढ़ जांच आयोग जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, के प्रतिवेदन को ताक पर रख दिया, सरकार ने पिछले बीस वर्षों में क्या किया ? उसने लोगों का पैसा खर्च करके आयोग तथा समितियां बनाई और उनके प्रतिवेदनों तथा सिफारिशों को ताक पर रख दिया।

इस सम्बन्ध में अधिक न कह कर संक्षेप में मैं कुछ मुख्य-मुख्य बातों का उल्लेख करूंगा, सरकार ने एक समिति बनाई जिसका नाम उत्तर बंगाल बाढ़ नियन्त्रण सलाहकार समिति रखा गया और श्री एस० एन० रे० को, जो एक भूतपूर्व ब्यूरोक्रेट है और पश्चिम बगाल के मुख्य सचिव हैं, और जिन्हें सरकारी निकायों में इधर-उधर कोई न कोई काम मिलता रहता है, रिपोर्ट देने का काम सौंपा गया। श्री रे० अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख हैं कि उत्तर बंगाल बाढ़ नियन्त्रण सलाहकार समिति 8 नवम्बर, 1966 की अपनी अन्तिम बैठक के बाद फिर कभी नहीं बैठी। इस समिति ने अपना दायित्व तथा कर्तव्य नहीं निभाया और समुचित निकायों को कार्य निष्पादित करने की सलाह नहीं दी और अब वे शब्दों की बड़ी गहरी सहानुभूति जता रहे हैं।

श्री एस० एन० राय ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि बाढ़ का हर ऋतु के बाद किनारों पर जो रेत जम जाती है उसे देखते हुए निर्माण की ऊंचाई को हर 2 अथवा 3 वर्ष बाद बढ़ाया जाना चाहिये।

परन्तु सरकारी इन्जीनियरों ने कुछ नहीं किया। श्री एस० एन० राय ने यह भी कहा है कि जलपाईगुड़ी में रेल और सड़क पुलों पर 5 लाख कुसैक्स के स्थान पर 7 लाख कुसैक्स पानी की निकासी का अनुमान था। पर इस बारे में भी इंजीनियरों ने कुछ नहीं किया।

श्री बी० सी० घोष, जो कि कांग्रेस दल से सम्बन्धित हैं, ने कहा है कि पश्चिम बंगाल बाढ़ नियन्त्रण सलाहकार समिति जो कि अब निष्प्रभाव हो चुकी है, ने बार बार निवेदन किया था कि सुरक्षा कार्यों को और अधिक दृढ़ किया जाये तथा कमजोर बिन्दुओं पर अधिक दृढ़ सुरक्षा प्रबन्ध किये जायें। परन्तु किसी ने ध्यान नहीं दिया।

जिस डिविजनल आयुक्त को भ्रष्टाचार के आरोप पर कलकत्ता से निकाल दिया गया था और जिसे संयुक्त मोर्चे के वित्त मन्त्री ने भी स्वीकार नहीं किया था, उसे जलपाईगुड़ी में आश्रय दिया गया। यद्यपि उनको यह सही सूचना दी गई कि विनाश आरम्भ हो गया है। समीप के खण्ड विकास अधिकारी तथा रायपुर चाय सम्पति के प्रबंधक भी से उन्हें जानकारी मिली ; परंतु फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्हें सिंचाई विभाग के इन्जीनियर की ही प्रतीक्षा रही। कुछ समय बाद संवाद भी आने बन्द हो गये क्योंकि पानी नापने वालों को भी अब खतरा उत्पन्न हो गया था। परन्तु क्या इन मोटी मोटी तखवायें लेने वाले सरकारी अधिकारियों ने यह जानने का प्रयत्न किया कि सूचनाएं आनी क्यों बन्द हो गई हैं, यदि मैं उप-आयुक्त होता तो तुरन्त लोगों की एक बैठक बुलाता, उन्हें स्थिति से अवगत कराता, उन्हें स्वयं अपनी रक्षा करने के लिये कहता तथा सरकारी स्तर पर जो कुछ भी हो सकता था करता। वह तो सलाह के लिये सिंचाई विभाग में भी नहीं गये। लोगों को चेतावनी देना इन्जीनियरों का काम

नहीं होता । वे लोग तो मरम्मत तथा जल को यथासम्भव नियंत्रित करने आदि का कार्य करते हैं । परन्तु मुझे मालुम हुआ है कि सरकारी अधिकारियों ने उन लोगों को यह काम भी नहीं करने दिया । उनकी गाड़ियां आदि भी छीन लीं । यही कारण है कि यह विपत्ति आई । यदि सरकारी अधिकारी थोड़े से भी काम के सिद्ध होते तो बहुत से मनुष्यों, पशुओं तथा मूल्यवान वस्तुओं की रक्षा हो जाती । परन्तु लोगों का वहां सब कुछ नष्ट हो गया परन्तु सरकार और सरकारी अधिकारियों को इससे क्या ?

इसके बाद सरकार ने जांच भी कराई ; परन्तु हम तो इसे पहले से ही की गई जांच कहेंगे क्योंकि इस में स्थिति की गम्भीरता के बारे में तथ्यों को प्रकाश में नहीं लाया गया । रिपोर्ट में राज्यपाल के बारे में कुछ नहीं कहा गया । राईटर्स बिल्डिंग में भी सूचना भेजी गई थी परन्तु वहां चीफ सैक्रेटरी ने भी कुछ नहीं किया । हमारी मांग है कि राज्यपाल को बंगाल में रहने का कोई अधिकार नहीं । उन्हें वापस बुला लिया जाये ।

श्री एस० एन० राय ने भी कुछ नहीं किया । वह भी केवल कांग्रेसियों से ही मिले । उनको किसी सामान्य व्यक्ति से मिलकर वास्तविक जानकारी प्राप्त करने का समय ही नहीं था ।

वहां का स्थानीय प्रशासन बेकार हो चुका था । डिविजनल आयुक्त महोदय सीलीगुड़ी भाग कर अपने ही परिवार की रक्षा हेतु टेलीफोन कर रहे थे । वे पुलिस को स्थिति पर नियन्त्रण पाने के लिये कह रहे थे ।

परन्तु पहली सहायता सीलीगुड़ी के लोगों की ओर से मिली जिनमें अधिकतम विद्यार्थी थे तथा मुझे गर्व हैं कि उनमें से ज्यादातर विद्यार्थी छात्र संघ के थे । उन्होंने योजना बनाई तथा लोगों को बचाया ।

परन्तु दार्जिलिंग में विश्राम कर रहे राज्यपाल ने क्या किया ? वे पूरे पांच दिन में तो जलपाईगुड़ी पहुंच पाये जबकि डिविजनल आयुक्त ने उन्हें फोन पर सारी स्थिति बतादी थी । मुझे मालूम हुआ है कि श्री देसाई ने जलपाईगुड़ी में उनसे बात-चीत की थी । हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या बातचीत की थी ? राज्यपाल के बारे में वह क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

और यह भी एक बड़ी विचित्र बात थी कि जब दार्जिलिंग के लोग पेट्रोल की कमी के कारण परेशान थे ; तो विशेष परमिट प्राप्त एक कार दो कुत्तों को लिये राष्ट्रपति भवन से सिलिगुड़ी जा रही थी ।·····(व्यवधान)

प्रधान मन्त्री ने कहा है कि सहायता कार्यों के सन्दर्भ में राजनीतिक भावना को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए परन्तु फिर भी ऐसा हुआ । यह बड़े खेद का विषय है । श्री अतुल्यघोष स्थिति का खूब लाभ उठा रहे हैं । जगजीवन रामजी उनकी सहायता कर रहे हैं । पिछली बार उन्होंने भारत खाद्य निगम की ओर से 100 टन गेहूँ मुफ्त देने का वायदा किया था तथा फिर कांग्रेसी विधायक श्री मोइत्रा के माध्यम से सप्लाई प्राप्त कराई गई । क्या यह सत्य नहीं है ?

सेना द्वारा किये गये कार्य को उन्होंने असन्तोष जनक बताया है। और अब, आज भी सिलिगुड़ी में चिकित्सा सहायता भेजी जा रही है परन्तु उनके डिब्बे कई कई दिन तक बन्द पड़े रहते हैं। यह सहायता न देने से भी बुरा है। इस बारे में कोई उचित योजना नहीं बनाई गई, कोई बजट नहीं तैयार किया गया। 7 नवम्बर तक केवल 1 करोड़ रुपये की सहायता पश्चिम बंगाल को दी गई है जबकि वहां हमें 50 करोड़ रुपये चाहिये।

हमारी मांग है कि एक उच्च-स्तरीय जांच आयोग, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक नदी प्रोद्योगिकी विशेषज्ञ तथा कुछ संसत्सदस्यों शामिल हो, नियुक्त किया जाये। इसके अतिरिक्त कुछ पुल विशेषज्ञ भी सम्मिलित कियें जाये ताकि तथ्यों का ठीक-ठीक पता लग सके।

अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि आर्थिक स्थिरता पुनः आनी चाहिये। इसके लिये हमें निःशुल्क सहायता, पानी की सप्लाई, भरपूर उप दान प्राप्त भोजनालय, पशुओं तथा साईकल रिक्शाओं आदि के क्रय के लिये ऋण देने की व्यवस्था की जानी चाहिये। छोटे-छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को भी ऋण दिये जाने चाहिये। मकान बनाने के लिये भी ऋण दिये जायें। हम डा० राव से यह स्पष्ट उत्तर चाहते हैं कि क्या वह एक अदालती जांच करायेंगे तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के बारे में कोई निर्णय करेंगे ? मैं सरकार से एक आश्वासन चाहता हूँ कि वहां आर्थिक स्थिरता को पुनः स्थापित करने हेतु वह हर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री सोमचन्द सोलंकी (गांधीनगर) : देश में बाढ़ की स्थिति के प्रस्ताव पर बोलते हुए मैं कहना चाहूँगा कि बाढ़ और सूखा हमारे देश में सर्वाधिक ध्वंसकारी तथा भयंकरतम् दैवी विपत्तियां हैं। हर वर्ष ये विपत्तियां हमारे देश पर आती हैं। सरकार इन्हे वैज्ञानिक और तकनीकी उपाय करके नियंत्रण में ला सकती हैं। ये विपत्तियां हमारे देश की प्रगति में बहुत बड़ी बाधायें हैं तथा इनसे देश को मुक्ति दिलाई जानी चाहिये।

देश के विभिन्न भागों में ये विपत्तियां आती ही रहती हैं और जब तक पृथ्वी पर अधिक मात्रा में जल है ये, भारी वर्षा और बाढ़ आते ही रहेंगे।

वर्ष 1968, की बाढ़ ने मानव जीवन, पशुओं, मकानों, फसलों, संचार व्यवस्था तथा उद्योगों को भारी हानि पहुंचाई है। इस वर्ष गुजरात, पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा तथा केरल राज्यों को भयंकर बाढ़ से बड़ी हानि हुई। गुजरात में बाढ़ के परिणाम स्वरूप 59255 मकान गिर गये और 341 लोग तथा 135440 पशु मौत के मुख में चले गये। भूमिहीन लोगों के अगणित परिवार आज भूखों मर रहे हैं। उनके घर नष्ट हो गए हैं और काम-धन्धा समाप्त हो गया है। सहस्रों हरिजन लोग आज बेघर हैं। और इसके लिये जो सहायता दी गई है वह सर्वथा अपर्याप्त है।

इस बाढ़ से बहुत से हरिजन परिवारों की जानें गई हैं। गांव के गांव नष्ट हो गये हैं तथा खेतों के कोई ओर-छोर नहीं मिलते। बाढ़ के परिणामस्वरूप बड़ी भयंकर घटनायें हुई हैं। बड़े खेद का विषय है कि केन्द्र सरकार ने इस दैवी विपत्ति को रोकने यथाशीघ्र समुचित उपाय नहीं किये।

गुजरात के उत्तरी भाग में सूखा पड़ा तथा दक्षिणी भाग में भारी बाढ़ आई। बाढ़ आने का कारण नर्मदा ताप्ती तथा दक्षिण गुजरात की अन्य नदियों में अधिक पानी आ जाने से आई थी। मेरा सुझाव है कि ताप्ती के तट पर सूरत के समीप एक विशाल प्राचीर का निर्माण किया जाये।

सदन को मालूम है कि हमारी केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ को नियंत्रित करने हेतु सन्तोष जनक उपाय नहीं किये हैं। उसने नर्मदा परियोजना तथा नर्मदा पर प्रस्तावित पुल के निर्माण के बारे में बड़ा ही निन्दनीय रवैया अपनाया है। मैं यह बात दृढ़ता से कहूंगा कि हमारी केन्द्र सरकार ने इस मामले में बड़ी लापरवाही से काम लिया है। इस मामले पर तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

मेरी समझ में यह नहीं आता कि नर्मदा परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए एक सर्वेक्षण समिति को नियुक्त करने का क्या प्रयोजन था ? यदि केन्द्र सरकार उसे पूरा करना चाहे तो स्वयं कर सकती है। मध्य प्रदेश भी तो भारत का एक अङ्ग है। केन्द्र सरकार को उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। इसके लिये केन्द्र को अन्य राज्यों से भय नहीं मानना चाहिये। सरकार को इस बारे में बिना किसी संकोच दृढ़ता का रवैया अपनाना चाहिये।

वर्ष 1968 की बाढ़ ने मन्त्री महोदय तथा सरकार की आंखें खोल दी हैं। अब उन्हें बाढों के नियन्त्रण के लिये उपाय करने का कार्यक्रम शीघ्रातिशीघ्र लागू करना चाहिए। मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि असम में तटों को दृढ़ करने और रुकावट करने वाले बान्धों के निर्माण ; दक्षिण बंगाल में जल निकासी के कार्य में सुधार करने ; पश्चिम कोसी के तटों का सुधार तथा तीस्ता में विशेष कार्य, इकाई में नीचे ताप्ती नदी के तटों का निर्माण आदि आदि कार्यक्रमों की एक प्राथमिकता-सूची तैयार की गई है। परन्तु मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने नर्मदा परियोजना को क्यों उपेक्षित रखा है ? खोसला समिति के प्रतिवेदन में भी यह सिफारिश की गई है कि नर्मदा परियोजना से बाढ़ रोकने में सहायता मिलेगी। सरकार को इस परियोजना की ओर ध्यान देकर मध्य प्रदेश और गुजरात की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। नर्मदा नदी पर बांध बन जाने से केवल गुजरात को ही नहीं वरन मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र को भी लाभ पहुंचेगा। इसी बात पर मुख्य रूप से मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि सरकार इस कार्य को अविलम्ब हाथ में लेगी।

यह प्रसन्नता का विषय है कि मंत्री महोदय ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री ऊंथा को बाढ़ नियंत्रण उपायों के बारे में विभिन्न देशों में अनुभवों के आदान-प्रदान के बारे में कहा है। परन्तु मेरे विचार से पहले हमें वे कार्य करने चाहिये जो इस समय हमारे हाथ में है। पहले से ही हाथ में लिये हमारी अनेक परियोजनायें अभी अधूरी पड़ी हैं। मेरा आग्रह है कि गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश को इन भयंकर विपत्तियों से बचाने के लिये नर्मदा परियोजना ही एक मात्र साधन है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : प्रकृति का इस देश पर क्यों प्रकोप हो रहा है, भगवान ही जानता है। भारत के पूर्वी भागों पर तो लगातार दैवी प्रकोप बढ़ रहा है। कभी बाढ़ तो कभी

सूखा और कभी तूफान। कुछ मास पूर्व पश्चिम बगाल में भंयकर बाढ़ आई और 65 लाख लोगों पर कुप्रभाव पड़ा। 18 जिलों में से 14 जिलें इससे प्रभावित हुए। फिर उत्तरी बंगाल में जो कुछ हुआ उसको शब्दों में बांधना मुश्किल है। उसे तो बस प्रलय ही समझा जाना चाहिये। वहां जो विनाश हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैंने तो बाढ़ के बाद की स्थिति को स्वयं देखा है। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के पहाड़ी क्षेत्रों में बस्तियां की बस्तियां बह गई, 70 मील तक क्षेत्र भूमिसात् हो गया। मीलों लम्बी खेती योग्य भूमि पर कई कई फुट ऊंचे रेत की तहें जम गई।

भारी-भारी वृक्ष उन्मूलित हो गये। जलपाईगुड़ी में भंयकर बाढ़ ने नगर को ध्वंसावशेष के समान बना दिया।

परन्तु यह और भी अधिक खेद तथा आश्चर्य की बात है कि प्रधान मंत्री, उप-प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री ने वहां की स्थिति को स्वयं देखकर तथा अनेक वायदे करके भी कुछ नहीं किया। डा० कु० ल० राव तो कुछ भी नहीं कर सके। मेरी मांग है कि उत्तर बंगाल की स्थिति को अन्य राज्यों के साथ न मिलाकर, स्वयं इसी को एक राष्ट्रीय समस्या मानकर इस बारे में कार्य किया जाना चाहिये। श्री राव ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह तो परस्पर विरोधी है।

यह एक असाधारण दैवी विपत्ति है जिस गम्भीर रूप से लेना चाहिये। इसे एक राष्ट्रीय स्तर की समस्या समझा जाये, परन्तु इसे अन्य राज्यों की बाढ़ समस्या से अलग रखकर सभा में इस पर चर्चा की जाये। आज केवल उत्तरी बंगाल की स्थिति के सम्बन्ध तक ही चर्चा सीमित रहनी चाहिये। श्री एस० एन० राय ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि सम्बन्धित अधिकारी अपना कर्त्तव्य पूरा करने में असफल रहे हैं। मैंने भी दोहमनी के डिप्टी कमीश्नर से बात की थी और उनसे यह अनुरोध किया था कि बाढ़ के सम्बन्ध में लोगों को चेतावनी दे दी जाये। उन्होंने इतना तक न किया। यदि डिप्टी कमीश्नर से इस आशय का टेलीफून पर भी संदेश प्राप्त हो जाता तो चेतावनी दे दी जाती और असंख्य माताओं, पिताओं, पत्नियों और बच्चों के जीवन बच जाते। यह कैसी विचित्र बात है कि इस विपत्ति के चार दिन बाद तक सरकार की ओर से कुछ भी कार्यवाही न की गई। इसके विपरीत सिलिगुड़ी के एस० डी० ओ० ने तीसरे दिन एक आदेश जारी करके गैर-सरकारी राहत देने वाली संस्थाओं या व्यक्तियों को ऐसा करने से रोक दिया। यहां तक कि दार्जिलिंग में राज्यपाल श्री धर्मवीर तक को भी 9 अक्टूबर तक इसके बारे में सूचित नहीं किया गया। इसकी सूचना का रेडियो से प्रसारण क्यों नहीं किया गया ? सिलिगुड़ी प्रशासन ने जलपाईगुड़ी को भी राहत कार्य के लिये उपकरण क्यों नहीं भेजे जबकि वह सिलिगुड़ी से केवल 20 मील दूर है। इस मामले में जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है; उनको तत्काल निलम्बित किया जाये और उनके बारे में न्यायिक जांच कराई जाये।

इसी सन्दर्भ में मैं एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उत्तरी बंगाल का क्षेत्र सैनिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। परन्तु उस क्षेत्र में तैनात सैनिक अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं। वहां सेना अपने करणीय में क्यों

असफल हो रही है। सड़कें टूट गई, पुल बह गये, संचार व्यवस्था बिगड़ गई, यातायात की सुविधाएं अस्त व्यस्त हो गई। डा. राव को इस सम्बन्ध में प्रतिरक्षा मंत्री से बातचीत करके सड़कों, पुलों और संचार व्यवस्था आदि का पुनः शीघ्र से शीघ्र निर्माण करवाना चाहिये।

पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा जारी किये गये पर्चे में मृतकों की संख्या 2704 बताई गयी है जबकि श्री पी० सी० सेन के अनुसार यह संख्या 20,000 है और अतुल्य घोष के अनुसार केवल जलपाईगुड़ी के क्षेत्र में मृतकों की संख्या 10,000 है। सरकार ने केवल पाये गये शवों की गिनती की है। जो व्यक्ति गुम है या जिनके शव कीचड़ में दब गये हैं, उन्हें नहीं गिना गया है। उस क्षेत्र में सीमित रूप से जनगणना की जाये तभी पता चल सकेगा कि मृतकों की ठीक संख्या क्या है। मृत पशुओं की संख्या का तो कुछ अनुमान है ही नहीं। सामान्य रूप से सम्पूर्ण पशु संख्या नष्ट हो जायेगी।

मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य पुनर्वास के लिये किये जाने चाहिये : लगभग 1½ लाख घरों का पुननिर्माण तथा मरम्मत, कृषि योग्य भूमि जो लगभग 20,000 वर्गमील क्षेत्र है, को पुनः खेती योग्य बनाया जाये। सरकारी और गैरसरकारी स्कूलों की इमारतों का निर्माण किया जाये, उद्योगों और व्यापारों की पुर्नस्थापना के लिये उपकरण आदि की सहायता दी जाये। पढ़ाई के लिये बच्चों को शिक्षा शुल्क और पुस्तकें दी जायें। सड़कें, पुलों और बांधों का पुनर्निर्माण किया जाये। उजड़े हुए गांव बसाये जायें। पशुओं की संख्या बढाई जाये तथा प्रभावित लोगों को राहत के लिये सहायता दी जाये। इसी सन्दर्भ में मेरा यह निवेदन है कि राहत-मोर्चे पर सब दलों को भी दलगत स्वार्थों को भूलकर एक हो जाना चाहिये तथा वे उत्तरी बगाल के बाढ़-पीड़ित लोगों को राहत और सहायता दें और उनके पुनर्वास में योग दें।

जब भी कोई ऐसी दैवी विपत्ति आती है तो सरकार प्रभावित क्षेत्र में एक अध्ययन दल भेजती है जिसका कोई लाभ नहीं होता। उदाहरण के लिये मैं मिदनापुर भेजे गये दल का लेखा जोखा यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह अध्ययन दल वहां पर विपत्ति के 35 दिन बाद पहुँचा और पश्चिमी बंगाल सरकार को उसने यह परामर्श दिया कि वह तत्सम्बन्धी विकास कार्यों के लिये अपनी विकास-कार्य निधि में से खर्च करे जो उसे चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये प्राप्त हुई है। राज्य सरकार ने उसके लिये 39 करोड़ रुपये की राशि मांगी थी। जिस पर उस अध्ययन दल ने आपत्ति की।

मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इस बात की जांच की जानी चाहिये कि इतनी भयंकर बाढ़ पश्चिमी बंगाल में एकदम कैसे आ गई। पहले तो पानी धीरे-धीरे बढ़ रहा था परन्तु रात को पानी 60 फीट से भी अधिक बढ़ गया। बाढ़ नियत्रण का काम आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व ही पूरे कर लिये जाने चाहियें। राज्य सरकार के तत्वावधान में एक पुनर्वास समिति का गठन किया जाना चाहिये, जिसका प्रधान राज्यपाल हो और जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि सम्मलित हों। आसाम, उत्तरी बंगाल, मिदनापुर, उत्तरी बिहार और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की देखभाल के लिये तथा बाढ़ सम्बन्धी चेतावनी देने के लिये स्वतंत्र बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। बाढ का सामना करने के लिये एक जहाजी

बेड़ा तैयार किया जाना चाहिये जिसमें बचावोपयोगी किस्तियां तथा अन्य इन्जीनियरी का उपकरण तैयार हो। केन्द्रीय सरकार को एक विशेष कोष बनाना चाहिये जिससे बाढ़, सूखे तथा तूफान जैसी दैवी विपत्तियां से पीड़ित राज्यों को तत्काल सहायता दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभी दलों तथा कुछ निर्दलीय सदस्यों को अवसर देना है। इसलिये इस विषय पर वाद-विवाद पूरा करने के लिये कोई अन्य समय ही निश्चित करना होगा।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 19 नवम्बर, 1968/28 कार्तिक 1890 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok, Sabha then adjourned till Eleven of the Clock no Tuesday, November 19, 1968/Kartika 28, 1890 (Saka).

———